



इंदिरा गांधी
राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
शिक्षा विद्यापीठ

बीईएस-129

जेण्डर, विद्यालय और समाज

खंड

2

जेण्डर और शिक्षणशास्त्रीय प्रथाएँ

इकाई 5

सक्रियतावाद के रूप में शिक्षण 5

इकाई 6

दृष्टिकोण सिद्धान्त और ज्ञान की अवस्थिति 27

इकाई 7

सहभागितापूर्ण कक्षा-कक्ष 64

इकाई 8

कक्षा-कक्ष में जेण्डर समानता के प्रोत्साहन
की रणनीतियाँ 94

विशेषज्ञ समिति

प्रो. आई. के. बंसल (अध्यक्ष)
पूर्व अध्यक्ष, प्रारम्भिक शिक्षा
विभाग, एन सी ई आर टी, नई दिल्ली

प्रो. श्रीधर वशिष्ठ
पूर्व कुलपति, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत
विद्यापीठ, नई दिल्ली

प्रो. परवीन सिंघलेयर
पूर्व निदेशक, एन सी ई आर टी
विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. ऐजाज मसीह
फैकल्टी ऑफ एजुकेशन
जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली

प्रो. प्रद्युम्न कुमार मण्डल
डी ई एस एस एच, एन सी ई आर टी, नई दिल्ली

प्रो. अंजु सहगल गुप्ता
मानविकी विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. एन. के. दाश
शिक्षा विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. एन. सी. शर्मा
शिक्षा विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

डॉ. गौरव सिंह
शिक्षा विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

विशिष्ट आमंत्रित सदस्य (शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली)

प्रो. डी. वेंकटेश्वरलु
प्रो. अमिताभ मिश्रा
सुश्री पूनम भूषण
डॉ. आईशा कन्नाडी
डॉ. एम. वी. लक्ष्मी रेड्डी

डॉ. भारती डोगरा
डॉ. वन्दना सिंह
डॉ. पुलिजाबेथ कुरुविल्ला
डॉ. निराधार डे

कार्यक्रम समन्वयक : प्रो. सरोज पाण्डेय एवं डॉ. गौरव सिंह, शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

पाठ्यक्रम समन्वयक : प्रो. डी. वेंकटेश्वरलु, शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

पाठ्यक्रम निर्माण दल

पाठ्यक्रम लेखक

इकाई-5 डॉ. जी उमा
सहायक प्रोफेसर
एस ओ जी डी एस,
इग्नू, नई दिल्ली

इकाई-6 डॉ. इन्दु कुमार
एसोसिएट प्रोफेसर,
सी आई ई टी,
एन सी ई आर टी,
नई दिल्ली

इकाई-7 प्रो. मोना यादव
जेण्डर अध्ययन विभाग,
एन सी ई आर टी,
नई दिल्ली

इकाई-8 डॉ. स्मिता पाटिल
सहायक प्रोफेसर
एस ओ जी डी एस,
इग्नू, नई दिल्ली

विषयवस्तु संपादन

प्रो. गौरी श्रीवास्तव
जेण्डर अध्ययन विभाग
एन सी ई आर टी, नई दिल्ली

प्रो. सविता सिंह
एस ओ जी डी एस,
इग्नू, नई दिल्ली

आरूप सम्पादन
प्रो. डी. वेंकटेश्वरलु
शिक्षा विद्यापीठ,
इग्नू, नई दिल्ली

हिन्दी रूपांतरण दल

अनुवादक
श्री प्रांजल धर
मीडिया विश्लेषक, अनुवादक
न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली

भाषा पुनरीक्षण
प्रो. नीलिमा श्रीवास्तव
एस ओ जी डी एस,
इग्नू, नई दिल्ली

पूछ रीडिंग
श्री चन्द्रशेखर
पूर्व रिसर्च असिस्टेंट
शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

सामग्री उत्पादन

प्रो. सरोज पाण्डेय
निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

श्री.एस.एस. वेंकटाचलम
सहायक कुलसचिव (प्रकाशन)
इग्नू, नई दिल्ली

जनवरी, 2018 (संशोधित)

©इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 2018

ISBN :

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस कार्य का कोई भी अंश इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मितियाग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के विषय में और अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के कार्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली-110 058 से प्राप्त की जा सकती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।

लेजर टाइप सेटिंग : राजश्री कम्प्यूटर्स, पी-108ए, भगवती विहार, उत्तम नगर, (नजदीक सेक्टर 2 द्वारका), नई दिल्ली-110058

बीईएस-129 : जेण्डर, विद्यालय और समाज

खंड 1 विद्यालय और समाज में जेण्डर मुद्दे

- इकाई 1 मूलभूत जेण्डर संकल्पनाओं की समझ
- इकाई 2 भारतीय परिप्रेक्ष्य में जेण्डर भूमिकाएँ और पितृसत्ता
- इकाई 3 पितृसत्ता की अन्य सामाजिक संरचनाओं और पहचानों के साथ अंतःक्रिया
- इकाई 4 विद्यालय में जेण्डर सम्बन्ध

खण्ड 2 जेण्डर और शिक्षणशास्त्रीय प्रथाएँ

- इकाई 5 सक्रियतावाद के रूप में शिक्षण
- इकाई 6 दृष्टिकोण सिद्धान्त और ज्ञान की अवस्थिति
- इकाई 7 सहभागितापूर्ण कक्षा-कक्ष
- इकाई 8 कक्षा-कक्ष में जेण्डर समानता के प्रोत्साहन की रणनीतियाँ

खण्ड 2 जेण्डर और शिक्षणशास्त्रीय प्रथाएँ

खण्ड की प्रस्तावना

यह खण्ड जेण्डर और शिक्षणशास्त्रीय प्रथाओं पर केन्द्रित है। यह जेण्डर से जुड़ी विभिन्न शिक्षणशास्त्रीय प्रथाओं से विद्यार्थियों को परिचित कराता है तथा जेण्डर असमानताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है और इन असमानताओं को चुनौती देता है। इसके अतिरिक्त यह परिवार, जाति, धर्म, संस्कृति, कानून, राज्य और मीडिया की भूमिकाओं का अन्वेषण करता है।

इकाई — 5 : सक्रियतावाद के रूप में शिक्षण — मैं हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे, वे इस प्रकार हैं : एक पेशे या व्यवसाय (vocation) के रूप में शिक्षण, ज्ञान के एक प्रसारक के रूप में शिक्षक, ज्ञान के शिक्षणशास्त्रीय जगत में पाठ का स्थान, विद्यमान पाठ्यक्रम, अभिवृत्तियों, सामाजिक प्रथाओं और मान्यताओं पर जेण्डर के परिप्रेक्ष्य से सवाल उठाना और उन्हें चुनौती देना तथा सक्रियतावाद के रूप में शिक्षण — यथार्थ का रूपान्तरण।

इकाई — 6 : दृष्टिकोण सिद्धान्त और ज्ञान की अवस्थिति — मैं हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे, वे इस प्रकार हैं : दृष्टिकोण का तात्पर्य ऐतिहासिक विकास; दृष्टिकोण सिद्धान्त और ज्ञानमीमांसा; दृष्टिकोण सिद्धान्त और हाशियाकृत जनों का परिप्रेक्ष्य वस्तुनिष्ठ ज्ञान पर सवाल उठाना ज्ञान के निर्माण के एक वैध आधार के रूप में अनुभव; विविधता और अन्तरप्रतिच्छेदनीयता (intersectionality); जेण्डर और ज्ञान का निर्माण; शास्त्रगत ज्ञान के 'नारीवादी आलोचकों' द्वारा उपलब्ध कराई गयी अन्तर्दृष्टि शिक्षा के हितधारकों (stakeholders) के लिए दृष्टिकोण सिद्धान्त के निहितार्थ।

इकाई — 7 : सहभागितापरक कक्षा-कक्ष — मैं हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे, वे इस प्रकार हैं : कक्षा-कक्ष में होने वाले आदान-प्रदान की जेण्डर के नजरिये से लेखा-परीक्षा; अध्यापन के और सीखने के वातावरण को जेण्डर-संवेदी बनाने के दृष्टिकोण; भाषाओं, गणित, पर्यावरणीय अध्ययन के अध्यापन के जरिये जेण्डर संवेदनशीलता; जेण्डर संवेदनशीलता के सृजन के लिए एक सलाहकार (counselor) के रूप में शिक्षक सहभागिता और प्रतिनिधित्व के जरिये जेण्डर संवेदी कक्षा-कक्ष में बदलते शक्ति समीकरण शिक्षण प्रविधि के विखण्डन (deconstruction) और पुनर्निर्माण; (reconstruction) के निहितार्थ।

इकाई — 8 : कक्षा-कक्ष में जेण्डर समानता को प्रोत्साहित करने के लिए रणनीतियाँ — मैं हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे, वे इस प्रकार हैं : जेण्डर से जुड़े सांविधानिक प्रावधान और कानून; जेण्डर समानता को सम्बोधित करने वाली नीतियाँ और कार्यक्रम; मानवाधिकार और नारी-अधिकार; विद्यालयों में यौन-दुर्व्यवहार को सम्बोधित करना; जेण्डर रुढ़ियों के दायरे से बाहर जाना और इष्टतम क्षमता में वृद्धि करना, जेण्डर समानता का आचरण करने वाले विद्यालय के लिए दृष्टिकोण।

इकाई 5 सक्रियतावाद के रूप में शिक्षण

संरचना

- 5.1 प्रस्तावना
- 5.2 उद्देश्य
- 5.3 एक व्यवसाय के रूप में शिक्षण
- 5.4 ज्ञान के प्रसारक के रूप में शिक्षक
- 5.5 ज्ञान के शिक्षणशास्त्रीय जगत में पाठ का स्थान
- 5.6 विद्यमान पाठ्यक्रम, अभिवृत्तियों, सामाजिक प्रथाओं और मान्यताओं पर जेण्डर परिप्रेक्ष्य से प्रश्न उठाना और चुनौती देना
- 5.7 सक्रियतावाद के रूप में शिक्षण – यथार्थ का रूपान्तरण
- 5.8 सारांश
- 5.9 इकाई अंत प्रश्न
- 5.10 अपनी प्रगति जाँच के उत्तर
- 5.11 सन्दर्भ ग्रन्थ

5.1 प्रस्तावना

“शिल्प, महत्वाकांक्षा और द्वेष
तर्क की रात्रि में शान्त किए जाएँ, तब तक
जब तक कमजोरी शक्ति में न बदल जाए
जब तक अंधेरा प्रकाश में न बदल जाए
जब तक गलत सही में न बदल जाए”

- लेविस कैरोल

यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना कि वे गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान कर सकें, सम्पूर्ण विश्व में चिन्ता का विषय है। शिक्षक युवा मस्तिष्कों को आकार प्रदान करते हैं और इस प्रकार शिक्षकों पर समाज में परिवर्तन लाने का दायित्व होता है। एक प्रभावशाली शिक्षक होने के लिए किसी व्यक्ति को प्रशिक्षित करने के दो चरण होते हैं। पहला, एक प्रभावशाली पाठ्यक्रम विकसित किए जाने की आवश्यकता है। दूसरा, सुप्रशिक्षित प्रभावशाली शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा मिलनी सुनिश्चित हो जाएगी। इस प्रक्रिया में जेण्डर सम्बन्धी चिन्ताओं को सम्बोधित करना समय की माँग है।

पितृसत्ता द्वारा सशक्त की गयी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं के कारण अनेक शताब्दियों तक महिलाओं के लिए शिक्षा का निषेध किया जाता रहा। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में महिलाओं की शिक्षा के महत्व का संज्ञान लिया जाना शुरू हुआ। राजा राममोहन राय, मदनमोहन मालवीय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, कवि भारतियार, ई.वी. आर. पेरियार और डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी जैसे समाज सुधारकों ने महिलाओं की शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। सन् 1854 में चार्ल्स वुड ने सरकार को सलाह दी कि वह

लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता दे। बुड ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन महिलाओं की शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। समाज सुधारकों और सरकार के प्रयासों के परिणाम आने शुरू हुए। ऐसे किसी प्रयास में, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए जेण्डर सम्बन्धी मुद्दों को पाठ्य-सामग्री का हिस्सा होना चाहिए ताकि वे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें। इसे जेण्डर न्याय को भी सम्बोधित करना चाहिए। इसलिए, शिक्षकों को क्या सीखना चाहिए तथा जेण्डर के सम्बन्ध में समाज में उनकी क्या भूमिका है - इन्हीं मुद्दों पर इस इकाई में चर्चा की गयी है।

5.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप :

- एक व्यवसाय या आह्वान के रूप में शिक्षण की पहचान कर सकेंगे;
- यह जान सकेंगे कि ज्ञान का निर्माण किस प्रकार होता है और किस प्रकार वह शिक्षकों द्वारा प्रसारित किया जाता है,
- शिक्षणशास्त्रीय ज्ञान में पाठ की भूमिका को जान सकेंगे;
- पाठ्यक्रम में जेण्डर सरोकारों के समावेश की आवश्यकता का संज्ञान ले सकेंगे; तथा विद्यमान अभिवृत्तियों, मान्यताओं और सामाजिक प्रथाओं का जेण्डर के सम्बन्ध में अन्वेषण कर सकेंगे; और
- सक्रियतावाद के एक रूप में शिक्षण का संज्ञान ले सकेंगे।

5.3 एक व्यवसाय के रूप में शिक्षण

शिक्षा के क्षेत्र में इस बात को लेकर वाद-विवाद रहा है कि शिक्षण क्या एक 'व्यवसाय (vocation)' है या फिर क्या यह एक 'आह्वान (calling)' है (बूथ, 1998, हानसेन, 1995, 2001, ह्यूबनर, 1987)। आइए, इस बात का अन्वेषण करते हैं कि एक 'व्यवसाय' के रूप में शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। मेरियम वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार व्यवसाय का तात्पर्य है : "किसी खास तरीके के कार्य को करते हुए अपना जीवन बिताने की किसी व्यक्ति की सशक्त इच्छा अथवा वह कार्य जो कोई व्यक्ति करता है या जो किसी व्यक्ति को करना चाहिए।" इस परिभाषा पर विचार करते हुए हमारे लिए इस बात का विश्लेषण करना आवश्यक है कि आगामी शिक्षक, शिक्षण की पहचान एक व्यवसाय के रूप में कैसे करते हैं तथा एक व्यवसाय किसी व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार संचालित होता है। पार्कर पामर और डेविड हानसेन ने व्यवसाय के प्रति दो दृष्टिकोण उपलब्ध कराए हैं। ये दोनों दृष्टिकोण व्यवसाय को "एक ऐसी गतिविधि या कार्य" के रूप में सन्दर्भित करते हैं जिससे "व्यक्तिगत सन्तोष मिलता हो और दूसरों की सेवा होती हो।" पामर ने आगे कहा है कि "सच्चा व्यवसाय आत्म और सेवा से सम्बन्धित होता है।" उन्होंने धर्मतत्त्ववेत्ता फ्रेडरिक बुचनर (1973) द्वारा दी गयी व्यवसाय की परिभाषा का उल्लेख किया है। बुचनर ने व्यवसाय को उस 'स्थल' के रूप में परिभाषित किया है 'जहाँ आपका चरम आनन्द और संसार की चरम भूख एक-दूसरे से मिलती है'। हानसेन के अनुसार व्यवसाय "एक ऐसा कार्य है जिसका परिणाम दूसरों की सेवा तथा इस सेवा को प्रदान करने में व्यक्ति को मिलने वाला व्यक्तिगत सन्तोष होता है" (पृ. 3)। उपरोक्त परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि व्यवसाय का तात्पर्य सिर्फ वित्तीय सुरक्षा से ही नहीं है, बल्कि इससे आगे बढ़कर इसका तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जिन्हें दूसरों

की सहायता करने में आत्मसन्तोष का अनुभव होता है। हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि व्यवसाय के सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण उपलब्ध हैं। एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है और दूसरा नियामक (regulative) दृष्टिकोण है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यवसाय एक ऐसी आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक यात्रा है, जिसके जरिये व्यक्ति को स्वयं को जानने में सहायता मिलती है। एक बार जब व्यक्ति स्वयं को जान लेता है तो वह इस चीज की पहचान करने योग्य हो जाता है कि उसका सम्बन्ध कहाँ से है। इसे 'आह्वान (calling)' के नाम से सन्दर्भित किया जाता है। पामर ने व्याख्या की है कि किसी खास व्यवसाय के लिए आह्वान भीतर यानी अन्तरात्मा से आता है। किसी व्यक्ति के लिए इस बात की जरूरत होती है कि वह अपने लिए व्यवसाय की पहचान करे। लेकिन शिक्षण के लिए आह्वान सिर्फ बाहरी परिस्थितियों से ही उत्पन्न नहीं होता - सिर्फ बाहरी परिस्थितियों के कारण अगर कोई व्यक्ति शिक्षक बना है तो उसका तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब तक उस शिक्षक की आत्मा, शिक्षण प्रक्रिया में न रमती हो। कोई भी प्रामाणिक आह्वान अन्ततः शिक्षक की भीतरी आत्मा की आवाज से ही उत्पन्न होता है, एक ऐसी आवाज से जो किसी व्यक्ति को उसके सच्चे आत्म की प्रकृति का आदर करने के लिए आमन्त्रित करती हो।

आइए, अब हानसेन के नियामक दृष्टिकोण का अन्वेषण करते हैं। नियामक दृष्टिकोण इस चीज से सम्बन्धित है कि कोई व्यक्ति अपने पेशे को किस प्रकार देखता है और किस प्रकार उसकी व्याख्या करता है। यह दृष्टिकोण कहता है कि व्यवसाय का उद्गम केवल मनोवैज्ञानिक ही नहीं होता, बल्कि इसका उद्गम सामाजिक भी होता है।

हानसेन (1985) के अनुसार, समाज में एक "सामाजिक प्रथा" होती है। समाज में मौजूद प्रभावी सामाजिक प्रथा के आधार पर ही कोई व्यक्ति सीखता है, बड़ा होता है और किसी पेशे/व्यवसाय का चुनाव करता है। व्यक्ति इन सामाजिक सन्दर्भों के भीतर ही कार्य करता है, सीखता है और बड़ा होता है। इसे व्यवसाय कहा जाता है। निम्नलिखित भारतीय उदाहरण आपकी समझ को और अधिक स्पष्ट करेगा।

भारतीय समाज शिक्षण को महिलाओं के लिए उपयुक्त व्यवसाय मानता है। लड़कियों की कम उम्र से ही यह सोच होती है कि अध्यापन सर्वोत्तम विकल्प है। भारत में महिलाओं पर तिहरा बोझ पड़ता है। उन्हें उत्पादक, प्रजननमूलक और सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करना पड़ता है। महिलाओं को ऐसी तमाम गतिविधियाँ सम्पन्न करनी पड़ती हैं, जो उन्हें सौपी जाती हैं। इस सन्दर्भ में, समाज अध्यापन या शिक्षण को एक उपयुक्त व्यवसाय मानता है। शिक्षण के बारे में सामाजिक सोच यह है कि शिक्षण एक समयबद्ध गतिविधि है। समाज यह अनुभव करता है कि यदि कोई महिला, शिक्षण जैसे किसी स्त्रैण व्यवसाय का चुनाव करती है, तो वह तीनों प्रकार की भूमिकाओं में अपना योगदान दे सकती है। यह व्यवहार या प्रथा समाज में भीतर तक मजबूती से अपनी जड़ें जमाए हुए है। इसी के अनुसार, अधिकांश महिलाएँ एक व्यवसाय के रूप में शिक्षण के चुनाव को वरीयता देती हैं।

निम्नलिखित लेखांश (पैराग्राफ) में हमने यह व्याख्या करने की कोशिश की है कि किसी व्यक्ति को अपने व्यवसाय की खोज और उसका चुनाव किस प्रकार करना चाहिए तथा 'एक व्यवसाय के रूप में शिक्षण' को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। व्यवसाय पर अपना दृष्टिकोण रखने के अलावा, पामर और हानसेन भी इस सम्बन्ध में हमारी जिज्ञासाओं का जवाब देते हैं कि 'एक व्यवसाय के रूप में शिक्षण' का चुनाव किस प्रकार किया जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार, एक व्यवसाय के रूप में शिक्षण सिर्फ बहिर्मुखी गुणों को हासिल करने भर से सम्बन्धित नहीं है, बल्कि अन्तर्निहित गुणों का

विकास करने से भी इसका सम्बन्ध है। ये गुण हैं - पढ़ना, सुनना, एकान्त और मौन। व्यक्ति को उपरिलिखित गुणों के साथ अपना अन्वेषण करना चाहिए। एक बार जब हम इसके आदी हो जाते हैं तो यह हमारी आदत का एक हिस्सा बन जाता है। इस प्रक्रिया में किसी खास व्यवसाय के लिए व्यक्ति को अपना 'आह्वान (calling)' मिल सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति अपने करियर के आरम्भ में अपने व्यवसाय के रूप में शिक्षण का चुनाव कर भी लेता है, तो भी बाद के किसी चरण में वह इस योग्य हो सकता/सकती है कि वह अपनी रुचि के व्यवसाय की खोज कर ले। शिक्षण को छोड़कर वह इस नए खोजे व्यवसाय में जा भी सकता/सकती है। तब इसके बाद अगला प्रश्न यह है कि "क्या हम किसी व्यवसाय का चुनाव कर सकते हैं? या यह कोई अन्तर्निहित गुण होता है?" इस प्रश्न का उत्तर पामर और हानसेन दोनों ने दिया है। पामर के अनुसार, शिक्षण के गुण अन्तर्निहित (inbuilt) होते हैं। लेकिन हानसेन का मत है कि किसी व्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि वह व्यवसाय का चुनाव सजग होकर करे और कार्य पूर्ण करने के विकल्प के साथ उस व्यवसाय में संलग्न रहे तथा उसमें अपने आत्म को खोजे। व्यवसाय का चुनाव करने में किसी व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह ज्ञान प्राप्त करे और विद्यमान सामाजिक प्रथाओं/व्यवहारों को समझे। यदि कोई व्यक्ति पेशे के रूप में अध्यापन/शिक्षण का चुनाव करता/करती है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह विद्यार्थियों को सजग बनाए रखने के लिए शिक्षण में वास्तविक रुचि को उत्पन्न करे। इससे भी आगे बढ़कर, ज्ञानी प्रोफेशनल्स बनने के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना तथा उन्हें उनके व्यवसाय की खोज के लिए मार्ग दिखाना चुनौतीपूर्ण होता है। निम्नलिखित कहानियाँ हानसेन और पामर की संकल्पनाओं की और अधिक व्याख्या करती हैं।

कहानी 1

श्री हैच अपने तक सीमित रहने वाले एक व्यक्ति थे। वह जूतों का फीता बनाने वाली एक कम्पनी में काम करते थे। उन्हें एक मिठाई के डिब्बे का पार्सल पहली बार उपहार के रूप में मिला। वे बहुत खुश हुए और इस घटना पर उन्होंने अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर आनन्दोत्सव मनाया। कुछ दिनों बाद श्री हैच को महसूस हुआ कि उन्हें पार्सल में मिठाई का जो डिब्बा मिला था, वह उनके पते पर गलती से आ गया था। इसके बाद श्री हैच ने खुद को फिर से अपने तक ही सीमित रखना शुरू कर दिया, जब तक उनके पड़ोसियों ने उन्हें इस बात का अहसास नहीं करा दिया कि कॉलोनी का प्रत्येक व्यक्ति श्री हैच को वाकई बहुत पसन्द करता है।

कहानी 2

सुश्री रुम्फस समुद्रतट पर एक छोटे-से घर में रहती थीं। उनका घर चारों तरफ से वृक (lupine) के फूलों से घिरा हुआ था। जब रुम्फस बच्ची थीं, तो उनके दादा ने उन्हें सलाह दी थी कि जब वे बड़ी हो जाएँ तो अपने चारों तरफ और अधिक सुन्दरता और खुशियाँ लाने के लिए उन्हें योगदान अर्पण देना चाहिए। अनेक स्थानों की यात्रा करने के बाद रुम्फस अन्ततः समुद्रतट के निकट बस गयीं। पहले, रुम्फस ने अपने घर के चारों तरफ ल्यूपाइन के फूलों के बीज बोये। बाद में उन्होंने पूरे गाँव के चारों तरफ ल्यूपाइन के बीज बो दिये। अगले मौसम में ये फूल खिल गए। पूरा गाँव ही सुन्दर हो गया। रुम्फस ने इसे एक व्यवसाय में बदल लिया। इसे उन्होंने अगली पीढ़ी को दिया।

ऊपर बतायी गयी कहानियों में, श्री हैच ने अपने कौशल के आधार पर व्यवसाय का चुनाव किया था और जूते बनाने वाले एक कारखाने में कामकाज हासिल कर लिया था। उन्होंने इसके आगे कोई अन्वेषण या खोजबीन नहीं की। लेकिन सुश्री रुम्फस वाले मामले में,

आह्वान दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए था। उन्होंने फूलों के बीज बोकर ऐसा किया। सुश्री रुम्फस का व्यवसाय जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया थी। जो विद्यार्थी शिक्षक बनना चाहते हैं, उन्हें इस बात का अहसास जरूर होना चाहिए कि यह जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। अठारह साल की अवस्था में, किसी खास व्यवसाय के बारे में निर्णय लेना बहुत कठिन होता है। इस सम्बन्ध में कोई व्यक्ति युवा मस्तिष्कों की सहायता कर सकता है ताकि वे अपनी रुचि के आधार पर अपने व्यवसाय की पहचान कर सकें। अथवा किसी व्यवसाय को उनके जीवन का एक हिस्सा बनाने के लिए कोई व्यक्ति इन युवा मस्तिष्कों में कुछ मूल्यों का संचार भी कर सकता है। जब वे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो वे इन संचरित मूल्यों को ग्रहण करते हैं और अपने चुने गए क्षेत्र में रुचि के साथ बहुत उम्दा प्रदर्शन करते हैं।

सक्रियतावाद के रूप में शिक्षण

अपनी प्रगति को जाँचिए 1

1. व्यवसाय (vocation) को परिभाषित कीजिए।

.....

.....

.....

.....

2. नियामक दृष्टिकोण क्या है?

.....

.....

.....

.....

5.4 ज्ञान के प्रसारक के रूप में शिक्षक

शिक्षा से अनेक सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। शिक्षा की मुख्य गतिविधि ज्ञान हासिल करना, ज्ञान उत्पन्न करने की क्षमता हासिल करना, अपनी अभिवृत्तियों और व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तनों को शुरू करने के लिए इस ज्ञान का उपयोग करना तथा मानव संसाधन विकास के लिए कौशलों को प्राप्त करना है। ज्ञान के सृजन के साथ-साथ शिक्षा के लिए यह भी आवश्यक है कि वह कौशलों और मूल्यों को संचरित करे। मानव विकास का लक्ष्य व्यक्ति के समग्र कल्याण को सुनिश्चित करना है। मानव विकास में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शैक्षिक सूचक शिक्षा में मात्रात्मक और गुणात्मक - दोनों प्रकार के - सूचकों में निरन्तरता और परिवर्तन की परिघटना के मापन के अंग हैं। इन गतिविधियों में शिक्षक ही प्रमुख व्यक्ति होते हैं। शिक्षण एक विविध और जटिल गतिविधि है। यह बहु-आयामी होती है। लड़के/लड़कियाँ सीखते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा आत्मनिर्भरता के कौशलों के साथ अपने समग्र व्यक्तित्व का विकास करते हैं। इन प्रक्रियाओं में विभिन्न चरण होते हैं। ज्ञान और कौशल के संचरण के लिए मानव

जेम्स और शिक्षणशास्त्रीय प्रश्न

विकास के प्रत्येक चरण पर विभिन्न शिक्षण-विधियों को अंगीकार किए जाने की आवश्यकता है। विकास और विद्यार्थियों की उम्र के आधार पर ये विधियाँ और अन्तर्बस्तु अलग-अलग हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक ज्ञान और कौशल के संचरण के लिए गतिविधि आधारित शिक्षण का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलेज के अध्यापक मिश्रित विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे - व्याख्यान देना, गतिविधि और मल्टीमीडिया का प्रयोग। शिक्षण में संज्ञानात्मक, लगावपरक और अन्तर्व्यक्तिक तत्व शामिल होते हैं। इन तत्वों में से महत्वपूर्ण बिन्दुओं की पहचान करके शिक्षक शिक्षण विधियों का रेखांकन और उनका निर्माण कर सकते हैं तथा ज्ञान का प्रसारण कर सकते हैं।

इस अनुभाग में हम केवल ज्ञान के आधार पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे क्योंकि हम 'ज्ञान के एक प्रसारक के रूप में शिक्षक' विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं। शिक्षकों पर यह दायित्व भी होता है कि वे भावी शिक्षकों के बीच शिक्षण व्यवहार का सृजन करें। ज्ञान का प्रसारण विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है।

अन्य पेशों के विपरीत, शिक्षा न सिर्फ ज्ञान का आधार निर्मित करती है, बल्कि यह अभ्यासपरक पेशा भी होता है। शिक्षकों के लिए यह आवश्यक है कि वे सीखने के सिद्धान्तों और ज्ञानराशियों का रेखांकन/निर्माण करें ताकि विद्यार्थी इन्हें सीख सकें, समझ सकें और बाद में अपने जीवन में इन्हें लागू करके विद्यार्थी विभिन्न चुनौतियों का सामना कर सकें। शिक्षक सिर्फ दूसरों को ही नहीं सिखाता है, बल्कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान वह स्वयं भी बहुत कुछ सीखता है। शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान के आधार के दो समुच्चय होते हैं। उदाहरण के लिए, भौतिक विज्ञान के किसी शिक्षक या रसायन विज्ञान के किसी शिक्षक या संगीत के किसी शिक्षक के पास शिक्षणशास्त्रीय (pedagogical) ज्ञान के साथ-साथ परास (domain) का ज्ञान भी अवश्य होना चाहिए। भौतिक विज्ञान के किसी शिक्षक के पास न सिर्फ अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, बल्कि उसे इस योग्य भी होना चाहिए कि वह समस्त आधारभूत विज्ञानों से सम्बन्धित सन्दर्भों/जिज्ञासाओं का स्पष्टीकरण दे सके ताकि बच्चे वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करने के साथ-साथ ज्ञान हासिल करने योग्य बन सकें।

शिक्षण के पेशे के लिए ज्ञान के आधार को श्रेणीकृत करने के अनेक दृष्टिकोण हैं। पहले हम अनुशासन यानी विषय के ज्ञान को देखते हैं। मनोविज्ञान (संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, और साइकोमेट्रिक यानी मानस-मिति सम्बन्धी), समाजशास्त्र, और शिक्षा का इतिहास, शिक्षा का दर्शनशास्त्र, भाषा-विज्ञान और तन्त्रिका विज्ञान (neuro-science) जैसे अनुशासनों ने शैक्षिक अनुशासन में संकल्पनाओं और विमर्शों का योगदान दिया है। यद्यपि इन ज्ञानानुशासनों का अस्तित्व स्वतन्त्र रूप से विद्यमान है, फिर भी शिक्षा और अनुप्रयोग से ये प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हैं। उदाहरण के लिए, शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा का दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान से उद्भूत किए गए हैं। ये ज्ञानानुशासन शिक्षा के लिए मूल्यवान् अन्तर्दृष्टि प्रदान करते हैं, लेकिन ये स्वतन्त्र ज्ञानानुशासन हैं क्योंकि इनका फोकस और विभिन्न मुद्दों पर इनका जोर (thrust) अलग-अलग होता है। इसलिए बेहतर समझ, ज्ञान के बेहतर उत्पादन और सामान्य उपयोग के लिए यह आवश्यक है कि हम एक सामान्य रूपरेखा (framework) या सिद्धान्त विकसित करें।

पोलान्थी (1958) प्रारम्भिक चिन्तक हैं जिन्होंने निहित (tacit) ज्ञान और स्पष्ट (explicit) ज्ञान में विभेद किया है। निहित ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ और सन्दर्भ-विशिष्ट होता है तथा प्रदर्शन (demonstration) के जरिये इसका संचार किया जाता है। स्पष्ट ज्ञान वस्तुनिष्ठ

होता है तथा व्यवस्थित और औपचारिक कथनमूलक भाषा में इसका वर्णन किया जा सकता है। एक प्रारूप (model) का विकास करके नोनाका और ताकेयूची ने निहित और स्पष्ट ज्ञान की अन्तःक्रिया को व्याख्यायित किया है। इस प्रारूप में उन्होंने ज्ञान की चार रीतियों (modes) का विकास किया है। इन चारों रीतियों के बीच अन्तःक्रिया और वार्तालाप मौजूद होता है। ये चारों रीतियाँ हैं - समाजीकरण, बाह्यकरण, संयुक्तीकरण और आत्मसातीकरण। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रदर्शन/अभ्यास के माध्यम से कौशलों/निहित ज्ञान का प्रसारण कुशल (skilled) जनों द्वारा अर्द्धकुशल (semi-skilled) जनों को किया जाता है। बाह्यकरण यह प्रक्रिया है जिसमें निहित ज्ञान की व्याख्या स्पष्ट संकल्पनाओं के माध्यम से की जाती है। परिकल्पना (hypothesis) और सिद्धान्त समेत विस्तृत प्रस्ताव (proposal) का विकास करके संकल्पनाओं की व्याख्या करना संयुक्तीकरण है। सीखे गए ज्ञान को दैनिक जीवन के निहित/अव्यक्त व्यवहार में उतारना आत्मसातीकरण है। इसी के आधार पर, विद्यालयों में ज्ञान के प्रसारण की व्याख्या करने के लिए हरग्रीव्स (1998) ने एक प्रारूप (model) का विकास किया है। उन्होंने ज्ञान के सृजन की तुलना उद्यानिकी (horticulture) में की जाने वाली वृक्षों की कटाई-छँटाई से की है। ज्ञान का सृजन बीज के बोने, उसके अंकुरित होने, उसे सींचने और पतला करने, उसकी कटाई-छँटाई करने और उसका प्रदर्शन करने जैसा है।

गिबन्स और अन्य (1994) ने पारम्परिक ज्ञान उत्पादन (मोड 1) से बौद्धिक जाँच (मोड 2) तक ज्ञान के उत्पादन की व्याख्या की है। उन्होंने इनकी व्याख्या मानविकी और तकनीकी ज्ञानानुशासनों का प्रयोग करते हुए की है। मोड 1 पारम्परिक ज्ञान है। इसमें बुनियादी संकल्पनाएँ शामिल रहती हैं। किसी विशिष्ट ज्ञानानुशासन के सम्बन्ध में इन बुनियादी संकल्पनाओं और बुनियादी ज्ञान को कॉलेजों के लिए पाठ्यक्रम के रूप में निर्मित किया जाएगा। मोड 2 के सम्बन्ध में देखा जाए तो यह अनुसन्धान संस्थानों में संचालित होता है। यह बुनियादी संकल्पनाओं और आधारभूत जानकारीयों को किसी विशिष्ट विषय में अंगीकार करता है, तथा सामाजिक समस्याओं और वृहत्तर अनुसन्धान क्षेत्रों को सम्बोधित करने के लिए इन संकल्पनाओं का अनुप्रयोग करता है। ज्ञानानुशासन की आधारभूत बुनियादी संकल्पनाओं और अनुप्रयुक्त ज्ञान में एक स्पष्ट विभेदक रेखा मौजूद होती है।

गिबन्स और अन्य के अनुसार, शिक्षा के ज्ञानानुशासन के लिए यह आवश्यक है कि अलग-अलग ज्ञानानुशासनों से विभिन्न संकल्पनाओं को अंगीकार करते हुए और इन संकल्पनाओं को उधार लेते हुए वह शैक्षिक मुद्दों पर ज्ञान के उत्पादन पर अपना ध्यान केन्द्रित करे। जब हम शिक्षकों को ज्ञान के प्रसारकों के रूप में देखते हैं तो हमारे लिए शिक्षणशास्त्र (pedagogy) पर ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक हो जाता है। शुलमान ने 'शिक्षणशास्त्रीय अन्तर्वस्तु ज्ञान (pedagogical content knowledge)' नामक पदबन्ध गढ़ा। शिक्षणशास्त्र और अन्तर्वस्तु ज्ञान का मिश्रण शिक्षण के पेशे के लिए अद्वितीय है। टर्नर बिस्सेट (1998) ने अपने अध्ययन में ज्ञान के 11 समुच्चयों का प्रस्ताव किया है जो इस प्रकार हैं - विषय का तात्त्विक (substantive) ज्ञान, विषय का वाक्य योजना सम्बन्धी (syntactic) ज्ञान, विषय के बारे में मान्यताएँ (beliefs), पाठ्यक्रम का ज्ञान, सामान्य शिक्षणशास्त्रीय ज्ञान, शिक्षार्थियों (learners) का ज्ञान, आत्म का ज्ञान और शैक्षिक साध्यों, उद्देश्य और मूल्यों का ज्ञान। अनुसन्धान एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिस पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

अभी तक हमने ज्ञान के आधार पर चर्चा की है। ज्ञान के आधार को कक्षा-कक्ष (classroom) में किस प्रकार रूपान्तरित किया जा सकता है और कक्षा-कक्ष का व्यवहार

जेण्डर और शिक्षणशास्त्रीय प्रथाएँ

ज्ञान के आधार को किस प्रकार प्रभावित करता है? अन्य पेशों के विपरीत, शिक्षकों के लिए यह आवश्यक है कि उनके पास विषय के बारे में ज्ञान का आधार हो, आदान-प्रदान की प्रविधि (methodology of transaction) हो, सैद्धान्तिक ज्ञान हो तथा सूचनाओं के स्रोत और पेशेवर निपुणता के बारे में शिक्षकों के लिए सजग होना आवश्यक है। शिक्षकों के लिए यह भी आवश्यक है कि कक्षा-कक्ष में वे अपने अनुभवों और ज्ञान का उपयोग करें। नोनाका और ताकेयूची ने आत्मसातीकरण की संकल्पना की व्याख्या की है जिसमें शिक्षार्थी को समझने के लिए और सीखने की उनकी प्रक्रिया को उद्दीप्त करने के लिए शिक्षक एक या एक से अधिक शिक्षार्थियों के साथ अन्तःक्रिया करते हैं। यह केवल तभी हो सकता है जब शिक्षक के पास विषय का ज्ञान हो। विषय का ज्ञान शिक्षण व्यवहार को रूपान्तरित करता है। विषय के ज्ञान के साथ-साथ पाठ्यक्रम से सम्बन्धित पाठ की योजना और शिक्षार्थियों की उम्मीदों का चित्रण सीखना भी बेहतर परिणाम देता है।



चित्र 1 : शिक्षण के समय मार्गदर्शन हेतु अन्तर्दृष्टि

चित्र 1 में अन्तर्दृष्टि पर लोनरगान के विचारों की चर्चा की गयी है। वे ज्ञान की प्रकृति और तार्किक आत्म-चेतना के बारे में बात करते हैं। गणित और भौतिक विज्ञान के सन्दर्भ में उन्होंने तीन संकल्पनाओं की चर्चा की है। जब लोग भौतिक विज्ञान और गणित सीखते हैं तो इन विषयों को वे अपने दैनिक जीवन से जोड़कर देखते हैं। लोनरगान के अनुसार, लोग सामान्य बुद्धि (common sense) के साथ व्यवहार करते हैं। विज्ञान के शिक्षार्थी दैनिक जीवन के अनुप्रयोगों को वैज्ञानिक ज्ञान से सम्बन्धित करते हैं, मले ही उसमें विशुद्धता, व्याख्यात्मकता और सामान्यता का अभाव हो। लोनरगान के अनुसार, सामान्य बुद्धि का तात्पर्य 'अन्तर्दृष्टियों के एक अभ्यस्त किन्तु अपूर्ण समुच्चय से है जिसे परिस्थितियों के प्रत्येक विशिष्ट समुच्चय में उपयुक्त परिवर्तनों के साथ पूर्ण किया जाता है। ये परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, जो बोलने या कार्य करने का आह्वान करती हैं।' उपयुक्त ज्ञान का चयन करने के लिए किसी व्यक्ति के पास अन्तर्दृष्टियों और कौशल का होना तथा नवीन अन्तर्दृष्टियों को उत्पन्न करने के लिए योग्यता का होना आवश्यक है। यदि हम इसी चीज को शिक्षकों और कक्षा-कक्ष के व्यवहार पर लागू करें तो शिक्षकों के पास एक विषय का व्यापक ज्ञान होता है। उस शिक्षक के लिए यह जरूरी है कि वह उपयुक्त ज्ञान का चयन करे और कक्षा-कक्ष में उसे लागू करे।

चित्र 1 में विषय का ज्ञान, अन्य ज्ञान, शिक्षणशास्त्रीय ज्ञान, अनुसन्धान, सिद्धान्त, कौशल और अनुभव शामिल हैं। ज्ञान के ये समस्त प्रकार शिक्षकों को अन्तर्दृष्टि प्रदान करते हैं। शिक्षक प्रत्येक चीज का अनुप्रयोग सभी परिस्थितियों में नहीं कर सकता/सकती है। लेकिन यदि शिक्षक के पास उपरोक्त समस्त ज्ञान का अनुप्रयोग करने की योग्यता है तो उसका प्रयोग वह परिस्थिति के हिसाब से कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि शिक्षार्थियों के पास सीखने से सम्बन्धित कोई विशिष्ट नियोग्यता है तो बाल विकास और संज्ञानात्मक विकास से सम्बन्धित सिद्धान्त, शिक्षार्थियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और विद्यालय का वातावरण जैसी चीजें शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमता में सुधार करने के लिए निश्चय ही शिक्षकों की सहायता करेंगी। शिक्षण में सूचना संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के जरिये ठेर सारी सामग्रियाँ उपलब्ध हैं। इसके अलावा तकनीकी रूप से सक्षम कक्षा-कक्ष भी उपलब्ध है। यदि शिक्षक ज्ञान को तकनीक के साथ एकीकृत करना जानता/जानती है और उसे बाल-केन्द्रित शिक्षणशास्त्र को अंगीकार करने की जानकारी है तो इससे शिक्षार्थियों को प्रभावी तरीके से सीखने में सहायता मिलेगी। संज्ञानात्मक विकास और सीखने की अन्तःक्रियात्मक प्रकृति से सम्बन्धित बहुत सारे अनुसन्धानों के निष्कर्ष उपलब्ध हैं।

प्राथमिक स्तर पर ज्ञान के प्रसारण के लिए अद्वितीय शिक्षण विधि को समझने में निम्नलिखित केस स्टडी सहायक होगी।

बॉक्स 1: तमिलनाडु सरकार - गतिविधि आधारित अधिगम

एबीएल विधि का मुख्य लक्षण यह है कि स्वयं से सीखने की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए यह बाल-हितैषी शैक्षिक तरीकों का उपयोग करती है। यह किसी बच्चे/बच्ची को उसकी अभिवृत्ति और उसके कौशल के अनुसार पढ़ने की अनुमति देती है।

संयुक्त राष्ट्र अन्तरराष्ट्रीय बाल आपात कोष (UNICEF) द्वारा समर्थित एबीएल प्रोजेक्ट को सर्वप्रथम चेन्नई निगम द्वारा 13 विद्यालयों में सन् 2003 में लागू किया गया था। इसकी सफलता पर विचार करने के बाद, जिले के सभी 270 प्राथमिक विद्यालयों में इसे अंगीकार कर लिया गया। इसने शिक्षण के तरीके को बदल दिया है।

नवाचारी शिक्षण विधियों के माध्यम से और सीखने की प्रक्रिया में बच्चों को सक्रिय रूप से शामिल करके इस पहल ने शिक्षकों और बच्चों - दोनों - की कल्पनाशक्ति को समझा।

एबीएल विधि का मुख्य लक्षण यह है कि स्वयं से सीखने की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए यह बाल-हितैषी शैक्षिक तरीकों का उपयोग करती है। यह किसी बच्चे/बच्ची को उसकी अभिवृत्ति और उसके कौशल के अनुसार पढ़ने की अनुमति देती है।

इस प्रणाली के अन्तर्गत पाठ्यक्रम को छोटी-छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक समूह में स्वयं से सीखने वाली सामग्री (SLM/Self Learning Materials) शामिल होती है। इस सामग्री में अंग्रेजी, तमिल, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए आकर्षक रूप से अभिकल्पित किए गए स्टडी कार्ड्स समाहित होते हैं। जब कोई बच्चा किसी समूह के सभी कार्ड्स को पढ़ लेता है तो वह 'मील का एक पत्थर' पूरा कर लेता है। किसी अक्षर या शब्द को पढ़ाने

के लिए, कोई वाक्य बनाने के लिए, गणित और विज्ञान का कोई कार्य करने के लिए या किसी संकल्पना को समझने के लिए मील के प्रत्येक पत्थर की गतिविधियों में खेल, कविताएँ, रेखाचित्र और गीत शामिल होते हैं। किसी विषय के मील के सभी पत्थरों को पूर्ण करने के बाद ही बच्चे को परीक्षा काई दिया जाता है। यदि किसी दिन कोई बच्चा अनुपस्थित रहता है, तो वह वहीं से शुरू करता है, जहाँ उसने छोड़ा था। यह पुरानी प्रणाली के विपरीत है, जहाँ अगर किसी बच्चे की कोई कक्षा छूट जाती थी, तो उसे वह छूटा हुआ कार्य अपने दम पर ही करके सीखना पड़ता था।

यूनीसेफ, इण्डिया <http://unicef.in/Story/603/Activity-based-learning-A-radical-change-in-Primary-Education> से ग्रहीत।

उपरोक्त उदाहरण एबीएल विधि में हालिया प्रगति और प्राथमिक शिक्षा पर इसके प्रभाव को दर्शाता है। शिक्षकों द्वारा प्राप्त किया गया व्यावहारिक अनुभव निश्चय ही संज्ञानात्मक ज्ञान पर उनकी अन्तर्दृष्टियों को सशक्त बनाता है और उनके शिक्षण व्यवहार को उन्नत करता है। चित्र 1 में "अन्य ज्ञान" नाम का एक स्तम्भ है। "अन्य ज्ञान" में शामिल है - सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, शिक्षार्थियों का व्यक्तिगत अनुभव, विद्यालय की अवस्थिति, शिक्षार्थियों की आदतें, तथा शिक्षार्थियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि।

उपयुक्त अनुसन्धान के साथ शिक्षकों के अनुभवों को जोड़कर उपरोक्त चित्र का विस्तार किया जा सकता है। ज्ञान, अनुभवों और परिस्थितियों पर आधारित होने के कारण शिक्षण परिवर्तित हो सकता है। इसलिए शिक्षकों को इनके अनुसार ही विधियों का चुनाव करना चाहिए। अच्छे शिक्षक किसी विशिष्ट ज्ञान और किसी विशिष्ट शिक्षणशास्त्र से थिपके नहीं रहते।

अपनी प्रगति को जाँचिए 2

3. निहित और स्पष्ट ज्ञान में विभेद कीजिए।

.....

.....

.....

.....

5.5 ज्ञान के शिक्षणशास्त्रीय जगत में पाठ का स्थान

किसी शिक्षक के लिए कहीं अधिक शक्तिशाली भूमिका एक पाठ्यक्रम निर्माता की होती है - एक व्यक्ति जो ऐसे पाठ्यक्रम का अभिकल्पन करता है, जो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार विकसित होता रहता है (गुडविन 2010, 25)।

"शिक्षणशास्त्र को शिक्षण और निर्देशात्मक विधियों की कला या विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ हम शिक्षणशास्त्र के महत्व के विपरीत अन्तर्वस्तु ज्ञान और मौखिक योग्यता पर चर्चा करते हैं। शिक्षण की विषयवस्तु, सिद्धान्त और विधियाँ पाठ्यक्रम के विकास हेतु आधार होती हैं, इन्हें आपस में एक-दूसरे के साथ मिश्रित किया जाता है, विचारपूर्वक इन्हें सीखने के संगत और सार्थक अनुभवों में एकीकृत किया जाता

है। जब शिक्षक पाठ्यक्रम निर्माता होते हैं तो वे विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और हित के प्रति अनुक्रियात्मक हो सकते हैं, न कि वे राज्य के निर्देशों का पालन भर करते हैं।”

शिक्षण का सास्तत्व नौकरी करते हुए प्रशिक्षण को सीखते रहना है। बोलिन और गुडविन, (1992) और गुडविन, (2010) के अनुसार शिक्षण के लिए पाँच प्रकार के परास (domain) ज्ञान की आवश्यकता होती है। ये निम्नलिखित हैं :

1. व्यक्तिगत ज्ञान/आत्मकथा और शिक्षण का दर्शनशास्त्र,
2. सन्दर्भिक ज्ञान/शिक्षार्थियों, विद्यालयों, और समाज को समझना,
3. शिक्षणशास्त्रीय ज्ञान/विषयवस्तु, सिद्धान्त, शिक्षण विधियाँ, और पाठ्यक्रम का विकास,
4. समाजशास्त्रीय ज्ञान/विविधता, सांस्कृतिक प्रासंगिकता, और सामाजिक न्याय, और
5. सामाजिक ज्ञान/सहयोगात्मक, लोकतान्त्रिक सामूहिक प्रक्रियाएँ, और संघर्ष का समाधान।

व्यक्तिगत ज्ञान में विद्यमान अनुभवों, मिथकों, अभिवृत्तियों, मान्यताओं, पूर्वाग्रहों का विखण्डन और एक नई समझ के साथ प्रत्येक की पुनर्रचना शामिल है। शिक्षकों को विचारों के प्रति बहुत खुला हुआ होना चाहिए और शिक्षण की प्रक्रिया में उन्हें स्वयं का रूपान्तरण अवश्य करते रहना चाहिए। जेप्पेयर के सम्बन्ध में, लड़कियों और लड़कों, पुरुषों और महिलाओं के बारे में विद्यमान मिथकों को तोड़ना आवश्यक है। शिक्षकों के लिए अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और मिथ्या धारणाओं पर सवाल उठाना आवश्यक है ताकि वे सामाजिक परिवर्तन के प्रभावशाली अभिकर्ता बन सकें।

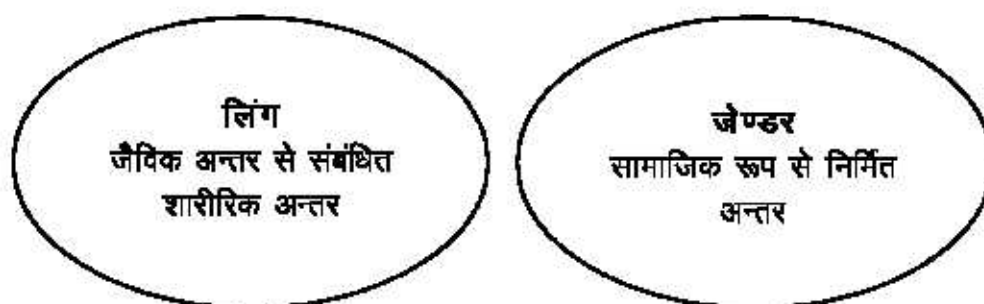
बॉक्स 2 नवाचारी शिक्षणशास्त्र - केरल राज्य की प्रथाएँ

केरल भारत का पहला राज्य है जिसे पूर्ण रूप से साक्षर घोषित किया गया। शिक्षण के पारम्परिक व्यावहारिक तरीके से सामाजिक संरचनावादी रूपावली (paradigm) को प्रस्तुत करते हुए इसने विद्यालयी शिक्षा को उन्नत करने में गहरी रुचि दर्शायी है। इसका उल्लेख एनसीईआरटी की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में सन् 2000 में किया गया था और केरल ने इसे सन् 2001 में प्रस्तुत किया। कक्षा-कक्षा के आदान-प्रदान और मूल्यांकन की प्रविधियों को परिवर्तित किया गया। जिनके उत्तर पाठों को सिर्फ रटकर ही दिये जा सकते थे, ऐसे प्रत्यक्ष सवालों के बजाय अप्रत्यक्ष प्रश्नों और खुले विचारपरक (open-ended) प्रश्नों को शामिल किया गया ताकि उत्तर देने से पहले विद्यार्थियों को सोचने की आवश्यकता पड़े और ऐसे उत्तर किसी सीमा तक व्यक्तिनिष्ठ भी हो सकते थे। इसका तात्पर्य यह है कि विद्यार्थियों ने जो कुछ पढ़ा है, उसे उन्हें पढ़ाना पड़ेगा और किसी विशिष्ट परिस्थिति में सवालों के उत्तर देने के लिए उन्हें अपने ज्ञान का उपयोग करने योग्य होना पड़ेगा। इसी के साथ-साथ, इस नए तरीके के कारण बच्चों पर से एक बड़ा बोझ उतर गया और परीक्षाएँ उन्हें तनावपूर्ण लगने के बजाय रुचिकर और आनन्ददायी लगने लगीं। इसके साथ एक व्यापक और सतत मूल्यांकन (Continuous and Comprehensive Evaluation) प्रणाली प्रस्तुत की गयी। यह प्रणाली विद्यार्थी के समग्र व्यक्तित्व पर विचार करती थी तथा अगली कक्षा में जाने का निर्णय करने के लिए एक अकेली अन्तिम परीक्षा पर विद्यार्थियों की निर्भरता को कम करती थी।

<http://www.gnu.org/education/edu-system-india.en.html> से ग्रहीत

जेण्डर और शिक्षणशास्त्रीय प्रथाएँ

जेण्डर ऐसे अभिलक्षणों और विशेषताओं से सम्बद्ध है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रसारित की जाती हैं। ये अभिलक्षण और विशेषताएँ एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में जाने पर परिवर्तित होती रहती हैं। ये सामाजिक अभिलक्षण क्या हैं? उदाहरण के लिए, समाज में महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वे सुगठित, संकोची, संवेदनशील और पारम्परिक हों, वे घर से ही बँधी रहें और बाहर दौड़-भाग या छछल-कूद न करें, जोर से न हँसें आदि। इसी के साथ-साथ, समाज में पुरुषों से उम्मीद की जाती है कि वे साहसी, निर्भीक, बलवान और आत्मविश्वासी हों, ऊँची आवाज में बातचीत करें तथा शर्मीले या रोने वाले न हों। वास्तव में, पुरुषों और महिलाओं का जन्म इन अभिलक्षणों के साथ नहीं होता है। परिवार और समाज उनका पालन-पोषण इस प्रकार करता है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में वे इन अभिलक्षणों को अर्जित कर लेते हैं।



सन्दर्भ : इकाई 1 जेण्डर विश्लेषण एक परिचय एमजीएस-003 जेण्डर विश्लेषण, एमए (जेण्डर और विकास), इग्नू।

गतिविधि 1

शिशु के लिंग का चुनाव करना : माँ बनने की सम्भावनाओं वाली कुछ महिलाओं और उनके पतियों से मिलिए। यह वांछनीय होगा कि वे अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हों। उनसे पूछा जाना चाहिए कि "क्या आप एक बालक शिशु चाहते हैं या बालिका? अपने उत्तर के लिए दो कारण बताइए।"

घाट पेपर पर इन उत्तरों की सूची बनाइए : दो कॉलम - बालक और बालिका - बनाए। उत्तर देने वालों के जवाब सम्बन्धित कॉलम में लिखें। बालक और बालिका का उत्तर देने वालों की गिनती की जानी चाहिए। जवाब देने वाले लोगों द्वारा दिए गए प्रत्येक कारण का विश्लेषण करें।

उदाहरण के लिए, कुछ विशिष्ट जवाब इस प्रकार हो सकते हैं :

बालिका	बालक
माता-पिता की देखभाल करती है	परिवार का नाम रोशन करता है
माता-पिता और दूसरों की बातें मानती है	बुढ़ापे में माता-पिता की देखभाल करता है
सुन्दर पोशाक पहन सकती है	माता-पिता का अन्तिम संस्कार करता है
'परिवार की रोशनी/लक्ष्मी' है	'परिवार का उत्तराधिकारी' है

सन्दर्भ : इकाई 1 जेण्डर विश्लेषण एक परिचय एमजीएस 003 जेण्डर विश्लेषण, एमए (जेण्डर और विकास), इग्नू।

उपरोक्त सारणी कुछ ऐसे कारणों को दर्शाती है जिनकी वजह से परिवार और समाज, बालक और बालिका की सम्मीद करता है। इन कारणों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। समाज में जेण्डर के अन्तरों से जुड़े मिथकों को तोड़ने के लिए भावी शिक्षकों के साथ इस पर चर्चा करना आवश्यक है। इन मिथकों का विखण्डन जरूरी है तथा जेण्डर समानता और जेण्डर न्यायसंगतता की पुनर्रचना आवश्यक है।

सान्दर्भिक ज्ञान में अनुसन्धान के माध्यम से प्राप्त ज्ञान शामिल है। हालिया प्रगतियों के सन्दर्भ में, सैद्धांतिक के साथ-साथ आनुमतिक अनुसन्धान ज्ञानानुशासन में और अधिक ज्ञान को जोड़ता है।

5.6 विद्यमान पाठ्यक्रम, अभिवृत्तियों, सामाजिक प्रथाओं और मान्यताओं पर जेण्डर परिप्रेक्ष्य से प्रश्न उठाना और चुनौती देना

इस अनुभाग में हम देखेंगे कि जेण्डर पूर्वाग्रहों को पाठ्यपुस्तकों में किस प्रकार चित्रित किया जाता है और जेण्डर पूर्वाग्रह किस प्रकार समस्त ज्ञानानुशासनों में प्रभावी रहता है।

सबके लिए शिक्षा (EFA : Education For All) के डकार लक्ष्यों (2000) का लक्ष्य 5 "सन् 2005 तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में जेण्डर असमानताओं के उन्मूलन का, तथा सन् 2015 तक शिक्षा में जेण्डर समानता को प्राप्त करने का आह्वान करता है।" इसका विशेष फोकस "अच्छी गुणवत्ता की बुनियादी शिक्षा तक लड़कियों की पूर्ण और समान पहुँच तथा उनकी उपलब्धियों" पर है। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों का लक्ष्य 3 "जेण्डर समानता और महिला सशक्तीकरण को प्रोत्साहित करने" के लिए है तथा इसका उद्देश्य 4, "वरीय रूप से सन् 2005 तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में और निश्चित रूप से सन् 2015 तक शिक्षा के सभी स्तरों में जेण्डर असमानताओं के उन्मूलन" से सम्बन्धित है। शिक्षा में जेण्डर समानता प्राप्त करने के मार्ग में आने वाली बाधाओं में से एक बाधा पाठ्यपुस्तकों में जेण्डर पूर्वाग्रह की है।

सन् 2002 में जॉन एलिस द्वारा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में विद्यालयी पाठ्यपुस्तकों के बारे में लिखा गया एक लेख पाठ्यपुस्तकों में जेण्डर पूर्वाग्रहों को सामने लाता है। उनके अनुसार, इतिहास और भूगोल की पाठ्यपुस्तकों (भाग 1 और 2) के क्रमशः 1992 और 1996 में प्रकाशित पाठों में जेण्डर पूर्वाग्रह स्पष्ट रूप से मौजूद था। भाग 1 में नरों के 71 चित्र थे, जो कुल चित्रों का 76 प्रतिशत था। इसमें मादाओं के मात्र 22 चित्र थे, जो कुल चित्रों का महज 24 प्रतिशत था। भाग 2 तो भाग 1 से भी अधिक जेण्डर पूर्वाग्रहों को दर्शाता था। इसमें नरों के 50 चित्र थे जो कुल चित्रों का 98 प्रतिशत था और मादाओं के महज दो ही चित्र थे जो कुल चित्रों का मात्र 4 प्रतिशत था। पाठ्यपुस्तक में बनाए गए चित्र भी महिलाओं को संगठित क्षेत्र के बजाय असंगठित क्षेत्र में कामकाज करते हुए दर्शाते हैं। इन चित्रों में पुरुषों को सरकारी लाभ हासिल करने वाले लाभार्थियों के रूप में दिखाया गया है। महिलाओं के बजाय पुरुषों को भूमि-अधिकार के प्रलेख प्राप्त करते हुए दर्शाया गया है। वास्तव में, पश्चिम बंगाल ने भूमि सुधार लागू किए गए थे और जिससे वहाँ अनेक महिलाओं के पास भूमि-अधिकारों का स्वामित्व मौजूद है। लेखक का निष्कर्ष है कि "इन पुस्तकों में उल्लिखित पाठों और चित्रों में महिलाओं के विरुद्ध व्याप्त जेण्डर पूर्वाग्रह इन पुस्तकों को उपयोग के लिए अस्वीकार्य बना देते हैं।" फिरोज बख्त अहमद (2006) अपने लेख में राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यपुस्तकों में व्याप्त जेण्डर पूर्वाग्रहों को देखते हैं। उनके अध्ययन के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) जेण्डर असमानताओं को समाप्त करने पर जोर देती चली आ रही है -

जेण्डर और शिक्षणशास्त्रीय प्रथाएँ

खासकर पाठ्यपुस्तकों से जेण्डर रूढ़िवादिता और जेण्डर-पूर्वाग्रह के उन्मूलन पर विशेष बल देते हुए। इस अध्ययन का निष्कर्ष है कि, "चाहे वह विज्ञान की पुस्तक हो या सामाजिक अध्ययन की या गणित की या अंग्रेजी अथवा हिन्दी की ही पुस्तक क्यों न हो, इन सबमें महिलाओं को हम पानी लाने जाते हुए, रसोईघर में काम करते हुए या कमरा साफ करते हुए देख सकते हैं। अधिकांश अध्याय नर-केन्द्रित हैं।" यह अध्ययन फ्रेण्ड्स ऑफ एजुकेशन द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण का भी उल्लेख करता है। यह सर्वेक्षण रेखांकित करता है कि एक औसत प्राथमिक पाठ्यपुस्तक में आमतौर पर 115 से 130 तक पृष्ठ तथा 80 से 100 तक प्रदर्शन (illustration) होते हैं। इस अध्ययन ने पाया कि "आधे से अधिक प्रदर्शनों में सिर्फ पुरुषों और लड़कों को ही दिखाया गया था और केवल छह प्रतिशत प्रदर्शनों में ही महिलाओं और लड़कियों को दिखाया गया था।" प्राथमिक कक्षाओं में प्रयुक्त की जाने वाली गणित की छह पुस्तकों के विश्लेषण ने दर्शाया कि वाणिज्यिक, व्यावसायिक और विपणनमूलक स्थितियों का चित्रण करने वाली गतिविधियों में पुरुषों का प्रभुत्व मौजूद था जबकि किसी भी महिला को दुकानदार, व्यापारी, कार्यकारी, अनियन्ता या विक्रेता के रूप में नहीं दिखाया गया था। अहमद का समग्र रूप से निष्कर्ष यह था कि "एनसीईआरटी ने पाठ्य-सामग्री में जेण्डर-रूढ़िवादिता के उन्मूलन के लिए दिशानिर्देशों का एक समुच्चय विकसित किया है और लेखकों व प्रकाशकों तक इन दिशानिर्देशों को पहुँचा भी दिया है, लेकिन इन सबके बावजूद कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है।"

सेक्स और जेण्डर के बीच के अन्तर के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। सेक्स पुरुषों और महिलाओं के बीच का जीव-वैज्ञानिक अन्तर है। जेण्डर पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्मित किया गया अन्तर है। जहाँ तक शिक्षण का सवाल है, हम अभिवृत्तियों, सामाजिक व्यवहारों और मान्यताओं पर विद्यमान अध्ययनों की पड़ताल जेण्डर के परिप्रेक्ष्य से करेंगे। विद्यालयों की पाठ्यपुस्तकों में व्याप्त जेण्डर पूर्वाग्रहों को हम पहले ही देख चुके हैं। पाठ्यपुस्तकों में व्याप्त जेण्डर-पूर्वाग्रहों के अलावा, विद्यमान अध्ययन पुरुष और महिला विद्यार्थियों द्वारा किए जाने वाले ज्ञानानुशासनों/विषयों के चयन के बारे में स्पष्ट रूप से बताते हैं। महिला शिक्षार्थियों की रुचि यान्त्रिक अभियान्त्रिकी (mechanical engineering), हृदय-रोग से सम्बन्धित विज्ञान, भौतिक और रसायन विज्ञानों जैसे ज्ञानानुशासनों में बहुत कम होती है। यह बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि विज्ञान में महिलाओं का अनुपात 1950-51 के 33.3 प्रतिशत से घटकर 1980-81 में मात्र 28.8 प्रतिशत ही रह गया। यह वह समयावधि थी, जब पदार्थमूलक विज्ञान, विशेष रूप से भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, अपने चरम पर था। अस्सी के दशक तक ये विषय पुरुष विद्यार्थियों की पहली पसन्द हुआ करते थे और पुरुषों के साथ मुकाबले करने में महिलाएँ बाहर हो जाती थीं। यह भी सम्भव है कि, किसी मामले में, युवा महिला विद्यार्थियों के लिए विज्ञान पहली पसन्द इसलिए न रहा हो क्योंकि उनके माता-पिता इन महिला विद्यार्थियों के विवाह को इनकी उच्च शिक्षा पर वरीयता देते थे। किसी भी तरीके के स्नातक भर की छिड़ी सामाजिक प्रस्थिति को ऊँचा उठाकर विवाह के बाजार में इन महिला विद्यार्थियों की सहायता करती थी (चनाना, के. 2011)। विज्ञान की किसी छिड़ी के लिए समय और अन्य संसाधनों के दीर्घतर निवेश की आवश्यकता होती थी, इसलिए यह छिड़ी याँछनीय नहीं थी। युवा महिलाओं को भी इसी तरीके से समाजीकृत किया जाता था कि वे भी उच्च शिक्षा को इसी नजरिये से देखें।

अनेक अध्ययनों ने दर्शाया है कि कला पाठ्यक्रमों में महिलाओं का नामांकन कई गुना बढ़ा है। दूसरी तरफ, पुरुषों के नामांकन का अनुपात घटा है। शिक्षकों की शिक्षा, जो कि एक अन्य 'स्ट्रैण' ज्ञानानुशासन है, में महिलाओं का अनुपात बढ़ा है। महिलाएँ जब स्नातक स्तर पर उच्च शिक्षा में प्रवेश लेती हैं, तो वे अगले दो स्तरों तक, नामतः स्नातक

स्तर और अनुसन्धान स्तर तक, चली जाती हैं। दूसरे शब्दों में, एक स्तर से दूसरे स्तर में उनका संक्रमण बढ़ा है, जिससे उनकी टिकने की क्षमता का पता चलता है। स्नातक स्तर पर उनका अनुपात उच्चतम है, जबकि अनुसन्धान कार्यक्रमों में उनका अनुपात घटा है। महिला अध्ययनों में अनुसन्धान के सम्बन्ध में सुपरिभाषित परियोजनाओं (प्रोजेक्ट्स) को सम्पन्न करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता रहा है। इसके अलावा आयोग स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों तथा प्रासंगिक विस्तारित गतिविधियों के स्तरों पर पाठ्यक्रमों के विकास के लिए भी वित्तीय सहायता मुहैया कराता रहा है। सामाजिक विज्ञानों तथा अभियान्त्रिकी और प्रौद्योगिकी समेत विज्ञान और मानविकी विषयों में महिला अभ्यर्थियों के लिए अंशकालिक (पार्ट-टाइम) रिसर्च एसोशिएटशिप्स हेतु आयोग ने पदों का सृजन भी किया है। महिला अध्ययनों के केन्द्रीय विषय (जैमउम) से सम्बन्धित अनुसन्धान परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त महिला अध्ययन केन्द्रों और इकाइयों (बससे) की स्थापना करने के लिए भी अनेक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों/विश्वविद्यालयों के विभागों को सहायता उपलब्ध करायी गयी थी। अनुसन्धान और उच्च अध्ययनों को सम्पन्न करने के लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम प्रारम्भ किए हैं।

उच्च शिक्षा के विस्तार को आमतौर पर उच्च शिक्षा में नामांकन अनुपात के द्वारा मापा जाता है। उच्च शिक्षा तक पहुँच के परिमाण का आकलन करने के लिए तीन वैकल्पिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये विधियाँ हैं - सकल नामांकन अनुपात (जीईआर), निवल नामांकन अनुपात (एनईआर) और अर्ध विद्यार्थियों का नामांकन अनुपात (ईईआर)। जीईआर विभिन्न कार्यक्रमों में नामांकित सभी आयु वर्गों के व्यक्तियों का 18 से 23 वर्ष के आयु वर्ग के बीच की समग्र जनसंख्या से अनुपात निकालते हुए पहुँच के स्तर को मापता है। एनईआर उम्र के आधार पर यानी 18 से 23 वर्ष के बीच के विशिष्ट आयु समूहों के नामांकन के स्तर को मापता है। जबकि ईईआर उन लोगों के नामांकन स्तर को मापता है, जिन्होंने हायर सेकेण्डरी शिक्षा पूर्ण कर ली है।

सारणी 1 : उच्च शिक्षा में पुरुष महिला अनुपात

		जीईआर	एनईआर	ईईआर
	उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2014-15 (अनन्तिम)	2011 की जनसंख्या	एनएसएस 2003	एनएसएस 2003
पुरुष	24.5	21.6	12.3	62.9
महिला	22.7	18.9	8.7	54.1

स्रोत : भारत की जनगणना, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण तथा उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2014-15।

उच्च शिक्षा तक लड़कों की तुलना में लड़कियों की पहुँच भी कम है क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष विद्यार्थियों के लिए जीईआर 21.6 है और महिला विद्यार्थियों के लिए यह 18.9 है। नामांकन अनुपात में जेण्डर असमानता मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्पष्ट अन्तरों के कारण है। शहरी क्षेत्रों में जेण्डर अन्तर बहुत कम है। ईईआर के लिए

जेण्डर और शिक्षणशास्त्रीय प्रथाएँ

नामांकन अनुपात में भी पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानताएँ उल्लेखनीय रूप से विद्यमान हैं। 2003-04 में, पुरुष और महिला विद्यार्थियों के लिए ईईआर क्रमशः 82.9 प्रतिशत और 54.1 प्रतिशत था। स्पष्ट है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए ईईआर लगभग नौ प्रतिशत कम था। जीईआर के विपरीत, ईईआर के सन्दर्भ में पुरुषों और महिलाओं के बीच के अन्तरों को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में साफ-साफ देखा जा सकता है। इस बात का संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि यद्यपि पुरुषों की तुलना में महिला विद्यार्थियों का नामांकन अनुपात आमतौर पर कम है, उच्च शिक्षा तक पहुँच स्थापित करने में निचली जातियों और कुछ धार्मिक समूहों से सम्बन्ध रखने वाली लड़कियों को दूसरों की तुलना में और भी अधिक समस्याएँ झेलनी पड़ती हैं।

पाठ्यक्रम का विकास एक अन्य क्षेत्र है, जिस पर चर्चा करना और जिसकी पड़ताल करना आवश्यक है। एक ऐसा सार्थक और व्यापक ढाँचा (framework) विकसित करने की आवश्यकता है जो पाठ्यक्रम में मौजूद जेण्डर अन्तरों को सम्बोधित करे। कृषि, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बढ़ते स्त्रीकरण (feminization) के साथ यह बहुत महत्वपूर्ण है कि समस्त ज्ञानानुशासनों में जेण्डर मुद्दों पर बुनियादी पाठ्यक्रमों का समावेश करते हुए पाठ्यक्रम में जेण्डर को शामिल किया जाए। उदाहरण के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में जब नई दवाइयों या जाँच के नए उपकरणों की खोज की जाती है, तो इसके लिए यह आवश्यक है कि यह जेण्डर चिन्ताओं को सम्बोधित करे। पुरुषों का शरीर, महिलाओं के शरीर से भिन्न होता है और इन दोनों का शरीर, ट्रांसजेण्डर के शरीर से भिन्न होते हैं। इसलिए प्रत्येक उपकरण या दवा के लिए यह जरूरी है कि वह मानव-शरीर के जेण्डर अन्तरों को ध्यान में रखे। जेण्डर-संवेदी पाठ्यक्रम को विद्यालयी स्तर से ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। चूँकि जेण्डर संवेदी पाठ्यक्रम पर व्याख्यान देने के लिए शिक्षक ही उपकरण होते हैं, इसलिए शिक्षकों की शिक्षा के पाठ्यक्रम के लिए यह आवश्यक है कि वह जेण्डर मुद्दों को सम्बोधित करे। शिक्षण में, प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों के रूप में महिलाओं की वरीयता उच्च है। विद्यमान धारणा यह है कि महिलाएँ कोमल और देखभाल करने वाली होती हैं। इसलिए प्राथमिक विद्यालय के पुरुष शिक्षकों की तुलना में वे छोटे बच्चों को बेहतर तरीके से सँभाल सकती हैं। इस धारणा को उलटने की आवश्यकता है। बच्चों की देखभाल के सन्दर्भ में जेण्डर की कोई भूमिका नहीं होती। दूसरे, विद्यालय स्तर की पुस्तकें समाज में पुरुषों और महिलाओं की भूमिका को सम्बोधित करती हैं। विद्यालय के पाठों में सम्बोधित की गई भूमिकाओं के प्रतिमान समाजीकरण की प्रक्रिया के कारण होते हैं। विद्यालय के पाठ्यक्रम में भूमिकाओं के उत्क्रमण (role reversal) को शामिल करने की आवश्यकता है और शिक्षार्थियों को ऐसा ही पाठ्यक्रम दिया जाना चाहिए। सामाजिक रूप से प्रासंगिक पाठ्यक्रमों और रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को समस्त जेण्डरों के लिए व्यापक तरीके से शुरू किया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा हासिल करने वाले विद्यार्थियों, खासकर महिला विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाने के लिए किए गए अब तक के प्रयास ही अपने आप में साध्य नहीं हैं। उच्च शिक्षा में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए नागरिक समाज को भी सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए।

गतिविधि 2

अपने पसन्द की किसी किताब का चयन कीजिए और इस बात की जाँच कीजिए कि उस किताब में महिलाओं और पुरुषों के अनुभवों को किस प्रकार चित्रित किया गया है?

5.7 सक्रियतावाद के रूप में शिक्षण – यथार्थ का रूपान्तरण

इस अनुभाग को शुरू करने से पहले, एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है? क्या शिक्षक को विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिन्तन प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें विद्यमान सामाजिक बुराइयों पर प्रश्न उठाने वाले सक्रिय नागरिक बनाना चाहिए? तब शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या उसे एक कार्यकर्ता (activist) भी होना चाहिए? क्या ऐसा कोई शिक्षक जेम्स मुर्फी को पढ़ाते समय विद्यमान शक्ति सम्बन्धों पर सवाल उठाएगा? पहले हम सक्रियतावाद के रूप में शिक्षण का अन्वेषण करेंगे।

जेम्स, जाति और वर्ग से सम्बन्धित बहुत सारे सिद्धान्त हैं। जब कोई शिक्षक संकल्पनाओं से सम्बन्धित सिद्धान्तों, विचारों, संकल्पनाओं और अनुसन्धान कार्यों की व्याख्या करता है तो विद्यार्थियों के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि - कार्यक्षेत्र (field) में जाने पर ये सिद्धान्त किस तरह काम आएंगे? उन्होंने समाज में किस तरीके के परिवर्तनों को उत्पन्न किया है? उदाहरण के लिए नारीवादी सिद्धान्तों को लीजिए। नारीवादी सिद्धान्त विद्यमान शक्ति सम्बन्धों पर सवाल उठाते हैं और महिलाओं की अधीनता को चुनौती देते हैं। ये महिलाओं का सशक्तीकरण करने की कोशिश भी करते हैं। महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले दमन, शोषण, अन्याय, धमकी और हिंसा के खिलाफ लड़ने वाले तथा जेम्स न्यायसंगतता और जेम्स न्याय प्राप्त करने की कोशिश करने वाले किसी वैयक्तिक या सामूहिक प्रयास को नारीवाद का नाम दिया जा सकता है। नारीवादी विचारधाराओं के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे - उदारवादी, मार्क्सवादी, समाजवादी और आमूल-परिवर्तनवादी। इन विचारधाराओं में से प्रत्येक ने महिलाओं के लिए समानता हासिल करने के लिए अलग-अलग मार्गों का चुनाव किया है। विद्यार्थीगण समाज में जेम्स पूर्वाग्रह का अनुभव कर सकते हैं। जब कोई शिक्षक नारीवादी विचारधाराओं/सिद्धान्तों पर कक्षा-कक्ष में चर्चा करेगा/करेगी, तो विद्यार्थीगण समाज में जेम्स पूर्वाग्रह को चुनौती देने के बारे में सोचेंगे। इसलिए शिक्षक यहाँ एक कार्यकर्ता (activist) की भूमिका निभाता है। क्रान्तिकारी शैक्षिक दार्शनिकों ने हमेशा यह महसूस किया कि स्वतन्त्रता, मुक्ति और समानता तभी सम्भव है जब शिक्षक इन पर आचरण करें और इनका व्यवहार करें। उदारवादी शिक्षा का तात्पर्य आदर्श (सिद्धान्त) और व्यवहार दोनों से है।

पाउलो फ्रेयरे के अनुसार, "यह पाउलो के विचारों और मेरी बालिकावस्था (उनमें से अधिकांश महिलाएँ ही थीं) के शिक्षकों द्वारा लिए गए शिक्षणशास्त्र का प्रतिच्छेदन था, जिन्होंने स्वयं को इस रूप में देखा कि उनके पास हमें शिक्षित करने के लिए एक मुक्तिपरक अभियान है, इस तरह शिक्षित करने के लिए कि हम प्रजातिवाद और श्वेतजनों की सर्वोच्चता का प्रभावी तरीके से प्रतिरोध कर सकें, जिसका शिक्षण की कला और व्यवहार के बारे में मेरी सोच पर बहुत गहरा प्रभाव था" (1994, 52)।

दूसरे, बचपन से शिक्षक जिस सामाजिक-राजनीतिक पहचान का अनुभव करता है, उसका उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे सत्यनिष्ठा (integrity) बनाए रखें तथा विद्यार्थियों के बीच सजग रूप से आशाओं और आकांक्षाओं का संचार करें। शिक्षक जो मूल्य लेकर चलता/चलती है, उसे उन मूल्यों से अलग किया जाना चाहिए, जिन्हें वह कक्षा-कक्ष में प्रदर्शित करता/करती है। शिक्षण में राजनीतिक सक्रियता के अनेक प्रकार संलग्न होते हैं। इनके नाम हैं - रूढ़िवादी, उदारवादी, समावेशी और आमूल-परिवर्तनवादी। कोई शिक्षक जब विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रशिक्षित करता है, तो विद्यार्थी महत्वपूर्ण मूल्यों को सीखते हैं और लोकतान्त्रिक, मानवीय, खुले दिमाग वाले और जेम्स-न्यायी

हो जाते हैं। ये सक्रियतावाद के गुण हैं। इसलिए एक शिक्षक पूरी कक्षा को कार्यकर्ता (Activist) बनाने की क्षमता रखता है। कक्षा-कक्ष में विद्यार्थियों की एक आलोचनात्मक फौज तैयार होने से समाज में कुछ परिवर्तन भी आ सकता है। नारीवादी सिद्धान्तों का उदाहरण के रूप में उपयोग करते हुए हमने सिद्धान्त और व्यवहार पर चर्चा की है। सुकरात के जीवन पर विचार करते हुए इसे हम और भी अधिक विस्तार दे सकते हैं। अपने दर्शन को सुकरात गली-गली तक ले गए और अपने दर्शन का उपयोग करते हुए न्याय के लिए लड़े। उनके विचार अमूर्त नहीं हैं। वे विचार समुदाय के लिए तोस आदर्श हैं। पश्चिमी दर्शन सुकरात के विचारों से शुरू होता है।

जाति, संस्कृति, जेम्स और वर्ग के कारण समाज में अन्तर मौजूद होते हैं। मूलमूलक त अर्थव्यवस्था के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ अत्यधिक प्रवासन (migration) हुआ है। इसके अलावा अन्तरराष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय और अन्तरमहाद्वीपीय प्रवासन भी हुआ है। एक कार्यकर्ता (activist) के रूप में शिक्षक के जीने का तरीका यानी न्याय और स्वतन्त्रता के लिए की जाने वाली उसकी लड़ाई विद्यार्थियों पर निश्चय ही गहरा प्रभाव छोड़ती है। असली सक्रियतावाद सिर्फ पढ़ाना और विचारों के बारे में लिखना ही नहीं है, बल्कि इन विचारों का व्यवहार करना और इन विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए संघर्ष करना है।

नारीवादियों के लिए, "ज्ञान का अन्तिम परीक्षण यह नहीं है कि यह किसी अमूर्त मापदण्ड पर 'सही' है या नहीं, बल्कि यह है कि यह कोई प्रगतिशील परिवर्तन लाता है या नहीं।" राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं "जो परिवर्तन हम देखना चाहते हैं, हमें स्वयं में वह परिवर्तन लाना चाहिए, हमें खुद वह परिवर्तन बन जाना चाहिए।" एक शिक्षक, जो कि एक कार्यकर्ता (Activist) होता है, इसी का अनुसरण करता है।

दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए, शिक्षक के लिए यह जरूरी है कि वह विद्यार्थियों को वास्तविकता का ज्ञान कराए। विद्यार्थी जब तक वास्तविक दुनिया का अनुभव नहीं कर लेते, तब तक उनके लिए यह सम्भव नहीं होगा कि वे सीखे गए सिद्धान्तों के साथ तादात्म्य स्थापित कर पाएँ। समग्रता में, एक सक्रियतावादी शिक्षक के लिए यह जरूरी है कि वह व्यक्तिगत और पेशेवर - दोनों - मोर्चों पर सत्यनिष्ठा को बनाए रखे। व्यक्तिगत और पेशेवर पहचान के बीच के अन्तराल को सजग रूप से पाटते रहना बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, एक नारीवादी होने पर यह चीज शिक्षक के पेशे में भी प्रतिबिम्बित होनी चाहिए। शिक्षकों को विद्यमान जेम्स भूमिकाओं का विखण्डन करना चाहिए और भूमिकाओं के उल्टापन (reversal) की कोशिश करनी चाहिए। नारीवादी सक्रियतावादी शिक्षक समाज को स्वतन्त्रता और बन्धुत्व की संकल्पनाओं के माध्यम से देखते हैं। शिक्षक/कार्यकर्ता के विचार का विकास शिक्षण को किसी पेशे (profession) के बजाय एक व्यवसाय (vocation)/आह्वान (calling) के रूप में देखने से निर्मित होता है। श्वार्ज के अनुसार, व्यवसाय के रूप में शिक्षण का तात्पर्य यह है कि व्यवसाय में अनेक सुधार किए जाने की आवश्यकता है। सुधार करने के लिए, स्वयं शिक्षण को मानवीय अवश्य होना चाहिए तथा शिक्षण को व्यक्तिगत और नैतिक लगावों से युक्त होना चाहिए।

दूसरे, यह समय की माँग है कि पाठ्यक्रम की अन्तर्वस्तु का विकास मात्र सैद्धांतिक ज्ञान के बजाय वास्तविक जीवन के अधिकाधिक अनुभवों के साथ किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, दर्शनशास्त्र मंत संकल्पनाएँ अमूर्त होती हैं। पाठ्यक्रम में वास्तविक

जीवन के अनुभवों का समावेश करने से विद्यार्थियों का मस्तिष्क व्यापक होता है तथा वे विषय के बारे में अमूर्त विचार रखने के बजाय दुनिया को व्यावहारिक रूप से समझने योग्य हो जाते हैं।

सक्रियतावाद के रूप में शिक्षण

अपनी प्रगति को जाँचिए 3

4. सकल नामांकन अनुपात क्या है?

.....

.....

.....

.....

5.8 सारांश

इकाई इस चीज की पहचान करने से शुरू हुई थी कि शिक्षण क्या एक 'व्यवसाय (vocation)' है या एक 'आह्वान (calling)' है। हमने 'व्यवसाय' और 'आह्वान' को परिभाषित किया और कहानियों के माध्यम से इन दोनों के बीच के अन्तरों पर चर्चा की। अगला अनुभाग ज्ञान, ज्ञान के सृजन और प्रसारण के बारे में था। शिक्षकों को ज्ञान का प्रसारक माना जाता है। इसके बाद शिक्षणशास्त्रीय स्थिति में पाठ की भूमिका पर चर्चा की गयी। शिक्षण के पेशे में भी जेण्डर भेदभाव मौजूद है। यहाँ हमने चर्चा की थी कि कुछ ज्ञानानुशासनों को क्यों और किस प्रकार 'पुरुषवाचक (masculine)' माना जाता है और कुछ ज्ञानानुशासनों को क्यों और किस प्रकार 'स्त्रीवाचक (feminine)' माना जाता है। इसके साथ-साथ उच्च शिक्षा में महिलाओं के कम अनुपात को दर्शाने के लिए हमने जीईआर का प्रयोग किया। जेण्डर भेदभाव खुद प्राथमिक विद्यालय के पाठों से ही शुरू हो जाता है। शिक्षार्थियों में जेण्डर जागरूकता लाने में शिक्षक एक उपकरण की तरह होते हैं। यह एक चक्र की तरह है। पहले शिक्षकों को जेण्डर-संवेदी बनाने की आवश्यकता है। इसके बाद जेण्डर-संवेदी शिक्षक जेण्डर-संवेदी शिक्षार्थियों का शिक्षित करते हैं। अन्तिम अनुभाग में शिक्षण और सक्रियतावाद पर चर्चा की गयी है।

5.9 इकाई अन्त प्रश्न

1. 'शिक्षक ज्ञान के प्रसारक के रूप में होते हैं' - क्या आप इस कथन से सहमत हैं? परीक्षण कीजिए।
2. पाठ्यक्रम में जेण्डर अन्तरों के प्रचलन पर चर्चा कीजिए तथा उच्च शिक्षा में महिलाओं की प्रस्थिति के बारे में विस्तार से बताइए।

5.10 अपनी प्रगति जाँच के उत्तर

1. फ्रैंडरिक बुचनर (1973) ने व्यवसाय को उस 'स्थल' के रूप में परिभाषित किया है 'जहाँ आपका चरम आनन्द और संसार की चरम भूख एक-दूसरे से मिलती है'। हानसेन के अनुसार व्यवसाय 'एक ऐसा कार्य है जिसका परिणाम दूसरों की सेवा तथा इस सेवा को प्रदान करने में व्यक्ति को मिलने वाला व्यक्तिगत सन्तोष होता है'।

2. नियामक दृष्टिकोण इस चीज से सम्बन्धित है कि कोई व्यक्ति अपने शिक्षण को किस प्रकार देखता/देखती है और किस प्रकार उसकी व्याख्या करता/करती है। शिक्षक व्यावसायिक मनःस्थिति (vocational posture) अपनाते हैं मानो वे सोच रहे हों कि वे अभिनय कर रहे हैं और खुद को किसी स्थान पर रखकर चीजों को देख रहे हैं। उस स्थान से कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है। यह दृष्टिकोण कहता है कि व्यवसाय का उद्गम केवल मनोवैज्ञानिक ही नहीं होता, बल्कि इसका उद्गम सामाजिक भी होता है।
3. पोलान्थी (1958) प्रारम्भिक चिन्तक हैं जिन्होंने निहित (tacit) ज्ञान और स्पष्ट (explicit) ज्ञान में विभेद किया है। निहित ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ और सन्दर्भ-विशिष्ट होता है तथा प्रदर्शन (demonstration) के जरिये इसका संचार किया जाता है। स्पष्ट ज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है तथा व्यवस्थित और औपचारिक कथनमूलक भाषा में इसका वर्णन किया जा सकता है।
4. जीईआर विभिन्न कार्यक्रमों में नामांकित सभी आयु वर्गों के व्यक्तियों का 18 से 23 वर्ष के आयु वर्ग के बीच की समग्र जनसंख्या से अनुपात निकालते हुए पहुँच के स्तर को मापता है।

5.11 सन्दर्भ ग्रंथ

1. Ahmed, Firoz Bakht. 2006. "Male Bias in School Texts." The Tribune Online Edition. Chandigarh, India (Feb. 26). <http://www.tribuneindia.com>
2. Blumberg, Rae Lesser. 2009. The invisible obstacle to educational equality: gender bias in textbooks. UNESCO IBE, DOI 10.1007/s11125-009-9086-1
3. Bolin, F., and A. L. Goodwin. 1992. Redefining Teacher Education: A Model for Comprehensive Reform. Paper presented at the annual meeting of the American Association of Colleges for Teacher Education, San Antonio, Texas, February.
4. Booth, Wayne C. 1988. The Vocation of a Teacher. Chicago: The University of Chicago Press.
5. Cathryn Bailey. 2001. Teaching as Activism and Excuse: A Reconsideration of the Theory-Practice Dichotomy. Feminist Teacher. Vol. 13, No. 2 (2001), pp. 125-133.
6. Chansana, K. 2001. Female Sexuality and Education of Hindu Girls in India. In Sociological Bulletin 50 (1), Marc. Also in, S. Rege (ed.), Sociology of Gender: The Challenge of Feminist Sociological Knowledge. New Delhi: Sage, 2003. pp. 287-317.
7. Christopher Higgins. 2005. Dewey's conception of vocation: existential, aesthetic, and educational implications for teachers. Journal of Curriculum Studies. 37:4, 441-464, DOI: 10.1080/00220270500048502
8. Ellis, Jon. 2002. Strengthening Subservience: Gender Bias in West Bengal School Textbooks. Manushi. 128:23-24.
9. Erin C. Cassese, Mirya R. Holman, Monica C. Schneider & Angela L. Bos. 2015. Building a Gender and Methodology Curriculum: Integrated

- Skills, Exercises, and Practices. *Journal of Political Science Education*. 11:1, 61-77, DOI: 10.1080/15512169.2014.985106
10. Gibbons, M., Llimoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S, Scott, P. & Trow, M. 1994. *The New Production of Knowledge: the dynamics of science and research in contemporary societies*. Stockholm: SAGE Publications.
 11. Hansen, David T. 1995. *The Call to Teach*. New York: Teachers College Press.
 12. Hansen, David T. 2001. *Exploring the Moral Heart of Teaching: Toward a Teacher's Creed*. New York: Teachers College Press.
 13. Hargreaves, D.H. 1996. Teaching as a research-based profession. Lecture at Teacher Training Agency. April, 1996.
 14. Hooks, Bell. 1994. *Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom*. New York: Routledge.
 15. Huebner, Dwayne. 1987. The Vocation of Teaching. In F.S. Bolin & J.M. Falk (Eds.), *Teacher Renewal: Professional Issues, Personal Choices* (pp. 17-29). New York: Teachers College Press College Press
 16. Indira Gandhi National Open University. 2011. MGS-003 Gender Analysis. Block 1 Gender Analysis: An Introduction. Unit 1 what is Gender Analysis. New Delhi: IGNOU.
 17. Lin Goodwin & Clare Kosnik. 2013. Quality teacher educators = quality teachers? Conceptualizing essential domains of knowledge for those who teach teachers, *Teacher Development*, 17:3, 334-346, DOI: 10.1080/13664530.2013.813766
 18. Lonergan, B.J.F. 1957. *Insight: a study of human understanding*. London: Longmans.
 19. Michelle M. Falter. 2016. Threatening the patriarchy: Teaching as performance. *Gender and Education*. 28:1, 20-36, DOI: 10.1080/09540253.2015.1103838.
 20. Nancy A. Naples and Karen Bojar. 2002. Feminist Pedagogy and Teaching Activism: An Introduction to a Special Section of This Issue of *Feminist Teacher*. *Feminist Teacher*, Vol. 14, No. 2. pp. 101-105.
 21. National Policy for Empowerment of Women 2001. Department of Women and Child Development, Ministry of Human Resource Development, Government of India.
 22. Nonaka, I & Takeuchi, H. 1995. *The Knowledge-Creating Company: how Japanese Companies create the dynamics of innovation*. New York: Oxford University Press.
 23. Palmer, Parker J. 1998. *The Courage to Teach*. San Francisco: Jossey-Bass.
 24. Palmer, Parker J. 2000. *Let Your Life Speak: Listening for the Voice of Vocation*. San Francisco: Jossey-Bass.

जेम्स और
शिक्षणशास्त्रीय प्रथाएँ

25. Patricia Ticineto Clough and Michelle Fine. 2007. Activism and Pedagogies: Feminist Reflections. *Women's Studies Quarterly*. Vol. 35, No. 3/4, Activisms (Fall - winter, 2007), pp. 255- 275
26. Polanyi, M. 1958. *Personal Knowledge*. Chicago: University of Chicago Press.
27. Position Paper National Focus Group on Gender Issues in Education. 2006. NCERT. New Delhi.
28. Rae Lesser Blumberg. 2007. Background paper prepared for the Education for All Global Monitoring Report 2008 Education for All by 2015: will we make it? Gender bias in textbooks: a hidden obstacle on the road to gender equality in education. UNESCO <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.112.5597&rep=rep1&type=pdf>
29. Report of the Central Advisory Board of Education (CABE). 2010. Ministry of Human Resource Development, Government of India, National Book Trust, New Delhi, India.
30. Seamus Hegarty. 2000. Teaching as a Knowledge-based Activity. *Oxford Review of Education*. 26:3-4, 451-465, DOI: 10.1080/713688541.
31. Srivastava Gouri. 2012. *Gender and Peace in Textbooks and Schooling Processes*. New Delhi: Concept Publishing Company Pvt. Ltd.
32. Srivastava Gouri and Yadav Mona. 2013. *Training Material for Teacher Educators on Gender Equality and Empowerment*. Vol.I, II and III, NCERT, New Delhi.
33. Srivastava, Gouri. *Gender Concerns in Education*. www.ncert.nic.in/departments/nle/dwa/modules/RMSA_Module.pdf
34. Turner-Bisset, R. 1999. Knowledge bases for teaching, *British Educational Research Journal*. 25, 1, pp. 39-55.
35. Victoria S Wilke. 2004. Teaching Future Teachers about Vocation: Lessons from Mr. Hatch and Miss Rumphius, *Journal of College and Character*, 5:10, DOI: 10.2202/1940-1639.1408.

इकाई 6 दृष्टिकोण सिद्धान्त और ज्ञान की अवस्थिति

संरचना

- 6.1 प्रस्तावना
- 6.2 उद्देश्य
- 6.3 दृष्टिकोण का अर्थ
- 6.4 दृष्टिकोण सिद्धान्त का ऐतिहासिक विकास
- 6.5 दृष्टिकोण सिद्धान्त और ज्ञानमीमांसा
 - 6.5.1 दृष्टिकोण सिद्धान्त और हाशियाकृत परिप्रेक्ष्य
 - 6.5.2 वस्तुनिष्ठ ज्ञान पर प्रश्न उठाना
- 6.6 ज्ञान की रचना के एक वैध आधार के रूप में अनुभव
 - 6.6.1 विविधता और अन्तःप्रतिच्छेदनीयता
- 6.7 जेण्डर और ज्ञान-निर्माण
- 6.8 शास्त्रगत ज्ञान की 'नारीवादी आलोचना' द्वारा प्रदत्त अन्तर्दृष्टि
- 6.9 शिक्षा के हितधारकों के लिए दृष्टिकोण सिद्धान्त के निहितार्थ
- 6.10 सारांश
- 6.11 इकाई अंत प्रश्न
- 6.12 अपनी प्रगति जाँच के उत्तर
- 6.13 सन्दर्भ ग्रन्थ

6.1 प्रस्तावना

शिक्षा को, शिक्षा के समस्त हितधारकों द्वारा, इसकी रूपान्तरणकारी क्षमता के पदों में देखा जाना चाहिए। जेण्डर समावेशी शिक्षणशास्त्रीय व्यवहार के लिए यह आवश्यक है कि यह सीखने और शिक्षण के सहभागितामूलक तरीके पर बल प्रदान करे, जिसके अन्तर्गत व्यक्तिनिष्ठ तरीके से भावनाओं और अनुभव का एक निश्चित और महत्वपूर्ण स्थान होता है। जेण्डर संवेदी शिक्षा को इन अभिलक्षणों के विकास पर फोकस करना चाहिए : स्वयं को पहचानने योग्य होना, स्वयं के प्रति एक सकारात्मक छवि का निर्माण करना और आलोचनात्मक चिन्तन को उद्दीप्त करते हुए आत्मसिद्धि (Self-actualization) पर बल प्रदान करना, शक्ति की जेण्डरीकृत संरचना को गहराई से समझना, शक्ति की जेण्डरीकृत संरचना को चुनौती प्रदान करने के लिए तथा अपने जीवन पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिए लड़कों और लड़कियों को प्रेरित करना। यह इकाई दृष्टिकोण सिद्धान्त का अन्वेषण करने का प्रयास करती है ताकि शिक्षा, विद्यालयी प्रक्रिया (schooling) और ज्ञान-सृजन को जेण्डर के चश्मे से देखा जा सके। यह जेण्डर संवेदी कक्षा-कक्षा का सृजन करने के लिए रणनीतियों का विकास करने में किसी शिक्षक को समर्थ भी बनाता है ताकि विद्यमान ज्ञान की सम्यक आलोचना की जा सके और "ज्ञान की रचना के एक वैध आधार के रूप में अनुभव" का संज्ञान लिया जा सके।

6.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप :

- 'दृष्टिकोण (Stand point)' के अर्थ की व्याख्या कर सकेंगे;
- ज्ञान-निर्माण के सम्बन्ध में दृष्टिकोण सिद्धान्त को समझ सकेंगे;
- कक्षा-कक्ष के किसी शिक्षक के लिए दृष्टिकोण सिद्धान्त के निहितार्थों को समझ सकें, और
- जेण्डर-संवेदी कक्षा-कक्षों का सृजन करने के लिए रणनीतियों की योजना बना सकें।

6.3 दृष्टिकोण का अर्थ

दृष्टिकोण सिद्धान्त लोगों के प्रत्यक्ष (perception) के लिए एक उत्तर-आधुनिक दृष्टिकोण है। किसी व्यक्ति द्वारा किसी मुद्दे के प्रति, अपने परिप्रेक्ष्य से, रखा जाने वाला नजरिया या अभिवृत्ति ही 'स्टैण्डप्व्वाइण्ट' है। यह बताता है कि दिन-प्रतिदिन के अनुभव किस प्रकार किसी व्यक्ति की राय को परिवर्तित करते हैं और उस राय पर प्रभाव डालते हैं। जब लोग समाज में विविध समूहों का सृजन करने वाली शक्ति के मूल्य को समझते हैं, तब स्टैण्डप्व्वाइण्ट समझने की तरफ अग्रसर होता है। दृष्टिकोण सिद्धान्त नारीवादी नजरियों पर अपना ध्यान केन्द्रित करने वाले जेण्डर-प्रत्यक्ष (Gender perception) पर फोकस करता है। सैण्ड्रा हार्डिंग और नैन्सी हार्टसॉक ने अपनी पुस्तक 'द फ़ेमिनिस्ट स्टैण्डप्व्वाइण्ट : डेवेलपिंग ग्राउण्ड फॉर ए स्पेसिफिकली फ़ेमिनिस्ट हिस्टोरिकल मटेरियलिज़्म' के माध्यम से दृष्टिकोण सिद्धान्त का विकास किया। नैन्सी हार्टसॉक के अध्ययन पर जर्मन दार्शनिक जॉर्ज विल्हेल्म फ्रेड्रिक हीगल की संकल्पनाओं का गहरा प्रभाव है, जिन्होंने विभिन्न सामाजिक-आर्थिक वर्गों से सम्बन्ध रखने वाले लोगों के दृष्टिकोणों का अध्ययन किया था। इसका उद्भव समाज में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति का अध्ययन करने वाले प्रारम्भिक नारीवादी सिद्धान्त से हुआ है। इसे नारीवादी दृष्टिकोण सिद्धान्त भी कहा जाता है।

6.4 दृष्टिकोण सिद्धान्त का ऐतिहासिक विकास

दृष्टिकोण सिद्धान्त को दो केन्द्रीय सिद्धान्तों के इर्द-गिर्द व्यवस्थित किया गया है - "अवस्थित ज्ञान का शोध-लेख (situated knowledge thesis)" और "विलोमता का शोध-लेख (inversion thesis)"। अवस्थित ज्ञान के शोध-लेख का दावा है कि ज्ञान का उत्पादन सामाजिक विभेदों पर निर्भर होता है : ज्ञान प्राप्त करने वाले लोग सदैव किसी न किसी विशिष्ट ऐतिहासिक क्षण और सामाजिक-सांस्कृतिक सन्दर्भों में स्थित होते हैं। विलोमता के शोध-लेख को ज्ञानमीमांसीय लाभ (epistemic advantage) का शोध-लेख भी कहा जाता है। विलोमता का यह शोध-लेख उन लोगों को ज्ञानमीमांसीय प्राधिकार देता है जो दमन की व्यवस्था के कारण अब तक हाशिये पर बने हुए हैं। ये हाशियाकृत लोग उन लोगों की तुलना में ज्ञान को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जो दमन की व्यवस्था के कारण लाभ उठाते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो सामाजिक स्वत्वहीनता (dispossession) ज्ञानमीमांसीय विशेषाधिकार को उत्पन्न करती है। इस शोध-लेख के लिए तर्क का एक हिस्सा इस तथ्य से भी प्राप्त होता है कि व्यवस्थित दमन से लाभ उठाने वाले लोगों के पास कोई कारण नहीं है कि वे पृष्ठभूमि की मान्यताओं की आलोचना करें। जबकि

हाशियाकृत लोगों के पास गुप्त ज्ञान हो सकता है, उदाहरण के लिए, पूँजीवाद की संरचना और उसके प्रभावों के बारे में हाशियाकृत लोगों के पास ज्ञान हो सकता है क्योंकि वे अपने दैनिक जीवन में इसकी कड़वी वास्तविकताओं का सामना करते हैं।

दृष्टिकोण सिद्धान्त की पहली लहर

दृष्टिकोण सिद्धान्त की जड़ें यद्यपि वर्गीय दमन के मार्क्स के दृष्टिकोण में स्थित हैं, नारीवादी दर्शन ने दृष्टिकोण सिद्धान्त को 1970 और 1980 के दशक में लोकप्रिय बनाया और इसका विकास किया। नारीवादी दृष्टिकोण सिद्धान्त के प्रारम्भिक आवेग में केन्द्रीय विषय यह था कि वैज्ञानिक उदासीनता और वस्तुनिष्ठता के रूपों को चुनौती दी जाए। यह वैज्ञानिक उदासीनता और वस्तुनिष्ठता ज्ञान प्राप्त करने वाले एक सामान्यीकृत व्यक्ति की पूर्ण-मान्यता लेकर चलती थी। प्रारम्भिक दृष्टिकोण सिद्धान्तकारों का प्रयास उस तरीके को समझना था जिसके अन्तर्गत ज्ञान प्राप्त करने वाले लोगों की जेण्डरीकृत पहचान उनके ज्ञानमीमांसीय संसाधनों और उनकी क्षमताओं को प्रभावित करती थी (वायली 48)। दृष्टिकोण सिद्धान्त का स्पष्टीकरण उपलब्ध करने वाले प्रारम्भिक लोगों में से एक नैन्सी हार्टसॉक थीं, जिन्होंने वस्तु सम्बन्ध सिद्धान्त (object relations theory) और एक मार्क्सवादी नारीवादी परिप्रेक्ष्य को संयुक्त किया था ताकि जेण्डर समाजीकरण और श्रम के लैंगिक विभाजन पर प्रश्न उठाये जा सकें। हार्टसॉक के अनुसार, श्रम के लैंगिक विभाजन के लिए जेण्डरीकृत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के आत्मसातीकरण को उत्तरदायी माना जा सकता है। ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएँ जेण्डरीकृत संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक अभिमुखीकरणों का उत्पादन करती हैं जो एक-दूसरे से काफी दूर होते हैं।

विज्ञान के दर्शन में एवलिन फॉक्स केलर का हस्तक्षेप भी इतना ही प्रभावशाली था। वस्तु सम्बन्ध सिद्धान्त (object relations theory) पर दुबारा विचार करते हुए, केलर (1978) ने तर्क दिया कि जेण्डर अलग-अलग वैज्ञानिक "मनःस्थितियों (Postures)" को उत्पादित करता है। स्टीरियोटाइप्ड हो चुके पुरुषवाचक और स्त्रीवाचक अभिलक्षण पुरुषत्व को वस्तुनिष्ठता के साथ, तथा स्त्रीत्व को सहानुभूतिपरक समझ के साथ सम्बद्ध करने के लिए वैज्ञानिक कार्य-व्यवहार में प्रवाहित होते हैं। उदाहरण के लिए, अपने समाजीकरण के कारण, महिलाएँ इस अध्ययन में संलग्न किये जाने के लिए और उनके अध्ययनों की वस्तुओं में अवशोषित कर दिए जाने के लिए बेहतर होती हैं।

दृष्टिकोण सिद्धान्त की दूसरी लहर

दृष्टिकोण सिद्धान्त ने पिछले पन्द्रह सालों में एक पुनर्जागरण देखा है। यद्यपि दृष्टिकोण सिद्धान्त के बहुत सारे आलोचक हैं, फिर भी वे उस मूल चुनौती से संलग्न होने में प्रायः असफल ही रहे हैं, जो दृष्टिकोण सिद्धान्त द्वारा ज्ञान-उत्पादन के पारम्परिक सिद्धान्तों के लिए पेश की गयी है। इसके अलावा इन आलोचकों ने किसी प्रकार के रचनात्मक प्रत्युत्तर भी प्रस्तावित नहीं किए हैं (वायली 81)। इस प्रकार, सामाजिक विभेद के ज्ञानमीमांसीय प्रभावों को गम्भीरता से लेना एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जिसका शीघ्रता से परित्याग नहीं कर देना चाहिए। दृष्टिकोण सिद्धान्त के लाभ का एक अंश इसकी ऐसी प्रविधि, लक्ष्यों और सीमाओं के पुनःस्पष्टीकरण (rearticulating) से आता है, जिनसे ऊपर वर्णित आलोचनाओं को प्रत्यक्ष जवाब मिल जाते हैं। वायली ने दृष्टिकोण सिद्धान्त की दूसरी लहर का शायद सर्वाधिक संक्षिप्त स्पष्टीकरण (articulation) उपलब्ध कराया है। वायली के अनुसार, कोई स्टैण्डपवाइण्ट 'महिला' जैसे सुस्पष्ट रूप से परिभाषित किसी ऐसे भूक्षेत्र को चिह्नित नहीं करता जिसके भीतर सदस्यों के पास विशेषाधिकार स्वतः ही मौजूद होते हैं बल्कि इसके बजाय स्टैण्डपवाइण्ट ज्ञानमीमांसीय, संलग्नता की एक

मनःस्थिति है। इस दावे का, कि अस्थित ज्ञान का शोध-लेख अस्तित्ववाद पर बल देता है, प्रत्युत्तर देते हुए वायली तर्क देती है कि "यह एक खुला (आनुभविक) प्रश्न है कि क्या इस प्रकार की संरचनाएँ प्रत्येक सन्दर्भ में पायी जा सकती हैं, ये संरचनाएँ कौन-सा रूप ग्रहण करती हैं, तथा व्यक्तियों द्वारा किस प्रकार ये आत्मसातीकृत या सन्निविष्ट की जाती हैं" (वायली 2012, 82)। पहचानें जटिल होती हैं और उन्हें साधारण युग्मकों (binaries) के रूप में सरलीकृत नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार वायली तर्क देती है कि अभी तक स्वसम्भूत (utomatic) विशेषाधिकार की आलोचना लड़खड़ाती रही है क्योंकि कोई स्टैण्डपवाइण्ट प्रदत्त नहीं होता, बल्कि इसे हासिल किया जाता है। इसकी विशेषताएँ हैं : "ज्ञानमीमांसीय, संलग्नता का एक प्रकार, उन सामाजिक दशाओं के प्रति आलोचनात्मक जागरूकता - आनुभविक और संकल्पनात्मक - का संवर्द्धन, जिनके तहत ज्ञान को उत्पादित और प्रमाणीकृत किया जाता है" (83)। इस प्रकार किसी स्टैण्डपवाइण्ट पर अधिकार करना एक आलोचनात्मक जागरूकता का संवर्द्धन करने जैसा है। यह जागरूकता इस सम्बन्ध में होती है कि किसी व्यक्ति की जानने की योग्यता पर समाज में उस व्यक्ति की अवस्थिति के क्या प्रभाव पड़ते हैं।

प्राथमिक और द्वितीयक दृष्टिकोण

"महिला" जैसी किसी ऐतिहासिक, जीव-वैज्ञानिक और अस्तित्ववादी श्रेणी से अलग हटते हुए दृष्टिकोण सिद्धान्त की दूसरी लहर स्वीकार करती है कि यह एक खुला प्रश्न है कि दृष्टिकोण में कौन सहभागिता कर सकता है या कौन इसे हासिल कर सकता है। प्राथमिक और द्वितीयक दृष्टिकोणों में विभेद करने से यह मुद्दा स्पष्ट हो सकता है। प्राथमिक दृष्टिकोण पारम्परिक दृष्टिकोण होते हैं। ये हाशियाकरण के प्रत्यक्ष अनुभवों से स्वतः उत्पन्न होते हैं। जबकि द्वितीयक दृष्टिकोण पर अधिकार रखने वाले लोगों की प्रत्यक्ष पहुँच हाशियाकरण के अनुभवों तक नहीं होती तथा इस प्रकार इन्हें प्राथमिक दृष्टिकोण के अभिकर्ताओं के बीच रहना होता है। द्वितीयक दृष्टिकोणों के लिए यह आवश्यक है कि वह लगातार प्राथमिक दृष्टिकोणों में नवीनीकृत होता रहे ताकि किसी दृष्टिकोण का ज्ञानमीमांसीय, विशेषाधिकारयुक्त गठन कायम रहे। यह विभेद हमें उन तरीकों को समझने में सक्षम बनाता है जिन तरीकों से माता-पिता, साझेदार और अन्य लोग विशेषाधिकारयुक्त ज्ञान-उत्पादन में हाशिये के लोगों के साथ सहभागिता करते हैं।

6.5 दृष्टिकोण सिद्धान्त और ज्ञानमीमांसा

ज्ञानमीमांसा आमतौर से "ज्ञान का एक सिद्धान्त" है यानी यह इसका अध्ययन है कि कोई व्यक्ति दुनिया के बारे में चीजों को किस प्रकार जानता है। दृष्टिकोण ज्ञानमीमांसा, या अधिक सामान्य रूप से, दृष्टिकोण सिद्धान्त इस चीज से सम्बन्धित है कि किसी व्यक्ति की जानने की योग्यता पर समाज में उस व्यक्ति की अवस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, चूँकि पुरुष और महिला अलग-अलग तरीके से जेम्सरीकृत किए जाते हैं और इस प्रकार उनके अनुभव भी अलग-अलग होते हैं, इसलिए इसमें अन्तर अवश्य होगा कि वे किसी चीज को किस प्रकार जानते हैं और वे क्या जानने में सक्षम हैं। अधिक विशिष्ट रूप से कहें, तो दृष्टिकोण सिद्धान्त इस बात पर जोर देता है कि जो लोग सामाजिक रूप से हाशिये पर हैं, वे लोग ज्ञान-उत्पादन की व्यवस्थाओं के भीतर के पूर्वाग्रहों और अन्तरालों को अत्यधिक आसानी से छोटकर बाहर कर सकते हैं। दृष्टिकोण सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य से देखें, तो सन्तति-विज्ञान (engenic) के क्रम में जीवित बचे लोगों समेत निःशक्त व्यक्ति यह समझने में सर्वोत्तम होंगे कि सर्वोत्कृष्ट ज्ञान और दमन की प्रणालियों को किस प्रकार उत्पादित किया जाता है और किस प्रकार उन्हें कायम रखा

जाता है। तदनुसार संतति विज्ञान की विरासत को समझने के लिए प्रथम पुरुष में लिये गये साक्ष्य और मौखिक इतिहास को केन्द्रीय भूमिका निभानी पड़ेगी।

6.5.1 दृष्टिकोण सिद्धान्त और हाशियाकृत परिप्रेक्ष्य

दृष्टिकोण सिद्धान्त की मुख्य केन्द्रीय संकल्पनाएँ हमें हाशियाकृत समाज के, खासतौर से महिलाओं के, परिप्रेक्ष्य को समझने की दिशा में आगे ले जाती हैं। एक व्यक्ति का दृष्टिकोण दूसरे व्यक्ति से भिन्न हो सकता है लेकिन जब कुछ समूह सामान्य (common) पर्यावरणों की साझेदारी करते हैं तो उनके परिप्रेक्ष्य में सामूहिकता का संज्ञान आसानी से लिया जा सकता है। ये परिप्रेक्ष्य मूल रूप से वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ हो सकते हैं। समाज में उच्चतर स्तर से सम्बन्ध रखने वाला या उच्चतर स्थिति से आने वाला कोई व्यक्ति आमतौर पर मुझों को एकपक्षीय तरीके से देखता है जबकि समाज में औसत स्थिति या निम्न स्तर से आने वाला कोई व्यक्ति किसी मुद्दे को कहीं अधिक व्यावहारिक रूप से देखता-समझता है। ऐसा उन परिस्थितियों के अन्तर्गत के कारण होता है, जिन परिस्थितियों में लोगों के ये दो समुच्चय रहते हैं। समाज में महिलाओं के मामले में, परिप्रेक्ष्य बहुत अधिक सीमा तक भिन्न हो जाता है। यहाँ हाशियाकृत समूह यानी महिलाएँ शक्तिशाली समूहों के प्रत्यक्षणों (perceptions) को स्वीकार करने की दिशा में अग्रसर हो जाती हैं। इसलिए परिस्थितियाँ महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को परिवर्तित कर देती हैं। (आप ग्रामीण सन्दर्भ में प्रवासन पर और किसी एक ही व्यक्ति द्वारा अकेले चलाए जाने वाले परिवारों की परिघटना पर विचार कर सकते हैं)।

6.5.2 वस्तुनिष्ठ ज्ञान पर प्रश्न चढ़ाना

सैण्ड्रा हार्डिंग और जूलिया टी. वुड ने दृष्टिकोण सिद्धान्त की नींव डाली। यह सिद्धान्त समाज में वस्तुनिष्ठता के बारे में है। इसके सिद्धान्तकारों का विचार है कि सामाजिक श्रेणीतन्त्र में किसी व्यक्ति का स्थान यह तय करता है कि वह कितना खुला (open) और वस्तुनिष्ठ है। यदि कोई व्यक्ति सामाजिक श्रेणीतन्त्र में सबसे निचले पायदान पर है तो उसके पास यह अवसर होता है कि वह ऊपर की तरफ देखे और अपने ऊपर के लोगों को जाने और समझे। जबकि अगर कोई व्यक्ति सामाजिक श्रेणीतन्त्र में शिखर पर है तो उसके पास खुद को देखने के अलावा ऐसा कोई अवसर नहीं होता। हार्डिंग और वुड ने माना कि जब किसी व्यक्ति के पास अपने से ऊपर के लोगों को देखने और समझने का अवसर होता है, तो दुनिया को वह अधिक सही तरीके से देख पाता है जबकि शिखर पर बैठे लोगों के पास अपने से ऊपर के लोगों को देखने और समझने का मौका नहीं होता इसलिए उनकी दृष्टि सीमित होती है और दुनिया के प्रति उनका दृष्टिकोण मिथ्या या नकली (false) होता है। इन सिद्धान्तकारों ने अनुभव किया कि दुनिया के प्रति महिलाओं, निचली सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति के लोगों, समलैंगिकों और अल्पसंख्यकों का दृष्टिकोण, सामाजिक श्रेणीतन्त्र में इनके स्थान के कारण, श्वेत पुरुषों के दृष्टिकोण की तुलना में कम मिथ्या होता है।

नारीवादी दृष्टिकोण ज्ञानमीमांसा (Feminist standpoint epistemology) वस्तुनिष्ठता की पारम्परिक संकल्पना को नकारते हुए एक अधिक सशक्त वस्तुनिष्ठता का सृजन करने की कोशिश करती है, तो भी यह सापेक्षिक ज्ञानमीमांसा नहीं होती। नारीवादी दृष्टिकोण सिद्धान्त की एक प्रबल समर्थक सैण्ड्रा हार्डिंग अपने लेख रीथिंकिंग स्टैंडप्व्वाइण्ट एपिस्टेमोलोजी : व्हाट इज "स्ट्रॉंग ऑब्जेक्टिविटी" में इस विषय को स्पष्ट रूप से सम्बोधित करती हैं और तर्क देती हैं कि दृष्टिकोण सिद्धान्त की वस्तुनिष्ठ ताकत इसकी इस मान्यता में है कि ज्ञान सामाजिक रूप से स्थित होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के रूप में हम कौन हैं, इसका प्रभाव इस चीज पर पड़ता

जेम्स और
शिक्षणशास्त्रीय प्रथाएँ

है कि हम क्या जान सकते हैं। विशिष्ट रूप से, अनुसन्धानकर्ताओं की सामाजिक स्थिति पर अनुसन्धान के परिणामों की निर्भरता का प्रदर्शन करने के लिए हार्डिंग तात्कालिक नारीवादी अनुभववादियों (spontaneous feminist empiricists) के उदाहरण का प्रयोग करती हैं। हार्डिंग तात्कालिक नारीवादी अनुभववाद को इस रूप में परिभाषित करती हैं : "जीव-विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों में उन नारीवादी अनुसन्धानकर्ताओं की 'तात्कालिक चेतना' (spontaneous consciousness) जो यह व्याख्या करने का प्रयास करते हैं कि फील्ड में अनुसन्धान की उनकी प्रक्रिया में, मानक प्रक्रियाओं की तुलना में, कौन-सी चीज अलग थी और कौन-सी चीज अलग नहीं थी।"

विचारधारा के स्तर पर हार्डिंग यद्यपि तात्कालिक नारीवादी अनुभववादियों की तरह नहीं हैं, पर हार्डिंग नोट करती हैं कि तात्कालिक नारीवादी अनुभववादियों द्वारा किये गये अनुसन्धानों के परिणाम पुरुषों द्वारा किए गए अनुसन्धान की तुलना में प्रायः "कम पक्षपातपूर्ण और कम विकृत" होते हैं। इसलिए हार्डिंग तर्क देती है कि इन नारीवादी अनुभववादियों द्वारा उत्पादित किया गया ज्ञान, इनके प्रतिपणों (counterparts) द्वारा उत्पादित किए गए ज्ञान की तुलना में वैज्ञानिक रूप से श्रेष्ठतर होता है। ऐसा निश्चित रूप से नारीवादियों के सामाजिक रूप से स्थित दृष्टिकोण के कारण होता है। इसलिए ज्ञान के उत्पादन में नरकेन्द्रित (androcentric) मान्यताओं को चिह्नित करने का नारीवादी प्रयत्न साधारण रूप से "श्रेष्ठ विज्ञान" है तथा "वस्तुनिष्ठता को अधिकाधिक बढ़ाने" में यह सहायता कर सकता है। हार्डिंग का मत है कि लोग यदि अपनी सामाजिक स्थिति के प्रति जागरूक होंगे तो वस्तुनिष्ठता एक और अधिक हासिल किए जाने योग्य चीज बन जाएगी। हार्डिंग तटस्थ वस्तुनिष्ठता की संकल्पना की आलोचना करती हैं। हार्डिंग ने इस संकल्पना को, डोना हरावे द्वारा दिए गए पदबन्ध का प्रयोग करते हुए, "ईश्वरीय दौंव (God-trick)" कहा है जिसका तात्पर्य उस स्थिति से है जब अनुसन्धानकर्ता पूर्ण निष्पक्षता के साथ ब्रह्माण्ड का प्रेक्षण करने की कोशिश करते हैं। यह ऐसी पूर्ण निष्पक्षता है, जिसे पूर्वाग्रहों से मुक्त माना जाता है और थॉमस नागेल ने जिसे "कहीं नहीं से लिया जाने वाला दृष्टिकोण (the view from nowhere)" कहा है (क्रमले 213)। हार्डिंग स्वीकार करती हैं कि पारम्परिक विज्ञान सामाजिक मूल्यों का विलोपन करने में कुशल है ताकि प्रयोगों के परिणाम विभिन्न संस्कृतियों के आर-पार भी एक जैसे ही आएँ लेकिन हार्डिंग यह दावा भी करती हैं कि "वैज्ञानिक विधि कोई नियम उपलब्ध नहीं कराती - यहाँ तक कि सामाजिक धिन्ताओं और उन रुचियों की पहचान करने के लिए भी - यह विधि कोई नियम उपलब्ध नहीं कराती जिन रुचियों में समस्त (या वास्तविक रूप से समस्त) प्रेक्षकों की साझेदारी होती है।" दृष्टिकोण ज्ञानमीमांसाविदों का विचार है कि वैज्ञानिक प्रयत्न, जैसा कि यह वर्तमान में है, दोषपूर्ण है क्योंकि इसकी रचना विशिष्ट सामाजिक स्थिति से आने वाले ऐसे लोगों द्वारा की गयी थी, जिनके पास प्रभाव और शक्ति थी। हार्डिंग का तर्क है कि जिस व्यवस्था के भीतर महिला अनुभववादी अपना कार्य संचालित कर रहे हैं (पारम्परिक विज्ञान), वह ऐसी व्यवस्था है जिसमें अपनी सामाजिक स्थिति को प्रतिबिम्बित करने के लिए अनुसन्धानकर्ताओं के पास कोई मौका या विधि नहीं होती। इस प्रकार अनुसन्धानकर्ता अपने गुप्त पूर्वाग्रहों को नहीं देख पाते। तब लोग स्वयं अपने पूर्वाग्रहों की पहचान किस प्रकार करेंगे? हार्डिंग का तर्क है कि पूर्वाग्रहों को चिह्नित करने में हाशियाकृत समूहों की स्थिति अन्य समूहों से बेहतर होती है। लेखिका ज्ञान के उत्पादन में दृष्टिकोण ज्ञानमीमांसा की तुलना राजनीति में मार्क्सवाद से करती हैं, जहाँ वस्तुओं का उत्पादन हाशियाकृत श्रमिकों द्वारा किया जाता है। हार्डिंग तर्क देती हैं कि प्रभुत्वशाली समूह अपने प्रभुत्व और अपनी शक्ति में इस प्रकार लीन रहते हैं कि वे अपनी स्वयं की मान्यताओं को देख ही नहीं पाते। उदाहरण के लिए, एक मार्क्सवादी श्रमिक मालिक की मान्यताओं और उसके पूर्वाग्रहों के प्रति अत्यधिक जागरूक होगा। इसी

प्रकार, हार्डिंग के अनुसार नारीवादी अनुसन्धानकर्ता वैज्ञानिक समुदाय में व्याप्त पूर्वाग्रहों के प्रति अत्यधिक जागरूक होगा क्योंकि वैज्ञानिक समुदाय में ऐतिहासिक रूप से पुरुषों और नरकेन्द्रित (androcentric) मान्यताओं का प्रभुत्व बना रहा है। हार्डिंग के अनुसार, जैसाकि तात्कालिक नारीवादी अनुभववादियों के मामले में होता है, विज्ञान में महिलाओं के आने से सहायता मिलेगी लेकिन अन्ततः इतना ही पर्याप्त नहीं होगा : नारीवादी दृष्टिकोण ज्ञानमीमांसाविदों का कहना है कि हाशियाकृत समूहों को शामिल करने के लिए व्यवस्था को परिवर्तित करने की आवश्यकता है।

अपनी प्रगति को जाँचिए 5

1. प्राथमिक और द्वितीयक दृष्टिकोण क्या है?

.....

.....

.....

.....

2. ऐसा क्यों होता है कि समाज में उच्चतर स्तर से सम्बन्ध रखने वाला या उच्चतर स्थिति से आने वाला कोई व्यक्ति आमतौर पर मुहों को एकपक्षीय तरीके से देखता है जबकि समाज में औसत स्थिति या निम्न स्तर से आने वाला कोई व्यक्ति किसी मुद्दे को कहीं अधिक व्यावहारिक रूप से देखता-समझता है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6.6 ज्ञान की रचना के एक वैध आधार के रूप में अनुभव

ज्ञान के सम्बन्ध में कुछ केन्द्रीय प्रश्न इस प्रकार हैं - शिक्षार्थियों के जीवन के अनुभवों का ज्ञान कितना प्रतिनिधिक है? क्या यह उनकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को सम्बोधित करता है? क्या यह लड़कों और लड़कियों समेत समस्त शिक्षार्थियों को इस चीज के लिए सक्षम बनाता है कि वे संज्ञानात्मक, सृजनात्मक और विश्लेषणात्मक योग्यताओं के सन्दर्भ में अपनी पूरी क्षमता को हासिल कर सकें? जेम्स अध्यायनों के माध्यम से विकसित की गई जीव की प्रविधि शिक्षाविदों की सहायता कर सकती है जो इस प्रश्न को लेकर मताग्रही रहे हैं कि पाठ्यक्रम की अन्तर्वस्तु शिक्षार्थी के वास्तविक अनुभवों का प्रतिनिधित्व करने में किस सीमा तक सक्षम रही है। पाठ्यपुस्तक क्या हाशिये पर रहने वाले लोगों द्वारा जिए गए अनुभवों को और उनके परिप्रेक्ष्यों को सम्बोधित कर सकती है? या पाठ्यपुस्तक क्या विशेषाधिकारयुक्त लोगों द्वारा जिए गए अनुभवों को और उनके परिप्रेक्ष्यों को भी हमेशा सम्बोधित कर सकती है? उदाहरण के लिए, अधिकांशतः प्रचलित मानकों के अनुरूप अगर पाठ्यपुस्तक में परिवारों का चित्रण इस प्रकार किया गया है कि परिवार की इकाई में एक माता, एक पिता और दो बच्चे शामिल हैं या ज्यादा

से ज्यादा दादा और दादी भी शामिल हैं तो तीस प्रतिशत से अधिक ऐसे परिवारों के बच्चे, जहाँ सिर्फ एक ही अभिभावक (अधिकांशतः महिला अभिभावक) है, खुद को इस दुनिया में, जहाँ वे विपथन से ग्रस्त प्रतीत होंगे, किस प्रकार और कहाँ रखकर देखेंगे? इसका संज्ञान लेना महत्वपूर्ण है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है, न कि यह कोई अन्तर्सम्मरण (input) है। इसके अलावा अनुभव इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। शिक्षार्थी जब तक पाठ्यपुस्तकों में वर्णित सन्दर्भों के सम्बन्ध में अपने स्वयं के दृष्टिकोण को उचित तरीके से नहीं रख सकेंगे, जब तक वे इस ज्ञान को समाज में जिए गए अपने स्वयं के अनुभवों से नहीं जोड़ पाएँगे, तब तक ज्ञान महज सूचनाओं के निचले स्तर तक ही बना रहेगा।

अगर हम इस बात की जाँच करना चाहते हैं कि हासिल किया गया ज्ञान सामुदायिक जीवन के मविष्य के दृष्टिकोण से किस प्रकार सम्बन्धित है तो इस पर चिन्तन करना महत्वपूर्ण है कि किसी चीज के बारे में जानने का तात्पर्य क्या है और उस चीज के बारे में हासिल किए गए ज्ञान का उपयोग भविष्य के लिए एक दृष्टि का निर्माण करने में कोई व्यक्ति किस प्रकार कर सकता है। उदाहरण के लिए, किशोर लड़कों की निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं पर विचार कीजिए। ये प्रतिक्रियाएँ इसकी व्याख्या करती हैं कि पुरुषत्व की निर्मितियाँ किस प्रकार न सिर्फ लड़कियों का, बल्कि लड़कों का भी दमन करती हैं : "मुझे बहुत पहले ही इस बात का अहसास हो गया था कि कठोर प्रकार के लड़कों (tough boys) में मेरी ज्यादा रुचि नहीं है क्योंकि मुझे लगता था कि वे अनाप-शनाप ही बकते रहते थेकू सामने आने पर लोग बहुत आक्रामक होने का नाटक करते थे। यह कुछ ऐसी चीज थी, जिसे मैं पसन्द नहीं करता था, यह सारा कुछ बनावटी और नकली ही होता था। वास्तव में आप जान ही नहीं सकते थे कि वे कहाँ से आ रहे हैं। एक पल वो आपके दोस्त हो सकते थे और बिल्कुल अगले ही पल वो आपके दोस्त नहीं हो सकते थे और मुझे ऐसे लोगों के साथ रहना पसन्द नहीं था।" पुरुषत्व के वैकल्पिक और अधिक मानवीय, अधिक यथार्थवादी ढाँचे (frameworks) को किस तरह होना चाहिए? जाहिर है, कि ऐसे स्पष्ट स्वर, शिक्षार्थियों द्वारा सीखे जाने वाले मूल्यों पर बिना किसी शिक्षाप्रद बातचीत के, निर्धारित जेण्डर भूमिकाओं पर सवाल उठाने की सम्भावनाएँ उत्पन्न करते हैं। इसमें एक शिक्षणशास्त्रीय दृष्टिकोण निहित है जो शिक्षार्थी को उसकी अपनी शिक्षण प्रक्रिया में एक सक्रिय सहभागी के रूप में केन्द्र में रखता है। यह शिक्षार्थी के स्टैण्डप्याइण्ट को प्रामाणिक बनाता है। यह इस बात का संज्ञान लेता है कि शासन के सम्बन्धों द्वारा निर्धारित की गई यथार्थ की सामाजिक निर्मितियों और इस यथार्थ के साथ शिक्षार्थी के अपने अनुभवों के बीच विरोधाभास है। आदर्शों को या मुख्यधारा की निर्मितियों (main stream construction) को जिस प्रकार हम पाठ्यपुस्तकों में पाते हैं, वे आदर्श या निर्मितियाँ उस थोड़े-से अलग तरीके की समझ पर विचार नहीं करतीं, जो अपनी दुनिया के बारे में किसी बच्चे को होती है। इस प्रकार नारीवादी विद्वता विश्लेषण के दो स्तरों पर आधारित है और उन्हें आपस में सम्बन्धित करती है : संरचना और अमिकरण। संरचना उन सामाजिक संस्थाओं और सांस्कृतिक व्यवहारों को देखती है जो जेण्डर असमानताओं को उत्पन्न करते हैं, उन्हें बनाए रखते हैं तथा दमन की अन्य व्यवस्थाओं से इन जेण्डर असमानताओं को जोड़ते हैं। अमिकरण पर किया जाने वाला फोकस व्यक्तिगत रूप से महिलाओं द्वारा की जाने वाली अपने अनुभवों की अमिव्यक्ति का सम्मान करता है तथा यह वैयक्तिक आत्म-प्रतिनिधित्व और व्यक्तिगत स्वर को शामिल करता है। इस प्रकार नारीवादी विद्वता "अवस्थित ज्ञान" (situated knowledge) के महत्व को इस तरीके से सामने रखती है, जहाँ ज्ञान और इस ज्ञान को जानने की विधियाँ किसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सन्दर्भ के लिए विशिष्ट होती हैं तथा ज्ञान के कर्ता/उत्पादक के स्टैण्डप्याइण्ट को उत्पादित किए गए ज्ञान की अन्तर्वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता। भारतीय सन्दर्भ में, अलग-अलग सन्दर्भ में सामाजिक संरचनाएँ निरन्तर गतिशील

हैं। अनेक कारणों से होने वाला विस्थापन, रोजगार के अवसर, उपभोक्तावाद की वृद्धि, बेहतर गुणवत्तायुक्त जीवन की चाहत ने हमारे समाज की विद्यमान सामाजिक और वर्गीय संरचना पर उल्लेखनीय प्रभाव डाला है। अब कोई बहुत दृढ़ विभाजन नहीं है क्योंकि हमारे परिदृश्य के आर-पार समुदायों में क्षैतिज और ऊर्ध्ववाधर गतिशीलता दिखायी पड़ती है। दुनिया को देखने का नजरिया और आकांक्षाएँ अब स्थिर या गतिहीन नहीं रही हैं। मीडिया ने भी बच्चों को बहुत उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित किया है। इसलिए स्टैण्डपवाइण्ट थियरी को समकालीन भारत के ग्रामीण और शहरी सन्दर्भों के बदलते परिदृश्य में समझना आवश्यक है। भारत के कुछ राज्यों में पाठ्यपुस्तकों ने अपनी अन्तर्वस्तु को प्रारम्भिक स्तर पर उन विषयों के साथ सन्दर्भोक्त किया है, जिनसे बच्चे आसानी से खुद को जोड़ पाएँ। हालाँकि, जैसाकि पहले सुझाव दिया जा चुका है, बदलते परिवारों की गतिकी का परीक्षण भी किया जा सकता है।

6.8.1 विविधता और अन्तरप्रतिच्छेदनीयता (Intersectionality)

जेम्स चूँकि जाति, वर्ग, धर्म और समुदाय के प्रतिच्छेदन पर अवस्थित होता है, इसलिए जेम्स को यह ताकत मिल जाती है कि वह सामाजिक अनुभवों की विविधता को स्वीकार कर सके। इसके अतिरिक्त नारीवादी विद्वता तर्क देती है कि जेम्स सम्बन्धों का अनुभव जेम्स और अन्य असममित (asymmetric) व्यवस्थाओं के बीच के सम्बन्धों को समझने के लिए एक आधार का निर्माण करता है। सामाजिक अन्वेषण में प्रजाति, वर्ग, नृजातीयता और संस्कृति के साथ-साथ जेम्स पर विचार करना महत्वपूर्ण है क्योंकि एक संकल्पनात्मक श्रेणी के रूप में जेम्स सम्बन्धों के उस जटिल संजाल को पूर्णतः आच्छादित नहीं करता, जो संजाल सामाजिक यथार्थ में किसी व्यक्ति की अवस्थिति को निर्धारित करते हैं। जेम्स विश्लेषण किसी निर्वर्त में काम नहीं करता - यह हमेशा जाति, वर्ग, धर्म व नृजातीयता के सन्दर्भ में तथा ग्रामीण-शहरी खाई के सम्बन्ध में कार्य करता है। काल और स्थान के हिसाब से जेम्स सम्बन्ध बहुत विशिष्ट और निरन्तर परिवर्तनशील संरचनाओं में अभिव्यक्त होते रहते हैं। जेम्स के मुद्दों को विविधतापूर्ण और अधिक यथार्थवादी ढाँचों के भीतर संरचित किया गया है। ये ढाँचे विभिन्न बलों की अन्तरप्रतिच्छेदनीयता पर विचार करते हैं। जेम्स के दृष्टिकोण से देखें तो "विविधता में एकता" का अत्यधिक लोकप्रिय विचार बहुत ही सीमित और सतही प्रकृति का लगता है क्योंकि यह विविधता के अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों से दूर ही रहता है और खुद को यह यहीं तक सीमित रखता है कि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में लोगों का खान-पान कैसा है, या विभिन्न समुदायों में पर्व और त्यौहार किस तरह मनाए जाते हैं। जीने और होने के ऐसे अन्य विविध मुद्दों को शायद ही कभी प्रतिनिधित्व मिलता हो जो लोगों के जीवन के अभिन्न अंग हैं। और हो सकता है कि ऐसे मुद्दों को कभी-कभार प्रतिनिधित्व मिल भी जाता हो, लेकिन इस पर चर्चा तो नहीं ही की जाती। वास्तव में, पिछला प्रमुख नीतिगत दस्तावेज इस बात पर जोर देने की बजाय कि बच्चे विविधता के मुद्दों को समझें और उन मुद्दों के साथ संलग्न हो सकें, विविधता के कुछ पहलुओं की निन्दा तक करता है। इन कुछ पहलुओं में शामिल हैं - "एकल अभिभावक, बिना विवाह के चलने वाले सम्बन्ध वगैरह"। इन पहलुओं को संयुक्त परिवार की व्यवस्था के सामने रखकर इनकी बुराई की जाती है। इनकी यह कहकर बुराई की जाती है कि इस तरीके के पहलू "तकनीकी रूप से अलग-थलग रहने की जीवनशैली" के कारण विकसित हुए हैं, कि यह अलग-थलग रहना इसलिए घटित हुआ है क्योंकि समाज के सम्प्रान्तवर्गीय सदस्यों की दूरी "धार्मिक-दार्शनिक प्रवृत्ति" वाले लोगों से ज्यादा बढ़ गयी है, कि इन सम्प्रान्तवर्गीय लोगों को "अतीत की विरासत की समझ" नहीं है। इन चीजों की बजाय यह दस्तावेज, जमीनी सच्चाई को समझे बिना, एक सरलीकृत-सी "एकजुटता" की वकालत करता है। स्पष्ट है

कि ऐसी आधिकारिक घोषणाओं में समाज के निर्धन, ग्रामीण और हाशियाकृत वर्गों के जीवन की कठोर सच्चाइयों के ज्ञान का अभाव होता है। हमारे सन्दर्भ में जिन विविधताओं को जिया जाता है, उनके बारे में यह महत्त्वपूर्ण है कि विभिन्न समूहों के परिप्रेक्ष्यों से बच्चों को परिचित कराया जाए और इसी तरह इन विभिन्न समूहों के जेण्डरीकृत स्टैण्डपवाइण्डस से भी बच्चों को परिचित कराया जाए। पाठ्यपुस्तकें विरले ही आर्थिक गतिविधियों के उन विविध रूपों का प्रतिनिधित्व कर पाती हैं, जिनमें लोग लगे हुए हैं। विद्यालय की पाठ्यपुस्तकों में किसानों, थिकित्सकों, अध्यापकों, नर्सों, श्रमिकों, दुकानदारों और ज्यादा से ज्यादा बैंकरों को ही प्रतिनिधित्व प्राप्त हो पाता है। अन्य व्यवसायों को पाठ्यपुस्तकों में शायद ही किसी चित्र में दिखाया जाता हो और वे पाठ्यपुस्तकों की अन्तर्वस्तु में या पाठ्य सामग्री में भी शामिल नहीं होते। इसमें छिपी हुई मान्यता यह है कि ग्रामीण इलाकों में खेती-किसानी ही एकमात्र आर्थिक गतिविधि है और शहरों में सिर्फ पेशेवर लोग (professionals) ही बसते हैं।

6.7 जेण्डर और ज्ञान-निर्माण

एक सामान्य व्यवहार के रूप में ज्ञान-निर्माण में जेण्डर से सम्बन्धित पूर्वाग्रह निम्नलिखित रूपों में पहचाने गए हैं - अदृश्यता, रूढ़िवादिता, असन्तुलित चयनात्मकता, आभासीपन, खण्डीकरण/अलगाव, भाषागत पूर्वाग्रह, दृश्यगत पूर्वाग्रह और श्रृंगारिक पूर्वाग्रह।

अदृश्यता

अदृश्यता तब घटित होती है जब नर या मादा किसी जेण्डर को कार्य में शामिल नहीं किया जाता। अदृश्यता की पहचान समस्त कार्य की समीक्षा हो जाने के बाद ही की जा सकती है। यह दर्शाने के लिए कि कोई खास जेण्डर समस्त कार्य में शामिल नहीं किया गया है, पाठ से यादृच्छिक नमूने ले लेना ही पर्याप्त नहीं होगा। सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में अदृश्यता का पाया जाना एक आम परिघटना है। इन पाठ्यपुस्तकों में महिलाओं की भूमिका को शामिल न करने की घटनाएँ बहुत आम होती हैं।

रूढ़िवादिता

रूढ़िवादिता तब घटित होती है जब विशेषताओं का एक कठोर समुच्चय पाठ में, किसी जेण्डर की "पारम्परिक" भूमिकाओं की पुष्टि करते हुए, उस जेण्डर को सौंप दिया जाता है। ये स्टीरियोटाइप नर को सक्रिय, दृढ़ और जिज्ञासु के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जबकि नारी को निर्भर रहने लायक, अनुकूलता या समायोजन करने वाली और आज्ञाकारी के रूप में पेश किया जाता है।

असन्तुलित चयनात्मकता

दर्ज की जा रही घटनाओं की चयनात्मक व्याख्या के द्वारा सामग्रियों की प्रस्तुति में जो असन्तुलन होता है, उसे असन्तुलित चयनात्मकता कहा जाता है। पाठ्यपुस्तकें कभी-कभी किसी मुद्दे की, किसी स्थिति की या लोगों के किसी समूह की केवल एक ही व्याख्या प्रस्तुत करती हैं। इस प्रकार, अलग-अलग परिप्रेक्ष्यों की उपेक्षा करते हुए, पाठ्यपुस्तकें जटिल मुद्दों को सरलीकृत कर देती हैं और उन्हें विकृत कर देती हैं। इसका परिणाम विकृत यथार्थ भी हो सकता है।

आभासीपन

आभासीपन स्वभाव में असन्तुलन की तरह है। यह तब घटित होता है जब लेखक विवादित मुद्दों से बचने का चुनाव करता है या जब वह बड़े जटिल मुद्दों को घटाकर उन्हें

सरल मुद्दों के स्तर पर ले आता है। भेदभावों, उत्पीड़नों और असमानताओं पर की जाने वाली चर्चाओं को जब बीते दिनों के अवशेष बताकर उन्हें खारिज किया जाता है तो असल में इसे इस रूप में देखा जा सकता है कि यह विद्यार्थियों को आभासीपन की तरफ ले जाने वाला व्यवहार है। इसी तरह, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक गतिविधियों में महिलाओं के संलग्न रहने के बावजूद उन्हें इस रूप में चित्रित करना कि वे अनुत्पादक गतिविधियों में संलग्न हैं, आभासीपन की तरफ ले जाता है।

खण्डीकरण/अलगाव

खण्डीकरण/अलगाव तब घटित हो सकता है जब अपने अध्ययन में महिलाओं या अल्पसंख्यकों को शामिल करने के लिए लेखक, सम्पादक और/अथवा प्रकाशक महिलाओं पर एक अतिरिक्त अध्याय अलग से जोड़ते हैं। अलगाव किसी समूह को और उस पर आधारित विषयों (topics) को परिधीय रूप में प्रस्तुत करता है तथा उन्हें मुख्य पाठ की तुलना में कम महत्वपूर्ण चीज के रूप में सामने रखता है। अध्ययन सामग्री को देखकर इसके स्पष्ट रूपों की और कुछ कम स्पष्ट रूपों की भी खोजबीन की जा सकती है।

भाषागत पूर्वाग्रह

भाषा पूर्वाग्रह को आगे ले जाने का एक शक्तिशाली जरिया हो सकती है - ऐसा वह प्रत्यक्ष सूक्ष्म, दोनों तरीकों से कर सकती है। पुरुष और स्त्री दोनों प्रकार के पात्रों के व्यवहारों के सन्दर्भ में दोनों लिंगों या एक ही लिंग पर जब विमर्श किया जाता है, तब भाषागत पूर्वाग्रह के चलते अनुसन्धानकर्ता का इरादा यह अन्वेषण करने का हो सकता है कि महिलाओं के विमर्श में अधीनता को तथा पुरुषों के विमर्श में प्राधिकार और प्रभुत्व को स्पष्ट रूप से देखा जाए। ऐसा भी हो सकता है कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या परिवेश के कारण भाषागत पूर्वाग्रह की खोज की उपेक्षा हो जाए। भाषागत पूर्वाग्रह हमें इस रूप में भी दिखाता है कि पुरुष और स्त्री दोनों के मिश्रित श्रोताओं को सम्बोधित करते समय अक्सर केवल पुरुषवाचक पदों और सर्वनामों का प्रयोग धड़ल्ले से कर दिया जाता है। 'आदमी (man)', 'हमारे पूर्वज (forefathers)', 'मनुष्यता (mankind)' और 'व्यवसायी (businessman)' से लेकर अक्सर उपयोग किए जाने वाले सर्वनाम 'वह (he)' तक पूर्वाग्रह का यह भाषागत रूप महिलाओं की पूर्ण सहभागिता को और उनकी पहचान को नकारता है।

दृश्यगत पूर्वाग्रह

दृश्यगत पूर्वाग्रह किसी अध्ययन सामग्री या कार्य में चित्रों और प्रदर्शनों को तथा पुरुषों की तुलना में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के अनुपात को सन्दर्भित करता है। यह भी सम्भव है कि दृश्यगत चित्रों में असमानता के अलावा रुढ़िवादिता भी शामिल हो।

शृंगारिक पूर्वाग्रह

शृंगारिक पूर्वाग्रह 'न्यायसंगतता के भ्रम' को प्रस्तुत करता है। यह पूर्वाग्रह विविध समूहों के सभी सदस्यों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने वाले आकर्षक आवरण चित्रों, तस्वीरों या पोस्टरों से आगे जाकर भी विद्यमान रहता है। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि कोई पाठ्यपुस्तक महिला वैज्ञानिकों के चमकदार चित्रों को प्रस्तुत करती हो, लेकिन महिलाओं के वैज्ञानिक योगदानों के बारे में पाठ के स्तर पर यह बहुत कम सामग्री प्रस्तुत कर सकती है।

गतिविधि 1

पर्व-त्यौहार या उत्सव से सम्बन्धित किसी अध्याय को पढ़ाए जाते समय अपनी कक्षा में इस बात पर चर्चा कीजिए कि क्या वह अध्याय उस पर्व-त्यौहार या उत्सव में महिलाओं और पुरुषों की सहभागिता को यथार्थपरक ढंग से व्याख्यायित करता है। शिक्षार्थियों से कहिए कि वे इस विषय पर अपने विचार रखें कि किसी पर्व-त्यौहार या उत्सव के सम्बन्ध में पुरुषों और महिलाओं के अनुभव किस प्रकार अलग-अलग होते हैं और ये अनुभव क्यों अलग-अलग होते हैं।

6.8 शास्त्रगत की 'नारीवादी आलोचना' द्वारा प्रदत्त अन्तर्दृष्टि

'नारीवादी' शब्द का प्रयोग ऐसे सभी विचारों और ऐसे सभी लोगों के सन्दर्भ में किया जाता है जो महिलाओं की अधीनता को सम्बोधित करना चाहते हैं और इस अधीनता को समाप्त करना चाहते हैं। अनेक स्वीकृत परिभाषाओं को चुनौती देने में नारीवादी आलोचनाएँ पिछले दो दशकों में राष्ट्रीय के साथ-साथ वैश्विक स्तरों पर भी कारगर रही हैं। इन नारीवादियों आलोचनाओं ने पारम्परिक रूप से अब तक बहिष्कृत रहे मुद्दों, जैसे - जेण्डर के मुद्दों तथा जाति, वर्ग, प्रजाति और नृजातीयता से सम्बन्धित अन्य सामाजिक असमानताओं के मुद्दों, के साथ आलोचनात्मक वचनबद्धता दिखाई है और इस प्रकार इन नारीवादी आलोचनाओं ने विभिन्न अनुशासनों में ज्ञान के मौजूदा दायरों का विस्तार किया है। बौद्धिक स्तर पर, विचारों को स्थापित करने के लिए कोई आलोचक अनेक चुनौतियों को अपने दायरे में लेता है। इन चुनौतियों में शामिल हैं - शक्ति और श्रेणीतन्त्र की प्रकृति के सम्बन्ध में अन्तर्दृष्टियाँ, श्रम के लैंगिक विभाजन के महत्व का विश्लेषण, निजी और सार्वजनिक के बीच का विभेद, और महिलाओं के अनुभवों का पुनःमूल्यांकन।

दूसरी तरफ, जेण्डर और पाठ्यक्रम के बीच के सम्पर्कसूत्र बहुत जटिल और चुनौतीपूर्ण हैं। ज्ञान का अर्जन करने में विद्यालय की पाठ्यपुस्तकें एक महत्वपूर्ण घटक की भूमिका निभाती हैं और जब तक पाठ्यक्रम में अन्य हाशियाकृत परिप्रेक्ष्यों के साथ-साथ एक जेण्डरीकृत परिप्रेक्ष्य का समावेश नहीं किया जाएगा, तब तक विद्यालयी शिक्षा संकीर्ण पूर्वाग्रहों का पुनरुत्पादन करती रहेगी। इसलिए इस बात का संज्ञान लेना महत्वपूर्ण है कि नारीवादी अध्येताओं द्वारा चाहे जितना भी काम क्यों न कर लिया जाए, जब तक पाठ्यक्रम में जेण्डर परिप्रेक्ष्य का समावेश नहीं किया जाएगा, तब तक हर पीढ़ी के बच्चों को वही पूर्वाग्रह बार-बार सीखने के लिए अभिशप्त रहना पड़ेगा जो समाज को समझने के नजरिये में आज भी विद्यमान है। इतना ही नहीं, ये बच्चे इन पूर्वाग्रहों की सीखकर इनका भविष्य में पुनरुत्पादन भी करते रहेंगे। इसलिए शास्त्रगत ज्ञान की नारीवादी रूपरेखा को हम किस प्रकार प्रगतिशील तरीके से सूचित, रूपान्तरित और चित्रित कर सकते हैं, इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए ज्ञान की नारीवादी आलोचनाओं के वृहत्तर सन्दर्भ को सम्बोधित करना अनिवार्य हो जाता है ताकि एक अधिक समावेशी और लोकतान्त्रिक पाठ्यक्रम के ढाँचे को चित्रित किया जा सके। इसका संकेत विभिन्न ज्ञानशास्त्रों में प्रारम्भिक 'अदृश्यता' और महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को सम्बोधित करने की तरफ ही नहीं है, बल्कि उस तरीके की तरफ भी है कि कब और किस तरीके से ये चीजें ज्ञानानुशासनों में प्रवेश कर जाती हैं। इसके अतिरिक्त इसका इशारा जाति, वर्ग, प्रजाति, नृजातीयता और जेण्डर की प्रतिस्पर्धी असमानताओं के बीच के अन्तरसम्बन्धों की तरफ भी है। इन सबके अलावा इससे हमें यह संकेत भी मिलता है कि सच्चा ज्ञान सामाजिक रूपान्तरण के लक्ष्य को साथ लेकर चलता है और यह मुक्तिप्रदायक होता है।

इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति - चाहे वह व्यक्ति अध्यापक हो, पाठ्यपुस्तक का लेखक हो या विद्यार्थी हो - प्रभुत्व और पराधीनता के उस जटिल श्रेणीतन्त्र के सन्दर्भ में, जिसमें हम रहते हैं, खुद को रखते हुए पाठ को जागरूकता के साथ पढ़ें, लिखें और उससे सम्बन्ध स्थापित करें।

इतिहास

इतिहास का क्षेत्र पारम्परिक रूप से शक्ति से - घटनाओं की शक्ति से और उन लोगों की शक्ति से जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने दुनिया पर प्रभाव डाला है - सम्बन्धित रहा है। इसीलिए इतिहास में पुरुषों की अधिकांश श्रेणियों को और लगभग सभी महिलाओं को बहिष्कृत कर दिया गया क्योंकि अधिकांश मनुष्य शक्ति के अधीन रहे और बहुत ही कम मनुष्यों के हाथ में शक्ति रही। इसलिए पारम्परिक इतिहास ने अधिकांश लोगों को हाशिये पर धकेल दिया और ऐसे इतिहास का जेष्ठर पूर्वाग्रह आन्तरिक रूप से लगभग स्वाभाविक ही बना रहा। हालाँकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं को शामिल करने के लिए पिछली शताब्दी के दौरान इस सीमित ढाँचे को विस्तृत किया गया। इसके साथ ही इसमें ऐसे विचार भी शामिल किए गए, जिन्हें हम 'निचले स्तर से आने वाला इतिहास' या जन-इतिहास कहते हैं। इन नई प्रगतियों के कारण फोकस परिवर्तित होकर अब किसानों, श्रमिकों, आदिवासियों और दलितों पर तो आ गया, लेकिन दुर्भाग्य से अब भी महिलाओं को यान्त्रिक तरीके से पुरुषों से नीचे रखते हुए उनके बहिष्करण को जारी रखा गया। 'महिला को शामिल करो और तहलका मचाओ' वाला नजरिया खासकर महिलाओं के सन्दर्भ में असन्तोषजनक रहा है क्योंकि यान्त्रिक रूप से सिर्फ यह गिना भर देने से कि रजिया बेगम, नूरजहाँ या रानी लक्ष्मीबाई जैसी महिलाएँ भी मौजूद रही हैं, जिन्होंने अनेक अवसरों पर सत्ता अपने हाथ में ली है और बेहतर प्रदर्शन किया है, या यह गिना देने से कि अमुक-अमुक महिलाओं ने आन्दोलनों में हिस्सा लिया था, या यह गिना देने से कि अमुक-अमुक महिलाओं ने खेती-किसानी के कामकाज किए या बर्तन बनाने में मदद की वगैरह-वगैरह इस तरह गिना भर देने से केवल इसी बात को मजबूती मिलती है कि महिलाओं ने बहुत ही कम किया है। अंशतः यह इस कारण भी होता है कि स्रोतों ने या तो बहुत कम पुरुषों की भूमिकाओं पर और उनसे भी कम महिलाओं की भूमिकाओं पर जोर देते हुए इतिहास के पूर्वाग्रहों को प्रतिबिम्बित किया होता है या फिर एक ही साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन से महिलाओं की भूमिकाओं को बाहर कर दिया गया होता है।

इसलिए नारीवादी इतिहासकारों ने तर्क दिया है कि जब तक श्रम का लैंगिक विभाजन बना रहेगा और जब तक इसके समवर्ती निजी/सार्वजनिक के विभाजन की रचना होती रहेगी और इससे सम्बद्ध मूल्यों का श्रेणीतन्त्र बनाया जाता रहेगा, तब तक इतिहास के किसी भी लेखे-जोखे में महिलाएँ हाशियाकृत ही बनी रहेंगी। इसलिए खाद्य और वस्तुओं के उत्पादन में महिलाओं की सहभागिता को रेखांकित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन जाहिर है कि इतना ही पर्याप्त नहीं होगा। यह उल्लेखनीय है कि खाद्य और वस्तुओं के उत्पादन में महिलाओं की भूमिका को नजरअन्दाज किया गया है क्योंकि संसाधनों पर महिलाओं का स्वामित्व नहीं होता और उनके कार्य को पुरुषों के कार्य के अन्तर्गत ही मान लिया जाता है। इसलिए इतिहास के ढाँचे में जब तक क्रान्तिकारी बदलाव नहीं हो जाता, जब तक इसे महज उत्पादन के इतिहास से विस्तृत करके इसमें सामाजिक पुनरुत्पादन के इतिहास को भी शामिल नहीं कर लिया जाता, जब तक इसमें घर-परिवार के पुनरुत्पादन को सम्मिलित नहीं कर लिया जाता और अधिक व्यापक रूप में कहें तो जब तक इसमें श्रमबल, मानव और सांस्कृतिक संसाधनों के पुनरुत्पादन को शामिल नहीं कर लिया

जाता, तब तक इतिहास में महिलाओं को कभी भी उपयुक्त तरीके से नहीं दर्शाया जा सकेगा, तब तक उन्हें इस तरीके से नहीं प्रस्तुत किया जा सकेगा जो उनके कार्य, उनके जीवन और उनके अनुभवों की समग्रता के साथ न्याय करता हो।

भूगोल

भारत में भूगोल का नर-केन्द्रित (androcentric) बने रहना जारी है। इस संकीर्ण दृष्टि की जड़ें एक ज्ञानानुशासन के रूप में, आंशिक रूप से भूगोल के विकास के बौद्धिक इतिहास में निहित हैं। न सिर्फ भारत में ऐसा है, बल्कि अंग्रेजी जगत (Anglo-Saxon World) में भी ऐसा ही है, जिसका भारतीय भूगोल पर लम्बे समय से प्रभुत्व चला आ रहा है। अंग्रेजी जगत तो फिर भी इस मामले में कुछ आगे बढ़ गया है और वहाँ पर अलग से भूगोल की एक शाखा विकसित की गयी है, जिसे जेम्स का भूगोल या नारीवादी भूगोल कहा जाता है लेकिन भारतीय भूगोल इस सन्दर्भ में अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। इस समस्या के एक हिस्से का समाधान तो अब तक नहीं हो सका है कि भूगोल क्या है और भूगोल क्या नहीं है। इसमें भी इस पहलू पर अपेक्षाकृत अधिक जोर दिया जाता है कि भूगोल क्या नहीं है। इसके कारण महिलाओं को भूगोल की एक विषयवस्तु के रूप में शामिल करने से समस्या खड़ी हो जाती है। खासकर विद्यालय और स्नातक के स्तर पर यह समस्या और गहरी हो जाती है। भूगोल के अध्यापन और अनुसन्धान के सन्दर्भ में, यह समस्या और भी अधिक चिन्ताजनक हो जाती है जब हम पाते हैं कि अन्य जगहों पर सिद्धान्त और उन पर किया जाने वाला अमल बहुविषयी और अन्तर्विषयी दृष्टिकोणों से आगे बढ़कर परा-विषयी (trans-disciplinary) दृष्टिकोण तक पहुँच चुका है। भारतीय भूगोल में वर्णनात्मक प्रकृति के ऐसे अनुसन्धान को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रही है, जिसे एक ऐतिहासिक परम्परा के रूप में आनुभविक आँकड़ों को एकत्रित करके सम्पन्न किया जाता है। इस परम्परा की जड़ें औपनिवेशिक काल में रही हैं, जिसके अन्तर्गत व्यापक प्रतिवेदन, गजेटियर और रिकॉर्ड रखने की प्रणाली आदि आते हैं।

इसके अतिरिक्त भौतिक, क्षेत्रीय और सामाजिक-सांस्कृतिक विमर्श एक-दूसरे से स्वतन्त्र रूप से आगे बढ़ते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि जमीनी वास्तविकताओं को शायद ही कभी इस रूप में देखा गया कि वे मानवीय गतिविधियों को अनावृत करने वाली पृष्ठभूमि उपलब्ध करा सकती हैं। यहाँ तक कि स्पेट द्वारा भारत के भूगोल पर किया गया अध्ययन और इसका अनुसरण करने वाले अन्य अनेक क्षेत्रीय अध्ययन इन सीमाओं से मुक्त नहीं थे क्योंकि इनमें पाण्डित्यपूर्ण वर्णन तो मौजूद थे लेकिन इन वर्णनों में भौतिक और क्षेत्रीय भूगोल को वृहत्तर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के साथ किसी पारस्परिक अन्तःक्रियात्मक ढाँचे के अन्तर्गत सम्बद्ध नहीं किया गया था। पश्चिम में प्रत्यक्षवादी परम्परा के बाद जो मात्रात्मक क्रान्ति आयी, वह भी अन्तर्िक्ष में व्याप्त प्रक्रियाओं की समझ से कटी हुई थी। जिन आँकड़ों को एकत्रित किया गया था वे ऐसे गुणों वाले थे, जिन्हें आसानी से मात्राबद्धीकृत किया जा सके। ऐसा शायद भूगोल को मानवीय (homothetic) की बजाय एक भावचित्रात्मक (ideographic) विषय मानने की, पहले से बनी हुई, बौद्धिक समझ के कारण था। इस पर भी, व्यापक स्तर पर मानवता के लिए बोलने वालों में पुरुष ही होते थे और ऐसा इसके बावजूद हुआ कि खानाबदोशी और यायावरी से लेकर स्थिर जीवन आने तक ऐतिहासिक रूप से संक्रमण के मोर्चे पर महिलाएँ ही सामने रहीं। निश्चित ही, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महिलाएँ घर-परिवार और चूल्हे-चौके के निजी क्षेत्रों तक ही सीमित रहती थीं जबकि घर से बाहर का क्षेत्र पुरुषों से सम्बद्ध था। घर और बाहर जैसे इस तरीके के द्वि-विभाजन की अनुपयुक्तता की तरफ और सार्वजनिक व निजी के बीच के विभाजन की तरलता की तरफ अध्येताओं ने इशारा किया है। विद्वानों ने इसका भी उल्लेख किया है कि पुरुषों और महिलाओं के

बीच श्रम के विभाजन के कारण महिलाएँ अपने पर्यावरण का अनुभव पुरुषों की तुलना में अलग तरीके से कर सकती हैं। पर्यावरण पर होने वाली चर्चा और प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण के महिलाओं और पुरुषों पर अलग-अलग तरीके से पड़ने वाले प्रभावों पर होने वाली चर्चा इसका अच्छा उदाहरण है क्योंकि वन-आधारित अधिकांश अनीपचारिक गतिविधियाँ अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए महिलाओं द्वारा ही सम्पन्न की जाती हैं। महिलाओं की शारीरिक और सामाजिक गतिशीलता सीमित होने के कारण भी प्राकृतिक और निर्मित पर्यावरण से महिलाओं का आमना-सामना सीमित हो सकता है और ऐसे पर्यावरण के साथ उनकी अन्तःक्रिया सीमित हो सकती है। इसका परिणाम यह होता है कि महिलाओं को एक बिल्कुल अलग ही तरीके की दुनिया के अनुभव होते हैं। भारत में अनेक हालिया विकासात्मक प्रतिवेदन बताते हैं कि जिस तरीके की स्थानिक अवस्थिति में महिलाएँ रहती हैं, यह अवस्थिति किस प्रकार उनके सन्दर्भ में अन्तर पैदा करती है। यहाँ तक कि जीवन-प्रत्याशा (longevity) जैसे बुनियादी मामलों पर भी इस अवस्थिति का गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, केरल की कोई महिला मध्य प्रदेश की किसी महिला की तुलना में अठारह वर्ष अधिक जीने की सम्मीद कर सकती है, जबकि इन दोनों राज्यों की प्रति व्यक्ति आय का अन्तर ज्यादा नहीं है (कल्याणी मेनन-सेन और शिवा कुमार 2001, रस्तोगी 2003, अग्रवाल 1994 भी देखें)। हालिया समय तक लड़कों की तुलना में लड़कियों के जीवित रहने की सम्भावनाओं (लिंगानुपात) का प्रतिमान क्षेत्रीय आधारों पर अलग-अलग रहा है (एटकिंस और अन्य 1997, कुमार और अन्य 1997)। इतना सब कुछ होने के बावजूद भूगोलवेत्ता इस बात का संज्ञान लेने में पीछे रह गए कि किसी स्थान-विशेष के स्थानिक निहितार्थों का प्रभाव महिलाओं और पुरुषों पर अलग-अलग पड़ सकता है और महिलाओं का एक अपना अलग भूगोल भी सम्भव हो सकता है (राजू और अन्य 1999)। भारत में जिन्होंने भौगोलिक ज्ञान को पैदा किया, वे पुरुष ही थे। महिलाओं के भूगोल पर एक आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य का आना अभी शेष ही है। फिर भी, व्यक्तिगत रूप से किए जा रहे और कुछ विश्वविद्यालयों के विभागों द्वारा (गोष्ठियों और कार्यशालाओं के माध्यम से) किए जा रहे हालिया अनुसन्धान, भले ही ये अनुसन्धान समग्र पहुँच और प्रभाव के मामले में छिटपुट और छोटे हों, इस सन्दर्भ में बौद्धिक विकास को स्पष्ट करते हैं कि अब वे वर्णनात्मक प्रतिमान (जो पुरुषों और महिलाओं द्वारा अलग-अलग लिए गए आँकड़ों पर आधारित होता है) से आगे बढ़कर महिलाओं को हाशिये पर धकेलने वाली प्रक्रियाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति के कारण और विकास प्रक्रियाओं की समझ को जेण्डर-समावेशी बनाने के अधिदेश (mandate) के कारण यह अनिवार्य है कि युवा पीढ़ी के सामने जेण्डरीकृत वंचना और हाशियाकरण के उन मुद्दों का प्रदर्शन व्यवस्थित तरीके से किया जाए, जिनका स्थानिक और क्षेत्रीय चरित्र भारत में अलग-अलग है।

अर्थशास्त्र

अर्थशास्त्र में तीन अलग-अलग सैद्धान्तिक ढाँचे पहचान योग्य हैं : नव-शास्त्रीय, पुराना (ऑर्थोडॉक्स) मार्क्सवाद और संस्थागत अर्थशास्त्र। इन तीनों में से नव-शास्त्रीय अर्थशास्त्र ही शासकों की आर्थिक कल्पना पर उल्लेखनीय जोर देता है और इसे ही विद्यालय की पाठ्यपुस्तकों में सम्बोधित किया जाता है।

पिछले दो दशकों के दौरान, ज्ञान की नारीवादी आलोचनाओं ने मानविकी और समाज विज्ञानों के पारम्परिक क्षेत्रों पर निस्सन्देह उल्लेखनीय प्रभाव डाला है। हालाँकि समाज विज्ञानों में मुख्यधारा के अर्थशास्त्र, जिसे नवशास्त्रीय अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, ने ही एक सामाजिक-सांस्कृतिक निर्मिति के रूप में जेण्डर के साथ संलग्न होने के प्रति सर्वाधिक प्रतिरोध का परिचय दिया है। इसने इसे स्वीकार करने के प्रति भी प्रतिरोध

जेण्डर और शिक्षणशास्त्रीय प्रथाएँ

दर्शाया है कि एक सामाजिक-सांस्कृतिक निर्मिति के रूप में जेण्डर का प्रभाव ज्ञान-निर्माण पर पड़ता है। यद्यपि इसने विद्वता के एक क्षेत्र के रूप में नारीवादी अर्थशास्त्र के सफल उभार को प्रतिबन्धित नहीं किया है, दुर्भाग्य से इसके समर्थक अपनी आलोचनाओं को प्रभावी तरीके से मुख्यधारा में लाने में सफल नहीं रहे। अर्थशास्त्र विशेष रूप से ज्ञान का एक ऐसा अनुशासन है जिसे सम्बोधित किया जाना जरूरी है क्योंकि आज भी यह वर्चस्वशाली ज्ञानानुशासन है। पिछली आधी शताब्दी से अधिक समय के दौरान अर्थशास्त्र ने अपने अध्ययन क्षेत्र का विस्तार उन विषयों तक किया है जो दूसरे ज्ञानानुशासनों के विषय हैं : राजनीति का अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त, शिक्षा का अर्थशास्त्र, और यहाँ तक कि अन्य विषयों के साथ-साथ विवाह और तलाक के विषयों तक भी इसने अपना विस्तार किया है। अर्थशास्त्र ने न सिर्फ अन्य ज्ञानानुशासनों में प्रवेश किया है, बल्कि नीतिगत प्रक्रियाओं को सूचित करने में इसका उल्लेखनीय प्रभाव भी रहा है। इसलिए इस ज्ञानानुशासन की बुनियादी मान्यताओं पर सवाल उठाना अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को न सिर्फ अर्थशास्त्र के जेण्डर के प्रति जागरूक बनाना जरूरी है, बल्कि जेण्डर के अर्थशास्त्र के प्रति विद्यार्थियों में समझ विकसित करना भी बेहद महत्वपूर्ण है (फोले 1994, जैकबसन 1994)। पुरुषवादी पूर्वाग्रह चूँकि इस ज्ञानानुशासन में छिपे हुए रूपों में स्थापित है, इसलिए इस बात का अन्वेषण करना भी महत्वपूर्ण है कि जेण्डर के अन्तर, लैंगिकताएँ (sexes) के लिए, किस प्रकार अलग-अलग परिणाम उत्पन्न करते हैं। इन परिणामों को कमाई, आय, निर्धनता दरों, कार्य के घण्टों और अन्य रूपों में मापा जाता है, जिनका प्रयोग अर्थशास्त्री आर्थिक कल्याण को निर्धारित करने के लिए करते हैं। किसी व्यक्ति को 'परमाणुवत' रूप से एक व्यक्ति मान लेने की बजाय यह अधिक महत्वपूर्ण है कि उस व्यक्ति पर इस रूप में विचार किया जाए कि आर्थिक अभिकर्ता स्त्री हो सकते हैं या पुरुष हो सकते हैं और वे परिवारों के साथ-साथ कम्पनियों और बाजारों में भी इसी रूप में अन्तःक्रिया करते हैं (जैकबसन 1994)।

अर्थशास्त्र के जेण्डर का अन्वेषण करने के लिए तीन तरीके की आर्थिक जाँच-पड़ताल करनी आवश्यक है : i) दोनों लिंगों पर आधारित सैद्धान्तिक प्रतिरूप (models), ii) ऐसा आनुभविक अध्ययन जो दोनों लिंगों के बीच की समानताओं और अन्तरों को सम्बोधित करता है, और iii) आर्थिक नीतियों का विश्लेषण, जो अलग-अलग लिंगों को अलग-अलग तरीके से प्रभावित करती हैं। भारत के सन्दर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि विद्यालय के पाठ्यक्रम में जेण्डर और विकास के विमर्श से परिचय कराया जाए ताकि विद्यार्थियों की समझ बेहतर बन सके और वे इस बात का अन्वेषण कर सकें कि जेण्डर किस प्रकार वृहत्तर आर्थिक विकास के प्रक्षेप-पथ का एक संघटक है। ऐसा करके विद्यार्थी विकास के वैकल्पिक तरीकों को समझ सकते हैं (कबीर 1994, सेन 1997)। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर विद्यालय के पाठ आमतौर पर मौन रहते हैं लेकिन जेण्डर के मुद्दों का अन्वेषण करने के लिए ये क्षेत्र बहुत गम्भीर होते हैं। इन क्षेत्रों में शामिल हैं:

महिलाएँ और कार्य : पारम्परिक अर्थशास्त्रीय विश्लेषण की यह प्रवृत्ति रही है कि इसने महिलाओं द्वारा किए गए कार्यों के एक बड़े हिस्से को अदृश्य बना दिया है क्योंकि आर्थिक गतिविधि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाजार से जुड़ी रही है। कार्य की संकल्पना में उन्हीं गतिविधियों को शामिल किया जाता था, जिनसे आय का अर्जन होता था। यही हाल कृषि सम्बन्धी गतिविधियों के दौरान किए गए उस पारिवारिक कामकाज का भी रहा, जिसके लिए महिलाओं के कार्य को किसी प्रकार का कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता था। यद्यपि इस कार्य से बाजार के लिए वस्तुओं का उत्पादन होता था। ढेर सारी गतिविधियाँ ऐसी रही हैं, जिनके लिए महिलाओं को किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं मिलता, जैसे - परिवार की खपत के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना। ऐसी तमाम

गतिविधियों को आर्थिक रूप से कार्य नहीं माना गया। इसके अलावा घरेलू उत्पादन और स्वैच्छिक तरीके से महिलाओं द्वारा किए गए अनेक सामुदायिक कामों को भी आर्थिक रूप से कार्य नहीं माना गया। इस तरीके के कामों में महिलाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगा हुआ है और इसका परिणाम यह हुआ कि महिलाओं द्वारा किए गए कार्य को अदृश्य बना दिया गया और इस कार्य को सार्वजनिक गणना में बहुत ही कम महत्व दिया गया। इसके अतिरिक्त महिलाओं की गतिविधियों का अवमूल्यन इसलिए भी होता रहा क्योंकि 'आर्थिक' को परिभाषित करने में बाजार को ही केन्द्रीय मानदण्ड माना गया। यहाँ तक कि अगर महिलाएँ 'आर्थिक रूप से सक्रिय' हैं भी, तो भी वे श्रम-बाजार के ऐसे अलग क्षेत्रों में ही कार्य कर रही हैं, जिन्हें मुख्यतया 'स्त्रियोचित' क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में यह प्रवृत्ति भी होती है कि इनमें काम के बदले पारिश्रमिक बहुत कम मिलता है। महिलाओं के कार्य को प्रकट या दृश्यमान (visible) बनाने के लिए सैद्धान्तिक और आनुभविक स्तर पर अनेक चल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं। जीवन-निर्वाह के लिए की जाने वाली गतिविधियों को शामिल करने के लिए 1991 की जनगणना में कार्य की श्रेणी को विस्तारित किया गया और उस परदे को हटाया गया जो स्त्रियों द्वारा किए गए कार्यों के ऊपर पड़ा रहता था और उन कार्यों को ढककर उन्हें अदृश्य बना दिया करता था। हालाँकि 'देखभाल सम्बन्धी कार्यों' पर वाद-विवाद अभी भी जारी है और इन कार्यों से जुड़ी अर्थव्यवस्था अभी भी 'कार्य' के दायरे से बाहर ही है। अगर बच्चों को इस रूप में बड़ा करना है कि आगे चलकर वे संवेदनशील पुरुष और महिला बन सकें, तो यह आवश्यक है कि वे श्रम के लैंगिक विभाजन से जुड़े मुद्दों और बहसों के प्रति जागरूक रहें। चलेखनीय है कि श्रम के इस लैंगिक विभाजन को हम प्रायः प्राकृतिक मान लिया करते हैं।

घर-परिवार के भीतर की गतिविधियों का ध्यान रखना : घर-परिवार को विश्लेषण की बुनियादी सामाजिक-आर्थिक इकाई माना जाता है। खासतौर पर, अर्थशास्त्री घर-परिवार को इस रूप में देखते हैं कि यहाँ किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं मौजूद होता और यहाँ समरस संरचनाएँ मौजूद होती हैं। घर-परिवार को 'ब्लैक बॉक्स' के जिस मुहावरेदार अर्थ में नव-शास्त्रीय अर्थशास्त्री देखते हैं वह नजरिया घर-परिवार को ऐसी इकाइयों के रूप में स्वीकार करता है जहाँ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होता। यह नजरिया घर-परिवार को एक ऐसी सुरक्षित जगह के रूप में देखता है जहाँ परिवार के सदस्यों के पारस्परिक हितों की पूर्ति होती है और जहाँ घरेलू मामलों के लिए शीर्ष पर एक 'परार्थवादी' पितृसत्ता विराजमान होती है। यह 'परार्थवादी' पितृसत्ता घर-परिवार के नए अर्थशास्त्र की निर्मिति है (बेकर 1981)। चर्चा करते समय व्यक्तियों (individuals) और परिवारों को एक-दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है मानों व्यक्ति और परिवार एक ही तरह की इकाई हों, मानो ये दोनों एक ही इकाई हों। एक तरफ तो परिवार को, एक अन्य नाम से, एक ऐसे व्यक्ति (individual) की तरह मान लिया जाता है, मानो उसके अपने हित और तक्रर होते हों, और वहीं दूसरी तरफ व्यक्तिगत व्यवहार की व्याख्या यह कहकर भी दी जाती है कि व्यक्ति पारिवारिक हितों से प्रेरित होकर कार्य करता है और घरेलू आवश्यकताओं को प्रतिबिम्बित करता है (फोल्ब्रे 1986, वोल्फ 1990, कबीर 1994)।

समाजशास्त्र

भारत में समाजशास्त्र की पाठ्यपुस्तकों आमतौर पर दो भागों में विभाजित रहती हैं जो क्रमशः सैद्धान्तिक और तात्त्विक मुद्दों (substantive themes) पर विचार करती हैं। सैद्धान्तिक हिस्से के अन्तर्गत दुर्खाइम, मार्क्स और वेबर जैसे 'प्रवर्तक पिताओं' के बारे में सन्दर्भों का मौजूद होना अनिवार्य होता है। हालाँकि यह महत्वपूर्ण है कि इसमें महिला समाजशास्त्रियों के अवदानों को जोड़ा जाए, किन्तु फिर भी सिर्फ इतना जोड़कर ही,

जेम्बर और शिक्षणशास्त्रीय प्रथाएँ

सरलीकृत तरीके से, इस मुद्दे का समाधान नहीं किया जा सकता। जो चीज जरूरी है, वह है चिन्तकों का जेम्बरीकृत विश्लेषण। वास्तव में, जेम्बरीकृत समझ को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन भी इन चिन्तकों से जुटाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सैद्धान्तिक दृष्टिकोणों को रेखांकित करने वाली जेम्बरीकृत मान्यताओं पर अधिकांश पाठ्यपुस्तकों में विचार तो किया जाता है, लेकिन इन मान्यताओं पर सवाल नहीं उठाए जाते, जैसे - टैल्कोट पार्सन्स के संरचनात्मक प्रकायवाद पर सवाल नहीं उठाया जाता, यद्यपि लगभग सभी पाठ्यपुस्तकों में टैल्कोट पार्सन्स के इस सिद्धान्त पर विचार जरूर किया जाता है। तात्त्विक समाजशास्त्र के अन्तर्गत जिन चीजों पर फोकस किया जाता है, वे हैं - जाति, वर्ग, जनजाति, परिवार, संस्कृति जैसी संरचनाएँ तथा आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, संवेदीकरण/सुग्राहीकरण, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और हाल-फिलहाल की भूमण्डलीकरण जैसी प्रक्रियाएँ। न तो संरचनाएँ जेम्बरीकृत सत्ताएँ हैं और न ही प्रक्रियाएँ, परन्तु फिर भी इस तथ्य को अक्सर नजरअन्दाज कर दिया जाता है कि इन संरचनाओं और प्रक्रियाओं के अर्थ महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग होते हैं।

महिलाएँ समाज विज्ञानों में कुल मिलाकर गुम ही रही हैं, इसलिए समाज विज्ञानों में दृश्यता (visibility) बहुत महत्वपूर्ण रही है। लेकिन अगर हम कहें कि समकालीन भारतीय समाज में महिलाओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, तो यह तथ्य, भारतीय समाजशास्त्र में, आदर्श भारतीय समाज में महिलाओं की मानकीय स्थिति और उनकी भूमिका से एक विपथन होगा। इसे इस सन्दर्भ में समझा जाना चाहिए कि भारतीय समाजशास्त्र में "जमीनी सच्चाई वाले दृष्टिकोण (field view)" की बजाय "किताबी दृष्टिकोण (book view)" का प्रभाव अधिक रहा है। "किताबी दृष्टिकोण" अक्सर भारतीय विद्या (Indological) के परिप्रेक्ष्य के समान ही रहा है और इस ज्ञानानुशासन में "किताबी दृष्टिकोण" तथा "जमीनी सच्चाई वाले दृष्टिकोण" के बीच अन्तर स्पष्ट करने के लिए बहुत परिश्रम किया गया है। तब भी, अधिकांश पाठ्यपुस्तकों में इस अन्तर की कोई समझ नहीं दिखाई पड़ती। इस प्रकार, सामाजिक परिवर्तन की शक्तियों के नीचे ढहती हुई लेकिन भारतीय स्त्रीत्व के मूल्यों का खुलासा करती हुई ठेठ "भारतीय संयुक्त परिवार" की छवि उन समस्त आनुभविक अध्ययनों पर भारी पड़ती है जो समाजशास्त्रियों द्वारा परिवार के प्रतिमानों में क्षेत्रीय, जातिगत और जनजातिगत परिवर्तनों के सम्बन्ध में किए गए हैं। महिलाओं को परिवार, वंश और जाति की शुद्धता और प्रतिष्ठा के मुख्य प्रतीकों के रूप में मानते हुए हिन्दू महिलाओं की उच्च प्रस्थिति की प्रशंसा की गई है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है कि किसी महिला को एक व्यक्ति के रूप में तभी स्वीकार किया जाता है, जब वह अपने पति के परिवार में चली जाती है। पति के परिवार में सम्मिलित होने के बाद ही किसी महिला को एक सामाजिक इकाई माना जाता है और इस अवस्था में उसे मंगलकारी, सुमंगली (मंगलकारी महिला) और सौभाग्यवती (भाग्यवान महिला) माना जाता है। सुमंगली और सौभाग्यवती - ये दोनों शब्द केवल उस महिला के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जिसका पति जीवित हो। पाठ्यपुस्तकों में जेम्बर, जाति और श्रम के बीच के सम्बन्धों को स्पष्ट करने के लिए प्रतिष्ठा की विचारधारा की जेम्बरीकृत समझ को उदाहरण के लिए बहुत दूर तक आगे बढ़ाया जाता है। तब सम्मान-रक्षा के लिए की जाने वाली हत्याओं और यहाँ तक कि दहेज हत्याओं की अनेक घटनाओं को 'विपथन' या 'सामाजिक समस्याओं' की तरह देखने की बजाय समाजशास्त्रीय रूप से व्याख्यायित किया जा सकता है। ज्ञानानुशासन में 'दृश्यता के सवालों' के मुकाबले 'संज्ञानात्मक संरचनाओं पर सवाल उठाने' के प्रश्नों का विरले ही कभी अन्वेषण किया जाता है।

पारम्परिक रूप से माना जाता रहा है कि समाजशास्त्र में अध्ययन की विषयवस्तु विवाह, परिवार और नातेदारी है, प्रथाएँ और अनुष्ठान हैं, जहाँ महिलाओं की उपस्थिति की उपेक्षा

करना आसान नहीं है। इसलिए यह समस्या तो कभी रही ही नहीं कि इस ज्ञानानुशासन में महिलाएँ पूर्ण रूप से अनुपस्थित ही रही हों। वास्तव में समाजशास्त्र को एक आसान वैकल्पिक विषय के रूप में देखा जाता रहा है, एक ऐसे विषय के रूप में जो महिला विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो। इसलिए दृश्यता की धारणा को समस्याग्रस्त करने के लिए, इस इकाई में फोकस परिवार पर होगा। प्रासंगिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को परिवार और नातेदारी के अध्ययन में एक पुरुष की निगाह से और एक पुरुष के दृष्टिकोण से देखा गया है। इसलिए पितृरेखीयता को, चीजों के पिता में निहित होने को और कन्यादान जैसी प्रथाओं को स्पष्ट रूप से इस तरह प्रस्तुत किया गया है, मानो जेण्डर को लेकर ये प्रथाएँ बिल्कुल बेपरवाह ही हों। परिवार के आनुभविक पहलुओं की (जिनके साथ विद्यार्थीगण परिचित होते हैं) पूर्ण रूप से उपेक्षा की गयी है। उदाहरण के लिए, पितृरेखीय समाजों में विवाह के अवसर पर गाने के लिए जो विवाह गीत शामिल किए जाते हैं, वे एक अच्छी शिक्षणशास्त्रीय युक्ति हैं जिनकी सहायता से पितृरेखीयता (patriline) की और चीजों (patrilocality) के पिता में निहित होने की जेण्डरीकृत प्रकृति को समझाया जा सकता है, और यही हाल आमतौर पर कही जाने वाली उन कहावतों का भी है, जिन्हें मातृरेखीय समाजों में शामिल किया जाता है। अक्सर ही ऐसा होता है कि उत्तर भारतीय, उच्च जाति वाले, पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार के मानक को "भारत का मानक" बनाकर पेश किया जाता है। परिवार और नातेदारी की जो अन्य संरचनाएँ अलग-अलग क्षेत्रों में और जाति-वर्ग के श्रेणीतन्त्रों के आर-पार विद्यमान हैं, उन अन्य संरचनाओं के साथ भी समावेशी व्यवहार किया जाना आवश्यक है। इस इकाई में "समावेशी व्यवहार" शब्दों का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि इसके स्थान पर बहुधा "अन्य प्रथाएँ" शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है जिससे ऐसा लगता है मानो ये "अन्य" प्रथाएँ अजीब हों, विदेशी और अनोखी हों और मानो ये कम विकसित हों या वर्चस्वशाली समरूप मानकों के अवशेष हों। यह तो स्पष्ट है कि महिलाएँ परिवार और नातेदारी पर केन्द्रित अध्यायों में दृश्यमान (visible) होती हैं, लेकिन बुनियादी बिन्दु तो यह है कि समाजशास्त्र की मानक पाठ्यपुस्तकों में आमतौर पर यह चीज पूर्ण रूप से गायब रहती है कि सार्वजनिक और निजी एक-दूसरे से परस्पर सम्बन्धित हैं। महिलाओं को दृश्यमान बनाने का या स्टीरियोटाइप्ड हो चुकी जेण्डर भूमिकाओं पर सवाल उठाने का एक प्रचलित तरीका यह है कि सफल महिलाओं की कहानियाँ समाविष्ट कर दी जाती हैं या फिर लड़कों को घरेलू कामकाज जैसे विचित्र कामों को करते हुए दिखा दिया जाता है। खुद समाजशास्त्र की संज्ञानात्मक संरचना को चुनौती देना तो और भी अधिक कठिन है। समाजशास्त्र की किसी भी पाठ्यपुस्तक के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह परिवार और नातेदारी के समाजशास्त्र पर एक अध्याय को जरूर शामिल करे। उन्नीसवीं शताब्दी के सामाजिक आन्दोलन के विषयों में विधवाओं की दशा सुधारने का मुद्दा केन्द्रीय रहा था। आधुनिक इतिहास की शायद ही कोई ऐसी पुस्तक हो, जो इसका उल्लेख न करती हो। तब भी धर्म, जाति, परिवार, क्षेत्र, संस्कृति आदि विषयों पर दिए गए अध्यायों में विधवाएँ अदृश्य या अनुपस्थित रहती हैं। इस मामले में, यहाँ तक कि उन्हें दृश्यमान बनाना भी एक संज्ञानात्मक बेचौनी से कम नहीं होगा। दृश्यता के प्रश्नों को बेचैन करने के अलावा, इस चीज पर सवाल उठाना भी महत्वपूर्ण है कि महिलाओं पर "वंचित समूहों" या "सामाजिक समस्याओं" जैसे शीर्षकों के अन्तर्गत क्यों विचार किया जाता है। यह उस व्यापकतर समस्या को प्रतिबिम्बित करता है जहाँ जेण्डर को एक ऐसे अतिरिक्त अध्याय के रूप में समझा जाता है, जिस पर बातचीत करना आवश्यक हो। बाल-विवाह, वैधव्य, सती, बलात्कार, दहेज और पत्नियों पर अत्याचार जैसे मुद्दों को बिपथन ही माना जाता है, न कि इन्हें उन संरचनाओं और प्रक्रियाओं में केन्द्रीय माना जाता है जिनका अध्ययन समाजशास्त्र करता है। किसी जेण्डरीकृत समाजशास्त्र के लिए यह भी

जेण्डर और शिक्षणशास्त्रीय प्रथाएँ

आवश्यक है कि वह इन्हें सामाजिक व्यवस्थाओं के एक आन्तरिक अंग के रूप में अवस्थित करे। जेण्डरीकृत समाजशास्त्र के लिए, यह भी आवश्यक है कि वह व्यक्ति और समष्टि के बीच सम्पन्न सूत्र स्थापित करे और सार्वजनिक और निजी के बीच सम्बन्धसेतु बनाए। जेण्डर को समाज का एक संगठनात्मक सिद्धान्त होना चाहिए, न कि एक विषय (topic) - भले ही जाति या औद्योगीकरण पर, धर्म या भूमण्डलीकरण पर, आदिवासियों या मीडिया पर, बिना जेण्डर परिप्रेक्ष्य के ही, विचार क्यों न किया जा सकता हो। अन्ततः, यह महत्वपूर्ण है कि जेण्डरीकृत समाजशास्त्र की दिशा में किया गया कोई प्रयास जेण्डर-पदार्थवाद (gender essentialism) की तरफ नहीं ले जाता। अगर समाज विज्ञानों की भूमिका यह है कि वे एक आलोचनात्मक जागरूकता का विकास करें तो समाजशास्त्र को जेण्डरीकृत करना सही दिशा में एक उपयुक्त कदम होगा।

राजनीति विज्ञान

राजनीति विज्ञान का मुख्यधारा का ज्ञानानुशासन अभी भी संकीर्ण सन्दर्भों वाली राजनीति पर केन्द्रित रहा है - दलीय राजनीति और दल प्रणालियों पर, निर्वाचन और भारतीय समाज में अलग-अलग समूहों के बीच किए जाने वाले चुनावी गठबन्धन पर, संस्थाओं के रूपान्तरण आदि पर। सामाजिक आन्दोलनों का अध्ययन कुछ हद तक किया जाता है, खासकर दलित और महिलाओं के आन्दोलनों का, लेकिन इनका अध्ययन भी संस्थाओं और दलीय राजनीति के दृष्टिकोण से ही किया जाता है। उदाहरण के लिए, 73वें और 74वें सांविधानिक संशोधनों के माध्यम से महिलाओं के प्रतिनिधित्व का अध्ययन या व्यापक रूप से कहें तो आरक्षणों के माध्यम से किया जाने वाला प्रतिनिधित्व का अध्ययन। इस ठोँड़े के भीतर जेण्डर और नारीवादी सिद्धान्त अदृश्य हो जाया करते हैं। जेण्डर और राजनीति पर जो भी वर्तमान अध्ययन उपलब्ध हैं वे दूसरे ज्ञानानुशासनों से आए नारीवादी अध्येताओं द्वारा किए गए हैं - समाजशास्त्र से, अर्थशास्त्र से और इतिहास से आए हुए अध्येताओं द्वारा। यह स्वाभाविक है कि कोई व्यक्ति राजनीतिक सिद्धान्त के उप-क्षेत्र में उन नारीवादियों के मौजूदा समृद्ध विचारों से संलग्नता की उम्मीद करे, जिन्होंने सैद्धान्तीकरण का कार्य करते हुए मुख्यधारा के राजनीतिक सिद्धान्तकारों को चुनौती दी है। लेकिन यहाँ भी हालत यह है कि समकालीन राजनीतिक सिद्धान्त या पश्चिमी और भारतीय राजनीतिक चिन्तन के पूरे पाठ्यक्रम को बिना किसी नारीवादी समझ के ही पढ़ाया जा सकता है, उदाहरण के लिए, समाजवादी नारीवाद का सन्दर्भ दिए बिना मार्क्सवादी चिन्तन, सुजैन मोलर ओकिन की आलोचना का सन्दर्भ दिए बिना रॉल्स का न्याय सिद्धान्त आदि। हाँ, इसके अपवाद वे अध्यापक जरूर हो सकते हैं जो बीच-बीच में पाठ्यक्रम में अपना हस्तक्षेप करके नारीवाद के बारे में कुछ बता दिया करते हों। "महिलाएँ और राजनीति" जैसे विषयों पर कुछ ऐच्छिक पाठ्यक्रम अवश्य शुरू किए गए लेकिन ऐसे पाठ्यक्रम अधिकांशतः अलग-थलग ही पड़े रहे हैं। इससे भी अधिक चिन्ता की बात तो यह है कि ऐसे पाठ्यक्रमों को भी, नारीवादी विद्वता का कोई भी सन्दर्भ दिए बिना ही, पढ़ाया जा सकता है क्योंकि इनके पढ़ाने के आयाम "भारत में महिलाओं की स्थिति" और "जेण्डर और सशक्तीकरण" पर सरकारी नीतियों के अनुसार ही सीमित रह जाया करते हैं। असली चुनौती मुख्यधारा के पाठ्यक्रमों में नारीवादी परिप्रेक्ष्य को सुनिश्चित करने की है, पाठों के विशिष्ट समुच्चयों के साथ शिक्षण के रूप को नया आकार देने की है, ताकि पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाला कोई भी व्यक्ति उन पाठों का सन्दर्भ दिए बिना पढ़ा ही न पाए, जिन पाठों का विकास नारीवाद के क्षेत्र के विद्वानों के साथ परामर्श करके इस विषय में रुचि रखने वाले अध्यापकों द्वारा किया गया होता है। वास्तव में यह अन्तिम बिन्दु ऐसा है जिसकी राजनीति विज्ञान के अध्यापन में सर्वाधिक आवश्यकता है क्योंकि यह पाठ्यपुस्तक-केन्द्रित होने की तरफ अग्रसर होता चला गया

है। हमें पाठों का एक ऐसा समुच्चय (पुस्तकों के अध्याय/अनुभाग, महत्वपूर्ण लेख) विकसित करने की आवश्यकता है जो पाठ्यक्रम में शामिल विषयों के इर्द-गिर्द होने वाले वाद-विवाद का वर्णन करते हों और यह भी जरूरी है कि इस तरीके से विकसित किए गए पाठों के समुच्चय शिक्षकों को उपलब्ध हो सकें। इसके अतिरिक्त, पाठों के इन समुच्चयों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने की भी जरूरत है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

हालिया वर्षों में, शिक्षा में अधिक जेण्डर समानता लाने के लिए विश्व में अनेक देशों ने नीतियाँ अंगीकार कर ली हैं। शिक्षा तक पहुँच को बढ़ाने के लिए और विद्यालयों में एक सामान्य यानी साझा पाठ्यक्रम बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। हालाँकि, पूरी दुनिया में, तृतीयक स्तर के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में महिलाओं का नामांकन पुरुषों के नामांकन की तुलना में कम है और अन्य विषयों में महिलाओं के नामांकन की तुलना में भी कम है। उच्च शिक्षा को जारी रखने में और अध्ययन के लिए विषय का चुनाव करने में विद्यालयी शिक्षा का अनुभव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तक महिलाओं की पहुँच ऐतिहासिक रूप से सीमित रही है तथा बौद्धिक, वैज्ञानिक और तकनीकी समुदायों से वे लगभग बहिष्कृत ही रही हैं। उन्हें हमेशा पोषण विज्ञान से, बच्चों को पालने से और घर-परिवार की देखभाल करने से सम्बद्ध कर दिया जाता रहा है। पोषण या धात्री/दाई (midwife) जैसे जिन क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी दक्षता साबित की, उन क्षेत्रों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत कभी रखा ही नहीं गया। इसके अलावा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में महिलाओं का योगदान "इतिहास में छिपा ही रह गया" क्योंकि उनका दस्तावेजीकरण शायद ही कभी किया गया हो।

ऐतिहासिक रूप से देखें, तो पुरुषों और स्त्रियों की छवियों में और उनकी जेण्डर भूमिकाओं में बदलाव आए हैं और तदनुसार विभिन्न आधारों पर इन बदलावों का औचित्य-स्थापन भी किया गया है। इन औचित्य-स्थापनों की परास अतांकिक से लेकर छद्म-वैज्ञानिक तक रही है। हालाँकि आधुनिक विज्ञान यह घोषित करता है कि यह वस्तुनिष्ठ है, लेकिन विरोधाभासी रूप से आधुनिक विज्ञान महिलाओं से सम्बन्धित पूर्वाग्रहयुक्त समझ को समाप्त करने के बजाय इन्हें मजबूत कर रहा है। प्राचीन युगों के संगठित ज्ञान (या विज्ञानों) के अन्तर्गत महिलाओं को प्रायः पुरुषों से भिन्न, एक अनोखी रचना के रूप में देखा जाता था। इन विज्ञानों ने यह तर्क स्थापित किया था कि महिलाएँ अपूर्ण पुरुष हैं और इसलिए हीनतर हैं। मस्तिष्क से जुड़े "विज्ञान" - क्रैनियोलोजी (craniology) - ने दावा किया कि महिलाएँ बौद्धिक रूप से हीनतर होती हैं क्योंकि उनका मस्तिष्क हल्का होता है। शरीर के आकार के लिए सुधारों (corrections) की अपेक्षा की गयी और यह तथ्य इंगित करता है कि विज्ञान की प्रक्रियाएँ पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं हैं (गुल्ड, 1981)। प्रकृति, जिस पर वैज्ञानिक अध्ययन फोकस करते हैं, को आलंकारिक रूप से मादा माना गया और प्रतीकात्मक रूप से प्रकृति का चित्रण एक मादा के रूप में किया गया। अधिकांश भाषाओं में विज्ञान और ज्ञान जैसी अमूर्त संज्ञाओं के लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाता है। हालाँकि वैज्ञानिकों का चित्रण पुल्लिंग के रूप में किया गया और समय के साथ विज्ञान की लोकप्रिय छवियाँ पुरुषवाचक (masculine) होती चली गयीं (शीबिंजर, 1989)। वैज्ञानिक उद्यम की जो सामाजिक संरचनाएँ उभरीं (जैसे रॉयल सोसायटी का गठन) उन्होंने इन छवियों को प्रतिबिम्बित करने के साथ-साथ इन छवियों को मजबूत भी किया (हैगर्टी, 1986)। वैज्ञानिक हलकों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा ने भी विज्ञान की पुरुषवाचक छवि को ही सशक्त बनाया। इन विचारों की जड़ें सामाजिक वातावरण में धीमे-धीमे गहरी और मजबूत होती चली गयीं। यहाँ तक कि आज भी विज्ञान में

जेण्डरीकृत भाषा का ही उपयोग जारी है, पहले की तुलना में शायद कुछ कम आक्रामक रूप से।

वस्तुनिष्ठ विज्ञानों (गणित, भौतिकशास्त्र) को कठोर विज्ञानों के रूप में पेश किया जाता है, जिसमें यह लाक्षणिक अर्थ छिपा रहता है कि यह पुरुषवाचक है जबकि ज्ञान की आत्मनिष्ठ (subjective) शाखाओं (समाजशास्त्र, मनोविज्ञान) को कोमल या मृदु विज्ञानों के रूप में देखा जाता है और इससे यह इंगित होता है कि ये शाखाएँ महिलाओं के लिए अधिक प्रासंगिक हैं। ये जिस तरीके के रूढ़िवादिता को पैदा करते हैं, वे अपने तरीके से अपना काम करते रहते हैं। दूसरे विषयों की तुलना में गणित और विज्ञान पढ़ने का चुनाव बहुत ही कम महिलाएँ करती हैं (जोन्स और व्हिटले 1988)। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व की 'व्याख्या' इस सुझाव के साथ की जाती है कि पुरुषों और महिलाओं की संज्ञानात्मक योग्यता में जीव-वैज्ञानिक अन्तर मौजूद होते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्यक्ष लारेन्स एच समर्स की यह सुझावपरक टिप्पणी, कि विज्ञान और गणित में कम महिलाओं की सफलता का कारण निहित जेण्डर अन्तर होते हैं, दर्शाती है कि इस तरह के विचार अकादमिक जगत के शीर्ष स्तरों पर भी विद्यमान हैं। संज्ञानात्मक योग्यता में लैंगिक अन्तरों का मुद्दा नियमित रूप से अपना सर उठाता रहता है और अक्सर इस मुद्दे को मीडिया में भी प्रमुखता से दिखाया सुनाया जाता है। इस क्षेत्र में किए गए बहुत सारे अनुसन्धान ऐसे हैं जिनका कोई निष्कर्ष नहीं होता। योग्यता में अन्तर, अगर कुछ हों, केवल उन्हीं समयों में देखे जा सकते हैं जब आनुवंशिक कारकों के प्रभावों को समाजीकरण से अलग करना कठिन हो। सीखने की प्रक्रिया में लैंगिक अन्तरों की जीव-वैज्ञानिक व्याख्याएँ हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि सामाजिक कारकों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। लड़कों और लड़कियों के साथ बिल्कुल बचपन से ही उनके निकट रहने वाले लोगों द्वारा अलग-अलग तरीके का व्यवहार किया जाता है। इस दजह से उनसे की जाने वाली अपेक्षाएँ अलग-अलग होती हैं और बाद में मीडिया और जनमाध्यम लगातार ऐसे सन्देशों की बरसात करते रहते हैं कि समाज में पुरुष होने के क्या मायने हैं या स्त्री होने के क्या अर्थ हैं।

पाठ्यपुस्तकों में पूर्वाग्रह के जिन महत्वपूर्ण रूपों की पहचान की गयी हैं, वे हैं - (i) पाठ्यपुस्तकों से लड़कियों और महिलाओं का बहिष्करण या उनकी अदृश्यता, (ii) लैंगिक भूमिकाओं की रूढ़िवादिता, (iii) पाठों और चित्रों में लड़कों और पुरुषों के प्रति लड़कियों और महिलाओं की अधीनता, और (iv) इतिहास में महिला चरित्रों का अभाव (एएयूडब्ल्यू, 1982)। पाठ्यक्रम सामग्री में व्याप्त ये पूर्वाग्रह अक्सर न सिर्फ महिलाओं से, बल्कि समस्त अल्पसंख्यक समूहों से भी, सम्बन्धित होते हैं (सैडकर और अन्य, 1988)। पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषण अभी भी यही दर्शाता है कि भारतीय पाठ्यपुस्तकों में ये पूर्वाग्रह आज भी मौजूद हैं। अधिकांश विद्यार्थियों के मन में अभी तक यह समझ मजबूत बनी हुई है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की छवि सिर्फ पुरुषवाचक ही होती है। अध्ययनों ने दर्शाया है कि छोटे बच्चों को "मानव जाति (mankind)" और "वह (he)" जैसी जातीय (generic) भाषा की जानकारी देने के बाद जब इन जानकारीयों या उन्हें सुनाई गयी कहानियों को दृश्यात्मक रूप में चित्रित करने को कहा गया तो बच्चों ने पुरुषों और लड़कों के ही चित्र बनाए (मार्टिना 1978, रोसर 1983 में)।

विज्ञान और वैज्ञानिकों को विद्यार्थीगण किस तरह देखते हैं? होमी भाभा सेण्टर फॉर साइन्स एजुकेशन (चुनावाला एण्ड लैबेज, 1980) में कराए गए एक अध्ययन में पाया गया कि लड़कियों और लड़कों ने एक पुरुष वैज्ञानिक का चित्र बनाया, जो युवा था और रसायन विज्ञान की एक प्रयोगशाला में अकेले काम कर रहा था। जहाँ वैज्ञानिकों का एकवचनमूलक सन्दर्भ देना होता था, वहाँ इन लड़कियों और लड़कों ने पुरुषवाचक

सर्वनामों (जैसे हम, हमें) का प्रयोग किया था। समय विशेष के सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव सिर्फ वैज्ञानिक फोकस और अनुप्रयोग पर ही नहीं पड़ता, बल्कि वैज्ञानिक ज्ञान के संकल्पनात्मक गठन जैसी बुनियादी चीजों पर भी पड़ता है। नारीवादी सिद्धान्त इस अन्तर्दृष्टि को अपना आधार बनाता है और विस्तृत रूप से इस बात की जाँच करता है कि ज्ञान की सामाजिक निर्मिति में जेण्डर विचारधारा किस प्रकार व्याप्त होती है (केलर, 1985)। प्रौद्योगिकी के सन्दर्भ में यह समझ अभी भी कायम है कि महिलाएँ जो कुछ भी करती हैं, वह गैर-प्रौद्योगिकीय ही होता है। ऐसी समझ इस तथ्य के बावजूद कायम है कि महिलाएँ जीवन और अस्तित्व की रक्षा करने वाली प्रौद्योगिकियों में, इतिहास के प्रारम्भ से ही, संलग्न रही हैं। इस तरीके की समझ का एक कारण उस तरीके में भी निहित है, जिस तरीके से हम प्रौद्योगिकी को परिभाषित करते हैं। यहाँ तक कि 'कार्य' शब्द का प्रयोग भी केवल उन्हीं गतिविधियों के सन्दर्भ में किया जाता है जिनके परिणामस्वरूप कोई मौद्रिक लाभ या भुगतान हासिल होता हो। महिलाओं के कार्य को 'घरेलू' माना जाता है और इसे प्रौद्योगिकी के दायरे से बाहर ही रखा जाता है। जिन क्षेत्रों को स्पष्ट तौर पर प्रौद्योगिकी कहा जाता है, उन क्षेत्रों में प्रवेश करने से महिलाओं को विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक कारक रोकते हैं। इसी तरीके का एक कारक यह रहा है कि कार्य के कुछ निर्धारित क्षेत्रों से महिलाओं का जान-बूझकर बहिष्करण किया जाता है। व्यापार में महिलाओं के प्रवेश का विरोध करने में शिल्पकार यूनियनों (Craft Unions) की सक्रिय भूमिका रही है और इस प्रकार महिलाओं को निष्कासित करके उन्हें सिर्फ अकुशल नौकरियों तक सीमित रखा गया है और कुशल श्रम को पुरुषों के साथ सम्बद्ध किया गया है। नौकरियों की जेण्डर रूढ़िवादिता उल्लेखनीय रूप से सर्वव्याप्त है और यहाँ तक कि बहुत छोटे बच्चे भी इस तरीके की दृढ़ कल्पनाएँ और प्रक्षेपण रखते हैं कि अलग-अलग लिंगों के लिए व्यवसाय अलग-अलग होते हैं। रूढ़िवादिता के इस तरीके से सर्वव्यापी होने का एक परिणाम यह हुआ है कि महिलाएँ उन क्षेत्रों का चुनाव करने से परहेज करती हैं जो उनके लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रतिकूल हैं और जिन्हें करियर की तरह चुनने पर महिलाओं के प्रति समाज अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिकूल व्यवहार करने लगता है। इसकी पुष्टि उन क्षेत्रों में प्रवेश करने वाली महिलाओं की कम प्रतिशतता से हो जाती है, जिन क्षेत्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का नाम दे दिया जाता है। भारत में वैज्ञानिक कर्मचारियों में महिलाओं का हिस्सा महज नौ प्रतिशत है (विकास प्रक्रिया में महिला स्नातकों के प्रशिक्षण पर विशेषज्ञ समूह की मीटिंग, थाईलैण्ड, 1999)। प्रौद्योगिकी का जेण्डरीकरण इसलिए घटित होता है क्योंकि प्रौद्योगिकी सामाजिक सम्बन्धों और सामाजिक बलों का उत्पाद होती है। सभी सम्भव प्रौद्योगिकियों में से, केवल कुछ का ही चुनाव किया जा सकता है, हो सकता है कि उन प्रौद्योगिकियों के विकास पथ अलग-अलग हों, तथा हो सकता है कि अलग-अलग सामाजिक समूहों पर उनके प्रभाव भी अलग-अलग ही हों। सामाजिक व्यवस्थाओं द्वारा इन चयनों को आकार प्रदान किया जाता है और अक्सर ये चयन समाज की शक्ति संरचना का एक प्रतिबिम्ब होते हैं।

गणित

गणित से प्रत्येक व्यक्ति सम्बन्धित है लेकिन तब भी, औपचारिक शिक्षा के दायरे में बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए गणित आज भी ज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र होता है जो उनकी पहुँच से बाहर होता है और जो उनके लिए कहीं बहुत दूर होता है। विद्यालयी ज्ञान के श्रेणीतन्त्र में विद्यालयी गणित को मुख्य स्थान दिया जाता है, लेकिन इसकी निर्मिति एक ऐसी बन्द प्रणाली के रूप में की जाती है जिसमें रटे जाने वाले नियम और विधियाँ शामिल होती हैं और जिसमें कौशलों का जबर्दस्त अभ्यास तथा निश्चित विधियों का अनुप्रयोग सम्मिलित होता है। इस तरीके की निर्मिति समाजों में शक्ति और विशेषाधिकार के गठन

जेम्स और शिक्षणशास्त्रीय प्रथाएँ

से गणित के सम्बन्ध पर पर्दा डाल देती है। आधुनिक राष्ट्र-राज्य तार्किक, विलग (detached), स्वायत्त ज्ञानमीमांसीय विषय को अपने केन्द्र में रखता है और इसीलिए आधुनिक राष्ट्र-राज्य के विद्यालयी पाठ्यक्रम में एक ज्ञानानुशासन के रूप में गणित को यह कहकर बहुत ऊँचा स्थान दिया जाता है कि इसमें पूर्ण रूप से विवेकी और तार्किक वाद-विवाद की प्रक्रिया शामिल रहती है। इस निर्मिति को इस समझ के आधार पर बनाया जाता है कि गणित में मानवीय विवेक का उच्चतम बिन्दु शामिल रहता है और 'तार्किक गणितीय संरचनाएँ विवेकपूर्ण चिन्तन की संरचनाएँ हैं' (वाल्करडीन, 1988, पृष्ठ 8)। जैसाकि वाल्करडीन ने तर्क के विचार के बारे में विस्तार से बताया भी है कि तर्क की प्रक्रिया को जेम्स पर विचार किए बिना नहीं समझा जा सकता। अगर हम बहुत पहले की चर्चा न करें, और सिर्फ प्रबोधन के बाद के काल की ही चर्चा करें तो कहा जा सकता है कि तर्क की कार्टीजियन (Cartesian) संकल्पना प्रकृति को नियन्त्रित करने के प्रयासों में ही गम्भीरतापूर्वक उलझी रही है। तार्किकता को पुनर्जन्म के एक ऐसे प्रकार के रूप में देखा गया, जहाँ, महिलाओं के किसी भी हस्तक्षेप के बिना ही, स्व (मर्सा) के बारे में चिन्तन किया जाता है। तार्किक स्व (Self) गम्भीर रूप से पुरुषवाचक ही था, जिसमें से महिलाओं को बहिष्कृत कर दिया गया था, जहाँ महिलाओं की शक्तियाँ न सिर्फ हीनतर थीं, बल्कि अनुसेवी भी थीं। इस प्रकार एक ज्ञानानुशासन के रूप में गणित का ऐतिहासिक विकास कुछ इस तरीके से हुआ कि इसे एक पुरुषवाची क्षेत्र के रूप में परिभाषित कर दिया गया।

इस परिभाषा में महिलाओं के साथ-साथ ऐसे दूसरे शक्तिहीन समूह भी यह सोचकर बाहर कर दिए गए कि इनके पास गणितीय ज्ञान तक पहुँच स्थापित करने के लिए आवश्यक ज्ञान ही नहीं है। महिलाओं के मामले में, इस दृष्टिकोण को महिलाओं की 'निहित' हीनता की धारणा के कारण वैधता मिली। यह धारणा उन्नीसवीं शताब्दी में शुरू हुई और यह धारणा समकालीन समय में भी प्रचलन में है। यद्यपि ऐसा लगता है कि गणित विषय मूल्यमुक्त होता है और इसमें सार्वभौमिक सत्यों का उद्घाटन किया जाता है, लेकिन यह समझ भी पुरुषवाचक मूल्यों और प्रत्यक्षणों (perceptions) पर ही आधारित है। गणित का विषय 'पुरुषवाचक दायरे का' है, इस निर्मिति को इसलिए बल मिलता है क्योंकि पाठ्यपुस्तकों में महिला गणितज्ञों का कोई भी सन्दर्भ नहीं दिया जाताय क्योंकि पाठ्यक्रमों का अभिकल्पन (design) करने में उन सामाजिक चिन्ताओं का अभाव रहता है, जिनके कारण बच्चे हासिल की गई जेम्स विचारधाराओं पर सवाल उठाने में समर्थ हो सकते हों, क्योंकि यहाँ समग्रता में सवाल ऐसे होते हैं जिनमें महिलाओं की जिन्दगियाँ अनुपस्थित रह जाया करती हैं। गणित की पाठ्यपुस्तकों के एक अध्ययन में यह पाया गया कि यद्यपि उनमें कपड़े खरीदने से जुड़े हुए सवाल शामिल थे, लेकिन एक भी ऐसा सवाल शामिल नहीं था जिसमें महिलाओं के कपड़ों का कोई सन्दर्भ दिया गया हो, वगैरह वगैरह (एडब्ल्यूएजी, 1988)।

कक्षा-कक्षा से सम्बन्धित अनुसन्धान भी यही इंगित करते हैं कि लड़कियों का यह कहकर व्यवस्थित तरीके से अवमूल्यन किया जाता है कि वे गणित में 'महारत' हासिल नहीं कर सकतीं, भले ही लड़कियाँ गणित के कार्यों को, तार्किक रूप से, चीजों को मौखिक के साथ-साथ संज्ञानात्मक स्तर पर भी सम्पन्न ही क्यों न कर लेती हों। यह देखा गया है कि शिक्षक गणित के मामले में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक सम्बोधित करते हैं। इससे इस निर्मिति को बल मिलता है कि मानकीय गणित के शिक्षार्थी मुख्यतः पुरुष ही होंगे (न कि महिलाएँ)। इसके अतिरिक्त यदि निर्देशात्मक निर्णय शिक्षकों के हाथ में होता है तो उनकी जेम्सरीकृत निर्मितियाँ लड़कियों और लड़कों की गणित सीखने की रणनीतियों को एक खास रंग में रंग डालती हैं जिसके तहत सवालों

को हल करने के लिए लड़के अधिक आविष्कृत रणनीतियों का प्रयोग करते हैं, जो बेहतर संकल्पनात्मक समझ को प्रतिबिम्बित करता है (फेनेमा, 2000)। अध्ययनों ने दर्शाया है कि शिक्षकों की प्रवृत्ति यह होती है कि वे लड़कों की गणितीय 'सफलता' का श्रेय उनकी योग्यता को अधिक देते हैं जबकि लड़कियों की गणितीय 'सफलता' का श्रेय उनके प्रयत्नों को अधिक देते हैं (वीसबेक, 1992)। कक्षा-कक्ष की चर्चाएँ भी संकेत करती हैं कि गणित का 'पुल्लिंगीकरण (masculinising)' किस प्रकार घटित होता है तथा विद्यालय में अकादमिक सक्षमता की धारणाओं का प्रतिमान गढ़ने में जेण्डर विचारधाराओं का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है (मांजरेकर, 2001)। गणित में निष्पादन का अर्थ विद्यालय की 'सफलता' से जोड़ा जाता है और लड़कियाँ स्पष्टतः इस मामले में नुकसान की स्थिति में रहती हैं। यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि उन सामाजिक स्थितियों और गतिविधियों द्वारा गणितीय सक्षमता को अवस्थिति और आकार प्रदान किया जाता है, जिनके बीच सीखने की प्रक्रिया घटित होती है। हालाँकि विद्यालयी गणित का बच्चों के उस सामाजिक जगत से बहुत कम सम्बन्ध होता है, जहाँ वे दैनिक जीवन के एक हिस्से के रूप में गणितीय गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। हमारे विद्यालयों में गणित के प्रति जो दृष्टिकोण मौजूद है, उसमें खुले सिरे वाले (Open-ended) प्रश्न अनुपस्थित रहते हैं। इसके अलावा अनेक दृष्टिकोणोपविधियों को शामिल करने वाले प्रश्न भी अनुपस्थित रहते हैं। इन अनुपस्थित प्रश्नों में ऐसे प्रश्न भी शामिल हैं जो सिर्फ इसी पर आधारित न हों कि किसी अन्तिम, एकात्मक और सही उत्तर तक कैसे पहुँचा जाए। विद्यालयी गणित की एक कुचलने वाली (overriding) मान्यता यह है कि गणितीय दावों के लिए चीजों को पुष्ट करने (validation) के बाह्य स्रोत (शिक्षक, पाठ्यपुस्तकें, गाइडबुक्स) सदैव आवश्यक ही होते हैं। यह दृष्टिकोण समस्त शिक्षार्थियों को हानि पहुँचाता है लेकिन लड़कियों को तो अक्सर ही हानि पहुँचाता है। विद्यालय स्तर पर क्या गणित के एक जेण्डर समावेशी और जेण्डर संवेदी पाठ्यक्रम की कल्पना करना सम्भव है जो पाठ्यपुस्तकों के दायरे से परे हो? क्या हम इस सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी रखते हैं कि लड़कियाँ गणित को किस प्रकार सीखती हैं, प्रश्नों को वे किस तरीके से हल करती हैं, किस तरीके के प्रश्न उन्हें अच्छे लगते हैं या किस तरीके के प्रश्नों को वे चुनौतीपूर्ण पाती हैं? क्या किसी ऐसी गणित की कल्पना करना सम्भव है जो 'कम पुरुषवाचक' हो? गणित के नारीवादी शिक्षक इस चीज को परिभाषित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि गणित के अध्ययन के लिए एक नारीवादी दृष्टिकोण क्या हो सकता है। इनमें से कुछ शिक्षक (educator) इस चीज की जाँच कर रहे हैं कि स्त्री और पुरुष किस तरीके से सोचते हैं और किस तरीके से वे गणित सीखते हैं। कुछ शिक्षक महिलाओं की आवाजों और उनके इतिहासों का उपयोग करके महत्वपूर्ण प्रश्नों की पहचान करने में संलग्न हैं। कुछ अन्य शिक्षक गणित की भाषा की जाँच कर रहे हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या यह भाषा जेण्डरीकृत है। ऐसे दृष्टिकोण को समझने में लोक (folk) गणित से हमें समृद्ध संसाधन मिलते हैं और लोक गणित को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना आवश्यक है।

भाषा

भाषा संस्कृति का एक अमिन्न संघटक है। भाषा संस्कृति के मूल्यों और पूर्वाधिकारों को कूटबद्ध (encode) करती है तथा उनका संचरण और प्रसार करती है। इसकी व्याप्ति समस्त ज्ञानानुशासनों के आर-पार होती है, ज्ञान की निर्मिति के लिए यह बुनियादी तत्व होती है तथा जेण्डर सम्बन्धों के लिए इसके निहितार्थ बहुत व्यापक और विस्तृत परास वाले होते हैं। इसलिए इस बात की जाँच करना बहुत महत्वपूर्ण है कि जेण्डर को भाषा में किस प्रकार कूटबद्ध किया जाता है। अन्य चित्रणों की ही तरह भाषायी चित्रण भी समाज में महिलाओं की स्थिति का एक संकेतक होता है। सहजबोध (common sense) से उत्पन्न अपनी इस मान्यता पर हमें सवाल उठाने की आवश्यकता है कि सभी

लैंगिकताएँ "एक सामान्य (common) भाषा" की साझेदारी करते हैं। विद्यमान भाषा पितृसत्तात्मक है और यह समाज के अन्यायपूर्ण शक्ति सम्बन्धों के साथ अंकित की जाती है। चूँकि भाषा नरकेन्द्रित (androcentric) है, इसलिए इसे परिवर्तित करने की आवश्यकता है : ताकि न सिर्फ महिलाओं के उपयोग के लिए, बल्कि समाज के लिए भी इसे अनुक्रियात्मक (responsive) बनाया जा सके। भाषा किस प्रकार अलग-अलग तरीके से कार्य करती है, इसे समझने के लिए यद्यपि जेण्डर के अन्तर बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि पुरुष और महिला कोई एकरूप (homogenous) समूह नहीं हैं - बल्कि वे वर्ग, संस्कृति और नृजातीयता के अन्तरों द्वारा परिभाषित किए जाते हैं। इसलिए भाषा के उपयोग में लैंगिक अन्तरों के रूढ़ियों को अस्वीकार करते समय इन अन्तरों का संज्ञान लेना भी हमारे लिए आवश्यक है। भाषा की नारीवादी आलोचना का चित्रण अनेक अक्षों के अनुदिश किया जा सकता है : नारीवादी आलोचकों का तर्क है कि भाषा की बुनियादी अर्थ-सम्बन्धी और व्याकरण-सम्बन्धी संरचनाएँ नर की निर्मिति सकारात्मक के रूप में और नारी की निर्मिति नकारात्मक के रूप में करती हैं और ऐसा करते हुए ये संरचनाएँ "पुरुषवाचक" गुणों पर तो मूल्य का आरोपण करती हैं लेकिन "स्त्रीवाचक" गुणों पर मूल्य आरोपित नहीं करतीं। भाषा उन विचारों और मान्यताओं के वाहक का कार्य करती है, जिन्हें दैनिक कार्य-व्यापार और दैनन्दिन आदान-प्रदान के माध्यम से प्राकृतिकीकृत और प्रवर्तित किया जाता है। ये विचार और मान्यताएँ इतनी पारम्परिक हो जाती हैं कि हम उनके महत्व पर ध्यान ही नहीं दे पाते। लिंगवाद (सेक्सिज्म) भाषा में व्याप्त होता है - यह भाषा के शब्दरूप विज्ञान (Morphology) का वेधन करता है (उदाहरणार्थ, शब्दों का समापन किस तरह हो), दैनिक जीवन में प्रचलित शैलीगत परिपाटियों और प्रकार्यों को प्रभावित करता है (जैसे - सम्पूर्ण मानवता को वर्णित करने के लिए आमतौर पर "आदमी" यानी "उंद" शब्द का ही प्रयोग किया जाता है)। इसी तरह नामों का उल्लेख करने की परिपाटियाँ ऐसी रही हैं कि महिलाओं को चिह्नित करने के लिए उनके नामों के साथ पारम्परिक रूप से या तो उनके पिता का या फिर उनके पति का उपनाम (surname) जोड़ा जाता रहा है - ये उपनाम एक महिला से दूसरी महिला तक आगे चलते रहते हैं। महिलाओं के नाम के पहले लगाए जाने वाले कुमारी (Miss) और श्रीमती (Mrs.) जैसे शीर्षक महिलाओं की वैवाहिक स्थिति को इंगित करते हैं, जबकि पुरुषों के सम्बन्ध में इस तरीके की स्थिति को इंगित करने के लिए कोई सूचक नहीं है। इसलिए इस बात की व्यापक आवश्यकता है कि विद्यार्थियों को उन तरीकों के बारे में संवेदीकृत किया जाए जिन तरीकों के माध्यम से भाषा अपने प्रकार्य करती है, विचारों को खाई से घेर देती है और शक्ति के अन्तरों को प्राकृतिक बना देती है। यह मुझ सिर्फ इतना ही नहीं है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो आक्रामक हैं। हालाँकि इस बात को रेखांकित करना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि चूँकि इन मानकों की रचना ऐतिहासिक रूप से की गयी है इसलिए इन मानकों को समाप्त भी किया जा सकता है - इसलिए नारीवादी विखण्डन (deconstruction) और पुनर्रचना/पुनर्निर्मिति (reconstruction) की अत्यधिक आवश्यकता है।

भाषा की नारीवादी आलोचना की चिन्ता यह भी है कि विश्व को क्या एक "नाम" दिया गया है या इसे पुरुषवादी नजरिये से चित्रित किया गया है या फिर कहीं यह लिंगों के बारे में किसी स्टीरियोटाइप्ड दृष्टिकोण का उत्पादन तो नहीं कर रहा है। "नाम (names)" चीजों को स्थिरबद्ध (fix) करने का संस्कृति का एक तरीका है, जिसे वास्तविकता की तरह माना जाता है। यह तर्क दिया गया है कि भाषा सिर्फ उस चीज का प्रक्षेपण ही नहीं करती जो बाहर है और जो साफ-साफ विद्यमान है, बल्कि इन विद्यमान चीजों को आकार भी प्रदान करती है और इसको संघटित भी करती है तथा इसके साथ ही साथ यह इन विद्यमान चीजों के प्रति हमारी अभिवृत्तियों को भी प्रभावित करती है। इसलिए अलग

तरीके से किया गया भाषा का प्रयोग दशाओं और स्थितियों को परिवर्तित कर सकता है। इसलिए विद्यार्थियों को यह पढ़ाया जाना चाहिए कि भाषा का बहुत महत्व होता है। यह महत्व "राजनीतिक रूप से सही" होने के सतही स्तर पर ही नहीं होता, बल्कि अभिवृत्तियों को, और इस प्रकार विश्व में उपलब्ध दशाओं को, परिवर्तित करने के अपेक्षाकृत गहरे स्तर पर भी होता है। "नीग्रो" की जगह "अश्वेत", "अक्षम (disabled)" की जगह "विशिष्ट रूप से योग्य (Differently abled)" या "वेश्या (prostitute)" की जगह "यौनकर्म (Sex Worker)" शब्द का प्रयोग करना सिर्फ व्यापकतर सामाजिक स्वीकृति का मामला नहीं है, बल्कि यह दमन, पृथक्करण और नैतिक धिक्कार के इतिहासों के प्रति जागरूकता का और इन्हें परिवर्तित करने की इच्छा का भी मामला है। यदि हम मानवीय यौनिकता की लिंगवादी शब्दावली का आलोचनात्मक अन्वेषण करें तो यह स्पष्ट नजर आता है कि महिलाओं की निष्क्रियता को शब्दकोश के जरिये किस प्रकार भाषा-वैज्ञानिक तरीके से पुष्ट किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट हो जाता है कि लड़कों और लड़कियों की पहचान की निर्मिति में इस निष्क्रियता के क्या निहितार्थ होते हैं। चाहे बोलचाल में या फिर चिकित्सकीय सन्दर्भ में जब भी सम्मोग का वर्णन किया जाता है, तो यह वर्णन एक भाषा के माध्यम से ही किया जाता है और यह ऐसी भाषा होती है जो नर की निर्मिति सक्रिय के रूप में करती है ("घेरे" यानी "enclosure" के स्थान पर "भेदन" यानी "penetration" का प्रयोग आदि)। नारीवादी वैज्ञानिकों ने दर्शाया है कि जीव-विज्ञान की भाषा किस प्रकार कोशिका-उत्पादन के क्षेत्र में भी इन रूढ़िवादिता को पुष्ट करती है। यहाँ तक कि जो शब्द "चदासीन" होते हैं, उनका भी प्रयोग जब लैंगिक (sexual) रूप से महिलाओं के सन्दर्भ में किया जाता है, तब ये नकारात्मक अर्थ को सूचित करने लगते हैं। शुल्ज का संकेत है कि किस प्रकार "पेशेवर (Professional)" और "उन्मुक्त (tramp)" जैसे शब्दों का प्रयोग जब महिलाओं के सन्दर्भ में किया जाता है तो किस प्रकार ये शब्द "ढीली-वाली (loose) औरत" का अर्थ अखडित्यार कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि "कचरा (slag)" और "फूहड़ (slut)" आदि जैसे कुछ शब्द अपने अनुप्रयोग और उपयोग में केवल स्त्रीवाचक ही हैं, यानी ये शब्द केवल स्त्रियों के लिए ही प्रयुक्त किए जाते हैं। पुरुषों की दुराचार-वृत्ति को चित्रित करने के लिए इन शब्दों के समानान्तर कोई शब्द मौजूद ही नहीं है, या अगर कुछ शब्द मौजूद भी हैं तो वे बहुत विरले ही हैं। लड़कियों को उत्पीड़ित करने के लिए और इसके साथ ही साथ उनकी यौनिकता को विनियमित करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग धड़ल्ले से किया जाता है। लड़कियाँ सिर्फ यौन उत्पीड़न के अधीन ही नहीं होतीं, बल्कि यौनिकता की भाषा तक उनकी पहुँच भी नहीं होने दी जाती। महिलाएँ यदि सेक्स के बारे में कुछ लिखती या बोलती हैं तो उन्हें स्त्रीवाचक-विरोधी (unfeminine) और अशिष्ट मान लिया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यौनिकता, शारीरिकता और देहों की एक ऐसी भाषा गढ़ने की आवश्यकता है, जो हमारे विद्यार्थियों, विशेषकर लड़कियों को उपलब्ध हो। हमने ऐसी युवा लड़कियों के अनेक मामले सुन रखे हैं जो इसलिए बीमार पड़ गयीं क्योंकि वे अपनी देह की आवश्यकताओं, प्रकारों या अप्रकारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सकीं, खासकर तब जब ये लड़कियाँ लड़कों के साथ मिश्रित कक्षाओं में पढ़ती हैं या जब ये मिश्रित शिक्षणशास्त्रीय स्थितियों में होती हैं। पाठ्यपुस्तकों में वर्णित यौनिकता की भाषा को नैतिक विज्ञान पाठों के भेदे बहानों (या टालमटोलों) और जीव-विज्ञान की पुस्तकों के चिकित्सकीय अमूर्तनों के बीच रेखांकित किया जाता है। इनमें से कोई भी चीज विद्यार्थियों के यौनिक जीवन की जमीनी सच्चाइयों को सम्बोधित नहीं करती और विशेषतौर पर यौनिकता के सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं को उस रूप में सम्बोधित नहीं करती, जिस रूप में खाईयुक्त जेण्डर प्रणालियों के दायरे के भीतर ये सच्चाइयाँ विद्यमान होती हैं। साहित्य की भाषा, पारस्परिक रूपक और लिखने के तरीके भी महिलाओं के

जीवन को, उनकी देह को और उनके होने के तरीकों को प्रतिबिम्बित नहीं करते। पारम्परिक रूप से पुरुषों के प्रभुत्व वाले साहित्यिक विमर्श में स्त्रियों की आत्मनिष्ठता की भाषा अनुपस्थित है। इसके कारण विशेषरूप से साहित्य के पाठों को कक्षा-कक्षों में पढ़ाने का विषय बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्योंकि साहित्य के ये पाठ आमतौर पर पुरुषों द्वारा ही लिखे गए होते हैं और माध्यमिक या हाईस्कूल की शिक्षा के पाठ्यक्रम की "सरसरी पुस्तकों (rapid readers)" या साहित्यिक चयनों में बहुत ही कम महिला लेखकों को शामिल किया गया होता है। साहित्य के अध्यापन के लिए पाठ्यपुस्तकों को तैयार करते समय और इसके साथ-साथ कक्षा-कक्ष की स्थितियों के दौरान भी हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम उन "सार्वभौमिक मूल्यों" या "मानवीय (human)" मूल्यों के उदार मानवतावादी बन्दन पर सवाल उठाएँ जिनके अन्तर्गत वर्ग, जेण्डर, अवस्थिति और पहचान के भौतिक विभेदों पर विचार नहीं किया जाता। यह ऐसा मनोभाव है जो हमारे यहाँ कक्षा-कक्षों में साहित्य के अध्यापन में अत्यधिक व्याप्त है। इसकी व्याख्या करने के लिए शिक्षकों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है कि डैफोडिल फूलों से सम्बन्धित और वर्दसवर्थ को मगन करने वाली कोई कविता एक "सार्वभौमिक" और "मानवीय (human)" दस्तावेज क्यों है। इसका कारण यह है कि, अगर एक बच्चा, उदाहरण के लिए, पश्चिमी मिडनापुर से आता है तो उस बच्चे के लिए इस भाषा को समझना बहुत ही कठिन होता है। हालाँकि इसका उद्देश्य यह सुझाव देना नहीं है कि जो साहित्य हमारा अपना नहीं है या जिसमें हमारे अपने अनुभव वर्णित नहीं हैं, उसे पढ़ाया ही न जाए। न ही इसका उद्देश्य यह सुझाव देना है कि "प्रासंगिकता" का निर्धारण उपयोगितावादी दिशा में चलते हुए संकीर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। बल्कि अनुभवों की "सार्वभौमिकता" (जो सचमुच बहुत ही विशिष्ट हो सकती है और हो सकता है कि विद्यार्थियों के लिए यह किसी अजनबी या परग्रहीय चीज जैसी लगे) पर जोर दिए बिना भी शायद साहित्यिक श्रेष्ठता के उसी अभिप्राय को विद्यार्थियों को समझाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यह कार्य विद्यार्थियों से इस उम्मीद के बगैर भी किया जा सकता है कि वे उन चीजों से पूर्ण तादात्म्य करें हीय क्योंकि अगर उनसे पूर्ण तादात्म्य की उम्मीद की जाएगी तो इससे विद्यार्थी भ्रमित हो जाएगा/जाएगी और विषय से खुद को दूर महसूस करेगा/करेगी। पुरुषों द्वारा लिखे गए विमर्शों के शिक्षण के मामले में भी यह बात समान रूप से सत्य है। ऐसे विमर्शों के दौरान लेखकीय स्थिति की विशिष्टताओं को पारदर्शी बना देना चाहिए ताकि पाठकों के रूप में विद्यार्थियों को ऐसी परिस्थितियों के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए बाध्य न होना पड़े जो स्पष्ट तौर पर उनकी अपनी हैं ही नहीं। हालाँकि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि विद्यार्थियों को इन अलग तरीके की परिस्थितियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होने के लिए प्रोत्साहित ही न किया जाए। ऐसा करने से तो साहित्य के शिक्षण का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा क्योंकि अपने आदर्श रूप में इस उद्देश्य को एक ऐसे साधन के रूप में होना चाहिए जो मानवीय अनुभवों और अनुभूतियों की विशिष्टताओं के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाए। हमारे लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम महिलाओं की वाणी और उनके लेखन में मौन के मुद्दे को सम्बोधित करें। महिलाएँ चुप रहती हैं क्योंकि उपयुक्त शब्दों का अस्तित्व ही नहीं होता, क्योंकि समाज महिलाओं की अभिव्यक्तियों के कुछ रूपों पर प्रतिबन्ध लगाता है, क्योंकि मौन कभी-कभी विध्वंसक भी हो सकता है। विरोधाभासी तो यह है कि इसके बावजूद महिलाओं को, स्टीरियोटाइप्ड तरीके से, वाचाल और बकबक करने वाली के रूप में वर्णित या चित्रित किया जाता है। लेकिन उनके बोलने की निन्दा और उपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं को प्राथमिक रूप से बोलने के कुछ निश्चित प्रकारों, जैसे - निजी स्वीकारात्मक अभिव्यक्तियों (पत्र, डायरी आदि), कहानी कहने/लिखने आदि के साथ सम्बद्ध किया गया है। इनमें से भी अधिकांश विधाओं को तो गम्भीर ही नहीं माना जाता। ये भाषा के "निजी" रूप हैं जो घर, परिवार और समुदाय तक ही सीमित रहते हैं। ऐसा विरले ही होता है कि

महिलाओं को आम जनता के साथ किए जाने वाले संचार, जैसे - धार्मिक संस्कारों (साधु-सन्तों के रूप में नियुक्त किए जाने, प्रार्थनाएँ करने या सार्वजनिक रूप से धर्मोपदेश देने के मामले में महिलाओं पर अनेक प्रतिबन्ध यानी जंझवें मौजूद हैं), राजनीतिक व्याख्यानों, कानूनी विमर्शों, विज्ञान या कविता, आदि से सम्बद्ध किया जाता हो।

उच्च संस्कृति में महिलाओं की आवाज या महिलाओं की चिन्ताएँ अनुपस्थित हैं। लेकिन इसी तरह ये चिन्ताएँ उप-संस्कृतियों से भी बहिष्कृत हैं। महिलाओं, विशेषतौर पर उच्च और मध्यम वर्ग से सम्बन्ध रखने वाली महिलाओं के लिए यह अनुपयुक्त माना जाता है कि वे शपथ लें, हैसी-मजाक करें या बोलचाल के असाहित्यिक शब्दों का प्रयोग करें। न सिर्फ यह आवश्यक है कि महिलाओं के मौन को सुना जाए, बल्कि यह भी आवश्यक है कि विद्यमान संस्कृति में महिलाओं के विरुद्ध खड़े किए गए प्रतिबन्धों (taboos) और सिद्धान्त (dogma) पर सवाल उठाते हुए इस मौन को तोड़ा भी जाए। मौन बने रहने और बहिष्कृत किए जाने की इस व्यवस्था को पाठ्यपुस्तकों में दुहराया नहीं जाना चाहिए। शिक्षकों के लिए यह आवश्यक है कि वे विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति के इन मुद्दों के प्रति जागरूक रहने के लिए संवेदित करें। पारम्परिक भाषाविदों ने सुझाव दिया है कि महिलाओं की भाषा अपनी विषयवस्तु में कायर (डरपोक), रूढ़िवादी, आवश्यकता से अधिक विनम्र और निरर्थक (तुच्छ) होती है तथा इनकी वाक्य-रचना में दुहराव होता है, यह वाक्य-रचना बहुत मामूली, अतार्किक और अपूर्ण होती है। लेकोफ के अनुसार, भाषा के सन्दर्भ में महिलाओं की अनुपयुक्तताएँ (inadequacies) इस चीज की सूचक नहीं हैं कि महिलाओं में कोई जीव-वैज्ञानिक या "प्राकृतिक" नियोग्यता मौजूद होती है, बल्कि ये अनुपयुक्तताएँ उस संस्कृति की अनुपयुक्तताएँ होती हैं, जो महिलाओं को डरपोक, कोमल, विनम्र और आदर दिखाने वाली (जो कि अधीनस्थ होने के लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षण का ही एक हिस्सा है) के रूप में समाजीकृत करता है। कुछ अन्य भाषाविदों (इरिगरे आदि) ने दर्शाया है कि महिलाएँ भाषा का प्रयोग अनेक और अद्वितीय तरीके से करती हैं तथा इस सन्दर्भ में दिखने वाले अन्तर को उन्होंने "अनुपयुक्तता" के रूप में नहीं, बल्कि महिलाओं के एक सकारात्मक गुण के रूप में देखा है। इन अध्ययनों ने भाषा के उपयोग के सन्दर्भ में "अच्छे" या "उपयुक्त" के पुरुषकेन्द्रित मानकों को चुनौती प्रदान की है। यह तथ्य कि महिलाएँ प्रश्न ज्यादा करती हैं या रक्षात्मक और अस्पष्ट शब्दों (जैसे - "वस्तुतः", "कमोबेश", "आपको पता है" आदि) का प्रयोग अधिक करती हैं, उनकी असुरक्षा का सूचक नहीं है बल्कि यह उनके अधिक समावेशी होने और वार्तालाप के दौरान कम आक्रामक या कम प्रभुत्वशाली होने के तरीकों का सूचक है। वार्तालाप की एक खास तरीके की शैली को "पुरुषोचित" कहा जाता है और इस शैली या तरीके के नीचे दबे हुए मूल्यों का पुनःपरीक्षण करना शायद बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए, कक्षा में लड़कियों को निश्चयात्मक (assertive) होने के लिए प्रोत्साहित तो किया ही जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ-साथ उन्हें यह भी पढ़ाया जाना चाहिए कि इन मूल्यों को महज वांछनीय मानते हुए वे इन पर सवाल उठाएँ। किसी लड़की को अवश्य सुना जाना चाहिए, उसकी उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए लेकिन किसी लड़की को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा करने का एकमात्र तरीका विरोधपूर्ण या टकरावपूर्ण या अलोकतान्त्रिक हो जाना ही होता है। इसलिए, पुरुषों के विशेषाधिकारों के विनियोग के साथ ही खेल के बुनियादी नियमों पर सवाल उठाने की प्रक्रिया भी चलती रहनी चाहिए। न सिर्फ बोलचाल की भाषा के क्षेत्र में महिलाएँ मौन रही हैं बल्कि लिखित भाषा पर भी शक्तिशाली द्वारा एकाधिकार जमा लिया गया है। महिलाओं का समूह ऐसा अकेला समूह नहीं है जिस पर निष्कर्षता का प्रभाव पड़ता हो, लेकिन साक्षरता दरों में व्याप्त जेण्डर अन्तर चौंकाने वाले और चिन्ताजनक हैं। जहाँ शिक्षा एक दुर्लभ संसाधन हो, वहाँ बच्चों को शिक्षित करने को अधिक लाभप्रद माना जाता है। लेकिन इन आर्थिक विवशताओं के

अतिरिक्त राजनीतिक विवशताएँ भी मौजूद होती हैं। शक्तिशाली समूहों को यह भय रहता है कि शिक्षा कहीं शक्तिहीन समूहों को सशक्त न कर दे और कहीं वे विरोध की तरफ न प्रवृत्त हो जाएँ। इस सन्दर्भ में, मौखिक और लिखित संचार के बीच की खाई बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आधुनिक समाजों में, स्थायित्व और प्राधिकार की भाषा लिखित भाषा होती है और इस लिखित भाषा को मौखिक भाषा की तुलना में ऊपर और विशेषाधिकार सम्पन्न रखा जाता है। यह समस्याजनक है क्योंकि मौखिक भाषा ही वह भाषा होती है, जिस तक शक्तिहीन समूह की आसान पहुँच होती है और यह मौखिक भाषा ही उनके संचार का साधन होती है। हमारी पाठ्यपुस्तकों में और हमारे कक्षा-कक्षों में - 'दोनों जगह' हमें सामान्यतया लिखित शब्द को लेकर थोड़ा आलोचनात्मक होने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि हम पुस्तक के मताग्रही प्राधिकार को चुनौती देना सीखें। यह ठीक है कि विद्यार्थीगण लिखित पाठ को महत्व देना सीखें, लेकिन उन्हें लिखित शब्द की ताकत से अभिभूत नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि लिखित शब्द की शक्ति उन्हें संचार के अन्य रूपों की सम्भावनाओं को लेकर लापरवाह या बेखबर न बना दे।

6.9 शिक्षा के हितधारकों के लिए दृष्टिकोण सिद्धान्त के निहितार्थ

महिलाओं की शिक्षा का औचित्य इन आधारों पर स्थापित किया जाता रहा है : पूरक आय के अर्जन में सहायता, प्रजनन की दरों का कम होना और जनसंख्या-नियन्त्रण, मातृत्वमूलक कौशलों का बेहतर होना, "परम्परा" और आध्यात्मिक मूल्यों को बनाए-बचाए रखना तथा सामाजिक सामंजस्य और समरसता को बेहतर बनाना। इनमें से अधिकतर आधार या हित महिलाओं को परिवार व समाज को बनाए रखने और उसे चलाने के लिए आवश्यक एक उपकरण के रूप में देखते हैं, चाहे ऐसा करते हुए महिलाओं को वैयक्तिक रूप से एक मानव होने की अपनी पहचान और अधिकारों का ही बलिदान क्यों न करना पड़े। यहाँ विरोधाभास यह है कि शिक्षा, जो बाँधने वाले और प्रतिबन्धित करने वाले सामाजिक मूल्यों और रूढ़िवादिता के पुनरुत्पादन का एक माध्यम रही है, वही सशक्तीकरण का भी माध्यम रही है।

इसके अतिरिक्त, पाठ्यक्रम और शिक्षणशास्त्र के माध्यम से शिक्षा को "आकार प्रदान करने" वाले और उसे प्रसारित करने वाले राज्य और अन्य अभिकरण भी इस विरोधाभास के दायरे में आते हैं। राज्य और अन्य अभिकरण एक तरफ तो अधीनस्थता को प्रवर्तित करने और यथास्थिति को बनाए रखने के लिए उपकरण की तरह काम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वे प्रगतिशीलता का आवरण भी ओढ़ते हैं। ऐसी दशा में, इस परिस्थिति के कारण जो विरोधाभास और तनाव उत्पन्न होते हैं, वे पाठ्यपुस्तकों के जरिये की जाने वाली ज्ञान की निर्मिति में भी विरोधाभासी सन्देशों या वर्णनों के रूप में निहित रहते हैं। बहुधा यह देखा गया है कि एक ही पाठ्यपुस्तक में किसी अध्याय में तो महिलाओं को पुरुषों के बराबर दिखाया गया है, और किसी दूसरे अध्याय में उन्हें पुरुषों से कमतर दिखाया गया है।

यदि शिक्षा नीति जेण्डर समानता के प्रति कटिबद्ध है तो इस विरोधाभास को सम्बोधित करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही ज्ञान की बुनियादी निर्मिति में असंदिग्ध रूप से प्रगतिशील परिप्रेक्ष्यों के विकास को भी सम्बोधित करने की आवश्यकता है, जिसे रूपान्तरण के एक आधार या फोकस के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। जेण्डर सम्बन्धों की जो प्रस्तुति पाठ्यक्रम करता है, वह अक्सर लोकप्रिय मान्यताओं पर या फिर

प्रभुत्वशाली समूहों द्वारा चिरस्थायी बना दिए गए विचारों पर आधारित होती है। इसके अतिरिक्त, आमतौर पर इसमें नर यानी पुरुष को मानकीय ज्ञानमीमांसीय कर्ता के रूप में स्थान दिया जाता है। महिलाओं के विभेदीकृत योगदानों, उनकी अलग क्षमताओं और उनके भिन्न परिप्रेक्ष्यों पर शायद ही कभी विचार किया जाता हो। ज्ञान के वैकल्पिक जेष्ठरीकृत ढाँचों के लिए यह आवश्यक है कि वह पुरुषों और महिलाओं, दोनों, के विश्वों को समान रूप से प्रतिबिम्बित करे और उसके भीतर न्यायपूर्ण सामाजिक रूपान्तरण के बीज भी मौजूद हों।

गुप्त पाठ्यचर्या को सम्बोधित करना

छिपा हुआ पाठ्यचर्या संगठनात्मक व्यवस्थाओं की तरफ इशारा करता है, इनमें शामिल हैं : विद्यालयी जीवन के दैनन्दिन कार्य-व्यवहार, जैसे - लड़कों और लड़कियों के अलग-अलग बैठने का प्रबन्ध करवाना, उनकी पंक्तियों को अलग-अलग ही रखना, उनसे अलग-अलग टीम बनाने के लिए कहना (यानी एक टीम में सिर्फ लड़के ही सम्मिलित होंगे और दूसरी टीम में केवल लड़कियाँ ही शामिल होंगी), कार्य को भेदभावपरक तरीके से सौंपना तथा विद्यालय में भ्रम का लैंगिक विभाजन करना, जैसे - लड़कों को तो बाहर जाने की अनुमति देना लेकिन लड़कियों को यह अनुमति न देकर उनसे झाड़ू-बुहार या साफ-सफाई करने, पानी पिलाने का प्रबन्ध करने, समारोहों में गुलदस्ते भेंट करने के कार्य को करने के लिए कहना, पुरस्कार और दण्ड देने की भेदभावपरक प्रणालियाँ, लड़कों और लड़कियों को अनुशासनबद्ध करने के लिए अलग-अलग तरीके की रणनीतियाँ अपनाना, शिक्षकों द्वारा लड़कों और लड़कियों पर अलग-अलग तरीके की उपाधियाँ चरप्पी करना, अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच या फिर एक विद्यार्थी और दूसरे विद्यार्थी के बीच की जाने वाली अन्तःक्रियाएँ। इन सबके अतिरिक्त, शिक्षण और कक्षा-सामग्री, कक्षा-कक्ष में किए जाने वाले व्यवहार, मूल्यांकन और जाँचने की प्रक्रियाएँ तथा भाषा-नीति भी उसी पाठ्यक्रम के घटक हैं जिसे विद्यालय में 'सीखा' जाता है। यह उन सन्दर्भों की पड़ताल की माँग करता है, जिनके भीतर बच्चे/बच्चियाँ, समाज में महिला या पुरुष के रूप में, बड़े होने के दौरान अपने व्यक्तिनिष्ठ अनुभवों के फिल्टर के जरिये इन धारणाओं का तात्पर्य निकालते/निकालती हैं या इन धारणाओं के प्रति अनुक्रिया करते/करती हैं। हालाँकि विद्यालयी पाठ्यपुस्तकों में जेष्ठर के चित्रण को उल्लेखनीय मानने वाली विचारधाराओं को समझना भी महत्वपूर्ण है, फिर भी, इस बात का परीक्षण करना भी समान रूप से ही महत्वपूर्ण है कि ये विचारधाराएँ विद्यालय के दैनिक व्यवहारों, अनुभवों और शिक्षणशास्त्रीय प्रथाओं के स्तर पर किस तरह अभिव्यक्त होती हैं।

सुविधा-प्रदायक के रूप में शिक्षक

नारीवादी शिक्षणशास्त्र सीखने की और शिक्षण की सहभागितामूलक प्रक्रिया पर जोर देता है, जिसके भीतर व्यक्तिनिष्ठता, भावना और अनुभव का एक निश्चित और मूल्यवान स्थान होता है। यह ठीक है कि सहभागिता एक शक्तिशाली रणनीति है, फिर भी इसका शिक्षणशास्त्रीय पहलू तब बहुत कुन्द होता है, जब इसे प्रयोग में लाया जाता है। सहभागिता का तब कोई अर्थ नहीं रह जाता, जब इसे निश्चित, पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने का एक साधन माना जाता है। इसका वहाँ भी कोई अर्थ नहीं रह जाता, जहाँ कक्षा-कक्षों में की जाने वाली चर्चाओं के दौरान शिक्षक के अपने विचार ही हावी रहते हैं। इसका महत्व तभी होता है, जब यह विद्यार्थियों और शिक्षकों - दोनों - के अनुभवों का प्रारम्भ से ही संज्ञान लेता है।

पाठ्यक्रम के लिए यह आवश्यक है कि उसमें संघर्ष (conflict) के विचार पर प्रकाश डालने वाली शिक्षणशास्त्रीय रणनीतियाँ भी अवश्य मौजूद हों - वह संघर्ष, जो समकालीन

समाज में प्रेषित किए जाने और उस प्रेषण को मूल्य प्रदान करने के बीच मौजूद होता है, जो उन अलग-अलग विश्वों के बीच विद्यमान होता है जिनमें बच्चे निवास करते हैं और इन सबका संघर्ष इस चीज के साथ कि एक जेण्डर-न्यायपूर्ण और कम हिंसक विश्व किस तरीके का हो सकता है। एक शिक्षणशास्त्रीय रणनीति के रूप में संघर्ष का उपयोग करना, विद्यार्थियों को संघर्ष से निपटने की दिशा में सक्षम बनाने जैसा है। ऐसा करने से विद्यार्थियों के अन्दर संघर्ष की प्रकृति और उनके जीवन में इस संघर्ष की भूमिका के सम्बन्ध में जागरूकता भी आएगी।

यदि कक्षा-कक्ष में बच्चों के सामाजिक अनुभवों को समाविष्ट करना है, तो यह अनिवार्य है कि संघर्ष के मुद्दों को अवश्य सम्बोधित किया जाए। संघर्ष बच्चों के जीवन का एक ऐसा हिस्सा है, जिससे पलायन नहीं किया जा सकता। उनके सामने निरन्तर ऐसी परिस्थितियाँ आती रहती हैं, जो नैतिक मूल्यांकन और कार्रवाई की तरफ प्रेरित करती हैं, चाहे ये स्थितियाँ खुद को, परिवार को, समाज को शामिल करते हुए संघर्ष के व्यक्तिनिष्ठ अनुभवों के सम्बन्ध में हों या फिर ये स्थितियाँ ऐसी हों जहाँ बच्चों का सामना समकालीन विश्व में हिंसक संघर्षों से होता हो। तब भी, औपचारिक पाठ्यक्रम की प्रवृत्ति यही होती है कि वह ज्ञान को उदासीन (neutral) मानता है और संघर्ष का लोप कर देता है ताकि समाज और उसके ज्ञान के एक निर्धारित दृष्टिकोण को वैध बनाया जा सके - एक ऐसा दृष्टिकोण जो वर्चस्वशाली विमर्शों से सम्बन्धित है।

यदि हम एक महिला विद्यार्थी की बात करें, तो एक शिक्षक की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वह अवस्थिति की समझ के बारे में उस महिला विद्यार्थी की समझ को - उसके वर्ग, जाति, जेण्डर, धर्म, यौनिकता और धर्म के सन्दर्भ में - बनाए रखे, उसे सुधारे और उसे आकार प्रदान करे। वर्तमान समय में यह बात शिक्षकों के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह ऐसा समय है जब ढेर सारे बच्चे अलग-अलग और विविध समूहों से सम्बन्ध रखने वाले होते हैं, उनकी सांस्कृतिक परम्पराएँ और ज्ञान की प्रणालियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं, चीजों को देखने के उनके तरीके अलग-अलग होते हैं तथा पहचान को लेकर समझ बनाने के उनके ढंग भिन्न-भिन्न होते हैं।

शिक्षक/शिक्षिका से क्या उम्मीद की जाती है? शिक्षार्थी में विश्व को मूल्य प्रदान करने की प्रक्रियाओं का प्रारम्भ करना, और इसके साथ ही साथ शिक्षार्थी/बच्ची में अपने विश्व के प्रति चिन्तन करने की योग्यता का विकास करना, शिक्षार्थी/बच्ची को ज्ञान के नवीन रूपों के साथ संलग्न होने के लायक बनाना - सकारात्मक पहचान के निर्माण में शिक्षक/शिक्षिका बच्चों को सुविधा प्रदान कर सकते/सकती हैं। इसके लिए किसी भी शिक्षिका के लिए यह आवश्यक है कि मानकों, मूल्यों और आदर्शों को लेकर अभी तक उसकी जो मान्यताएँ रही हैं, उन्हें वह त्याग (unlearn) दे। ऐसा किए बिना तो सिर्फ यही होगा कि शिक्षक/शिक्षिका के अपने पूर्वाग्रह और उसकी अपनी पूर्व-मान्यताएँ इन उद्देश्यों और शिक्षणशास्त्रों को अंगीकार करने की प्रक्रिया को महज आलंकारिक कथन बनाकर रख देंगी - ऐसे आलंकारिक कथन जिन्हें यान्त्रिक और संस्कारबद्ध प्रक्रियाओं के माध्यम से लागू किया जाता है। शिक्षा को जेण्डर संवेदी बनाने के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षणशास्त्र के मुद्दे पर अत्यधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

जेण्डर संवेदी शिक्षा को किस पर केन्द्रित होना चाहिए

जेण्डर संवेदी शिक्षा को जिन चीजों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए, वे हैं - स्वयं की पहचान को प्रोत्साहित करना, आलोचनात्मक चिन्तन को सदीप्त करते हुए एक सकारात्मक आत्म-छवि और आत्म-सिद्धि को सम्भव बनाना, जेण्डर को शामिल करते हुए शक्ति की जेण्डरीकृत संरचनाओं की समझ को बेहतर और गम्भीर बनाना, संसाधनों,

विशेष रूप से सूचना और ज्ञान के विस्तृत हो रहे ढोंचे तक पहुँच को उपलब्ध कराना, उपलब्ध विकल्पों का विश्लेषण करने की योग्यता का विकास करना, तथा संसूचित चयन सम्पन्न करने की सम्भावना के सन्दर्भ में सुविधा प्रदान करना, लड़कियों के अभिकरणों को शक्तिशाली बनाना ताकि वे शक्ति की जेण्डरीकृत संरचना को चुनौती दे सकें और अपने जीवन पर खुद अपना नियन्त्रण रख सकें।

इसलिए, पूर्वाग्रहों को समाप्त करना और असमानताओं को सम्बोधित करना आसान कार्य नहीं है, ये कार्य जटिल हैं और चुनौतीपूर्ण हैं। इस चुनौती का सामना करने के लिए, समस्त हितधारकों के लिए आवश्यक है कि वे शिक्षा को इसकी रूपान्तरणकारी क्षमता के सन्दर्भ में देखें, वे शिक्षा को एक ऐसे सामाजिक हस्तक्षेप के रूप में देखें जो विद्यमान यथार्थों के पुनःपरीक्षण की दिशा में कार्य करता है। ऐसा करने पर शिक्षा, अकेले ही, जेण्डर के कारण उत्पन्न अन्याय के समाधान के लिए सर्वाधिक शक्तिशाली प्रक्रिया हो जाएगी तथा यह समाज के नए रूपों और उनमें नए मूल्यों की स्थापना करने में उल्लेखनीय सहायता देगी। ये मूल्य ऐसे होंगे जो महिलाओं और पुरुषों - दोनों - को इस सन्दर्भ में सक्षम बनाएँगे कि वे अपनी-अपनी मानवीय क्षमताओं का विकास करके उन्हें शिखर पर ले जा सकें। इससे महिला और पुरुष दिए गए तरीकों से आगे बढ़कर हमारे मविष्य के बारे में नवाचारी तरीकों की कल्पना करने योग्य हो सकेंगे।

चदाहरणात्मक जेण्डर समावेशी गतिविधियाँ

बहुत सारे लोगों का मानना है कि कोई गतिविधि सीखने का एक तरीका होती है, जिसमें बच्चों की नैतिक सहभागिता शामिल होती है। इनका मानना है कि यह गतिविधि बच्चों के लिए नाटक करने, कविता या गीत गाने, कठपुतलियों का खेल खेलने या कोई आनन्ददायक खेल खेलने वगैरह जैसी ही होती है यानी किसी मजेदार क्रीड़ा की तरह। ये सारी गतिविधियाँ सीखने के लिए बेहतर गतिविधियों की तरह कार्य कर सकती हैं। इसमें खघ्तरा यही है कि कई बार शिक्षक सिर्फ खानापूर्ति के लिए ये गतिविधियाँ आयोजित कराते हैं और तब ऐसी दशा में, यद्यपि ये गतिविधियाँ आनन्ददायी होती हैं, फिर भी यह आशंका रहती है कि ये सीखने की दिशा में न ले जा सकें। सीखने की कुछ सहयोगात्मक गतिविधियाँ नीचे दी गई हैं, जो शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में जेण्डर-समावेशन के लिए एक सम्भावना और एक क्षेत्र उपलब्ध कराती हैं :

गतिविधि 2 : केवल एक मिनट

- 10-15 छोटी घरेलू वस्तुओं को लीजिए, जैसे - चूड़ियाँ, दन्तमंजन, दाढ़ी बनाने का साबुन, चाकू, एक या दो रुपये का सिक्का, लिपस्टिक, पेन्सिलें, मोजे आदि। इन चीजों को एक ट्रे में रखिए।
- इस ट्रे को मेज पर रखिए और इसे कक्षा-कक्ष के पिछले हिस्से में रखिए।
- प्रत्येक पुरुष या महिला विद्यार्थी से कहिए कि वे एक-एक करके जाएँ, और उनसे कहिए कि ये ट्रे में रखी वस्तुओं का एक मिनट तक प्रेक्षण करें।
- जब एक विद्यार्थी वापस आता/आती है, तो उससे कहिए कि वह उन वस्तुओं को याद करे जो उसने अभी देखी थी, और इस तरह स्मृति के आधार पर वह उन वस्तुओं के नाम लिखे, जो वह अभी-अभी देखकर आय/आयी थी।
- एक-एक करके उन महिला और पुरुष विद्यार्थियों से कहिए कि ये उन वस्तुओं की संख्या को साझा करें, जो वे अभी देखकर आये थे।

जेण्डर और शिक्षणशास्त्रीय प्रभाव

- प्रत्येक विद्यार्थी जिन वस्तुओं को अपनी स्मृति में याद करके लौटता/लौटती है, उस पर एक चर्चा कीजिए। बहुत सम्भव है कि किसी लड़की को पढ़ाई-लिखाई (stationery) से सम्बन्धित वस्तुएँ याद हों और किसी लड़के को सौन्दर्य प्रसाधन (cosmetics) या घर-परिवार से जुड़ी वस्तुएँ याद हों। जिस तरीके की वस्तुएँ उन्हें याद हैं, उनके लिए एक सकारात्मक प्रवर्तन कीजिए, कुछ इस तरह कहते हुए कि:
- “ऐसा लगता है कि घरेलू कामकाज में राम अपने माता-पिता की मदद करता है। इसीलिए उसे घर-परिवार की ज्यादातर वस्तुएँ याद हैं।”
- “अध्ययन में सुनीता की बहुत रुचि है, इसीलिए उसे पढ़ाई-लिखाई (stationery) से सम्बन्धित ज्यादातर वस्तुएँ याद हैं।”
- विद्यार्थी से कहिए कि वे इस बात पर चिन्तन करें और उसे सबको बताएँ कि उन्हें यही खास तरीके की वस्तुएँ ही क्यों याद थीं।

अधिगम परिणाम

- प्रेक्षण के कौशल में सुधार
- याद करने की योग्यता में सुधार
- विद्यार्थियों की रुचि के क्षेत्र का अन्वेषण
- जिन प्रकार की वस्तुओं के साथ हम सम्पर्क में आते हैं, उन विविध प्रकार की वस्तुओं और उनके उपयोग के बारे में सीखना
- जेण्डर भूमिका की रूढ़िवादिता को हटाना

गतिविधि 3 : सोचिए, जोड़ा बनाइए, साझा कीजिए

सोचिए, जोड़ा बनाइए, साझा कीजिए की शुरुआत व्यक्ति (individual) के साथ होती है और इसका समापन सम्पूर्ण समूह के साथ होता है।

- समूहध्वक्शा को एक विषय उपलब्ध कराइए जैसे - “जल कितना महत्वपूर्ण है” या “सड़क सुरक्षा”।
- विद्यार्थियों से कहिए कि उस विषय के बारे में वे जो कुछ पहले से ही जानते हैं, उसे याद करें और उन बिन्दुओं को लिखें।
- विद्यार्थियों से कहिए कि वे किसी दूसरे विद्यार्थी के साथ अपना एक जोड़ा बनाएँ। यह सुनिश्चित करें कि इस जोड़े में एक लड़का शामिल हो और एक लड़की।
- प्रत्येक जोड़े से कहिए कि एक सहमति तक पहुँचने के लिए वह अपनी वर्तमान समझ को साझा करें।
- अन्त में उनसे कहिए कि वे इस सूचना को पूरी कक्षा के साथ साझा करें। यह सुनिश्चित करें कि साझा करने की इस प्रक्रिया में लड़के और लड़कियाँ - दोनों ही - सहभागिता अवश्य करें।

अधिगम परिणाम

- सोचने की क्षमता को बढ़ाना
- ज्ञान की साझेदारी

- संचार कौशलों का विकास
- लड़कों और लड़कियों की समान सहभागिता
- अलग-अलग मुद्दों पर किसी लड़के और किसी लड़की के परिप्रेक्ष्य को सामने रखिए और वे एक-दूसरे के परिप्रेक्ष्य से सीखेंगे।

गतिविधि 4 : अपने साथी का परिचय दीजिए

- 20 विद्यार्थियों की कक्षा के लिए 20 पर्चियाँ बनाइए। एक साथ दो पर्चियाँ खींचिए और इन पर विपरीतार्थक शब्द लिखिए: जैसे - काला-सफेद, दिन-रात, भाई-बहन आदि। हर पर्ची को अलग-अलग पात्रों में रखिए।
- कक्षा के लड़कों और लड़कियों से कहिए कि लड़के एक पात्र से और लड़कियाँ दूसरे पात्र से पर्चियों को उठाएँ।
- विद्यार्थियों से कहिए कि वे पर्ची पर लिखे गए नाम को पढ़ें और उस विद्यार्थी को खोजें, जिसकी पर्ची पर इस नाम का विपरीतार्थक शब्द लिखा हुआ है।
- इस तरीके से आपको दस जोड़े मिलेंगे, और प्रत्येक जोड़े में एक लड़का और एक लड़की शामिल होंगे।
- जोड़े से कहिए कि वे एक-दूसरे से निम्नलिखित प्रश्न पूछें-

आपका नाम

आपके पिता का नाम

आपकी माता का नाम

आपके भाई-बहनों की संख्या

आपके परिवार का प्रत्येक सदस्य क्या करता है?

आपके शौक, आपकी रुचियाँ, आपकी पसन्द, नापसन्द आदि।

अन्य चीजों के बारे में भी पूछिए, जिसके बारे में वे चाहते हैं कि उनसे पूछा जाए

- अब प्रत्येक जोड़े से कहिए कि उन्होंने आपस में जो बातचीत की है, उसके आधार पर एक-दूसरे का परिचय कराएँ।

अधिगम परिणाम

- सम्बन्धों का निर्माण
- पर्यावरणीय अध्ययनों में कुछ विषयों पर यह सीखने के ठोस अनुभव उपलब्ध कराता है। ये विषय इस प्रकार हो सकते हैं - "मेरा परिवार", "मेरे जीवन का एक दिन", "मेरा पड़ोस" आदि।
- संचार कौशल में सुधार
- सामाजिक-वैयक्तिक कौशलों में सुधार जैसे - साझेदारी में, सहयोग में और एक-दूसरे के प्रति आदर में सुधार।

अपनी प्रगति को जाँचिए**3. गुप्त पाठ्यचर्या क्या है?**

.....

.....

.....

.....

6.10 सारांश

नारीवादी स्टैण्डपवाइण्ट सिद्धान्तकार तीन प्रमुख दावे करते हैं : (1) ज्ञान सामाजिक रूप से अवस्थित होता है, (2) हाशियाकृत समूह सामाजिक रूप से अनेक प्रकार से अवस्थित होते हैं, जो उनके लिए इस बात को और अधिक सम्भव बनाता है कि वे चीजों के प्रति जागरूक हों और इस सन्दर्भ में प्रश्न पूछ सकें कि गैर-हाशियाकृत समूहों के लिए ऐसा क्यों नहीं है, (3) अनुसन्धान का, विशेष रूप से शक्ति-सम्बन्धों पर अपना ध्यान केन्द्रित करने वाले अनुसन्धान का प्रारम्भ हाशियाकृत लोगों के जीवन के साथ होना चाहिए। नारीवादी चिन्तन की दूसरी लहर से उत्पन्न होने वाले सिद्धान्तों में से यह सिद्धान्त सर्वाधिक प्रभावशाली रहा है और इस पर सर्वाधिक वाद-विवाद भी हुए हैं। नारीवादी स्टैण्डपवाइण्ट सिद्धान्त सम्बन्धों को राजनीतिक और सामाजिक शक्ति तथा ज्ञान की केन्द्रावस्था के बीच रखता है। ये सिद्धान्त वर्णनात्मक और मानकीय - दोनों - हैं। ये सिद्धान्त ज्ञान पर शक्ति संरचनाओं के कारणात्मक प्रभावों का वर्णन और विश्लेषण करते हैं तथा साथ ही साथ ये अन्वेषण के एक विशिष्ट मार्ग की वकालत भी करते हैं - ऐसे मार्ग की वकालत, जो हाशियाकृत जीवन के भीतर के साझे राजनीतिक संघर्ष से उभरने वाले स्टैण्डपवाइण्ट्स से शुरू होता है। नारीवादी स्टैण्डपवाइण्ट सिद्धान्त 1970 के दशक में उभरे। सबसे पहले ये सामाजिक विज्ञान के अनेक ज्ञानानुशासनों के भीतर मार्क्सवादी नारीवाद और नारीवादी आलोचनात्मक सैद्धान्तिक दृष्टिकोणों से उभरकर सामने आए। इस प्रकार ये ऐसे ज्ञानमीमांसीय और प्रविधिमूलक दृष्टिकोण उपलब्ध कराते हैं, जो विभिन्न ज्ञानानुशासनात्मक ढाँचों के लिए तो विशिष्ट होते हैं लेकिन शक्ति/ज्ञान के सम्बन्धों को स्वीकार करने, उसका विश्लेषण और चित्रण करने की प्रतिबद्धता में ये एक जैसे ही होते हैं। ये दृष्टिकोण इस प्रतिबद्धता में भी एक जैसे ही होते हैं कि परिवर्तनों को लाया जाना चाहिए ताकि अधिक न्यायपूर्ण समाजों की रचना हो सके। अनेक ज्ञानानुशासनों के भीतर कार्यरत नारीवादी अध्येताओं - जैसे डोरोथी स्मिथ, नैन्सी हार्टसॉक, हिलेरी रोज, साण्ड्रा हार्डिंग, पैट्रीसिया हिल कोलिन्स, एलिसन जगगर, और डोना हरावे - ने वकालत की है कि वैज्ञानिक अन्वेषण के प्रारम्भ के रूप में महिलाओं द्वारा जिए गए अनुभवों को, विशेष रूप से देखभाल सम्बन्धी कार्यों के अनुभवों को विचार के अन्तर्गत लेना चाहिए। भौतिक अनुभव, शक्ति, और ज्ञानमीमांसा, तथा ज्ञान के उत्पादन पर शक्ति-सम्बन्धों के प्रभावों के बीच सम्बन्धों के नारीवादी विश्लेषण और आलोचनाएँ इन सभी स्टैण्डपवाइण्ट सिद्धान्तों के केन्द्र में हैं।

6.11 इकाई अन्त प्रश्न

1. जेम्बर तथा जाति, वर्ग, प्रजाति और नृजातीयता से जुड़ी अन्य प्रकार की असमानताओं को शिक्षा के माध्यम से सम्बोधित करना क्यों आवश्यक है?
2. जाति, वर्ग, प्रजाति और नृजातीयता से जुड़ी सामाजिक असमानताओं को शिक्षा के माध्यम से सम्बोधित करने में कौन-सी चुनौतियाँ मौजूद हैं?

6.12 अपनी प्रगति जाँच के उत्तर

1. प्राथमिक दृष्टिकोण पारम्परिक दृष्टिकोण होते हैं। ये हाशियाकरण के प्रत्यक्ष अनुभवों से स्वतः उत्पन्न होते हैं। जबकि द्वितीयक दृष्टिकोण पर अधिकार रखने वाले लोगों की प्रत्यक्ष पहुँच हाशियाकरण के अनुभवों तक नहीं होती तथा इस प्रकार इन्हें प्राथमिक दृष्टिकोण के अभिकर्ताओं के बीच रहना होता है।
2. ऐसा उन परिस्थितियों के अन्तर्गत के कारण होता है, जिन परिस्थितियों में लोगों के ये दो समुच्चय रहते हैं।
3. गुप्त पाठ्यक्रम संगठनात्मक व्यवस्थाओं की तरफ इशारा करता है, इनमें शामिल हैं : विद्यालयी जीवन के दैनन्दिन कार्य-व्यवहार, जैसे - लड़कों और लड़कियों के अलग-अलग बैठने का प्रबन्ध करवाना, उनकी पंक्तियों को अलग-अलग ही रखना, उनसे अलग-अलग टीम बनाने के लिए कहना (यानी एक टीम में सिर्फ लड़के ही सम्मिलित होंगे और दूसरी टीम में केवल लड़कियाँ ही शामिल होंगी), कार्य को भेदभावपरक तरीके से सौंपना तथा विद्यालय में श्रम का लैंगिक विभाजन करना।

6.13 सन्दर्भ ग्रंथ

1. Baldwin P and Baldwin D, "The Portrayal of Women in Classroom Textbooks," *Canadian Social Studies* 26: 3 (1992), 110-114.
2. Howell, T. "Feminist Standpoint Theory." *The Internet Encyclopedia of Philosophy*. n.d. Web. April 16, 2016.
3. Crumley II, Jack S. *An Introduction to Epistemology*. Ontario: Broadview Press, 2009. Print.
4. Harding, Sandra. "Rethinking Standpoint Epistemology: What is 'Strong Objectivity'?" *Knowledge and Inquiry: Readings in Epistemology*. Ed. K. Brad Wray. Ontario: Broadview Press, 2007. 352-384. Print.
5. Kumar Indu, 2011 "Content Analysis on Gender Perspective of Elementary Level Environmental Studies/Social Science Text books of Rajasthan Board"
6. National Curriculum Framework 2005, NCERT
7. National Curriculum Framework 2005, Position Paper, National Focus Group on Gender Issues in Education, 2005, NCERT
8. <http://communicationtheory.org/the-standpoint-theory/#>
9. <http://www.iep.utm.edu/fem-stand/>

इकाई 7 सहभागितापूर्ण कक्षा-कक्ष

संरचना

- 7.1 प्रस्तावना
- 7.2 उद्देश्य
- 7.3 कक्षा-कक्ष शिक्षण अधिगम का जेम्बर लेखा-परीक्षण
- 7.4 जेम्बर-संवेदी शिक्षण तथा अधिगम वातावरण निर्माण के उपागम
 - 7.4.1 भाषा शिक्षण द्वारा जेम्बर संवेदनशीलता
 - 7.4.2 गणित शिक्षण द्वारा जेम्बर संवेदनशीलता
 - 7.4.3 पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण द्वारा जेम्बर संवेदनशीलता
 - 7.4.4 जेम्बर संवेदनशीलता निर्माण हेतु एक परामर्शक के रूप में शिक्षक
- 7.5 सहभागिता और प्रतिनिधित्व द्वारा जेम्बर संवेदी कक्षा-कक्ष
- 7.6 कक्षा-कक्ष में बदलते शक्ति-समीकरण
- 7.7 शिक्षण प्रविधि के विखण्डन और पुनर्निर्माण के निहितार्थ
- 7.8 सारांश
- 7.9 इकाई अन्त प्रश्न
- 7.10 अपनी प्रगति जाँच के उत्तर
- 7.11 सन्दर्भ ग्रन्थ

7.1 प्रस्तावना

शिक्षक महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। ये शिक्षणशास्त्रीय और पाठ्यक्रम सम्बन्धी परिवर्तनों को लाने के लिए अग्रमोर्चे पर विराजमान होते हैं। पेशेवर लोगों के रूप में, ये शिक्षक गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने में तथा विद्यालयों में शिक्षण और सीखने के वातावरण में गुणात्मक परिवर्तन लाने में अपना योगदान देते हैं। अपने विद्यार्थियों तक न्यायसंगतता को प्रसारित करने में तथा समस्त प्रकार की सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं को हटाने में उनकी सहायता करने में ये शिक्षक अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सूचना को ज्ञान में रूपान्तरित करने के लिए सुविधाप्रदायक होते हैं। ज्ञान के सुविधाप्रदायक होने के कारण, उनके लिए यह आवश्यक है कि वे पितृसत्ता के सामाजिक मानकों पर आलोचनात्मक तरीके से सवाल उठाएँ तथा समाज में पारम्परिक रूप से महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति पर चिन्तन करें। समस्त सन्दर्भों में अवस्थित विद्यालय समाजीकरण के महत्वपूर्ण अंगिकरण होते हैं तथा बच्चों के बड़े होने की प्रक्रिया में विद्यालयों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय में बच्चों का परिचय न सिर्फ औपचारिक शिक्षा से कराया जाता है, बल्कि अन्तःक्रिया तथा अनौपचारिक रूप से सीखने के लिए उन्हें विद्यालय में अनेक अवसर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। विद्यालयों के लिए यह आवश्यक है कि वे लड़कियों और लड़कों को एक ऐसे वातावरण में बड़े होने के लिए अपेक्षित अवसर उपलब्ध कराएँ, जो उन्हें सक्षम बनाता हो। ऐसा करने के लिए, शिक्षकों के लिए यह आवश्यक है कि वे स्वयं अपने समाजीकरण और स्वयं अपनी अभिवृत्तियों का विश्लेषण करें ताकि पाठ्यक्रम के व्यवहार का लड़कों और लड़कियों के लिए न्यायसंगत

होना सुनिश्चित हो सके। यह इकाई लड़कों और लड़कियों के व्यक्तित्व को, उनके जीवन के महत्वपूर्ण निर्मायक वर्षों के दौरान, आकार प्रदान करने में जेण्डर समानता के महत्व को समझने में शिक्षकों की सहायता करेगी तथा विद्यालयी शिक्षा के समस्त नैतिक विचारों में जेण्डर समानता को मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता को रेखांकित करेगी।

7.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप :

- कक्षा-कक्ष के व्यवहारों का जेण्डर के दृष्टिकोण से लेखा-परीक्षण करने की प्रासंगिकता को समझ सकेंगे;
- कक्षा-कक्ष में सीखने का और शिक्षण का एक जेण्डर संवेदी वातावरण सृजित कर सकेंगे;
- सहभागिता और प्रतिनिधित्व के माध्यम से जेण्डर संवेदी कक्षा-कक्ष का सृजन कर सकेंगे;
- सहभागितापरक विधियों के माध्यम से कक्षा-कक्ष के शक्ति समीकरणों में परिवर्तन ला सकेंगे; और
- शिक्षण की प्रविधियों (methodologies) के विखण्डन और उनकी पुनर्रचना के निहितार्थों को समझ सकेंगे।

7.3 कक्षा-कक्ष शिक्षण अधिगम का जेण्डर लेखा-परीक्षण

जेण्डर महिलाओं और पुरुषों के बीच के ऐसे अन्तरों को सन्दर्भित करता है, जिनका निर्धारण सामाजिक रूप से किया जाता है तथा जो सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट होते हैं। जेण्डर सम्बन्धी मुद्दे सिर्फ महिलाओं से ही सम्बन्धित नहीं होते, बल्कि ये ऐसे मुद्दे होते हैं जिनमें पुरुषों और महिलाओं दोनों की चिन्ताएँ समाहित होती हैं। कक्षा-कक्ष की प्रक्रियाओं की योजना बनाने, उनका प्रबन्धन करने और उनकी निगरानी करने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक निर्मिति के रूप में जेण्डर की संकल्पना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए, लड़कियों और महिलाओं से सम्बन्धित मुद्दों को लड़कों और पुरुषों के सम्बन्ध में देखा जाना चाहिए तथा इन मुद्दों को अलग रखकर नहीं देखना चाहिए।

पुरुष और महिला जिन जेण्डर भूमिकाओं का निर्यह्न करते हैं, वे भूमिकाएँ जीव-वैज्ञानिक रूप से निर्धारित नहीं होती बल्कि उनका निर्धारण समाज में सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों द्वारा किया जाता है। अधिकांश समाजों में महिलाएँ घरेलू और प्रजननमूलक (पुनरुत्पादक) गतिविधियों को निष्पादित करती हैं, इसके अतिरिक्त वे अकुशल आर्थिक उत्पादक भूमिकाओं में भी संलग्न रहती हैं। कार्य के इस दोहरे बोझ का परिणाम यह होता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं पर बहुत अधिक भार पड़ जाता है। इस प्रकार, महिलाएँ भुगतान वाले और गैर-भुगतान वाले, दोनों, क्षेत्रों में कार्य करती हैं तथा बहुधा ऐसा होता है कि भुगतान वाले कार्यों के लिए भी उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता। शायद यह उन मुख्य कारणों में से एक कारण है, जिसकी वजह से महिलाओं को हमारे आर्थिक सर्वेक्षणों में कोई स्थान नहीं दिया जाता। कक्षा-कक्ष की गतिकी में ये जेण्डर भूमिकाएँ शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा चेतन या अचेतन रूप में

जेण्डर और शिक्षणशास्त्रीय प्रश्न

चित्रित की जाती हैं। जेण्डर समानता को प्रोत्साहित करने के लिए और कक्षा-कक्ष की प्रक्रियाओं में इसे हासिल किए जाने योग्य एक लक्ष्य के रूप में बनाने के लिए अलग-अलग आयु समूहों के बच्चों के बीच महिलाओं के कार्य को मूल्य प्रदान करने की अभिवृत्ति का संचार करना आवश्यक है।

बहुत सारी चीजों को बच्चे विद्यालय के बाहर सीखते हैं तथा उनके सामने लगातार ऐसी स्थितियाँ आती हैं, जिनमें उन्हें स्वयं को समाहित करते हुए परिवार और समाज का मूल्यांकन करना होता है, उन पर निर्णय देना होता है। उन्हें सीखने की ऐसी स्थितियाँ उपलब्ध करायी जानी आवश्यक हैं, जिनमें वैयक्तिक और सामूहिक दोनों स्तरों पर, (अभी तक सीखे गए) जेण्डर को भुला देना (unlearn) शामिल हो। इस कार्य को उन शिक्षणशास्त्रीय रणनीतियों द्वारा सम्पन्न किया जा सकता है, जो इस पर विचार करती हों कि समकालीन समाज में क्या प्रेक्षित किया जा रहा है और जो भी प्रेक्षित किया जा रहा है, वह एक जेण्डर समावेशी समाज में कैसा हो सकता है। पाठ्यचर्या व्यवहार को जेण्डर संवेदी बनाने के लिए अलग-अलग सामाजिक-सांस्कृतिक सन्दर्भों में पुरुषों और महिलाओं द्वारा हासिल की गयी स्थैतिक और परिवर्तित हो रही भूमिकाओं और स्थितियों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, विविधताओं और असमानताओं के समस्त रूपों की पहचान करना और उन्हें सम्बोधित करना भी आवश्यक है ताकि हम कक्षा-कक्ष के व्यवहारों में जेण्डर समानता को विकसित करने और उसे मजबूत करने योग्य हो सकें।

कक्षा-कक्ष के व्यवहारों की जेण्डर के दृष्टिकोण से की जाने वाली लेखा-परीक्षा में वह प्रक्रिया शामिल है जिसके माध्यम से शिक्षक इस बात की जाँच कर सकते हैं कि लड़कों और लड़कियों के बीच असमानताओं के कौन-कौन से प्रकार विद्यमान हैं और पाठ्यक्रम के व्यवहारों के माध्यम से ये असमानताएँ किस प्रकार निर्मित की जाती हैं। जेण्डर के दृष्टिकोण से लेखा-परीक्षा शिक्षकों द्वारा की जाती है ताकि कक्षा-कक्ष में लड़कों और लड़कियों के बीच विद्यमान जेण्डर सम्बन्धी अन्तराल को, ज्ञान के निर्माण और निहित पाठ्यक्रम के पदों में, पूर्णरूपेण समझा जा सके। पाठ्यक्रम के व्यवहारों में ऐसी प्रत्येक चीज शामिल है, जो शिक्षकों और शिक्षार्थियों के बीच की अन्तःक्रिया, गतिविधियों व अभ्यासों, मूल्यांकन व संचार के दौरान सीखने के वातावरण में घटित होती है।

गुप्त पाठ्यचर्या वह है जिसे विद्यार्थी विद्यालय में सीखते हैं। ऐसा निहित पाठ्यचर्या अध्ययन के औपचारिक पाठ्यचर्या का हिस्सा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, उदाहरण के लिए, - अपने मित्रों, शिक्षकों या अन्य वयस्कों के साथ की जाने वाली विद्यार्थियों की अन्तःक्रियाएँ, या फिर यह कि विद्यार्थी वर्ग, प्रजाति, धर्म या जेण्डर के आधार पर अलग-अलग लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। इसमें सीखने की ऐसी प्रक्रिया शामिल होती है जो कक्षा-कक्ष के भीतर और उसके बाहर भी, गैर-इरादतन तरीके से, घटित होती है। इसमें यह भी शामिल है कि विद्यार्थीगण किन विचारों और व्यवहारों को स्वीकार्य या अस्वीकार्य मानते हैं। औपचारिक व्यवस्था में आमतौर पर इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता और यह मान लिया जाता है कि इन विचारों या व्यवहारों को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है।

विद्यालयों में, बहुत सारे शिक्षक पारम्परिक जेण्डर भूमिकाओं का समर्थन करते हैं तथा वे लड़कियों और लड़कों की, क्रमशः उनके "स्त्रीवाचक" और "पुरुषवाचक" गुणों के लिए, प्रशंसा भी करते हैं। विद्यालयों में लड़कों और लड़कियों के पोशाक (uniform) को लेकर बनाए गए नियमों में अन्तर होता है। विद्यालय सम्बन्धी कार्य में लड़कों और लड़कियों से जब कोई सहायता माँगी जाती है तो यह विशिष्ट रूप से जेण्डर को ध्यान में रखकर माँगी जाती है। उदाहरणार्थ, लड़कों से कुर्सी-मेज हटाने में मदद करने के लिए कहा

जाता है तथा लड़कियों से साफ-सफाई और सेवा करने के लिए कहा जाता है। यहाँ तक कि लड़कों और लड़कियों को विषय और करियर के सम्बन्ध में सलाह देते समय भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उन्हें उनके जेण्डर के हिसाब से सलाह दी जाए।

पाठ्यचर्या सम्बन्धी अन्य गतिविधियों, जैसे – खेलकूद, में लड़कों को मुक्केबाजी या क्रिकेट आदि में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तथा लड़कियों को आमतौर पर खो-खो या बैडमिंटन जैसे खेलों की तरफ जाने के लिए प्रेरित किया जाता है। औपचारिक पाठ्यचर्या प्रकट रूप से लड़कों और लड़कियों के बीच भेदभाव नहीं करता लेकिन गुप्त पाठ्यचर्या जेण्डर समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से जेण्डर से जुड़ी स्टीरियोटाइप्ड पहचानों पर जोर देता है।

कक्षा-कक्ष के व्यवहार चाहे यह व्यवहार औपचारिक हो या निहित जेण्डर के दृष्टिकोण से किया गया विश्लेषण प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट आवश्यकताओं और उसकी शक्तियों की पहचान करने में शिक्षक की सहायता करता है - चाहे वह विद्यार्थी लड़का हो या लड़की। इससे अलग-अलग व्यवस्थाओं में कक्षा-कक्षों के बारे में योजना बनाने और उनका प्रबन्धन करने में सहायता मिलती है ताकि लड़कों और लड़कियों - दोनों - की समान सहभागिता को, उनकी पहचानी गयी आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार, सुनिश्चित किया जा सके।

समाज में जेण्डर आधारित रूढ़िवादिता जेण्डर असमानता को चित्रित या वर्णित करने का सर्वाधिक प्रचलित तरीका है। शिक्षक अपनी अभिवृत्तियों का निर्माण उस रूढ़िवादिता के आधार पर करते हैं जिसे वे अपने वयस्क होने की प्रक्रिया के दौरान तथा औपचारिक या अनौपचारिक रूप से ग्रहण किए गए सांस्कृतिक प्रसारणों के दौरान हासिल करते हैं। इस प्रकार, कक्षा-कक्ष के व्यवहार की जेण्डर के दृष्टिकोण से लेखा-परीक्षा करने हेतु शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले वह स्वयं जेण्डर-संवेदी हो। शिक्षकों को पहले उन जेण्डर अन्तरों की पहचान करनी चाहिए, जिनका अनुभव समस्त विद्यालयी गतिविधियों में किया जाता है। इसके पश्चात शिक्षकों को इस चीज का विश्लेषण करना चाहिए कि कक्षा-कक्ष के भीतर और बाहर की गतिविधियों की योजना बनाने और इन गतिविधियों को लागू करने के लिए इन अन्तरों के क्या निहितार्थ हैं। लड़कों और लड़कियों को उनकी जेण्डर आवश्यकताओं के आधार पर सौंपे गए कार्यों की पहचान और गहन अध्ययन करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, सहभागिता के सम्बन्ध में लड़के और लड़कियाँ जिन जेण्डर प्रतिबन्धों का अनुभव करते हैं, उनकी पहचान और अध्ययन करना भी आवश्यक है। शिक्षक कक्षा-कक्ष के व्यवहारों की जेण्डर के दृष्टिकोण से लेखा-परीक्षा निम्नलिखित तरीके के कुछ सरल सवालों के उत्तर देकर कर सकते हैं :

- क्या वह शिक्षक/शिक्षिका लड़कियों और लड़कों को कक्षा-कक्ष में अलग-अलग बैठने के लिए कहता/कहती है, उदाहरणार्थ - लड़कियों से कक्षा-कक्ष में एक तरफ और लड़कों से दूसरी तरफ बैठने के लिए कहना?
- क्या उस शिक्षक/शिक्षिका के पास कक्षा के लिए केवल एक ही मॉनीटर, चाहे यह लड़का हो या लड़की, है?
- क्या सभी प्रकार की गतिविधियों में सहभागिता करने के लिए वह शिक्षक/शिक्षिका लड़कियों और लड़कों - दोनों - को अवसर उपलब्ध कराता/कराती है?
- क्या वह शिक्षक/शिक्षिका भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के जेण्डर-आधारित वितरण को हतोत्साहित करता/करती है, उदाहरण के लिए, इस तरीके के काम को

जेम्बर और शिक्षणसांस्त्रीय प्रथाएँ

निरुत्साहित करना कि किसी मुख्य अतिथि का स्वागत कोई लड़की करेगी और व्यवस्था आदि को देखने की जिम्मेदारी किसी लड़के की होगी?

- सामूहिक गतिविधियों के दौरान क्या वह शिक्षक/शिक्षिका लड़कों के समूह को लड़कियों के समूह से अलग करता/करती है?
- क्या सहभागिता बढ़ाने के सन्दर्भ में लड़कियों के लिए कोई उपाय किया गया है, उदाहरण के लिए, लड़कियों से यह कहना कि वे कक्षा में ऊँची आवाज में पढ़ें, उनसे प्रश्न पूछना और उत्तर देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना?
- क्या विद्यालय में और विद्यालय के बाहर भी आयोजित की जाने वाली खेलकूद सम्बन्धी और सांस्कृतिक गतिविधियों में बच्चों की जेम्बर आधारित सहभागिता को वह शिक्षक/शिक्षिका हतोत्साहित करता/करती है?
- क्या वह शिक्षक/शिक्षिका लड़कों और लड़कियों से जुड़े नकारात्मक रुढ़िवादिता को तोड़ने के लिए गतिविधियों का आयोजन करता/करती है?
- क्या शिक्षक/शिक्षिका या विद्यार्थियों द्वारा खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसी गतिविधियों आयोजित की जाती हैं, जो जेम्बर-आधारित भेदभाव को समाप्त करती हों और विद्यालय में जेम्बर के दृष्टिकोण से मैत्रीपूर्ण वातावरण को प्रोत्साहित करती हों?
- कक्षा-कक्ष में क्या वह शिक्षक/शिक्षिका पारम्परिक व्यवहार को सशक्त बनाता/बनाती है, जैसे - लड़कों को पहले बुलाना, हस्तक्षेप करने और तर्क करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना या उन्हें उस तरीके के व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करना जिन्हें पारम्परिक रूप से पुरुषोचित व्यवहार कहा जाता रहा है, जबकि इसी तरीके के व्यवहारों के लिए लड़कियों को हतोत्साहित करना?
- क्या पुरस्कार या दण्ड देने के मामले में वह शिक्षक/शिक्षिका लड़कों और लड़कियों के साथ अलग-अलग प्रतिमान अपनाता/अपनाती है?
- क्या शिक्षक/शिक्षिका या विद्यालय लड़कों और लड़कियों - दोनों - को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता/करती है कि वे अपने मतों (opinions), आवश्यकताओं और चिन्ताओं को स्वतन्त्र रूप से अभिव्यक्त कर सकें?

गतिविधि 1

1. शिक्षक द्वारा कक्षा-कक्ष में की जाने वाली अन्य ऐसी गतिविधियों की पहचान कीजिए, जो कक्षा-कक्ष के व्यवहार की जेम्बर के दृष्टिकोण से लेखा-परीक्षा करने में शिक्षक की सहायता करती हों।
2. विद्यालय में गुप्त (Hidden) पाठ्यचर्या से जुड़े व्यवहारों/प्रथाओं की, जेम्बर के परिप्रेक्ष्य से, एक जाँचसूची तैयार कीजिए।

अपनी प्रगति को जाँचिए 1

1. कक्षा-कक्ष के व्यवहार का जेम्बर के दृष्टिकोण से लेखा-परीक्षण क्या है?

.....

.....

.....

.....

2. कक्षा-कक्ष में छिपा या गुप्त हुआ (hidden) पाठ्यचर्या क्या है?

.....

.....

.....

.....

3. गुप्त पाठ्यचर्या को किस प्रकार जेम्डर संवेदी बनाया जा सकता है?

.....

.....

.....

.....

7.4 जेम्डर-संवेदी शिक्षण तथा अधिगम वातावरण निर्माण के उपागम

यह सर्वविदित तथ्य है कि जेम्डर का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो समस्त ज्ञानशास्त्रों पर्यन्त व्याप्त है तथा ज्ञान के निर्माण में यह एक बुनियादी मुद्दा है। प्रत्येक ज्ञानशास्त्र में जिस ज्ञान को आकार प्रदान किया गया है और भाषा के माध्यम से जिसे आकार प्रदान किया गया है, उसने जेम्डर की असमानताओं को ऐसा बना दिया है कि वे तटस्थ या निष्पक्ष (neutral) प्रतीत होती हैं। आलोचनात्मक रूप से इसे चुनौती देना और इस ज्ञान को विखण्डित (deconstruct) करना महत्वपूर्ण है ताकि अन्यायसंगतता (inequities) का समाधान किया जा सके।

समाज में लोगों की विशेषाधिकारमूलक अभिवृत्तियों और प्रयुक्त की गयी भाषा के कारण किसी समाज में भेदभावपरक परम्पराएँ और व्यवहार कायम रहते हैं। ये अभिवृत्तियाँ किसी व्यक्ति के अपने सामाजिक-सांस्कृतिक पर्यावरण से प्रभावित होती हैं। शिक्षक को विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए ताकि विद्यार्थी अपनी व्यक्तिगत मूल्य व्यवस्थाओं और जेम्डर मुद्दों के प्रति अपनी समझ पर चिन्तन कर सकें। कुछ कथनों पर चर्चा की जा सकती है, जैसे :

- पुरुष घर के मुखिया होते हैं और परिवार से जुड़े सभी निर्णय उन्हीं के द्वारा लिए जाने चाहिए।
- विकास की समस्त प्रक्रियाओं में पुरुषों और महिलाओं को बराबरी का साझेदार होना चाहिए।
- महिलाओं की जगह घर में है और उन्हें घरेलू कामों की देखरेख करनी चाहिए तथा उन्हें बच्चों का पालन-पोषण करना चाहिए।
- घर-परिवार की जिम्मेदारियों और निर्णयों में पुरुषों और महिलाओं - दोनों - की साझेदारी होनी चाहिए।
- महिलाओं को उसी तरह के अधिकार और अवसर मिलने चाहिए, जिस तरह पुरुषों को मिलते हैं।
- धार्मिक स्थलों पर प्रार्थना करने के महिलाओं के अधिकारों से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्डूनों (व्यंग्य-चित्रों) पर चर्चा की जा सकती है।

जेन्डर और शिक्षणशास्त्रीय प्रथाएँ



Source: Hindustan Times, 30 January 2016

प्रचलित और प्रभावी अभिवृत्तियों पर चर्चा करने के अलावा इस बात पर भी चर्चा की जानी चाहिए कि जेन्डर भूमिकाएँ क्या स्थैतिक (static) हैं या फिर समय और स्थान के अनुसार ये भूमिकाएँ परिवर्तित होती हैं। लोगों के सारे मूल्य उस समाज द्वारा प्रभावित और निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें वे रहते हैं। महिलाओं और पुरुषों की भूमिकाओं के साथ मूल्य संलग्न कर दिए जाते हैं। चूँकि इन भूमिकाओं का निर्धारण जीव-वैज्ञानिक रूप से नहीं होता, बल्कि इनका निर्धारण सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों द्वारा किया जाता है, इसलिए इन भूमिकाओं को परिवर्तित किया जा सकता है। जब भूमिकाएँ व्यक्तिगत मूल्य को परिवर्तित कर देती हों, तो व्यवस्था को भी परिवर्तित करने की आवश्यकता है।



Source: H.T. 27 May 2016

लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा को पूरक आय का अर्जन करने, प्रजनन दर को कम करने और इस प्रकार जनसंख्या को नियन्त्रित करने और परिवार को बेहतर स्थिति में रख सकने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। महिलाओं को कभी भी इस तरीके से नहीं देखा गया है कि वे वैयक्तिक रूप से मनुष्य हैं या उनकी अपनी भी कोई पहचान है। ऐसे विचार हमारी शिक्षा व्यवस्था और कक्षा-कक्षों को आकार भी प्रदान करते हैं।

पाठ्यक्रमों में जेण्डर सम्बन्धों की जिस तरीके से प्रस्तुति की जाती है, वह बहुधा प्रभुत्वशाली समूहों यानी पुरुषों द्वारा चिरस्थायी बनाए गए विचारों पर आधारित होती है। महिलाओं के योगदानों, उनकी क्षमताओं और उनके परिप्रेक्ष्यों का स्वतन्त्र रूप से बहुत विरले ही कभी संज्ञान लिया जाता है। जेण्डर संवेदनशीलता पर विद्यार्थियों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कक्षा-कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित की जा सकती हैं -



Source: H.T., Wednesday, June 08, 2016

- शिक्षक विद्यार्थियों से समाचारपत्रों की कतरनों का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए कह सकता/सकती है ताकि विद्यार्थी यह जान सकें कि जेण्डर विश्लेषण निर्वात् में संचालित नहीं होता बल्कि यह जाति, वर्ग और धर्म जैसी शक्तियों के वाहनों के इर्द-गिर्द ही संचालित होता है।
- विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए एक गतिविधि की जा सकती है कि पुरुष और महिला के बीच के अन्तर लड़कियों और लड़कों दोनों पर लगाए जाने वाले प्रतिबन्धों के सृजन की दिशा में आगे जा सकते हैं। यह गतिविधि इस तथ्य पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगी कि स्त्री और पुरुषों के बीच का यह अन्तर जीव-वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा रचा गया है। लड़कों और लड़कियों से यह कहा जा सकता है कि वे पुरुषों और महिलाओं में समयनिष्ठ (common) अभिलक्षणों को लिखें, तीन ऐसे अभिलक्षणों को लिखें जो पुरुषों के लिए अनन्य हैं और तीन ऐसे अभिलक्षणों को लिखें जो महिलाओं के लिए अनन्य हैं। आदर्श स्थिति में, चूंकि पुरुषों का ऐसा कोई भी अनन्य अभिलक्षण नहीं होता, जो महिलाओं के पास न हो, तथा चूंकि महिलाओं का ऐसा कोई भी अनन्य अभिलक्षण नहीं होता, जो पुरुषों के पास न हो, इसलिए विद्यार्थीगण दूसरे और तीसरे विकल्पों में कोई भी अभिलक्षण नहीं लिख पाएँगे। हालाँकि कुछ विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जो अनन्य रूप से महिलाओं और अनन्य रूप से पुरुषों के लिए एकसमान अभिलक्षणों को लिखेंगे। स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक के बीच की उस बाधा या खाई (barrier) को प्रश्नांकित करने के लिए चर्चा की जानी चाहिए, जिसके कारण लड़कियों और लड़कों दोनों का आत्मविकास सीमित हो जाया करता है। लिंग सम्बन्धी अन्तरों पर ध्यान दिए बिना या लड़कियों और लड़कों के बीच के अन्तरों पर ध्यान दिए बिना, इस थीज पर चर्चा

जेन्डर और शिक्षणशास्त्रीय प्रथाएँ

की जानी चाहिए कि वैयक्तिक रूप से लोगों के बीच सबसे बड़े अन्तर कौन-कौन से हैं। ये अन्तर वैयक्तिक रूप से लोगों द्वारा किए जाने वाले व्यावसायिक चुनाव या जीवन की प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकते हैं।

- लड़कियाँ और लड़कों से यह कहा जा सकता है कि वे ऐसे अभिलक्षणों का उल्लेख करें जो प्रचलित रूप से स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक हैं। वे उन लाभों और हानियों पर भी विचार करेंगे जो महिलाओं और पुरुषों पर क्रमशः स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक अभिलक्षणों के हिसाब से लाद दिए जाते हैं। इस पर चर्चा की जा सकती है कि, पुरुषों के सम्बन्ध में, पुरुष की भूमिका के पारम्परिक स्टीरियोटाइप से किस-किस प्रकार के और कितने प्रतिबन्ध जुड़े हुए हैं तथा महिलाओं के सम्बन्ध में, महिला की भूमिका के पारम्परिक स्टीरियोटाइप से किस-किस प्रकार के और कितने प्रतिबन्ध जुड़े हुए हैं। लड़कियाँ और लड़के किन-किन प्रतिबन्धों को समाप्त करना चाहेंगे और कैसे।
- विद्यार्थियों से कहा जा सकता है कि वे समाचारपत्रों की ऐसी कतरनों को लेकर आएँ जिसमें पुरुषों और महिलाओं को विभिन्न गतिविधियों में संलग्न दिखाया गया हो। इन गतिविधियों को उस तरीके से श्रेणीकृत किया जा सकता है, जिन्हें अक्सर "पुरुषों की" और "महिलाओं की" गतिविधियाँ कहा जाता है। इसके पश्चात् विद्यार्थियों से यह कहा जा सकता है कि वे इनमें इस तरह सुधार करें, जहाँ महिलाएँ पुरुषों की गतिविधियों को सम्पन्न करती हों और पुरुष महिलाओं की गतिविधियों को पूर्ण करते हों। विद्यार्थियों को ऐसे चित्र बनाने के लिए कहा जा सकता है जिनमें महिलाएँ उन कार्यों को कर रही हों जो "प्रचलित रूप से पुरुषों के" हैं तथा पुरुष उन कार्यों को कर रहे हों जो "प्रचलित रूप से महिलाओं के" हैं, उदाहरण के लिए किसी दृष्ट-पुष्ट पुरुष को एक बच्चा सँभालते हुए चित्रित किया जा सकता है। इससे बच्चों को यह समझने में सहायता मिलेगी कि अधिकांश गतिविधियाँ ऐसी हैं, जिन्हें महिलाओं और पुरुषों दोनों द्वारा सम्पन्न किया जा सकता है।

किसी व्यक्ति की अपनी जेन्डर भूमिका के विचार से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों के कथनों पर न्याय-निर्णय न दिया जाए और ऐसा करके विद्यार्थियों पर किसी तरीके का ठप्पा लगाने से बचा जा सकता है। बच्चों के लिए, बहुत सारे अनुभव पीड़ादायक हो सकते हैं या हो सकता है कि अपने जीवन या परिवार के बारे में कुछ भी कहना बच्चों को बहुत कठिन लगता हो। इसलिए एक ऐसे तरीके का उपयोग करना बेहतर होगा जिसके अन्तर्गत बच्चे मीडिया या ऐतिहासिक व्यक्तित्वों से लिए गए अन्य उदाहरणों का उल्लेख कर सकते हों। एक बार जब बच्चे रूढ़िवादिता को अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से व्यक्त कर लेने लगे तो इन रूढ़िवादिता के विकल्पों पर चर्चा की जानी चाहिए। शिक्षक के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसी गतिविधियों को आयोजित करने के दौरान वह ऐसी चर्चा को प्रोत्साहन दे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति शामिल हो। चर्चाएँ खुले मस्तिष्क के साथ और एक आदरपूर्ण दृष्टिकोण के साथ की जानी चाहिए।

गतिविधियों के लिए समूह बनाते समय, समूह मिश्रित प्रकार (जिसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों शामिल हों) का हो या एक ही लिंग का हो, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम विद्यार्थियों के साथ की जाने वाली चर्चा का विषय और प्रकार क्या रखना चाहते हैं। यदि जेन्डर भूमिकाओं के विषय पर कोई चर्चा करानी है तो यह चर्चा अधिक मुक्त

और खुली हुई होगी यदि इसमें शामिल सभी लोग एक ही लिंग के हों अर्थात् समूह के सभी सदस्य या तो सिर्फ लड़के ही हों या फिर सिर्फ लड़कियाँ ही हों। इससे अलग किसी दूसरे समूह में यह आशंका अधिक रहेगी कि जेण्डर स्टीरियोटाइप की जड़ों तक जाने में लड़कियों और लड़कों का जीवन अपना कुछ नियन्त्रण दर्शाए। वे अपनी स्वयं की जेण्डर भूमिका पर, विपरीत जेण्डर वाले व्यक्ति की भूमिका की तुलना में बेहतर तरीके से ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं। मिश्रित समूहों में जेण्डर भूमिकाओं पर होने वाली चर्चा इस वजह से कमजोर पड़ सकती है क्योंकि वहाँ इस तरीके की प्रतिस्पर्धा भी सामने आ सकती है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। समूह चर्चाओं के निष्कर्षों को विविध तरीकों से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जैसे - मौखिक रूप से उन चर्चाओं का सारांश बताकर, पोस्टरों के माध्यम से उन्हें व्यक्त करके, भूमिकाएँ निभाकर (role play) या फिर मूक अभिनय द्वारा आदि आदि।

7.4.1 भाषा शिक्षण द्वारा जेण्डर संवेदनशीलता

जेण्डर रूढ़िवादिता को अभिव्यक्त करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए भाषा एक मूल्यवान उपकरण है तथा शिक्षक के मौखिक कथनों को जेण्डर संवेदी होना चाहिए। जब हम महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में बोल रहे होते हैं तो हमें यह बात स्पष्ट तौर पर कहनी चाहिए कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों में पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं। हमें महिला लेखकों, शासकों या वैज्ञानिकों के बारे में बोलना चाहिए। जब हम घरेलू कामकाज के बारे में बोलते हैं तो हमें पहले से ही यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि ये कामकाज सिर्फ महिलाओं के ही हैं, बल्कि इस बात पर जोर देना चाहिए कि इन कार्यों को महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। यदि पाठ्यपुस्तकों की भाषा जेण्डर के रूढ़िवादिता से युक्त है तो शिक्षक पाठ को उन्नत करने और उसे जेण्डर संवेदी बनाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकते हैं। भाषा में, पुरुषों और महिलाओं के लिए स्टीरियोटाइप से जुड़े अनेक विशेषणों का प्रयोग किया जाता है जो उनको पुरुषवाचक (masculine) और स्त्रीवाचक (feminine) के रूप में चित्रित करते हैं। महिलाओं के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशेषण हैं : प्रेम-भाजन, मोहित करने वाली, मधुर, सुन्दर, दैवीय, रमणीय, विनीत (आज्ञाकारी), सुशील, भावुक, स्नेही (प्रिय), कोमलहृदय, बातूनी, कमजोर, जँचने वाली, आकर्षक, निर्भर और संवेदनापूर्ण आदि। इसी प्रकार पुरुषों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले विशेषण हैं : ठण्ठा, भयंकर, महान, जोखिम उठाने वाला, सृजनात्मक, ऊर्जावान, आक्रामक, महत्वाकांक्षी, वृद्ध, विश्वासयुक्त, साहसी, हिम्मती, खूबसूरत, स्वतन्त्र, तार्किक, विचारवान, आत्म-विश्वासी, मजबूत, शक्तिशाली, कठोर, गैर-भावुक आदि।

भाषा समस्त ज्ञानानुशासनों में व्याप्त रहती है और ज्ञान के निर्माण में यह बुनियादी होती है। इसका परिणाम यह होता है कि जेण्डर सम्बन्धों के लिए इसके बहुत व्यापक निहितार्थ होते हैं। आदमी (man) शब्द का जातीय (generic) प्रयोग समस्त मनुष्यों के लिए किया जाता है। इसी प्रकार, महिलाओं को पारम्परिक रूप से उनके सम्बन्धों की श्रेणी के द्वारा पहचाना जाता है, उन्हें या तो उनके पिता के सम्बन्ध के कारण या फिर उनके पति के सम्बन्ध के कारण जाना जाता है या फिर इस रूप में उनकी पहचान होती है कि वे किसकी माँ हैं, किसकी बहन हैं या किसकी बेटी हैं आदि। इसलिए भाषा जिस तरीके के कार्य करती है और जिस तरीके से वह शक्ति के अन्तर को उदासीन कर दिया करती है, उसके प्रति विद्यार्थियों को संवेदीकृत करना महत्वपूर्ण है। भाषा केवल उसको प्रक्षेपित या चित्रित ही नहीं करती जो पहले से ही मौजूद है, बल्कि उसके प्रति यह हमारी अभिवृत्तियों को आकार भी प्रदान करती है। इस प्रकार, भाषा का प्रयोग अलग

तरीके से करने से स्थितियाँ और परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। भाषा के शिक्षण में, जेण्डर के दृष्टिकोण से, ज्ञान का निर्माण और संकल्पनाओं की रचना करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखना चाहिए :

- लिंगवादी (sexist) भाषा के प्रयोग से परहेज करना चाहिए और कक्षा-कक्ष में जेण्डर-संवेदी भाषा का प्रयोग करते हुए संचार करना चाहिए।
- भाषा का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए कि यह पारस्परिक आदर और गरिमा, सहयोग तथा लड़कों और लड़कियों के बीच साझेदारी को विकसित करे।
- बच्चों को, घर से लेकर विद्यालय तक के, उनके व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में बोलने के लिए प्रोत्साहित कीजिए और ऐसा करते समय लड़कियों और लड़कों - दोनों - को समान अवसर प्रदान कीजिए।
- शिक्षक स्थानीय स्तर की बहादुर महिलाओं, शिक्षित महिलाओं, महिला लेखिकाओं/कवयित्रियों, महिला उद्यमियों, प्रसिद्ध और प्रतिभाशाली महिलाओं के बारे में उनकी वास्तविक कहानियों को प्रेरक तरीके से बता सकते हैं। ऐसा करते समय वे स्थानीय संसाधनों, जैसे - समाचारपत्रों, पत्रिकाओं आदि का उपयोग कर सकते हैं।

7.4.2 गणित शिक्षण द्वारा जेण्डर संवेदनशीलता

यह एक प्रचलित मिथक है कि गणित लड़कियों के लिए नहीं होती। एक दूसरा दृष्टिकोण यह है कि गणित के पाठ्यक्रम या इसके शिक्षण में जेण्डर-भेदभाव या रुढ़िवादिता की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हमारे पाठ्यक्रम और शिक्षकों द्वारा इसके सम्बन्ध में किए जाने वाले व्यवहार के माध्यम से इस मिथक को तोड़ना महत्वपूर्ण है।

गणित के शिक्षण में ज्ञान का निर्माण और संकल्पनाओं की रचना करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखना चाहिए रु

- किसी इकाई या संकल्पना से परिचित कराते समय पुरुषवाचक और स्त्रीवाचक - दोनों - तरीकों के सर्वनामों/चित्रों का प्रयोग करना चाहिए।
- घर पर किया जाने वाला कार्य अन्य कार्यों के समान ही महत्वपूर्ण और उत्पादक है। इस कार्य के बारे में (गणितीय सवाल के माध्यम से) बताते समय इसे एक ऐसी जिम्मेदारी के रूप में चित्रित करना चाहिए जिसमें परिवार के सभी सदस्यों की साझेदारी हो।
- प्रत्येक कार्य पर खर्च हुए समय, श्रम और ऊर्जा की गणना करने वाली प्रश्नावलियों के माध्यम से यह प्रतिबिम्बित होना चाहिए कि जीवन में किसी भी क्षेत्र के श्रम की एक गरिमा होती है।
- जीवन के समस्त कार्यों में महिलाओं/लड़कियों की बढ़ती सहभागितापरक भूमिकाओं पर जोर देना चाहिए। महिलाओं का चित्रण गैर-पारम्परिक और नवीन व्यावसायिक भूमिकाओं के सन्दर्भ में करना चाहिए, जैसे - प्रबन्धकों, व्यापारियों, अधिशासी कार्यकारियों, व्यावसायिक महिलाओं, अपना वाहन स्वयं चलाने वाली महिलाओं, पायलटों, वैज्ञानिकों, गणितज्ञों, उद्योगपतियों आदि के रूप में महिलाओं का चित्रण करना चाहिए।

- धन के आदान-प्रदान से सम्बन्धित सवालों/दृश्यात्मक वर्णनों (visuals), जैसे - खरीदने, बेचने और सम्पत्ति के स्वामियों के रूप में महिलाओं और पुरुषों - दोनों - को दिखाना चाहिए।
- गणितीय व्याख्याओं और प्रदर्शनों के जरिये इस बात को उभारिए कि पारिवारिक सम्पत्ति में दोनों लिंगों का समान अधिकार होता है।
- गणित के शिक्षण के माध्यम से लड़कों और लड़कियों - दोनों - में निर्णय-निर्माण की क्षमता का विकास कीजिए।
- गणितीय प्रश्नों के माध्यम से इस चीज की व्याख्या कीजिए कि हमारे देश में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की जनसंख्या की तुलना में कम है। घटते लिंगानुपात को भी गणितीय सवालों के माध्यम से व्याख्यायित करिए।

7.4.3 पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण द्वारा जेण्डर संवेदनशीलता

पर्यावरणीय अध्ययन मनुष्य के साथ प्रकृति का एकीकरण है जो विद्यार्थियों को समग्र रूप में सामाजिक और भौतिक वातावरण के साथ अन्तर्क्रिया करने के योग्य बनाता है। पर्यावरणीय अध्ययन विद्यार्थियों को अपने जीवन, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति तथा देखभाल करने और साझेदारी करने या एक-दूसरे का सम्मान करने आदि के प्रति संवेदनशील होना सिखाता है। पर्यावरणीय अध्ययन में ज्ञान का निर्माण और व्यवहार करते समय यह देखा जाना चाहिए कि :

- भौतिक गुण (या लक्षण) और अन्तर किसी श्रेष्ठता या हीनता को प्रतिबिम्बित नहीं करते। इस आधार पर लड़कों और लड़कियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए कि उनके शारीरिक या भौतिक लक्षण अलग-अलग हैं। बच्चों की क्षमताओं, योग्यताओं और अभिवृत्तियों में वैयक्तिक अन्तरों का उल्लेख करते समय सावधानी बरती जानी चाहिए।
- लड़कों और लड़कियों की बुनियादी शारीरिक संरचना, प्रकार्य और आवश्यकताएँ एक जैसी ही हैं, इसलिए उन्हें भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और सीखने के अनुभव उपलब्ध कराने में उनके साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
- महिलाओं और पुरुषों को स्टीरियोटाइप्ड भूमिकाओं के साथ नहीं चित्रित करना चाहिए, उदाहरण के लिए, महिलाओं का पानी एकत्रित करने जाना, खाना पकाना, बच्चों की देखभाल करना तथा पुरुषों का घर से बाहर जाकर दफ्तरों या खेतों में कार्य करना।
- दृश्यात्मक तरीके से किए जाने वाले वर्णनों में व्यक्तियों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न दिखाएँ, (उदाहरण के लिए, वैज्ञानिकों के कार्यों में), क्योंकि इन आर्थिक गतिविधियों में महिलाएँ भी अपना योगदान दे रही हैं।
- पर्यावरणीय अध्ययन का शिक्षण करते समय प्रयोगों को सम्पन्न करने में और प्रयोगात्मक गतिविधियों में लड़कियों को शामिल कीजिए। यदि किसी वजह से लड़कियों में कोई संकोच है, तो उन्हें प्रोत्साहित कीजिए और प्रश्न पूछने के लिए उन्हें उत्साहित कीजिए।

- ऐसी श्रेष्ठ महिलाओं के बारे में जानकारीयें एकत्रित कीजिए, जो वैज्ञानिक, इतिहासकार, सामाजिक कार्यकर्ता, पंचायत सदस्य, सक्रिय कार्यकर्ता, स्थानीय नेता आदि हो सकती हैं। पर्यावरणीय अध्ययन पढ़ाते समय प्रासंगिक स्थलों पर इन श्रेष्ठ महिलाओं के उदाहरण दीजिए। इससे अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए लड़कियाँ प्रोत्साहित होंगी तथा इससे उनके बीच अपनी स्वयं की एक सकारात्मक आत्म-छवि बन सकती है।
- आवासों (Habitat) को संरक्षित और सुरक्षित रखना हर किसी का दायित्व है।

7.4.4 जेण्डर संवेदनशीलता निर्माण हेतु एक परामर्शक के रूप में शिक्षक

अपनी भूमिका को कोई शिक्षक सिर्फ इस रूप में ही नहीं परिभाषित कर सकता/सकती कि वह ज्ञान को देने वाला/वाली एक व्यक्ति भर है बल्कि उसके लिए यह आवश्यक है कि वह ज्ञान के लिए एक सुविधाप्रदायक (facilitator) हो तथा विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए वह एक सलाहकार के रूप में भी कार्य करे। लड़कों और लड़कियों - दोनों - अपने जीवन में चुनौतियों, समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करते हैं। लेकिन सामाजिक अपेक्षाओं के कारण किसी लड़की को, लड़की होने के कारण, ये चीजें अधिक झेलनी पड़ती हैं। शिक्षक को एक सलाहकार के रूप में कार्य करना चाहिए ताकि वह लड़कों और लड़कियों का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विकास करने के लिए उनका मार्गनिर्देशन कर सके। इसके लिए शिक्षक नीचे दी गई गतिविधि को एक प्रारम्भिक बिन्दु की तरह प्रयुक्त कर सकते हैं।

विद्यार्थियों के बारे में जानकारीयें एकत्रित कीजिए। कक्षा-कक्ष में लड़कों और लड़कियों दोनों को शामिल करने वाले मिश्रित समूह बनाते हुए इसे साधारण समूह गतिविधि के जरिये किया जा सकता है। उन लड़कों और लड़कियों से कहा जा सकता है कि वैयक्तिक रूप से वे एक पन्ने पर अपनी व्यक्तिगत सूचनाएँ लिखें, अपनी शक्तियों और अपनी कमजोरियों के बारे में लिखें तथा इस सम्बन्ध में भी लिखें कि उनके माता-पिता की उनसे क्या उम्मीदें हैं। लड़कों और लड़कियों से इस प्रकार मिलने वाले प्रत्युत्तरों के बारे में विचार मंथन (brain storming) किया जा सकता है। इससे जीवन की उस अवस्था में घटित होने वाले अन्तरों का जेण्डर विश्लेषण उपलब्ध हो सकेगा तथा इससे एक सलाहकार के रूप में अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिक्षक को प्रभावी तरीके से सहायता मिल सकेगी।

शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि वह सारी समस्याओं को हल नहीं कर सकता/सकती है लेकिन समस्याओं को हल करने के लिए वह विद्यार्थियों में एक सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास अवश्य कर सकता/सकती है। शिक्षकों को स्वयं समस्या का समाधान करने की बजाय विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए ताकि वे समाधान तक पहुँच सकें।

किशोर लड़कियों को सलाह दिए जाने की आवश्यकता अधिक होती है क्योंकि उन्हें किशोरावस्था के कारण होने वाले मनोवैज्ञानिक और शारीरिक परिवर्तनों से जूझना पड़ता है। मासिक धर्म के कारण कुछ मान्यताएँ और प्रतिबन्ध बने हुए हैं, जैसे - मन्दिर न जाना या लड़कों से खुलकर बातें न करना। इन सारी चीजों का प्रभाव लड़कियों की अपने बारे में की जाने वाली संकल्पना पर पड़ता है तथा इस सन्दर्भ में शिक्षक की सहायता आवश्यक होती है। एक सलाहकार के रूप में शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को अलग ही रखे और समस्या को विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से हल करे।

प्रत्युत्तर देते समय शिक्षक को सावधान और संवेदनशील अवश्य होना चाहिए ताकि विद्यार्थियों में कोई गलत सन्देश न जाए, उदाहरण के लिए - जब लड़कियाँ आपस में लड़ रही हों तो यदि शिक्षक उनसे कहे कि लड़कों की तरह लड़ो मत! या फिर कभी लड़के भावुक हो जाएँ तो शिक्षक उनसे कहे कि लड़कियों की तरह रोओ मत! शिक्षक को जेण्डर संवेदी होना चाहिए और उसे ऐसी टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए, जैसी ऊपर वर्णित की गयी हैं। मामलों का समाधान इस तरीके से किया जाना चाहिए जिससे विद्यार्थियों में दूसरे जेण्डर के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास हो सके।

कुछ मामलों में, सम्भव है कि विद्यार्थीगण, जो कक्षा-कक्ष का एक हिस्सा हैं, पहले से ही जेण्डर रूढ़िवादिता के नकारात्मक निहितार्थों का सामना करके आए हों, जैसे - जेण्डर आधारित हिंसा का, यौन दुर्व्यवहार का या उन्हें इस चीज के लिए दबाव डोलना पड़ा हो कि वे पुरुषवाचक और स्त्रीवाचक मानकों के अनुरूप व्यवहार करें। इस प्रकार यह आवश्यक है कि ऐसे मुद्दों तक संवेदनशीलता के साथ पहुँचा जाए। शिक्षार्थियों को आगे शिक्षा जारी रखने, उनकी नौकरी के परिप्रेक्ष्य और उनकी मनोवैज्ञानिक-सामाजिक आवश्यकताओं के सन्दर्भ में, शिक्षकों को महिला और पुरुष - दोनों - शिक्षार्थियों को सलाह देनी चाहिए और दोनों को प्रशिक्षित करना चाहिए। ऐसा सहयोग और समर्थन जेण्डर संवेदी तरीके से दिया जाना चाहिए ताकि लड़के और लड़कियाँ - दोनों - स्टीरियोटाइप्ड रास्तों या विकल्पों को न चुनें। उदाहरण के लिए, लड़कियों को उन विषयों का चुनाव नहीं करना चाहिए, जिन्हें पारम्परिक रूप से अधिक "स्त्रीवाचक" विषय माना जाता रहा है या लड़कों को उन विषयों का चुनाव नहीं करना चाहिए, जिन्हें पारम्परिक रूप से अधिक "पुरुषवाचक" विषय माना जाता रहा है।

गतिविधि 2

1. आपके अनुसार कौन-कौन से अन्य दृष्टिकोण कक्षा-कक्ष में ज्ञान के निर्माण को जेण्डर संवेदी बना सकते हैं?
2. जेण्डर समस्त ज्ञानशास्त्रों पर्यन्त व्याप्त है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि अन्य ज्ञानशास्त्रों का जेण्डर के दृष्टिकोण से विश्लेषण कीजिए।

7.5 सहभागिता और प्रतिनिधित्व द्वारा जेण्डर संवेदी कक्षा-कक्ष

महिला शिक्षार्थी की निर्मिति निष्क्रिय (Passive) के रूप में करना, शिक्षण और सीखने के सहभागितापरक सन्दर्भ में, उस महिला शिक्षार्थी के विरुद्ध हो सकता है। कक्षा-कक्ष के अनुशासन के नाम पर लड़कियों और लड़कों के बीच एक कठोर विभाजन कायम रखा जाता है और किसी अन्तःक्रियात्मक लड़की की यह कहकर खिंचाई की जाती है कि वह 'जेण्डर संहिता' का उल्लंघन कर रही है। लड़कियों और महिलाओं की सहभागिता और प्रतिनिधित्व के माध्यम से पाठ्यक्रम और कक्षा-कक्ष के गठन में परिवर्तन करने से जेण्डर संवेदी पर्यावरण का सृजन करने में सहायता मिलती है। सहभागितापरक गतिविधियों में सभी बच्चे फर्श पर बैठ सकते हैं ताकि समानता को बल मिले। उन्हें मिश्रित जेण्डरों वाले या मिश्रित युग्मों के रूप में छोटे सामूहिक कार्य में संलग्न किया जा सकता है। गतिविधियों की योजना साथ-साथ बनाकर और उन्हें साथ-साथ निष्पादित करके समानता को प्रारूपित (modeled) किया जा सकता है। लड़कियाँ आमतौर पर शर्माती हैं और लड़कों के सामने नहीं खुलतीं लेकिन सामूहिक सहभागितापरक गतिविधियाँ इस बाधा को पार करने में सहायता करेंगी। लड़कियाँ जब निजी रूप में रहती हैं तो वे एक

जेण्डर और शिक्षणशास्त्रीय प्रथाएँ

विशिष्ट तरीके की स्वतन्त्रता के साथ व्यवहार करती हैं लेकिन जब ये सार्वजनिक जगहों पर या लड़कों के बीच में होती हैं तो उनके व्यवहार में होने वाला परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। इससे लड़कियों के भीतर आत्मविश्वास का संचार होगा और वे लड़कों के सामने चीजों को कर सकेंगी।

सहभागिता और निर्णय-निर्माण में लड़कों और लड़कियों को समान रूप से साथी होना चाहिए। लड़कियों के कार्य को कम महत्व दिए जाने के कारण उनमें आमतौर पर आत्मविश्वास की कमी होती है। परिणामस्वरूप नेतृत्वकारी भूमिकाएँ स्वीकार करने के मामले में वे संकोची होती हैं। इन नेतृत्वकारी भूमिकाओं को स्वीकार करने के लिए उन्हें प्रेरित किए जाने की आवश्यकता है।

लड़कियाँ और लड़के साथ-साथ सॉप-सीढ़ी जैसे खेल खेल सकते हैं ताकि वे लड़कियों और लड़कों के सामने आने वाले अवरोधों के विभिन्न प्रकारों को समझ सकें।

जेण्डर संवेदी कक्षा-कक्ष के लिए एक मूल्य के रूप में सहभागिता और प्रतिनिधित्व को समझने हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह :

- ऐसे श्रेणीतन्त्रों और शक्ति-संजालों को तोड़े, जो लड़कियों और महिलाओं का बहिष्करण करते हैं।
- बेहतर समझ और दशाओं का विकास करे जो हुल्लाड़बाजी, लिंगवाद (sexism) और समलैंगिकों के प्रति नापसन्दगी वाले व्यवहार (homophobic behaviour) की तरफ ले जाती हैं।
- अपने शिष्यों के अनुभव और ज्ञान को महत्व दे तथा उनके शैक्षिक कार्य की योजना बनाने और उनका मूल्यांकन करने में विद्यार्थियों की संलग्नता को गहन बनाए।
- सम्भव है कि अन्य महिला या पुरुष शिक्षार्थियों का वर्णन करते समय शिक्षार्थी कुछ ऐसी अभिवृत्तियाँ प्रदर्शित करते हों जो गैर-मैत्रीपूर्ण हों और जिनमें जेण्डर-पूर्वाग्रही होने की आशंका हो। ऐसी अभिवृत्तियों पर शिक्षक को बहुत सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया देनी चाहिए।
- कक्षा-कक्ष के बोर्ड (writing board) पर लिखने के लिए और अपने कार्य या उत्तरों को कक्षा के सामने प्रस्तुत करने के लिए महिला और पुरुष - दोनों - शिक्षार्थियों को समान अवसर प्रदान करे।
- महिला और पुरुष - दोनों - शिक्षार्थियों को एक जैसे कर्तव्य सॉपे (उदाहरणार्थ, साफ-सफाई करने या कुर्सी-मेज आदि को इधर से उधर ले जाने के कर्तव्य)।
- कक्षा का नेता बनने के लिए महिला और पुरुष - दोनों - शिक्षार्थियों का समर्थन करे और उन्हें प्रेरित करे, कोशिश करे कि सह-नेताओं के रूप में एक महिला शिक्षार्थी और एक पुरुष शिक्षार्थी साथ-साथ हो।
- यदि सम्भव हो तो कक्षा-कक्ष में बैठने की संरचना को पुनर्व्यवस्थित करे। इससे कक्षा-कक्ष में विद्यार्थियों के बीच अनौपचारिक और व्यक्तिगत सम्बन्ध विकसित करने में सहायता मिलेगी।
- ऐसी सामग्री का उपयोग करे जिसमें महिला और पुरुष चरित्रों की समान संख्या दर्शायी गयी हो तथा जिसमें महिला और पुरुष चरित्रों को एक जैसी गतिविधियों

में संलग्न दिखाया गया हो। यदि यह सम्भव न हो, तो शिक्षक के लिए यह उचित होगा कि उपयोग की जा रही शिक्षण/पाठ्य सामग्रियों में महिला और पुरुष चरित्रों को जिस स्टीरियोटाइप तरीके से चित्रित किया गया है, उन रुढ़िवादिता को तोड़ने के लिए वह शिक्षार्थियों को आमन्त्रित करे और उनकी सहायता करे।

- दीवारों पर ऐसे पोस्टरों को प्रदर्शित करे, जिनमें महिला और पुरुष चरित्रों को किन्हीं गतिविधियों में समान संख्या में और साथ-साथ संलग्न दिखाया गया हो।
- सलाह और प्रशिक्षण देने में सभी विद्यार्थियों पर समान रूप से ध्यान दे। क्षमतावान लेकिन शान्त रहने वाले विद्यार्थियों की उपेक्षा न करे।
- संचार करने की शैलियों में जेण्डर अन्तर होते हैं। सहभागिता करने के लिए सभी विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाना चाहिए। आमतौर पर, लड़के सवाल के उत्तर अधिक आत्मविश्वास से, आक्रामक रूप से और जल्दी देते हैं। कक्षा में वे अधिक स्वतःस्फूर्त होते हैं। दूसरी तरफ, सवालों के उत्तर देने के लिए कक्षा में लड़कियाँ लम्बे समय तक प्रतीक्षा करती हैं, अपने शब्दों का चयन करती हैं और बोलने के पहले अपने उत्तरों की निर्मिति करती हैं।
- इसे लेकर सावधान रहे कि प्रश्न करने या उत्तर देने के लिए किसे आमन्त्रित करना है। इसे लेकर भी सावधानी बरते कि प्रश्नों और उत्तरों पर प्रतिक्रिया किस प्रकार देनी है। लड़कों और लड़कियों - दोनों - द्वारा दिए गए उत्तरों पर सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया दे। उत्तर देने के लिए सभी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी पर समान रूप से ध्यान दीजिए और प्रत्येक विद्यार्थी को समान रूप से विशिष्ट सुझाव (Feedback) दीजिए।
- पाठ्यक्रम पर चर्चा करते समय जेण्डर-तटस्थ भाषा का प्रयोग करने की सावधानी बरती जानी चाहिए। प्रयास किया जाना चाहिए कि शिक्षक को सभी विद्यार्थियों के नाम याद हों। जीवन के समस्त क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान पर प्रकाश डालिए। इससे महिला विद्यार्थियों के भीतर संलग्नता और समावेशन की भावना मजबूत होगी। महिलाओं के अनुभवों को शामिल करने के लिए, यदि आवश्यक हो तो, पाठ्यक्रम में संशोधन कीजिए। महिलाओं को या उनके अनुभवों को सिर्फ स्टीरियोटाइप तरीके से ही मत शामिल कीजिए।
- विद्यार्थियों को सहकारी लघु समूह में सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को प्रेरित करने और उन्हें उपलब्धिपरक बनाने के लिए यह एक प्रभावी रणनीति है। परियोजना कार्य (project works) और कक्षा-कार्य (class assignments) समूहों में सौंपे जा सकते हैं। इससे एक टीम के रूप में साथ-साथ कार्य करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिलेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कक्षा-कक्ष की गतिकी की निगरानी कीजिए कि मौखिक रूप से आक्रामक विद्यार्थीगण चर्चा पर कहीं हावी तो नहीं हो गए हैं।
- शिक्षकों (Educators) ने बताया है कि आमतौर पर किशोरावस्था में प्रवेश करने वाली लड़कियों के विद्यालयी निष्पादन में गिरावट आ जाती है। इसका कारण यह हो सकता है कि यौवनागम के समय लड़कियों के आत्मविश्वास में गिरावट आ जाती है। इसलिए शिक्षकों के लिए यह आवश्यक है कि वे इसकी पहचान करें और इस समस्या से सबरने में लड़कियों की सहायता करें।

गतिविधि 3

विभिन्न सहभागितापरक गतिविधियों की पहचान कीजिए, जो कक्षा-कक्ष को जेण्डर संवेदी बनाने के लिए आयोजित की जा सकती हैं।

लड़कों को कौशलों से सशक्त कीजिए ताकि वे जेण्डर के प्रति अपनी दमनकारी अभिवृत्तियों और व्यवहारों, जैसे - आक्रामकता, हुल्लड़बाजी, लैंगिक रूप से ताना मारने आदि से ऊपर उठ सकें।

7.6 कक्षा-कक्ष में बदलते शक्ति-समीकरण

समानता (की संकल्पना) में यह शामिल है कि शिक्षार्थी के भीतर, समाज में शक्ति के सम्बन्ध पर प्रश्न उठाने की, योग्यता का विकास हो। शिक्षक के लिए इस पर जोर देना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जेण्डर संवेदी शिक्षणशास्त्र के माध्यम से, शिक्षक कक्षा-कक्ष में शक्ति समीकरणों को परिवर्तित करने में सहायता कर सकता/सकती है। अध्यापन के दौरान शिक्षक को इस विषय में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि किसका ज्ञान अधिक मूल्यवान है और कौन बोल सकता है। कक्षा में बोलने के लिए किसी बच्चे को प्रोत्साहित करना कुछ बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अतिरिक्त सम्भव है कि किसी बच्चे की प्राथमिकता यह हो कि दूसरे को सुनना कैसे सीखा जाए, तो इस दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण हो सकता है। एक शिक्षक की भूमिका यह होती है कि वह बच्चे को सुरक्षित अवसर उपलब्ध कराए ताकि बच्चे स्वयं को अभिव्यक्त कर सकें और साथ ही साथ स्वस्थ बातचीत प्रारम्भ कर सकें। कक्षा में यदि विश्वास का वातावरण हो, तो कक्षा-कक्ष एक ऐसा सुरक्षित स्थल बन जाएगा जहाँ बच्चों का संज्ञान लिया जा सके, जहाँ प्रस्तावों या संकल्पों पर पारस्परिक रूप से कार्य किया जा सके, जहाँ एक-दूसरे से बातचीत करने के लिए बच्चे अनौपचारिक तरीकों का उपयोग कर सकें और विद्यालय के बाहर के संघर्षों का समाधान करने के लिए आवश्यक कौशलों का विकास कर सकें। विशेष तौर पर लड़कियों के लिए कक्षा-कक्ष ऐसे स्थलों के रूप में होना चाहिए जहाँ उन्हें निर्णय-निर्माण के लिए, निर्णयों के आधारों पर प्रश्न उठाने के लिए और संसूचित विकल्पों का चयन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

महिला शिक्षार्थी को निष्क्रिय (Passive) मानना, शिक्षण और सीखने के सहभागितापरक सन्दर्भ में, उस महिला शिक्षार्थी के विरुद्ध हो सकता है। कक्षा-कक्ष के अनुशासन के नाम पर विद्यालय आमतौर पर जेण्डर आधारित निर्मितियों को आगे बढ़ाते हैं जहाँ लड़कियों और लड़कों के बीच एक कठोर विभाजन कायम रखा जाता है। बातचीत करने वाली किसी अन्तःक्रियात्मक लड़की को यह कहकर हतोत्साहित किया जाता है कि उसका व्यवहार जेण्डर संहिता के खाँचे के अनुरूप नहीं है।

विद्यार्थियों के सामाजिक वातावरण को समझकर और समाजीकरण के किसी पूर्वाग्रहयुक्त रूप को अविस्मरण (unlearn) में विद्यार्थियों की सहायता करके शिक्षक कक्षा-कक्ष में शक्ति सम्बन्धों को अधिक प्रभावी तरीके से सम्बोधित कर सकते हैं। जिन इलाकों से बच्चे आते हैं, उन इलाकों में प्रचलित सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवहारों के प्रति शिक्षक को, अध्यापन के दौरान, जागरूक होना चाहिए। यहाँ तक कि शिक्षक को विद्यालय के आसपास के इलाके और परिवेश के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। विद्यालयों और कक्षा-कक्षों को बन्द संरचनाओं के रूप में नहीं होना चाहिए तथा ज्ञान की निर्मिति को जेण्डर संवेदी बनाने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि बाहर समुदाय और आसपास के इलाकों तक जाया जाए।

- क्या समाज में महिलाओं को डायन (witch) मानना उचित है।
- क्या बलात्कार जैसे अपराध को महज इस आधार पर क्षमा किया जा सकता है कि पीड़िता का पॉव छूकर उसकी प्रति आदरभाव दर्शा दिया गया है।



जेप्डर और शिक्षणशास्त्रीय प्रथाएँ



Source: TOI 4 Feb. 2016

सशक्त प्रतिक्रिया और जागरूकता के लिए विद्यार्थियों को झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों में ले जाया जा सकता है। उन्हें भावनात्मक सहयोग देना चाहिए जिससे अपने आक्रोश, अपनी पीड़ा, निराशा तथा साथ ही साथ अपने आनन्द, स्वप्न और अपनी आशाओं को अभिव्यक्त करने में उन्हें सहायता मिले। ऐसा करने से वे मुद्दों पर काम करना और सन्तुलन का विकास करना सीखेंगे। यह आवश्यक है कि विचारों को साझा करने के लिए सुरक्षित अवसर (safe space) निर्मित करते हुए मुद्दों को बहुत सज्जनतापूर्वक उठाया जाए। इसके साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थियों को उनकी पहचानों या उनके आरामदायक क्षेत्रों (comfort zones) के सन्दर्भ में डराया-धमकाया न जाए।

संरक्षण प्रदान किए बिना या अपना बड़प्पन छोड़कर अतिशय नम्र हुए बिना, शिक्षक लड़कियों की, उनके काम के लिए, प्रशंसा कर सकते हैं और उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके अलावा, आवश्यकता पड़ने पर वे लड़कियों से अतिरिक्त सहायताएँ भी माँग सकते हैं। कक्षा-कक्ष के भीतर या उसके बाहर भी यदि जेप्डर-आधारित ताने नारे जाते हैं या दुर्व्यवहार किया जाता है तो इसे तनिक भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और इसके लिए स्पष्ट रूप से दण्डात्मक प्रावधान (उपाय) होना चाहिए। विद्यार्थी यदि समाज में शक्ति समीकरणों को समझ लेंगे, तो इससे उन्हें कक्षा-कक्ष के विद्यमान समता समीकरणों को बदलने में सहायता मिलेगी। समाज में शक्ति समीकरणों को समझने के लिए शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित गतिविधियाँ निष्पादित करने के लिए कह सकते हैं :

- विद्यार्थियों से ऐसी कल्पना करने के लिए कहा जा सकता है मानो वे किसी और की खोल में हों, जैसे - लड़कों से कहा जा सकता है कि वे लड़कियों की भूमिकाओं में होने की कल्पना करें तथा इसी प्रकार लड़कियों से कहा जा सकता है कि वे लड़कों की भूमिकाओं में होने की कल्पना करें। अब इन विषयों पर चर्चाएँ आयोजित करायी जा सकती हैं : अब वे परिवार, विद्यालय, खेलकूद और अन्य गतिविधियों में कैसा व्यवहार करने जा रहे हैं? अब वे ऐसा क्या करना चाहेंगे, जो वे तब नहीं कर पाते थे, जब वे लड़की/लड़के थे? क्या वे इस स्थिति में रहना पसन्द करेंगे, क्यों रहना पसन्द करेंगे और क्यों नहीं रहना पसन्द करेंगे?

- कक्षा-कक्षा में दो मिश्रित समूह बनाए जा सकते हैं और ऐसा दृश्य रचा जा सकता है जहाँ विद्यार्थी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ किसी बच्चे के जन्म के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में गए हैं। जो बच्चा अभी-अभी पैदा हुआ है, वह बहुत छोटा है और विद्यार्थियों ने अभी तक बच्चे को देखा नहीं है। विद्यार्थी केवल इतना ही जानते हैं कि बच्चा एक लड़की है और उसका नाम खनक है। दूसरे समूह को यह बताया जाएगा कि बच्चा एक लड़का है और उसका नाम मिहिर है। लड़की या लड़के के रूप में बच्चे के लिए विद्यार्थी कैसा उपहार देना चाहेंगे, किस तरीके के और किस रंग के कपड़े, कौन-से खिलौने या किस-किस प्रकार की अन्य चीजें? इस विषय पर चर्चा कीजिए कि विद्यार्थियों ने ऐसा क्यों सोचा कि अमुक उपहार खनक और मिहिर के लिए अच्छा होगा।
- विद्यार्थियों से उन तरीकों का विश्लेषण करने के लिए कहा जा सकता है, जिन तरीकों से मुद्रित और गैर-मुद्रित - दोनों प्रकार के - माध्यमों में पुरुषों और महिलाओं को प्रदर्शित किया जाता है। विद्यार्थी उन प्रकारों की पहचान कर सकते हैं, जिन प्रकारों की गतिविधियाँ विज्ञापनों में महिलाओं और पुरुषों द्वारा की जाती हैं। पुरुष और महिलाएँ किन उत्पादों का प्रचार (promote) करते हैं? मीडिया द्वारा किए गए चित्रण (portrayal) में पुरुष और महिलाएँ कौन-कौन से काम कर रही होती हैं? विद्यार्थीगण महिलाओं और पुरुषों की ऐसी स्टीरियोटाइप्ड विशेषताओं की पहचान कर सकते हैं जिन पर मीडिया में अत्यधिक जोर दिया जाता है। मीडिया द्वारा किए गए कुछ ऐसे चित्रणों (portrayal) पर चर्चा भी की जा सकती है, जिनमें जेम्बर रुढ़िवादिता को तोड़ना दिखाया गया होता है।
- शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित समाचारों का विश्लेषण करने के लिए कह सकते हैं तथा इस विषय में चर्चा आयोजित करा सकते हैं कि जेम्बर रुढ़िवादिता को तोड़ने में ये समाचार किस प्रकार सहायता कर सकते हैं।

How Feroza Banu crossed tracks into a male profession

EXCLUSIVE
Anupam Srivastava
in Lucknow

LUCKNOW: When Feroza Banu became Northern Railway's first trackwoman in 2004, every day was a struggle.

Her husband had disappeared three years ago, and her colleagues weren't ready to accept a woman in what has always been a male domain. She had to run from pillar to post to convince officials she deserved the job.

Back then, she had six daughters to bring up. A decade on, the 50-year-old has proved naysayers wrong. Working in 12-hour shifts, she lugs around a 20-kg bag packed with heavy tools on her back and monitors a 5-km stretch of track near Charbagh railway station in Lucknow. With many trains whizzing past every hour, even a small slip-up can cost hundreds of lives but Feroza doesn't appear intimidated.

"From Urothia to Charbagh, I have to ensure trains and renewal of tracks, packing of sleepers, tightening of bolts and coordination with signals before movement of each train," she says with pride. She is fondly called 'Feroza Aspa' by her colleagues, who now admit she is a better worker than many of them.

"Her commitment to her job with trains whizzing past, is commendable. And carrying heavy equipment on her back while patrolling an area of around 5 km is not easy," said SK Sharma, Charbagh station superintendent.

For Banu, hard work is part of life. "If I have to survive, I have to work. After all, God has given me the role of ensuring safe travel for thousands of people," she said. She now lives with two daughters in a house in the Alambagh Railway Colony compound but is acutely aware of her responsibilities.

"I have six daughters, four of them are married. I have to settle the other two also next year before retirement. I was not able to educate them properly because trackwomen are not paid that well," she says.



• Feroza Banu at work in Uttar Pradesh. ASHOK KUTTY/HT PHOTO



Source: H.T. 16.11.2015

- साहित्य, फिल्म, ललित कला और दैनिक जीवन में पुरुषों और महिलाओं के बारे में विचारों में जिस सीमा तक अन्तर विद्यमान है, उसके बारे में हम विद्यार्थियों को बता सकते हैं। पुरुषों और महिलाओं के एकतरफा प्रतिनिधित्व का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर चर्चाएँ आयोजित करायी जा सकती हैं।
- विद्यार्थियों को यह समझाना चाहिए कि भले ही हम महिला या पुरुष हैं, लेकिन सबसे पहले हम मनुष्य (human being) हैं। इसके लिए विद्यार्थियों से कहा जा सकता है कि किसी दूसरे ग्रह से आने वाले किसी परग्रहीय (alien) व्यक्ति को समझाने के लिए वे एक मनुष्य (human being) की विशेषताओं का वर्णन करें। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने मनुष्य की विशेषताएँ वर्णित करते समय "पुरुष" की विशेषताओं का उल्लेख अधिक किया हो। इससे इस आभासी जेण्डर उदासीनता को उद्घाटित करने में विद्यार्थियों को सहायता मिलेगी कि मनुष्य होने का तात्पर्य आमतौर पर पुरुष होना ही मान लिया जाता है तथा महिलाओं के अनुभव मुखर तरीके से सामने नहीं आ पाते (इसलिए महिलाओं के अनुभव कम दृश्यमान होते हैं)। इसी प्रकार पाठ्यपुस्तकों, मीडिया और अन्य स्रोतों में महिलाओं के अनुभवों की अदृश्यता (invisibility) तक इसका विस्तार किया जा सकता है।
- विद्यार्थीगण अपनी पाठ्यपुस्तकों को जेण्डर संवेदनशीलता के चश्मे से देख सकते हैं ताकि वे जान सकें कि पुरुषों और महिलाओं का चित्रण पाठ्यपुस्तकों किस प्रकार करती है। पुरुषों और महिलाओं को चित्रित किए जाने के तरीकों पर तथा विषयवस्तु, चित्रों (visuals) और प्रदर्शनों (illustrations) में बार-बार ये चीजें किस प्रकार घटित होती हैं, उस पर चर्चाएँ करायी जा सकती हैं। जिस प्रकार की भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं को चित्रित किया गया है, उसमें पाठ्यपुस्तकों से कौन गायब (missing) है और किस परिस्थिति में उसे इसमें शामिल किया जा सकता है। इस पर भी चर्चाएँ करायी जा सकती हैं कि जिन पात्रों और स्थितियों का वर्णन पाठ्यपुस्तकों में है, क्या वे पात्र और स्थितियाँ वास्तविक जीवन से मेल खाती हैं या वे वास्तविक जीवन से अलग हैं। लोगों के कुछ समूहों का एकतरफा या एकांगी चित्रण करने के क्या-क्या प्रभाव हो सकते हैं। महिलाओं और पुरुषों, लड़कियों और लड़कों का ऐसा एकतरफा चित्रण किस तरीके के रूढ़िवादिता पर

[illegible]

शक्ति समीकरण विद्यालय में खेल को किस प्रकार जेण्डरीकृत कर देते हैं, इसे जानने का प्रयास कीजिए और इसका विश्लेषण कीजिए।

7.7 शिक्षण प्रविधि के विखण्डन और पुनर्निर्माण के निहितार्थ

पिछले कुछ वर्षों में नारीवादी आलोचकों द्वारा, जेण्डर और अन्य सामाजिक असमानताओं (जैसे - जाति, वर्ग और धर्म) से जुड़े मुद्दों को शामिल करते हुए, ज्ञान की सीमाओं का, ज्ञानानुशासनों के आरपार, विस्तार करने के लिए निरन्तर प्रयास किए गए हैं। शक्ति और श्रेणीतन्त्र की प्रकृति, श्रम के लैंगिक विभाजन के महत्व के विश्लेषण, सार्वजनिक और निजी के बीच के विभाजन तथा महिलाओं के अनुभवों को पुनः मूल्य प्रदान करने के बारे में अन्तर्दृष्टियों की आवश्यकता है। जेण्डर और पाठ्यक्रम के बीच के सम्बन्ध बहुत जटिल और चुनौतीपूर्ण है और जब तक पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण-प्रविधियों में जेण्डर के परिप्रेक्ष्य का समावेश नहीं किया जाता, तब तक पाठ्यक्रम जेण्डर पूर्वाग्रहों को प्रदर्शित (portray) करता रहेगा। इसलिए शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह जेण्डर के महत्व का संज्ञान ले और यह सुनिश्चित करे कि शिक्षण-प्रविधियों में जेण्डर का परिप्रेक्ष्य शामिल कर लिया गया है ताकि विद्यार्थीगण जेण्डर समानता के मूल्य को ग्रहण कर सकें।

कक्षा-कक्ष में विद्यार्थी और शिक्षक का आपसी जुड़ाव महत्वपूर्ण है क्योंकि इस जुड़ाव में यह परिभाषित करने की शक्ति होती है कि किसका ज्ञान विद्यालय सम्बन्धी ज्ञान का हिस्सा बनेगा और ऐसे ज्ञान को आकार प्रदान करने में किसकी आवाज अधिक सुनी जाएगी। विद्यार्थियों को सिर्फ प्रेक्षक भ्रम नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें चर्चाओं का और अपनी शिक्षा से जुड़े मुद्दों के समाधान का हिस्सा होना चाहिए। यह आवश्यक है कि उनके मानसिक कौशलों का विकास किया जाए और उन्हें स्वतन्त्र रूप से तर्कपूर्ण चिन्तन करने के लिए सक्षम बनाया जाए। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षक को अपनी शिक्षण-प्रविधि का विखण्डन (deconstruct) करना पड़ेगा, विशेष तौर पर विशेषाधिकार-रहित पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों, खासतौर पर लड़कियों, की आवश्यकताओं के अनुसार विखण्डन करना पड़ेगा क्योंकि जिस दुनिया में ये रहते हैं, उस दुनिया का और उसकी वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम ही हो पाता है। शिक्षक को शिक्षण और सीखने की सहभागितापरक प्रक्रियाओं जैसी शिक्षण-प्रविधि का पुनर्निर्माण करना पड़ेगा जिसमें विद्यार्थियों की आत्मनिष्ठता, भावनाएँ और अनुभव शामिल हों। इससे अपने आसपास के परिवेश को आलोचनात्मक तरीके से समझने में और स्वयं को सशक्त करने में लड़की को सहायता मिलेगी। सहभागिता यद्यपि एक शक्तिशाली शिक्षण-प्रविधि है लेकिन तब भी, इसका प्रयोग करने में शिक्षक को सावधान रहना चाहिए कि कक्षा-कक्ष की चर्चाओं पर कहीं उसके अपने ही विचार न हावी हो जाएँ। यदि शिक्षक के विचार हावी हो गए तो विद्यार्थियों के लिए यह शिक्षण-प्रविधि सार्थक नहीं रह जाएगी। सहभागिता में विद्यार्थियों और अध्यापकों - दोनों - के अनुभवों की सराहना करना भी शामिल होना चाहिए। सहभागिता सच्चे अर्थों में तभी सफल होती है जब वह अन्तरों या भिन्नताओं का संज्ञान लेने के सिद्धान्त पर चलती है। विद्यार्थी अपनी वैयक्तिक भिन्नताओं को साझा करते हैं और उस पर चिन्तन करते हैं और इसके साथ ही वे दूसरे लोगों के उन अनुभवों से भी खुद को जोड़ पाते हैं जो, सम्भव है कि, उनके अपने सामाजिक यथार्थ का अंग न हो।

एक रणनीति के रूप में विद्यार्थियों को संघर्ष से भी सिखाया जाना चाहिए। विद्यार्थीगण विभिन्न प्रकार की हिंसा से जुड़े संघर्षों का सामना करते हैं, जैसे - बच्चों के साथ यौन-दुर्व्यवहार की घटनाएँ, बच्चे घर पर घरेलू हिंसा देखते हैं, साम्प्रदायिक हिंसा तथा हुल्लड़बाजी के रूप में विद्यालय में की जाने वाली हिंसा। यहाँ तक, कि यह भी हो सकता है कि बच्चे अपने स्व (self) के साथ ही संघर्ष कर रहे हों - जैसे परीक्षाओं में निष्पादन,

माता-पिता की अपेक्षाएँ और किशोरावस्था से जुड़े अन्य मुद्दे। विद्यार्थी अपने समाजीकरण और अपने संघर्षों के साथ ही कक्षा-कक्ष में आते हैं। संघर्ष उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। उन्हें लगातार ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जब परिवार और समाज द्वारा उन पर नैतिक फर्तियाँ कसी जाती हैं। पाठ्यक्रम में दिया गया ज्ञान उदासीन होता है और उसका इस तरीके के संघर्षों (conflicts) से कोई मतलब नहीं होता। शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे संघर्षों का सामना करने के लिए वह वैयक्तिक और सामूहिक - दोनों - स्तरों पर वैकल्पिक तरीके उपलब्ध कराए। विशेष तौर पर, जेम्स से जुड़े संघर्षों के सम्बन्ध में विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वे दोनों पक्षों के बीच के संघर्ष के विचार को समझें : एक तरफ वह है जिसे समकालीन समाज में प्रेक्षित किया जाता है और जिसे मूल्य प्रदान किया जाता है तथा दूसरी तरफ यह कि जेम्स के दृष्टिकोण से किसी समतामूलक समाज और कम हिंसक विश्व में प्रेक्षण या मूल्य प्रदान करने की यह प्रक्रिया किस प्रकार की हो सकती है। समकालीन समाज में चीजों को प्रेक्षित किए जाने और उन्हें मूल्य प्रदान करने के सन्दर्भ में यह ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थी अलग-अलग सामाजिक जगहों में निवास करते हैं।

विद्यार्थियों से कहा जा सकता है कि वे नीचे दिए गए चित्र पर अपनी प्रतिक्रिया दें। यह चित्र उस उत्साह को दिखाता है जिस उत्साह के साथ लड़कियाँ विद्यालय जा रही हैं तथा चित्र में दिख रहा लड़का मुस्करा रहा है।



Source: H.T. 22 March 2015

यदि एक शिक्षक कक्षा-कक्ष में किसी विषय पर अध्यापन कर रहा है और विद्यार्थीगण प्राप्त किए गए ज्ञान पर आलोचनात्मक दृष्टि से प्रश्न उठा रहे हैं तो शिक्षक को इस योग्य होना चाहिए कि वह समूह-चर्चाओं के द्वारा या सीखने की अन्य सहभागितापरक विधियों के द्वारा अपनी शिक्षण-प्रविधि का पुनर्निर्माण कर सके। इससे शिक्षार्थियों को उनके अपने वातावरण में विद्यमान तत्वों पर टिप्पणी करने, उनकी तुलना करने और उन पर चिन्तन करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। विद्यार्थियों को पढ़ने के उस तरीके से सुसज्जित करना आवश्यक होता है, जिससे वे पढ़ते समय वर्धस्वशाली दृष्टिकोण के विपरीत जाकर भी सोचना सीख सकें (यानी *reading against the grain*) - चाहे वह कोई पूर्वाग्रहग्रस्त पाठ्यपुस्तक पढ़ रहे हों या वे अपने वातावरणों में किसी अन्य साहित्यिक स्रोत को पढ़ रहे हों। जो संस्कृतियाँ प्राथमिक रूप से मौखिक परम्परा वाली हैं, उन संस्कृतियों में विद्यार्थी चर्चा, टिप्पणी और विश्लेषण करने के एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में गीतों तक का भी प्रयोग कर सकते हैं। चूँकि ज्ञान के भण्डार अलग-अलग माध्यमों में विद्यमान

जेण्डर और शिक्षणशास्त्रीय प्रश्न

होते हैं, इसलिए स्वयं शिक्षार्थियों के बीच गतिशील (dynamic) अन्तःक्रिया उत्पन्न करने के लिए इन सारे रूपों - चाहे वह टेलीविजन हो, विज्ञापन हों, गीत हों, चित्र (paintings) आदि हों का प्रयोग किया जा सकता है।

अवस्थिति, शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि और अलग-अलग विषयों के आधार पर, अलग-अलग शैक्षिक व्यवस्थाओं में इस प्रकार की शिक्षण-प्रविधियों से निकलने वाले अर्थ अलग-अलग हो सकते हैं। ऐसी प्रविधि के पुनर्निर्माण का परिणाम यह होता है कि पाठ्यक्रम और कक्षा-कक्ष के संगठन में अनेक परिवर्तन हो जाते हैं और इन परिवर्तनों का परिणाम यह होता है कि लड़कियों और महिलाओं की सहभागिता बढ़ जाती है तथा विद्यार्थियों के ऐसे समूहों की सहभागिता भी बढ़ जाती है, जिन्हें पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व न मिला हो। यह पाठ्यक्रम पर सवाल उठाने में और उन श्रेणीतन्त्रों और शक्ति-संजालों को तोड़ने में सहायता करता है, जो शिष्यों या अध्यापकों के रूप में लड़कियों और महिलाओं का बहिष्करण करते हैं। इससे उन स्थितियों के बारे में एक व्यापकतर समझ विकसित होती है जो हुल्लड़बाजी, प्रजातिवाद, हिंसा और अन्य उद्दण्ड व्यवहारों की तरफ ले जाती हैं। शिक्षक विद्यार्थियों के अनुभवों और ज्ञान को मूल्य और महत्व प्रदान करना शुरू कर सकते हैं तथा विद्यार्थियों के शैक्षिक कार्यों की योजना बनाने और मूल्यांकन करने में उन्हें संलग्न या शामिल कर सकते हैं। विद्यार्थियों के बीच इस आलोचनात्मक चेतना का विस्तार हुआ है कि वे संकीर्ण संकल्पनाओं, विशेषाधिकारों और रुढ़िवादिता को चुनौती दे सकते हैं। इस प्रकार, शिक्षण-प्रविधियों का विखण्डन और उनका पुनर्निर्माण करने से विद्यार्थियों के लिए इस चीज का अवसर उपलब्ध हो सकेगा कि वे कक्षा-कक्ष में वैयक्तिक रूप से स्वयं को, निर्णय या रुढ़िवादिता के भय से मुक्त होकर, स्वतन्त्रतापूर्वक अभिव्यक्त कर सकें।

गतिविधि 5

ज्ञान के विखण्डन और इसके पुनर्निर्माण के लिए पढ़ने का वह तरीका एक महत्वपूर्ण प्रविधि है जिस तरीके के अन्तर्गत पढ़ते समय वर्चस्वशाली दृष्टिकोण के विपरीत जाकर भी सोचना (यानी *reading against the grain*) सीखना होता है। कुछ उदाहरण दीजिए कि कक्षा-कक्ष को जेण्डर संवेदी बनाने के लिए इसका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है।

अपनी प्रगति को जाँचिए 2

- विभिन्न ज्ञानशास्त्रों के अध्यापन के माध्यम से जेण्डर संवेदनशीलता को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है?

.....

.....

.....

- कक्षा-कक्ष में एक अध्यापक शक्ति समीकरण को किस प्रकार परिवर्तित कर सकता है?

.....

.....

.....

7.8 सारांश

जैसाकि हम सभी जानते हैं, जेण्डर समस्त ज्ञानानुशासनों के आर-पार व्याप्त है तथा ज्ञान के निर्माण में यह एक बुनियादी मुद्दा है। मुख्य चुनौती उस ज्ञान का विखण्डन करने की है, जो जेण्डर की असमानताओं को प्रदर्शित (portray) करता है। ऐसा कक्षा-कक्ष में विश्लेषणात्मक सहभागितापरक और सक्रिय (pro-active) शिक्षणशास्त्रीय रणनीतियों के माध्यम से किया जा सकता है। जो दृष्टिकोण लड़कियों और महिलाओं - दोनों - के जीवन-जगत को समान रूप से प्रतिबिम्बित करते हैं, वे अदृश्य (invisible) को दृश्य (visible) बनाते हैं तथा कक्षा-कक्ष में शक्ति समीकरणों को परिवर्तित करने में ऐसे दृष्टिकोण सहायता करेंगे। शिक्षणशास्त्र को एक प्रसारक पद्धति से आगे बढ़कर दृढ़ता से अधिक सहभागितापरक और शिक्षक व विद्यार्थियों के बीच वार्तालापमूलक अन्तःक्रिया के रूप में होना चाहिए। लड़कियों और अन्य हाशियाकृत विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का संज्ञान लेने के लिए यह आवश्यक है तथा सीखने के एक ऐसे वातावरण को उत्पन्न करने के लिए भी यह आवश्यक है, जिसमें उनकी आवाजें सुनी जाती हों। शिक्षणशास्त्र को यह काम अवश्य करना चाहिए कि कक्षा-कक्ष में वह संघर्ष को एक संक्रमणकालीन रणनीति के रूप में शामिल करे।

7.9 इकाई अन्त प्रश्न

1. अपने स्वयं के कक्षा-कक्ष की प्रक्रियाओं पर जेण्डर के दृष्टिकोण से, जिस प्रकार इस इकाई में चर्चा की गयी है, विचार व्यक्त कीजिए।
 - क्या आपके जीवन में कभी ऐसी परिस्थितियाँ आयी हैं जब आपने जेण्डर से जुड़े मानकों पर सवाल उठाया हो?
 - अपने कक्षा-कक्षों में शिक्षार्थियों को उनके अपने वातावरण में विद्यमान तत्वों पर टिप्पणी करने, उनकी तुलना करने और उन पर चिन्तन करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आपके द्वारा किन दृष्टिकोणों का प्रयोग किया गया है?
 - आपके द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली शिक्षण सम्बन्धी सीखने की किसी सामग्री का, जेण्डर के परिप्रेक्ष्य से, विश्लेषण कीजिए।

7.10 अपनी प्रगति जाँच के उत्तर

1. कक्षा-कक्ष के व्यवहारों की जेण्डर के दृष्टिकोण से की जाने वाली लेखा-परीक्षा में वह प्रक्रिया शामिल है जिसके माध्यम से शिक्षक इस बात की जाँच कर सकते हैं कि लड़कों और लड़कियों के बीच असमानताओं के कौन-कौन से प्रकार विद्यमान हैं और पाठ्यक्रम के व्यवहारों के माध्यम से ये असमानताएँ किस प्रकार निर्मित की जाती हैं। यह कक्षा-कक्ष में लड़कों और लड़कियों के बीच विद्यमान जेण्डर सम्बन्धी अन्तराल को, ज्ञान के निर्माण और निहित पाठ्यक्रम के पदों में, समझने में सहायता करती है। इसमें ऐसी प्रत्येक चीज की लेखा-परीक्षा शामिल है, जो शिक्षकों और शिक्षार्थियों के बीच की अन्तःक्रिया, गतिविधियों व अभ्यासों, मूल्यांकन व संचार के दौरान सीखने के वातावरण में घटित होती है। यह प्रत्येक विद्यार्थी - चाहे वह विद्यार्थी लड़का हो या लड़की - की विशिष्ट आवश्यकताओं और उसकी शक्तियों को समझने में शिक्षक की सहायता करती है तथा विभिन्न व्यवस्थाओं में कक्षा-कक्षों के बारे में योजना बनाने और उनका प्रबन्धन करने में सहायता करती है ताकि

लड़कों और लड़कियों - दोनों - की, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और सम्भावनाओं के अनुसार, समान सहभागिता सुनिश्चित हो सके।

2. निहित यानी छिपा हुआ पाठ्यक्रम वह है जिसे विद्यार्थी विद्यालय में सीखते हैं। ऐसा निहित पाठ्यक्रम अध्ययन के औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, उदाहरण के लिए, - अपने मित्रों, शिक्षकों या अन्य वयस्कों के साथ की जाने वाली विद्यार्थियों की अन्तःक्रियाएँ, या फिर यह कि विद्यार्थी वर्ग, प्रजाति, धर्म या जेण्डर के आधार पर अलग-अलग लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। इसमें सीखने की ऐसी प्रक्रिया शामिल होती है जो कक्षा-कक्ष के भीतर और उसके बाहर भी, गैर-बरादतन तरीके से, घटित होती है। इसमें यह भी शामिल है कि विद्यार्थीगण किन विचारों और व्यवहारों को स्वीकार्य या अस्वीकार्य मानते हैं। औपचारिक व्यवस्था में आमतौर पर इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता और यह मान लिया जाता है कि इन विचारों या व्यवहारों को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है।
3. शिक्षक लड़कों और लड़कियों से, उनकी विशिष्ट भूमिकाओं पर विचार किए बिना, विद्यालय के कामों में सहायता करने के लिए कह सकता/सकती है, उदाहरण के लिए, लड़कों से साफ-सफाई का काम करने के लिए और लड़कियों से कुर्सी-मेज या फर्नीचर आदि इधर से उधर ले जाने में मदद करने के लिए कहा जा सकता है। खेलकूद जैसी अन्य पाठ्येतर गतिविधियों में लड़कियों को मुक्केबाजी या क्रिकेट के क्षेत्र में प्रविष्ट होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है और लड़कों को खो-खो या बैडमिण्टन वगैरह खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। शिक्षक को यह नहीं करना चाहिए कि वह कक्षा-कक्ष में लड़कियों और लड़कों को अलग-अलग विभाजित करे, उदाहरण के लिए लड़कियों से कक्षा-कक्ष के एक तरफ और लड़कों से दूसरी तरफ बैठने के लिए कहना। कक्षा में दो मॉनीटर एक साथ हो सकते हैं - एक लड़का और एक लड़की।

समस्त प्रकार की गतिविधियों में सहभागिता करने के लिए लड़कों और लड़कियों - दोनों - को समान अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। विद्यालय में जेण्डर के आधार पर भूमिकाओं और दायित्वों के वितरण, जैसे - लड़कियों से यह कहना कि वे मुख्य अतिथि का स्वागत करें और लड़कों से यह कहना कि वे व्यवस्था की देखरेख करें, को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। विद्यालयों में ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम और ऐसी अन्य गतिविधियाँ भी आयोजित होनी चाहिए जो जेण्डर-आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए प्रेरित करती हों तथा विद्यालय में जेण्डर के प्रति मैत्रीपूर्ण वातावरण को उत्साहित करती हों। शिक्षक को चाहिए कि वह अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों को सम्बोधित करे, उदाहरणार्थ क्या वह कक्षा-कक्ष में पारम्परिक व्यवहार पर बल प्रदान करता/करती है, जैसे क्या वह पहले लड़कों को बुलाता/बुलाती है और क्या वह हस्तक्षेप करने, तर्क करने या पारम्परिक रूप से पुरुषोचित कहे जाने वाले व्यवहारों को करने के लिए लड़कों को प्रोत्साहित करता/करती है तथा क्या वह इसी प्रकार के व्यवहारों को करने के मामले में लड़कियों को हतोत्साहित करता/करती है।

4. जेण्डर समस्त ज्ञानानुशासनों के आरपार चिन्ता का एक मुद्दा है और इसे ज्ञान के समस्त अनुशासनों में एकीकृत किया जाना चाहिए। जेण्डर रुढ़िवादिता को अमिव्यक्त करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए भाषा एक मूल्यवान उपकरण है तथा शिक्षक के मौखिक कथनों को जेण्डर संवेदी होना चाहिए। जब हम महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में बोल रहे होते हैं तो हमें यह बात स्पष्ट तौर पर कहनी चाहिए

कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों में पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं। हमें महिला लेखकों, शासकों या वैज्ञानिकों के बारे में बोलना चाहिए। जब हम घरेलू कामकाज के बारे में बोलते हैं तो हमें पहले से ही यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि ये कामकाज सिर्फ महिलाओं के ही हैं, बल्कि इस बात पर जोर देना चाहिए कि इन कार्यों को महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। यदि पाठ्यपुस्तकों की भाषा जेण्डर के रुढ़िवादिता से युक्त है तो शिक्षक पाठ को उन्नत करने और उसे जेण्डर संवेदी बनाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकते हैं। भाषा में, पुरुषों और महिलाओं के लिए स्टीरियोटाइप से जुड़े अनेक विशेषणों का प्रयोग किया जाता है जो उनको पुरुषवाचक (masculine) और स्त्रीवाचक (feminine) के रूप में चित्रित करते हैं। लिंगवादी (sexist) भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए तथा कक्षा-कक्षा में जेण्डर संवेदी भाषा का उपयोग करते हुए संचार करना चाहिए।

गणित में ज्ञान का निर्माण और संकल्पनाओं की रचना करते समय शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि गणितीय प्रश्नों की सहायता से वह घर पर किए गए कामकाज को भी महत्वपूर्ण और उत्पादक बताए। प्रत्येक कार्य पर खर्च हुए समय, श्रम और ऊर्जा की गणना करने वाली प्रश्नावलियों के माध्यम से यह प्रतिबिम्बित होना चाहिए कि जीवन में किसी भी क्षेत्र के श्रम की एक गरिमा होती है। जीवन के समस्त कार्यों में महिलाओं/लड़कियों की बढ़ती सहभागितापरक भूमिकाओं पर जोर देना चाहिए। महिलाओं का चित्रण गैर-पारम्परिक और नवीन व्यावसायिक भूमिकाओं के सन्दर्भ में करना चाहिए, जैसे - प्रबन्धकों, व्यापारियों, अधिशासी कार्यकारियों, व्यावसायिक महिलाओं, अपना वाहन स्वयं चलाने वाली महिलाओं, पायलटों, वैज्ञानिकों, गणितज्ञों, उद्योगपतियों आदि के रूप में महिलाओं का चित्रण करना चाहिए। धन के आदान-प्रदान से सम्बन्धित सवाल/दृश्यात्मक वर्णनों (visuals), जैसे - खरीदने, बेचने और सम्पत्ति के स्वामियों के रूप में महिलाओं और पुरुषों - दोनों - को दिखाना चाहिए।

पर्यावरणीय अध्ययन मनुष्य के साथ प्रकृति का एकीकरण है जो विद्यार्थियों को सामाजिक और भौतिक वातावरण के साथ अन्तःक्रिया करने के योग्य बनाता है। पर्यावरणीय अध्ययन विद्यार्थियों को अपने जीवन, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति तथा देखभाल करने और साझेदारी करने या एक-दूसरे का सम्मान करने आदि के प्रति संवेदनशील होना सिखाता है। शिक्षकों को इस बात पर जोर देना चाहिए कि भौतिक गुण (या लक्षण) और अन्तर किसी श्रेष्ठता या हीनता को प्रतिबिम्बित नहीं करते। इस आधार पर लड़कों और लड़कियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए कि उनके शारीरिक या भौतिक लक्षण अलग-अलग हैं। बच्चों की क्षमताओं, योग्यताओं और अभिवृत्तियों में वैयक्तिक अन्तरों का उल्लेख करते समय सावधानी बरती जानी चाहिए। लड़कों और लड़कियों की बुनियादी शारीरिक संरचना, प्रकार्य और आवश्यकताएँ एक जैसी ही हैं, इसलिए उन्हें भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और सीखने के अनुभव उपलब्ध कराने में उनके साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। महिलाओं और पुरुषों को स्टीरियोटाइप्ड भूमिकाओं के साथ नहीं चित्रित किया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए, महिलाओं का पानी एकत्रित करने जाना, खाना पकाना, बच्चों की देखभाल करना तथा पुरुषों का घर से बाहर जाकर दफ्तरों या खेतों में कार्य करना। दृश्यात्मक तरीके से किए जाने वाले वर्णनों में व्यक्तियों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न दिखाया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए, वैज्ञानिकों के कार्यों में, क्योंकि इन आर्थिक गतिविधियों में महिलाएँ भी अपना योगदान दे रही हैं। ऐसी श्रेष्ठ महिलाओं के बारे में जानकारी दी जा सकती है जो वैज्ञानिक, इतिहासकार, सामाजिक कार्यकर्ता,

पंचायत सदस्य, सक्रिय कार्यकर्ता, स्थानीय नेता आदि हों। इससे अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए लड़कियाँ प्रोत्साहित होंगी तथा इससे उनके बीच अपनी स्वयं की एक सकारात्मक आत्म-छवि बन सकती है।

5. जेण्डर संवेदी शिक्षणशास्त्र के माध्यम से, शिक्षक कक्षा-कक्ष में शक्ति समीकरणों को परिवर्तित करने में सहायता कर सकता/सकती है। अध्यापन के दौरान शिक्षक को इस विषय में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि किसका ज्ञान अधिक मूल्यवान है और कौन बोल सकता है। कक्षा में बोलने के लिए किसी बच्चे को प्रोत्साहित करना कुछ बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अतिरिक्त सम्भव है कि किसी बच्चे की प्राथमिकता यह हो कि दूसरे को सुनना कैसे सीखा जाए, तो इस दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण हो सकता है। एक शिक्षक की भूमिका यह होती है कि वह बच्चे को सुरक्षित अवसर उपलब्ध कराए ताकि बच्चे स्वयं को अभिव्यक्त कर सकें और साथ ही साथ स्वस्थ बातचीत प्रारम्भ कर सकें। कक्षा में यदि विश्वास का वातावरण हो, तो कक्षा-कक्ष एक ऐसा सुरक्षित स्थल बन जाएगा जहाँ बच्चों का संज्ञान लिया जा सके, जहाँ प्रस्तावों या संकल्पों पर पारस्परिक रूप से कार्य किया जा सके, जहाँ एक-दूसरे से बातचीत करने के लिए बच्चे अनौपचारिक तरीकों का उपयोग कर सकें और विद्यालय के बाहर के संघर्षों का समाधान करने के लिए आवश्यक कौशलों का विकास कर सकें। विशेष तौर पर लड़कियों के लिए कक्षा-कक्ष ऐसे स्थलों के रूप में होना चाहिए जहाँ उन्हें निर्णय-निर्माण के लिए, निर्णयों के आधारों पर प्रश्न उठाने के लिए और संसूचित विकल्पों का चयन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

विद्यार्थियों के सामाजिक वातावरण को समझकर और समाजीकरण के किसी पूर्वाग्रहयुक्त रूप को भूलने (unlearn) में विद्यार्थियों की सहायता करके शिक्षक कक्षा-कक्ष में शक्ति सम्बन्धों को अधिक प्रभावी तरीके से सम्बोधित कर सकते हैं। जिन इलाकों से बच्चे आते हैं, उन इलाकों में प्रचलित सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवहारों के प्रति शिक्षक को, अध्यापन के दौरान, जागरूक होना चाहिए। यहाँ तक कि शिक्षक को विद्यालय के आसपास के इलाके और परिवेश के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। विद्यालयों और कक्षा-कक्षों को बन्द संरचनाओं के रूप में नहीं होना चाहिए तथा ज्ञान की निर्मिति को जेण्डर संवेदी बनाने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि बाहर समुदाय और आसपास के इलाकों तक जाया जाए।

7.11 सन्दर्भ ग्रंथ

1. Creating Gender Equity Through Your Teaching: <http://wrc.ucdavis.edu/files/misc/genderequity.pdf>
2. Developing Gender Responsive Learning Environments: An IREX Toolkit for Teachers: https://www.irex-europe.fr/IMG/pdf/Gender_and_EducationToolkit.pdf
3. Levtoy, R. (2014). Addressing Gender Inequalities in Curriculum and Education: Review of Literature and Promising Practices to Inform Education Reform Initiatives in Thailand in Women's Voice and Agency Research Series 2014 No.9, The World Bank.
4. Mlana, P., Dioum, M., Makoye, H., Murage, L., Wagah, M., & Washika, R. (2005). Gender Responsive Pedagogy: A Teacher's Handbook. Nairobi, Kenya: Forum for African Women Educationalists (FAWE).

5. National Focus Group on Gender Issues in Education, NCERT, New Delhi, 2005
6. UNGEI. (2012). Gender Analysis in Education: A Conceptual Overview. New York: UNGEI.

VIDEOS

- Gender-Responsive Teacher Education: <http://www.youtube.com/watch?v=cZuUY4Vwh3k>
- Gender Stereotyping in the Classroom: <http://www.youtube.com/watch?v=i3BFwRG0Id4>
- How to Avoid Gender Stereotypes: <http://www.youtube.com/watch?v=9ZFNSJ0-aco>
- UNICEF: To Educate a Girl: <http://teachunicef.org/explore/media/watch/educate-girl-feature-length-film>
- Chuppi Todo, Plan India

इकाई 8 कक्षा-कक्ष में जेण्डर समानता के प्रोत्साहन की रणनीतियाँ

संरचना

- 8.1 प्रस्तावना
- 8.2 उद्देश्य
- 8.3 जेण्डर से सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधान और कानून
- 8.4 जेण्डर समानता को सम्बोधित करने वाली नीतियाँ और कार्यक्रम
- 8.5 मानवाधिकार और महिलाओं के अधिकार
- 8.6 विद्यालयों में यौन उत्पीड़न को सम्बोधित करना
- 8.7 जेण्डर रूढ़िवादिताओं की पारगम्यता एवं इष्टतम क्षमता की वृद्धि
- 8.8 जेण्डर समानता का व्यवहार करने वाले विद्यालय के लिए दृष्टि
- 8.9 सारांश
- 8.10 इकाई अन्त प्रश्न
- 8.11 अपनी प्रगति जाँच के उत्तर
- 8.12 सन्दर्भ ग्रन्थ
- 8.13 सुझायी गयी अध्ययन सामग्री

8.1 प्रस्तावना

पिछली इकाई में आप सहभागितापरक कक्षा-कक्ष के बारे में पढ़ चुके हैं। अब तक आप कक्षा-कक्ष में सहभागिता का अर्थ और इसका महत्व समझ चुके होंगे। कक्षा-कक्ष में सहभागिता की प्रक्रिया किन तरीकों से कार्य करती है और किन तरीकों से यह विभिन्न स्तरों पर संचालित होती है? इस इकाई में हम संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों पर वाद-विवाद का अध्ययन करेंगे। उदाहरण के लिए, 'कार्यस्थल पर यौन-उत्पीड़न अधिनियम, 2013' आदि। कानूनों और जेण्डर समानता के बीच क्या सम्बन्ध है? सामाजिक स्तर पर समानता को कानून किस प्रकार लेकर आए हैं? ऐसी कौन-कौन-सी नीतियाँ और कार्यक्रम हैं जो जेण्डर समानता से जुड़ी समस्याओं को सुलझाते हैं? इसलिए, ऐसी नीतियाँ, कार्यक्रमों और कानूनों से उभरने वाले मुख्य वाद-विवादों को जेण्डर और समाज के वृहत्तर सन्दर्भ में समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हालाँकि, जेण्डर समानता को प्रोत्साहित करने के लिए, विद्यालयों और संस्थाओं को किस तरीके के प्रयास करने चाहिए ताकि विद्यमान जेण्डर रूढ़िवादिता को तोड़ने के बारे में सोचा जा सके? विद्यालयों के बच्चों के दैनिक जीवन में जेण्डर समानता लाने के लिए विद्यालयों को किस प्रकार संलग्न किया जा सकता है? इस इकाई में हम इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

8.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप,

- जेण्डर सम्बन्धी संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों को याद कर सकेंगे;
- जेण्डर समानता को सम्बोधित करने वाली नीतियों और कार्यक्रमों को जान सकेंगे;
- महिलाओं के अधिकारों और मानवाधिकारों से सम्बन्धित वाद-विवादों से संलग्न हो सकेंगे; और
- विद्यालयों में जेण्डर रूढ़िवादिता का आलोचनात्मक विश्लेषण कर सकेंगे।

8.3 जेण्डर से सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधान और कानून

जेण्डर और कानून राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय विमर्श में चर्चा के मुख्य विषय हैं। कानून महिलाओं के लिए सशक्तीकरण के बुनियादी उपकरण हैं। इस प्रकार, कानूनी प्रावधानों और जेण्डर पर इनके प्रभावों को जानना-समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आइए कुछ ऐसे संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के बारे में अध्ययन करते हैं जो जेण्डर समानता से सम्बन्धित हैं। भारत का संविधान एक विधिक, नैतिक और राजनीतिक दस्तावेज है जो देश में सभी नागरिकों को समान अधिकारों की गारण्टी प्रदान करता है। मूल अधिकार व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा इसके साथ ही साथ निदेशक तत्व भी हर जाति और हर समुदाय के नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जैसे प्रत्येक क्षेत्र में न्याय उपलब्ध कराते हैं।

संविधान में वर्णित मूल अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों को राष्ट्र-राज्य में केन्द्रीय सिद्धान्त कहा गया है। जैसाकि फ्लेविया एग्नेस लिखती हैं कि, "मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिन्हें न्यायालयों द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है और ये अधिकार राज्य के मनमानेपूर्ण या हानिकारक कार्यों से व्यक्तियों की रक्षा करते हैं। समानता, भेदभाव न करना, स्वतन्त्रता (Freedom), स्वाधीनता (liberty), तथा अल्पसंख्यकों को स्वतन्त्रता प्रदान करना इसके प्राथमिक स्तम्भ हैं" (एग्नेस, पृ. 84 : कॉन्स्टीट्यूशनल डिबेट्स)। दूसरी तरफ, निदेशक तत्व सामाजिक क्रान्ति के लिए संविधान के प्रामाणिक अंग हैं। एग्नेस के अनुसार, "निदेशक तत्वों का सार अनुच्छेद 38 में निहित है जो प्रस्तावना को प्रतिबिम्बित करता है : राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अमिवृद्धि का प्रयास करेगा" (एग्नेस, पृ. 84 : कॉन्स्टीट्यूशनल डिबेट्स)।

आइए संविधान में, जेण्डर समानता हेतु महिलाओं के अधिकारों के लिए, किए गए कुछ प्रमुख प्रयासों के बारे में जानें। (निम्नलिखित विवरण/उल्लेख थामस बी. जेयासीलन की पुस्तक विमेन राइट्स एण्ड लॉ से लिए गए हैं, एस.जे. पृ. 87-90)।

अनुच्छेद 14 : विधि के समक्ष समता : राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

अनुच्छेद 16 : धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध

(1) राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

**चेम्बर और
शिक्षणशास्त्रीय प्रश्नार्प**

- (2) कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर :
- (क) दुकानों, सार्वजनिक मोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या
- (ख) पूर्णतः या भागतः राज्य-निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुँओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग, के सम्बन्ध में किसी भी नियोग्यता, दायित्व, निर्बन्धन या शर्त के अधीन नहीं होगा।
- (3) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।
- (4) इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खण्ड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।

अनुच्छेद 16 : लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता

अनुच्छेद 17 : अस्पृश्यता का अन्त

अनुच्छेद 18 : वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण

- (क) वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य,
- (ख) शान्तिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन,
- (ग) संगठन या संघ बनाने,
- (घ) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र आबाध संचरण,
- (ङ) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाना,
- (च) (सम्पत्ति का अधिकार - निरसित)
- (छ) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करना।

अनुच्छेद 21 : प्राण और दैहिक स्वतन्त्रता का संरक्षण : किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतन्त्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

अनुच्छेद 23 : मानव के दुर्व्यापार और बलात्-श्रम का प्रतिषेध :

- (1) मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्-श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबन्ध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।
- (2) इस उपबन्ध की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

अनुच्छेद 24 : कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध : चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक/ध्वालिका को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय, नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 38 (घ) : राज्य अपनी नीति का, विशिष्टता, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो।

अनुच्छेद 42 : राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबन्ध करेगा। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51क(ख) कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान या गरिमा के विरुद्ध हैं।

हालाँकि विभिन्न विधिक निर्णयों के माध्यम से किए गए कानूनों के कुछ हस्तक्षेप उल्लेखनीय हैं। महिलाओं की समानता और उनके अधिकारों के सम्बन्ध में हमारे संविधान के प्रावधान भी सकारात्मक रूप से हस्तक्षेप करते हैं। इसके अतिरिक्त महिला-समूहों या महिला-आन्दोलनों के प्रयास भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, इनमें से कुछ प्रावधान हैं : मातृत्व लाभ अधिनियम, 1981, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1978 के प्रवर्तन के अन्तर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005, कार्यस्थल पर यौन-उत्पीड़न से सम्बन्धित अधिनियम, 2013 आदि। इसके अतिरिक्त, संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण की माँग या राजनीतिक हिंसा, बलात्कार, दहेज, लिंग-निर्धारित करके कराए गए गर्भपात, और किराए की कोख (सुरोर्गसी) तथा अन्य मुद्दे भी सम्बोधित किए गए हैं। 18 दिसम्बर 2012 के निर्भया काण्ड ने जस्टिस वर्मा समिति की अनुशंसाओं के साथ आपराधिक विधियों के संशोधन के सन्दर्भ में नया विमर्श उत्पन्न किया। इस समिति ने वैवाहिक बलात्कार की श्रेणी का भी संज्ञान लिया, जिसे नारीवादी आन्दोलन के लिए मील का एक पत्थर कहा जा सकता है। ये अनुशंसाएँ तेजाब फेंककर किए जाने वाले हमलों, बाल यौन दुर्व्यवहारों, खाप पंचायतों और प्रतिष्ठा के नाम पर की जाने वाली हत्याओं के बारे में भी चर्चा करती हैं।

अपनी प्रगति को जाँचिए I

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के सम्बन्ध में विस्तार से लिखिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**जेम्बर और
शिक्षणशास्त्रीय प्रथाएँ**

महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए बनाए गए श्रम कानूनों के बारे में आपको अवश्य जानना चाहिए।

कारखाना अधिनियम 1948 - महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने वाले कुछ प्रावधान इस अधिनियम में विद्यमान हैं, उदाहरण के लिए, व्यावसायिक सुरक्षा, साफ-सफाई के प्रावधान तथा छोटे बच्चों को रखने वाले शिशुगृहों (creche) से सम्बन्धित प्रावधान।

खान अधिनियम - यह अधिनियम महिलाओं को भूमि के नीचे (अम्डरग्राउण्ड) नियोजित करने का प्रतिषेध करता है तथा भूमि के ऊपर काम करने वाली महिलाओं के सन्दर्भ में कार्य करने के समय को विनियमित और प्रतिबन्धित करता है।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1978 - यह अधिनियम एक जैसे कार्य के लिए या समान कार्य के लिए पुरुष और महिला श्रमिकों को समान पारिश्रमिक प्रदान करने का प्रावधान करता है।

(सौम्या उमा, पृ. 70-82 से उद्धृत)।

सं.	धारा	अपराध	अपराध की प्रकृति	अधिकतम सजा
1	294	किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील कार्य करना, किसी सार्वजनिक स्थान पर या उसके समीप कोई अश्लील गाने, पर्वोदे (ballad) या शब्द गाना	संज्ञेय जमानत योग्य	तीन महीने या जुर्माना या दोनों
2	304बी	दहेज मृत्यु	संज्ञेय गैर-जमानती	न्यूनतम सात साल, अधिकतम उम्र कैद
3	313	स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात करना	संज्ञेय गैर-जमानती	उम्र कैद या दस साल और जुर्माना
4	314	गर्भपात करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा मृत्यु, यदि यह कार्य स्त्री की सम्मति के बिना किया जाए	संज्ञेय गैर-जमानती	दस साल और जुर्माना उम्र कैद और दस साल या जुर्माना
5	315	शिशु के जीवित पैदा होने को रोकने या जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु करने के आशय से किया गया कार्य	संज्ञेय गैर-जमानती	दस साल की कैद और जुर्माना या दोनों
6	316	ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव बंध की कोटि में आता है, किसी सजीव अज्ञात शिशु की मृत्यु करना	संज्ञेय गैर-जमानती	कैद और दस साल और जुर्माना
7	317	शिशु के पिता या माता या उसकी देख-रेख रखने वाले	संज्ञेय जमानत योग्य	सात साल की कैद और

		व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के शिशु को अरक्षित छोड़ दिया जाना और परित्याग		जुर्माना या दोनों
8	318	मृत शरीर के गुप्त दफन द्वारा जन्म छिपाना	संज्ञेय जमानत योग्य	दो साल या जुर्माना या दोनों
9	323	साधारणतः चोट पहुँचाना-पत्नी को पीटना	गैर-संज्ञेय जमानत योग्य	एक साल या एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों
10	324	खतरनाक आयुधों या उपकरणों द्वारा आघात करना	संज्ञेय जमानत योग्य	तीन साल या जुर्माना या दोनों
11	325	पत्नी को पीटना – यातना देना	संज्ञेय जमानत योग्य	सात साल और जुर्माना
12	328	खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा यातना देना	संज्ञेय गैर-जमानती	छत्र कैद या दस साल की कैद तथा जुर्माना
13	354	स्त्री की लज्जा मंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	संज्ञेय जमानती	दो साल या जुर्माना या दोनों
14	363ए	भीख माँगने के प्रयोजन के लिए अप्राप्त, का व्यपहरण या विकलांगीकरण	संज्ञेय गैर-जमानती	दस साल और जुर्माना, छत्र कैद और जुर्माना
15	368	विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना	संज्ञेय गैर-जमानती	दस साल और जुर्माना
16	368ए	अप्राप्तवय लड़की का उपापन (procurement)	संज्ञेय गैर-जमानती	दस साल और जुर्माना
17	368बी	विदेश से लड़की का आयात करना	संज्ञेय गैर-जमानती	दस साल और जुर्माना
18	372	वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय (minor) को बेचना	संज्ञेय गैर-जमानती	दस साल और जुर्माना
19	373	वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय का खरीदना आदि	संज्ञेय गैर-जमानती	दस साल और जुर्माना
20	374	विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम	संज्ञेय जमानत योग्य	एक साल या जुर्माना या दोनों

जेप्कर और
शिक्षणशास्त्रीय प्रभारें

21	378	बलात्कार	संज्ञेय गैर-जमानती	न्यूनतम सात साल, अधिकतम उम्र कैद
22	378ए	पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान शारीरिक संबंध बनना	संज्ञेय जमानत योग्य	दो साल और जुर्माना
23	378बी	प्राधिकार में किसी लोक सेवक द्वारा निरुद्ध की गई स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनना	संज्ञेय जमानत योग्य	पाँच साल और जुर्माना
24	378सी	जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट या रिमाण्ड होम के सुपरिण्टेण्डेण्ट आदि के द्वारा किया गया शारीरिक संबंध बनना	गैर-संज्ञेय जमानत योग्य	पाँच साल और जुर्माना
25	378डी	अस्पताल के प्रबन्धतन्त्र या किसी अस्पताल के कर्मचारिवृन्द द्वारा उस अस्पताल की किसी महिला के साथ किया जाने वाला शारीरिक संबंध बनना	संज्ञेय जमानत योग्य	पाँच साल और जुर्माना
26	377	प्रकृति-विरुद्ध अपराध	संज्ञेय जमानत योग्य	उम्र कैद या दस साल की कैद और जुर्माना
27	483	विधिपूर्ण विवाह की प्रवचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास	संज्ञेय जमानत योग्य	दस साल और जुर्माना
28	484	पति या पत्नी के जीवनकाल में पुनः विवाह करना	संज्ञेय गैर-जमानती	सात साल और जुर्माना
29	485	वह अपराध जो पूर्ववर्ती विवाह को छिपाकर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ पश्चात्तवर्ती विवाह करके किया जाता है	संज्ञेय जमानत योग्य	दस साल और जुर्माना
30	486	विधिपूर्ण विवाह के बिना कपट- पूर्वक विवाहकर्म पूर्ण कर लेना	गैर-संज्ञेय जमानत योग्य	सात साल और जुर्माना
31	487	व्यभिचार	गैर-संज्ञेय जमानत योग्य	पाँच साल या जुर्माना
32	488	विवाहिता स्त्री को आपराधिक आशय से मोहित करना, उसे फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना	गैर-संज्ञेय जमानत योग्य	दो साल और जुर्माना

33	488ए	किसी स्त्री के पति या पति के संबंधी द्वारा उस स्त्री के प्रति क्रूरता करना	गैर-संज्ञेय जमानत योग्य	तीन साल और जुर्माना
34	500	मानहानि	गैर-संज्ञेय जमानत योग्य	दो साल या जुर्माना या दोनों
35	509	शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है	संज्ञेय गैर-जमानती	एक साल या जुर्माना या दोनों

स्रोत : थामस बी. जेयासीलन की पुस्तक 'विमेन राइट्स एण्ड लॉ' (2005), एस.जे. पृ. 110-116, इण्डियन सोशल इन्स्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित।

भारत के संविधान के अनुसार सभी नागरिक समान हैं। आइए, कानून और जेण्डर की समानता पर कुछ केस स्टडीज पढ़ें।

केस स्टडी-I

भारत में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, आस्था के अधिकार, जेण्डर समानता आदि से सम्बन्धित विविध संघर्ष विद्यमान हैं। मन्दिर में प्रवेश से जुड़े जेण्डर पूर्वाग्रह को रोकने के अधिकार के लिए तृप्ति देसाई का संघर्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण समकालीन घटनाओं में से एक है, जिसके कारण समानता और आस्था के बहुत सारे आयाम सामने आए हैं। दूसरे शब्दों में, भूमाता ब्रिगेड नामक एक संगठन के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर तृप्ति देसाई ने उस परम्परा को चुनौती देने का निर्णय लिया जिसके अन्तर्गत महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर मन्दिर में महिलाओं के प्रवेश को प्रतिषिद्ध किया जाता था। उन्होंने इस मान्यता को चुनौती दी कि उस मन्दिर में मूर्तियों से निकलने वाले कम्पन महिलाओं के लिए हानिकारक होते हैं और इसलिए महिलाओं को उस पवित्र स्थल पर नहीं जाना चाहिए। उनके संगठन की स्थापना सन् 2010 में पुणे के निकट एक गाँव में की गयी थी। तृप्ति देसाई का तर्क था कि, "मेरे संगठन ने निर्णय लिया कि जब उस पवित्र स्थल पर एक लड़की के प्रवेश के बाद मन्दिर का 'शुद्धीकरण' किया गया, तो इसका हम सब पर बहुत प्रभाव पड़ा। महिलाओं के साथ भेदभाव करने वाली इस परम्परा को तोड़ने के तरीके के बारे में हम लगातार सोच रहे थे" (तृप्ति, 2016)। तृप्ति का तर्क था कि "मैं शनि देव की एक भक्त हूँ और मैं चाहती थी कि मन्दिर का ट्रस्ट महिलाओं का सम्मान करे" (तृप्ति, 2016)।

स्रोत : इकोनॉमिक टाइम्स, सम्राट फैंडनिस, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर पब्लिसिटी : भूमाता ब्रिगेड्स तृप्ति देसाई।

<http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/Im-not-doing-anything-for-publicity-Bhumata-Brigades-Trupti-Desai/articleshow/50782511.cms>

केस स्टडी-II

धर्म और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर चर्चा हमेशा एक सन्दर्भ में की जाती है। यह सन्दर्भ धर्म के नैतिक मूलतत्त्व (core) के बरअक्स अपने धर्म अथवा अपनी आस्था या धर्म के किसी रूप के प्रति किसी व्यक्ति के नजरिये/स्टैण्डप्वॉइंट का होता है। पितृसत्ता ने सम्पूर्ण विश्व में धर्म के मूलतत्त्व का भेदन किया है। इस प्रकार, आस्था की जेण्डरीकृत प्रकृति महिलाओं को, जो धर्म का अनुसरण करती हैं, हाशियाकरण की दिशा में ले जाती है। भारतीय मुस्लिम महिला आन्दोलन की पन्द्रह राज्यों में 50,000 सदस्य हैं। भारतीय

जेण्डर और
शिक्षणशास्त्रीय प्रथाएँ

मुस्लिम महिला आन्दोलन मुसलमान महिलाओं का एक स्वतन्त्र और सेकुलर संगठन है। इस आन्दोलन की कार्यकर्ताओं ने हाजी अली दरगाह के सम्बन्ध में मुस्लिम महिलाओं के साथ किए जाने वाले भेदभाव का मुद्दा उठाया। पवित्र स्थान तक वे एक अलग प्रवेश द्वार के माध्यम से प्रवेश पा सकती थीं। महिलाओं को इबादत करनी पड़ती थी और उनके प्रवेश का स्थान अलग था।

इन कार्यकर्ताओं में से एक ने इस्पात के बाड़े को देखा जो पवित्र स्थान तक जाने के लिए महिलाओं को रोकता है। इस प्रकार कार्यकर्ता महिलाएँ ट्रस्ट के सदस्यों के पास गयीं और प्रवेश से उन्हें रोके जाने के कारणों के बारे में पूछा। हाजी अली दरगाह ट्रस्ट के अध्यक्ष ने कहा कि महिलाएँ जिस तरह कुछ खास किस्म के कपड़े पहनती हैं, उससे उनके शरीर के अंगों का प्रदर्शन होता है। ट्रस्ट ने यह भी कहा कि ऐसा "महिलाओं की सुरक्षा और उनके बचाव" के लिए किया जाता है। यह तर्क भी दिया गया कि "शरियत के प्रावधानों के प्रति जागरूक न होने के कारण पहले वे लोग गलती कर रहे थे और इसलिए अब उस गलती को सुधारने के लिए उपाय किए गए हैं"। समस्या का समाधान खोजने के लिए याचिकाकर्ताओं ने राज्य के विभिन्न प्राधिकारियों से सहायता माँगी। हमारे संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के आधार पर महिलाओं को पुरुषों की ही तरह पवित्र स्थान तक जाने की अनुमति होनी चाहिए। इस मामले में बम्बई उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्णय दिया और इस कारण आस्था, जेण्डर और अन्य चीजों की सूक्ष्मता से जुड़े कुछ वाद-विवाद उभरे। इस निर्णय ने संविधान में वर्णित मूल अधिकारों पर बल प्रदान किया। धार्मिक कानूनों और जेण्डर समानता को इस रूप में देखा जाता है कि ये अपनी प्रकृति में एक-दूसरे के विरोधी और संघर्षपूर्ण (conflictual) हैं। यह धर्म के पितृसत्तात्मक विनियोजन (appropriation) पर सवाल उठाने जैसा है। जेण्डर समानता और धर्म के वृहत्तर प्रश्नों को सम्बोधित करने वाले इस प्रकार के संघर्षों ने भारत में सामाजिक आन्दोलनों को उत्तेजित (provoke) किया है ताकि धर्म और जेण्डर-समानता के सन्दर्भ में धर्मों की स्थितियों से जुड़े समकालीन वाद-विवादों पर पुनर्विचार किया जा सके। इस प्रकार, मानवाधिकारों के लिए महिलाओं के आग्रहों ने सामाजिक न्याय के सवाल को व्यापक बनाया है। एक विमर्श जो उभरा, वह यह था कि क्या किसी प्रथा/परम्परा के औचित्य को स्थापित किया जाना चाहिए या किसी व्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि वह संविधान का अनुसरण करे। धर्म के सन्दर्भ में समान पहुँच के अधिकार ने पवित्र स्थलों पर प्रवेश के लोकतन्त्रीकरण से सम्बन्धित सामाजिक संघर्षों के दायरों को विस्तृत किया है।

स्रोत : द हिन्दू, समाचारपत्र, ऋचा खरे और शिवम पटेल, हाजी अली एण्ट्री रूलिंग ए विक्ट्री फॉर विमेन से पेटिशनर्स।

<http://www.thehindu.com/news/cities/mumbai/womens-entry-into-haji-ali-sanctum-a-victory-for-women-say-petitioners/article9037096.ece>

अपनी प्रगति को जाँचिए II

2. महिलाओं के समान अधिकारों के लिए तृप्ति देसाई द्वारा किए गए संघर्ष के बारे में लिखें।

.....

.....

.....

.....

8.4 जेण्डर समानता को सम्बोधित करने वाली नीतियाँ और कार्यक्रम

भारत के स्वतन्त्र होने के पश्चात कुछ नीतियाँ और कार्यक्रम लागू किए गए। कुछ महत्वपूर्ण नीतियों की हम यहाँ समीक्षा करेंगे।

उपनिवेशवादी आधुनिकता और भारत में शिक्षा पर इसके प्रभाव के कारण सामाजिक गतिशीलता, समानता और शिक्षा के सम्बन्ध में नए प्रश्न उत्पन्न हुए। उत्तर-औपनिवेशिक शिक्षा के कारण समाज में शैक्षिक चिन्तन के नए तरीके और कुछ सन्तोषजनक परिणाम सामने आए। शिक्षा से सम्बन्धित इन मुद्दों में जेण्डर एक केन्द्रीय विषय था। उदाहरण के लिए, महिलाओं की शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति उन प्रारम्भिक समितियों में से एक महत्वपूर्ण समिति थी जो उत्तर-औपनिवेशिक स्वतन्त्रोत्तर भारत में उभरी थीं। दुर्गाबाई देशमुख ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी और इस समिति का गठन सन् 1958 में किया गया था। इस समिति ने रेखांकित किया कि लड़कियों और लड़कों में शिक्षा का अभाव सामाजिक पिछड़ेपन को निर्धारित करता है। महिला शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद (1959) का गठन समिति की अनुशंसाओं के एक अंग के रूप में किया गया था ताकि लड़कियों की शिक्षा से सम्बन्धित प्रथाओं और व्यवहारों को और अधिक विस्तृत बनाया जा सके। नवीन शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रारम्भ करके इसने सार्वजनिक विमर्श के दायरों को बढ़ाया। इन नवीन कार्यक्रमों ने विभिन्न हिस्सों से आने वाली महिलाओं की चेतना और उनकी सामाजिक गतिशीलता को आगे बढ़ाया।

शिक्षा से सम्बन्धित असमानताओं को समाप्त करने के लिए बनाए गए कुछ कार्यक्रमों और नीतियों की पृष्ठभूमि को समझने के लिए इतिहास को फिर से समझने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, भारत में शैक्षिक परिदृश्य को विकसित करने के लिए शैक्षिक सुधारों पर गठित किए गए कोठारी आयोग (1984-1988) ने शिक्षा सम्बन्धी विचारों और व्यवहारों के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। इसके कारण परीक्षा के राज्य बोर्डों और विद्यालयी शिक्षा आयोग की नींव पड़ी। इन संस्थाओं का गठन शिक्षा के क्षेत्र में समानता सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। भारत में महिलाओं की प्रस्थिति पर समिति (1975) उन महत्वपूर्ण समितियों में से एक थी जिन्होंने शिक्षा और जेण्डर समानता के वृहत्तर प्रश्नों पर विचार किया था। इसने महिलाओं के सन्दर्भ में कानून, संविधान और प्रशासन के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया था। इसका तर्क यह भी था कि महिलाओं की शिक्षा अल्पविकसित है। इस प्रकार, इसने सह-शिक्षण (co-education) का सुझाव शिक्षा और जेण्डर समानता को आपस में जोड़ सकने के एक सम्भावित विकल्प के रूप में दिया था। इसने यह सुझाव भी दिया था कि दसवीं कक्षा तक की पढ़ाई पूर्ण होने तक लड़कियों और लड़कों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम एक जैसा ही होना चाहिए। इसने लड़कों और लड़कियों को समानता के आधार पर यह अनुमति भी प्रदान की थी कि वे समस्त पाठ्यक्रमों (courses) का चयन कर सकें। इस प्रकार, इसने विद्यार्थियों की पहचानों, पाठ्यक्रमों या विषयों की प्रकृति और अन्य चीजों से जुड़ी जेण्डर रुढ़िवादिता को कम करने का प्रयास किया था। इसने यह संस्तुति भी की थी कि प्राथमिक स्तर पर लड़कियों और लड़कों को नृत्य, संगीत और कार्य करने आदि के बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए। नीतिगत दस्तावेज के कुछ अध्यायों में जेण्डर समानता से सम्बन्धित चेतना के उच्च स्तर के बारे में दृष्टान्तों द्वारा स्पष्ट किया गया था। उदाहरण के लिए, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (1988) के "महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा" नामक अध्याय का तर्क था कि शिक्षा "महिलाओं की प्रस्थिति में बुनियादी परिवर्तन के लिए" एक अभिकर्ता (एजेण्ट) के रूप में कार्य कर सकती है। इसका लक्ष्य पहले की जेण्डरीकृत असमानताओं

जेण्डर और शिक्षणशास्त्रीय प्रभाव

को सुधारना तथा जेण्डर समानता के एक उज्ज्वल दिश्य की दिशा में आगे बढ़ना था। इसमें कल्पना की गयी थी कि राष्ट्रीय शिक्षा को महिलाओं के विकास के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। इस प्रकार, इसने महिलाओं के सशक्तीकरण से सम्बन्धित मुद्दों को सम्बोधित किया था। इसने विश्लेषण किया था कि निरक्षरता महिलाओं के समग्र विकास में एक प्रकार की बाधा है।

नीति-निर्माताओं ने महसूस किया कि प्रारम्भिक शिक्षा भी जेण्डर-असमानता की समस्याओं से ग्रस्त है। इस सन्दर्भ में सन् 1984 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP) के जरिये प्रयास किए गए। इसमें शिक्षा के सम्बन्ध में लड़कियों का समावेशन करने और उन्हें अवसर प्रदान करने के लिए प्रयास किए गए। इसमें शिक्षा तक हाशियाकृत समूहों की पहुँच पर भी जोर दिया गया। इसमें ऐसे उपायों पर चर्चा की गयी जो शिक्षा तक लड़कियों की पहुँच, लड़कियों की शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा की प्रक्रिया में लड़कियों को बनाए रखने से जुड़े सवालों से निपट सकें। व्यापक तौर पर, इसका ध्यान महिला विद्यार्थियों की शैक्षिक ऊर्ध्वाधर गतिशीलता पर चिन्तन करने वाले परिप्रेक्ष्यों पर था।

साक्षरता जेण्डर समानता को निर्धारित करने वाले प्रमुख पहलुओं में से एक है। अल्पविकसित राज्यों में महिलाओं की निरक्षरता के कारण महिलाओं के शैक्षिक अवसरों और उनकी प्रस्थिति के सन्दर्भ में समस्याएँ उत्पन्न हुईं। ये समस्याएँ उन राज्यों में तो विशिष्ट रूप से उत्पन्न हुईं ही, जहाँ निरक्षरता अधिक थी लेकिन इसके साथ-साथ ये समस्याएँ राष्ट्रीय स्तर पर भी पैदा हुईं। इसलिए, महिलाओं की निरक्षरता की वृहत्तर समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता अभियान प्रारम्भ किया गया। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के अतिरिक्त, सम्पूर्ण साक्षरता अभियान भी शुरू किया गया ताकि निरक्षरता और जेण्डर सम्बन्धी शैक्षिक विरोधाभासों को कम किया जा सके। हाशियाकृत वर्गों की लड़कियों की प्रारम्भिक शिक्षा को प्रारम्भिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (2003) के माध्यम से सम्बोधित किया गया है। इसमें अध्यापन के उपघातात्मक रूपों, सहायता प्रदान करने वाले पाठ्यक्रमों, स्टेशनरी (पढ़ाई-लिखाई से सम्बन्धित सामग्रियाँ, जैसे कागज, कलम, रबर, पेंसिल आदि) आदि से सम्बन्धित प्रावधानों पर भी ध्यान केन्द्रित (Focus) किया गया है। इसके अलावा इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों, अल्पसंख्यकों, अन्य पिछड़ा वर्गों आदि से आने वाली लड़कियों पर और उनके विभिन्न पहलुओं, जैसे - उनके आवास की सुविधाओं पर, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों आदि पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। उदाहरण के लिए, इसमें हाशियाकृत वर्गों से आने वाली लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में आवासीय कार्यक्रम उपलब्ध कराए गए तथा ग्रामीण इलाकों से आने वाली लड़कियों के लिए शिक्षा के विभिन्न और बुनियादी स्तरों पर सुविधाएँ मुहैया करायी गयीं। इसमें संचार के कौशलों के महत्व पर भी फोकस किया गया था। इसने स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरूकता की आवश्यकता को सम्बोधित किया था। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने शिक्षा के एक विशिष्ट पाठ्यक्रम को प्रारम्भ किया था ताकि उन महिलाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं को सम्बोधित किया जा सके जो सर्वाधिक हाशियाकृत समुदायों/क्षेत्रों से आती हैं। इसका प्रारम्भ उस कठोर जेण्डर विभाजन को ध्यान में रखते हुए किया गया था जो माध्यमिक/उच्च शिक्षा के अवशेषों में छिपा रहता है। राज्य आधारित नीतियों ने महिलाओं की शैक्षिक गतिशीलता पर प्रभाव डाला है। उदाहरण के लिए, विकसित राज्यों की महिलाओं को अल्पविकसित राज्यों की महिलाओं की तुलना में शैक्षिक गतिशीलता का बेहतर स्तर मिलता है। शैक्षिक अल्प विकास की यह स्थिति विविध जातियों/वर्गों और विविध सामाजिक व्यवस्थाओं से आने वाली महिलाओं के बीच असमानता को प्रेरित करती है। प्रारम्भिक स्तर पर लड़कियों और

लड़कों के प्रतिनिधित्व में बढ़ोत्तरी के माध्यम से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) ने शिक्षा के सम्बन्ध में जेण्डर समानता लाने में योगदान दिया है। सेकेंडरी शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, जो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का एक हिस्सा था, भारतीय शैक्षिक क्षेत्र को एक सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। इस प्रकार, जेण्डर समानता शैक्षिक चिन्तन/व्यवहार के नृवंशकेन्द्रित और पितृसत्तात्मक आयामों का लोकतन्त्रीकरण करेगी।

8.5 मानवाधिकार और महिलाओं के अधिकार

भूमण्डलीय और राष्ट्रीय राजनीतिक वातावरणों के अनुसार मानवाधिकारों का प्रश्न रूपान्तरणकारी है। इसके साथ ही, दुनिया भर में नागरिकता के प्रश्न भी जटिल होते गए हैं। नव-सामाजिक आन्दोलनों ने महान् विचारधाराओं और पारम्परिक, राजनीतिक दलों से अपनी रूपावलियों को परिवर्तित किया है और इस प्रकार इन आन्दोलनों ने अधिकारों की समझ को पुनर्परिभाषित किया है। हालाँकि, इन पुराने रीति-रिवाजों (praxis) के साथ-साथ नए रीति-रिवाज भी विद्यमान होते हैं और इन दोनों में किसी न किसी प्रकार की सहमति होती है, जैसे महिलाओं के अधिकारों से सम्बन्धित वृहत्तर सामाजिक और राजनीतिक प्रहेलिकाएँ (conundrums)।

पितृसत्ता वह सामाजिक व्यवस्था है जिसने महिलाओं के ऊपर पुरुषों के प्रभुत्व को वैधता प्रदान की है। उत्कट (radical) नारीवादियों के अनुसार, परिवार को एक ऐसी केन्द्रीय सामाजिक संस्था माना जाता है जो पितृसत्ता को वैधता प्रदान करती है (मिलेट, पितृत्व और इनेल्डा में उल्लिखित, 2005 : 95)। भारतीय समाज को परेशान करने वाली विसंगतियों में से एक विसंगति लोकतन्त्र के राजनीतिक और सामाजिक आयामों के बीच के विरोधाभास वाली विसंगति है। संवैधानिक विशेषाधिकार समाज के विविध वर्गों को शक्तिसम्पन्न बनाते हैं। हालाँकि समाज का अधिकांश हिस्सा अभी भी समाज के हाशियाकृत अनुभागों के सम्बन्ध में तमाम रूढ़िवादिता और वर्जनाओं (taboos) का अनुसरण करता है। इसलिए, महिलाओं के सशक्तीकरण और उनके हाशियाकरण की जटिलताओं का अन्वेषण इस सन्दर्भ के अन्तर्गत ही करना चाहिए। भारतीय समाज के सम्मुख खड़े चिन्ताजनक प्रश्नों में से एक प्रश्न यह है कि क्या इस समाज ने उन चुनौतियों को सम्बोधित किया है जो भारतीय महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता के सामने विद्यमान हैं। भारत में महिलाओं के अधिकारों का अतीत (antecedents) कैसा रहा है? इस प्रश्न की व्याख्या करने के लिए अभिकरण के ऐसे प्रभावों (vestiges) को जानना आवश्यक है जो अपने अधिकारों के लिए महिलाओं की मुखरताओं के वृहत्तर क्षेत्र में छिपे हुए हैं। उदाहरण के लिए, उन वृहत्तर याद-विवादों पर फिर से गौर करने की आवश्यकता है जिन्होंने, वैश्विक/राष्ट्रीय मानवाधिकारों के सन्दर्भ में, महिलाओं के अभिकरण की धारणा को उद्घाटित किया था।

यह तर्क दिया जाता है कि 1970 के दशक के मध्य में, अपने बिल्कुल प्रारम्भ से ही, भारतीय महिलाओं के समकालीन आन्दोलन में "दो क्षण विद्यमान हैं। पहला क्षण अनिवार्य अस्मिताओं (identities) पर आधारित मुक्तिकामी माँगों को उठाने का है और दूसरा पूरक क्षण इन अस्मिताओं को विखण्डित करने का है" (देसाई, 1997 : 111)। इसके अतिरिक्त यह विविध राजनीतिक मुखरनों (articulations) की तरफ आगे जाता है। इस आन्दोलन ने कानून से सम्बन्धित वृहत्तर प्रश्नों का अन्वेषण करने का प्रयास किया और इसके परिणामस्वरूप इसने भारत में मानवाधिकारों के अर्थ को व्यापक बनाया। इसके अतिरिक्त यह तर्क भी दिया गया है कि महिलाओं के स्वायत्त आन्दोलन को उस राजनीतिक परिवर्तन की पृष्ठभूमि में देखना चाहिए, जो "1960 के दशक के अन्त और 1970 के दशक की शुरुआत" में, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों, छात्रों, श्रमिकों, आदिवासियों और

जेण्डर और
शिक्षणशास्त्रीय प्रभाएँ

किसानों के अमिकथनों (assertions) के जरिये, भारत में घटित हो रहा था (कोठारी, देसाई में उल्लिखित, 1997 : 121)। ऐसा विश्लेषण किया गया है कि महिला कार्यकर्ताओं को पुरुष कार्यकर्ताओं से अलग कर दिया गया क्योंकि पुरुष कार्यकर्ताओं का मानना था कि महिलाओं का दमन "वर्गीय दमन की तुलना में गौण (secondary)" है। इस कारण महिला कार्यकर्ताओं को, प्रतिरोध आन्दोलनों के भीतर, अपने "श्रम के जेण्डरीकृत विभाजन" के सम्बन्ध में पुनर्विचार करना पड़ा (देसाई, 1997, 111-112)। इस बात पर जोर दिया गया है कि पश्चिमी नारीवादी दृष्टिकोणों जैसे - समाजवादी और मार्क्सवादी नारीवादी हस्तक्षेपों ने भारतीय नारीवादी चिन्तन/व्यवहार को प्रभावित किया तथा इसके कारण आचार (praxis) पर पुनर्विचार करने और उसका पुनर्पाठ करने के नए रूप उभरे। "महिलाओं की प्रस्थिति पर राष्ट्रीय समिति के प्रतिवेदन" ने भारत में नारीवादी समझ में अन्तर उत्पन्न किया।

इसने भारतीय समाज में महिलाओं की हाशियाकृत अवस्थिति को सम्बोधित किया। इसने स्वतन्त्र नारीवादी समूहों की गतिविधियों को रफ्तार भी प्रदान की। इसने महिलाओं और विकास से सम्बन्धित मुद्दों को सम्बोधित किया। व्यापक तौर पर, पूरे भारत में महिला-समूहों ने अन्य मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ गठबन्धन बनाए। उदाहरणार्थ, मथुरा बलात्कार काण्ड पर आधारित सक्रियतावाद ने एक चौदह-वर्षीय आदिवासी लड़की के साथ किए गए क्रूर बलात्कार की भर्त्सना की। इसके कारण, सर्वाधिक दमित महिलाओं की प्रस्थिति और सामाजिक/राजनीतिक असमानता के बीच के सम्पर्कसूत्रों (linkages) के बारे में नये परिप्रेक्ष्य उभरे। इस प्रकार कानूनी सक्रियतावाद और महिला सक्रियतावाद ने कानून और सामाजिक परिवर्तन के सन्दर्भ में नया आयाम उपलब्ध कराया। उदाहरणार्थ, दिल्ली विश्वविद्यालय में कानून के चार प्रोफेसर्स ने, जिन्होंने 1978 में एक कानूनी लड़ाई लड़ी थी, महिलाओं के आन्दोलन को प्रोत्साहित किया ताकि सामाजिक रूपान्तरण के लिए कानून का प्रविस्तारण (deployment) किया जा सके। महिला-समूहों ने भी महत्वपूर्ण मुद्दों को सम्बोधित किया, जैसे - लिंग-निर्धारण करवाने के बाद ध्वनित गर्भपात, लैंगिक हिंसा और सम्प्रदायवाद, दहेज आधारित हिंसा तथा इसी प्रकार के अन्य मुद्दे (गांधी, शाह, कुमार, देसाई में उल्लिखित, 1997 : 113)। महिला समूहों ने विचारधारात्मक अन्तर्बस्तु और प्रतिरोध करने के तरीकों को, भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में, विविधतापूर्ण बनाया। उदाहरण के लिए उन्होंने, अपराध के दोषियों को "सार्वजनिक रूप से शर्मनाक" बताते हुए, जनता के सामने इन दोषियों का पर्दाफाश किया। विरोध प्रदर्शनों के कारण समाज के शिक्षित और निरक्षर वर्गों के बीच अत्यधिक जागरूकता उत्पन्न हुई। पोस्टर-प्रदर्शनियों, नुक्कड़ नाटकों और पोस्टरों के माध्यम से किए जाने वाले विरोधों के कारण अधिकारों, कानून और न्याय के सम्बन्ध में उन महिलाओं के बीच नए तरीके की जागरूकता उत्पन्न हुई जिन्हें जेण्डरीकृत दमन के अनेक रूपों का सामना करना पड़ता है। महिला समूहों ने आपराधिक कानून के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया ताकि व्यापक पैमाने पर सामाजिक संक्रमण (transition) के लिए कानून को रूपान्तरित किया जा सके (देसाई, 1997 : 113)।

मनीषा देसाई का विचार है कि "विरोध करने वाले समूहों" ने महिलाओं के ऐसे स्व-समूहों को प्रेरित किया जो महिलाओं के जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में उनकी सहायता करते थे। हालाँकि यह प्रेरित किया गया है कि "स्वायत्त महिला समूहों" ने यथास्थिति के द्वारा सहयोजन (co-option) और विराजनीतिकरण की राजनीति का अनुभव किया। पितृसत्ता की प्रकृति का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने वाले कार्यकर्ताओं ने इसे समझा कि पितृसत्ता पति के परिवार में बुरी तरह मौजूद है तथा इसके साथ ही यह उस परिवार में भी मौजूद है जिसमें स्त्री का जन्म हुआ होता है। इस प्रकार, महिलाओं की दमित अवस्थिति को समझने के लिए इन कार्यकर्ताओं ने नयाचारी विचार उपलब्ध कराए। उन्होंने हिंसा की

सार्वभौमिक प्रकृति पर जोर दिया। उदाहरण के लिए, स्वायत्त महिला समूहों ने बलात्कार को "महिला के शरीर पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिए उसके मानवाधिकार उल्लंघन" के रूप में देखा। "बलात्कार सिर्फ एक लैंगिक अपराध भर नहीं है, यह शक्ति का पुष्टीकरण और प्रदर्शन है" (अब्राहम, देसाई में उल्लिखित, 1997 : 116)। महिला समूहों के वर्ग-आधारित नारीवाद ने महिला कार्यकर्ताओं के बीच विघटन पैदा किया, जिनका तर्क था कि जाति पितृसत्ता को पुनरुत्पादित करती है। इन्होंने यह भी तर्क दिया था कि महिला समूहों की नेताओं का सामाजिक संघटन इस प्रकार का है कि ये महिला-नेता विशेषाधिकार-सम्पन्न वर्गोद्धारियों से आती हैं और क्या इन सम्भ्रान्तवर्गीय महिला नेताओं के पास निम्न वर्ग या निम्न जाति की महिलाओं के अधिकारों के बारे में बोलने के लिए ज्ञानमीमांसीय प्राथमिकता विद्यमान है। वर्ग से जाति तक का खिसकाव (shift) विवादास्पद है। इसके साथ ही साथ, महिला समूहों ने इस तरीके के सैद्धान्तिकव्यावहारिक खिसकावों (shift) में परिवर्तन का संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। महिला समूहों ने धर्म के सम्बन्ध में महिलाओं के लिए पुरुषों के समान अधिकारों के लिए तर्क दिया और जेण्डरीकृतधराजनीतिकृत धर्म को चुनौती प्रदान की। उन्होंने धर्म के राजनीतिकरण, साम्प्रदायिक हिंसा आदि से जुड़े मुद्दों के विषय में बहुत सावधानीपूर्ण दृष्टिकोणों को अंगीकार किया है।

8.6 विद्यालयों में यौन उत्पीड़न को सम्बोधित करना

यौन उत्पीड़न के सम्बन्ध में चर्चा को समाज में वर्जना की तरह देखा जाता है और लैंगिक रूप से इसे हर मामले में दबाया जाता है। इस प्रकार, पूरी दुनिया में मानक और विनियमन लैंगिकता के विभिन्न पहलुओं से जुड़े विमर्श को अनुकूलित (condition) करने का काम करते हैं। हालाँकि लैंगिकता के बारे में इस प्रकार के अनुकूलित विमर्श (conditioned discourses) लैंगिक व्यवहार से सम्बन्धित शोषण की आलोचनात्मक जाँच-पड़ताल करने की अनुमति नहीं देते। इसलिए वंशगत (patrimonial) व्यवस्था और बड़े-बुजुर्गों की भूमिका पर इस व्यवस्था की संदिग्धार्थक चुप्पी के कारण बच्चों के यौन शोषण पर अधिक वाद-विवाद नहीं किया जाता। इस प्रकार यह चुप्पी बच्चों पर पड़ने वाले दर्दनाक प्रभाव की रक्षा करती है। हालाँकि अन्तरराष्ट्रीय राजनीतिक विमर्शों और मानवाधिकार-रूपावलियों ने उस बर्बादी का संज्ञान लिया है जो बच्चों के दैनिक जीवन में उनके यौन उत्पीड़न के कारण उत्पन्न होती है। इस बात का भी संज्ञान लिया गया है कि यह बर्बादी किस प्रकार बच्चे को एक खास मनोवैज्ञानिक अवस्था के अधीन ले आती है।

हालाँकि, विद्यालयों में यौन उत्पीड़न, बहुशाखित और उत्तर-भूमण्डलीकृत भारतीय मीडिया में, चर्चा का एक क्षेत्र बन चुका है। बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मुद्दों और इसके विभिन्न पहलुओं पर उन वाद-विवादों के एक हिस्से के रूप में चर्चा की जाती है जो लोकतन्त्र को मजबूत और गहरा बनाते हैं। इस प्रकार ये वाद-विवाद बच्चों के अधिकारों और उनके आत्मसम्मान के बारे में सोचने में सहायता करते हैं। इस प्रकार ये चर्चाएँ शैक्षिक चिन्तन और व्यवहारों की सीमाओं से सम्बन्धित वृहत्तर प्रश्न उठाती हैं। इसने इस चीज की जाँच की कि क्या शोषण के इन रूपों को सम्बोधित करने के लिए हमारे शैक्षिक विचार गलत और अक्षम हैं। बच्चों का यौन उत्पीड़न, इस प्रकार, परिवारों से लेकर सार्वजनिक क्षेत्रों तक प्रबल रूप में विद्यमान है। यौन शिक्षा और नैतिक शिक्षा पर शिक्षा के क्षेत्रों के भीतर चर्चा की जाती है। हालाँकि बच्चों के यौन उत्पीड़न में बढ़ोत्तरी यह दर्शाती है कि सार्वजनिक चेतना पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है। हालाँकि भारतीय विधिक विमर्श ने यौन उत्पीड़न के बारे में ठोस समझ पैदा की है तथा इसने इस सन्दर्भ में मूल्यवान सुझाव और विधिक उपचार उपलब्ध कराए हैं।

जेम्बर और शिक्षणशास्त्रीय प्रभाएँ

महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय ने सन् 2012 में "लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण या पोक्सो (POCSO) अधिनियम" पेश किया। इस अधिनियम के अनुसार बालक की परिभाषा उस व्यक्ति के रूप में की गयी है जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम है। यह बच्चे के "कल्याण (Well-being)" को सम्बोधित करता है और बच्चे के समग्र विकास को सम्बोधित करता है। यह बच्चों के जीवन से सम्बन्धित सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं से सम्बद्ध है। यौन दुर्व्यवहार की विविध श्रेणियों को परिभाषित करना इस अधिनियम का अत्यन्त केन्द्रीय पक्ष है। यह अधिनियम अनेक मुद्दों से निपटता है जैसे - प्रवेशन और गैर-प्रवेशन हमले, अश्लील साहित्य, लैंगिक हमले, लैंगिक हमला माने जाने वाली ऐसी गतिविधियाँ जो कुछ परिस्थितियों में गुरुतर होती हैं, उदाहरण के लिए वे परिस्थितियाँ जहाँ उत्पीड़ित किया गया बच्चा मानसिक रूप से बीमार हो या जहाँ उत्पीड़न बच्चे के सामने किसी विश्वस्त या प्राधिकृत पद पर बैठे व्यक्ति जैसे पारिवारिक सदस्य, पुलिस अधिकारी, शिक्षक या चिकित्सक द्वारा किया गया हो। जो लोग लैंगिक प्रयोजनों के लिए बच्चों के दुर्व्यवहार (तस्करी) में लिप्त हैं, उन्हें भी अधिनियम में बहलाने-फुसलाने से सम्बन्धित प्रावधानों के अन्तर्गत दण्ड दिया जाएगा। अधिनियम, अपराध की गुरुता के आधार पर श्रेणीकृत किए गए, कठोर दण्डों को निर्धारित करता है, जिसमें अधिकतम सजा कठोर "उन्न कैंद और जुर्माना" है।

(<http://www.ncpcr.gov.in/readhttp://www.ncpcr.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&&sublinkid=14&lid=607>)

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 44 और पोक्सो नियमावली के नियम 8 के अन्तर्गत निम्नलिखित पहलुओं के बारे में भी जाँच-पड़ताल करता है रु

1. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के प्रवर्तन की निगरानी करना।
2. राज्य सरकारों द्वारा विशिष्ट न्यायालयों को ओहदा दिए जाने की निगरानी करना।
3. राज्य सरकारों द्वारा लोक अभियोजकों की नियुक्ति किए जाने की निगरानी करना।
4. राज्य सरकार, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाएँ जाएँ, गैर-सरकारी संगठनों, वृत्तिकों और विशेषज्ञों या ऐसे व्यक्तियों जिनके पास मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, चिकित्सकीय स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और बाल विकास में ज्ञान है, बालक की सहायता करने के लिए पूर्ण विचारण और विचारण प्रक्रम पर सहयोजित करने के लिए तैयार किए गए मार्गनिर्देशों की निगरानी करना।
5. केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारियों और अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों (जिसके अन्तर्गत पुलिस अधिकारी भी हैं) को अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित विषयों पर आवधिक प्रशिक्षण के अभिकल्पन (डिजाइनिंग) और उस प्रशिक्षण को लागू किए जाने की निगरानी करना।
6. साधारण जनता, बालकों के साथ ही उनके माता-पिता और संरक्षकों को इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रति जागरूक बनाने के लिए इस अधिनियम के उपबन्धों का मीडिया, जिसके अन्तर्गत टेलीविजन, रेडियो और प्रिण्ट मीडिया भी सम्मिलित हैं, के माध्यम से नियमित अन्तराल पर व्यापक प्रचार किए जाने की निगरानी और उनका सहयोग करना।

7. सीडब्ल्यूसी की अधिकारिता में आने वाले बाल यौन दुर्व्यवहार के किसी विशिष्ट मामले का प्रतिवेदन मँगवाना।
8. अपनी तरफ से या प्रासंगिक अभिकरणों के माध्यम से, यौन दुर्व्यवहार के प्रतिवेदित मामलों के सम्बन्ध में सूचनाएँ और आँकड़े एकत्रित करना और अधिनियम द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के जरिये ऐसे मामलों का निपटान करना। जो सूचनाएँ एकत्रित की जाती हैं, उनमें निम्नलिखित विषयों पर सूचनाएँ भी सम्मिलित हैं :
 - अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिवेदित किए गए मामलों की संख्या और उनका विस्तृत विवरण,
 - क्या अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित की गयी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था, इसमें समयबद्धता के आधार पर पालन की जाने वाली प्रक्रियाएँ भी सम्मिलित हैं,
 - अपराधों के शिकार लोगों की, इस अधिनियम के अन्तर्गत, देखभाल और सुरक्षा करने के लिए की गयी व्यवस्था का विस्तृत विवरण, जिसमें आपातकालीन चिकित्सकीय सेवाओं तथा चिकित्सकीय परीक्षण के लिए की गयी व्यवस्थाएँ भी सम्मिलित हैं, और
 - किसी विशिष्ट मामले में सम्बद्ध सीडब्ल्यूसी द्वारा किसी बच्चे की देखभाल और उसकी सुरक्षा करने की आवश्यकता का मूल्यांकन करने से सम्बन्धित विवरण।
9. अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन का मूल्यांकन करना तथा संसद में पेश किए जाने वाले इसके वार्षिक प्रतिवेदन में अलग से बनाए गए एक अध्याय में प्रतिवेदन को सम्मिलित करना।

(<http://www.ncpcr.gov.in/index1-php?lang=1-level=1&&sublinkid=14&lid=607> की वेबसाइट से उद्धृत)

इसलिए, बच्चों के अधिकारों और उनसे जुड़े कानूनों से सम्बन्धित पाठ्यक्रम में यौन उत्पीड़न के ऐसे वाद-विवादों को सम्मिलित करना महत्वपूर्ण है। समस्त सरकारी और निजी विद्यालयों के लिए इसे अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ, एक अनिवार्य विषय के रूप में नैतिक शिक्षा भी पढ़ाई जानी चाहिए जिससे स्वस्थ समाज का सृजन करने के लिए बच्चों के मनोमस्तिष्क में मूल्यों और नैतिकता का संचार होगा।

अपनी प्रगति को जाँचिए III

3. विद्यालयों में जेम्हर समानता को हम किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकते हैं? इसके सम्बन्ध में एक टिप्पणी लिखिए।

.....

.....

.....

.....

.....

8.7 जेण्डर रूढ़िवादिताओं की पारगम्यता एवं इष्टतम क्षमता की वृद्धि

विद्यालयों की जेण्डरीकृत समझ विद्यालय के भीतर लिंगवादी प्रत्यक्षणों (sexist perceptions) से एक परिवर्तन (shift) है। दूसरे शब्दों में, शिष्यों को श्रेणीकृत करने के लिए लैंगिक विभाजन करने की बजाय किसी लड़की/लड़के/ट्रांसजेण्डर की सामाजिक निर्मिति पर ध्यान देना शिक्षा, विकास और लोकतन्त्र के लिए एक नवीन और सकारात्मक परिवर्तन होगा। ऐसा दृष्टिकोण कक्षा-कक्षा के भीतर अनेक प्रकार की पहचानों (identities) को समझने का प्रयास करता है तथा विविध प्रकार के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। इस प्रकार, जीव-वैज्ञानिक विशिष्टताओं के आधार पर विद्यार्थियों का विभाजन करना हर मामले में प्रतिक्रियापूर्ण होता है। शिक्षा के लोकतन्त्रीकरण के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों की विविध पहचानों को सम्बोधित करने का प्रयास किया जाए। जेण्डर के हिसाब से विद्यार्थियों को नए तरीके से देखने के अतिरिक्त, शिक्षक समुदाय को जेण्डर, वर्ग, जाति, प्रजाति और नृजातीयता आदि के आधार पर अनेक पहचानों की अन्तःप्रतिच्छेदात्मक (intersectionalist) समझ उत्पन्न करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, पाठ्यपुस्तकें इस तरह समाज के बहुलतावाद के समावेशी पाठ के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल हो सकती हैं तथा शैक्षिक क्षेत्रों के भीतर की विविध आवाजों की समानता की ऐसी समझ शैक्षिक न्याय की एक व्यापक परिभाषा की तरफ ले जाएगी। इस प्रकार पुरुषों का समाजीकरण आलोचनात्मक विश्लेषण के अध्वधीन होता है और शिक्षकों का चाहिए कि वे विद्यार्थियों को उन तरीकों से परिचित कराएँ जिनके भीतर उनकी सामाजिक अवस्थितियों/पहचानों को गढ़ा जाता है। ऐसा करने से बन्द/नृजातिकेन्द्रित शैक्षिक वातावरण का विखण्डन करने में सहायता मिलेगी। परिणामस्वरूप, विद्यार्थीगण आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र के एक ऐसे खुले क्षेत्र से परिचित हो जाएँगे जो विविध और जेण्डरीकृत अवस्थितियों को अपने भीतर समाहित रखता है। शिक्षाविदों को ऐसी विचारधाराओं की पहचान करनी चाहिए जो पितृसत्तात्मक तथा अन्य प्रभुत्वशाली विचारधाराओं को मजबूत बनाती हैं और जिनके कारण महिलाओं, लड़कियों आदि के दमन को बल मिलता है।

पितृसत्ता को वैध बनाने वाली वर्चस्वशाली संस्कृति का विध्वंस विद्यार्थियों के बीच वैकल्पिक सांस्कृतिक रूपों को प्रस्तुत करके किया जा सकता है ताकि शिक्षा के सशक्तीकरण से सम्बन्धित एक नए भावबोध का संचार हो सके। ये वैकल्पिक सांस्कृतिक रूप इस प्रकार हो सकते हैं - जेण्डर संवेदी पाठ्यपुस्तकें, संगीत, निष्पादन इत्यादि। विद्यार्थियों के नेतृत्व को जेण्डर रूढ़िवादिता से मुक्त होना चाहिए तथा विद्यार्थियों को उन सामाजिक आन्दोलनों के इतिहास से परिचित कराया जाना चाहिए जिन्होंने वैश्विक और राष्ट्रीय स्तरों पर जेण्डर समानता को सम्बोधित किया हो। विद्यार्थियों को वैसी सभ्य भाषा का प्रयोग करने के मामले में संवेदनशील बनाना चाहिए जो शिष्यों के दैनन्दिन विद्यालयी जीवन की जेण्डर रूढ़िवादिता को परिभाषित करती हो। ज्ञान की निर्मिति को आमतौर पर समाज की पितृसत्तात्मक दृष्टि से देखा जाता है। पुरुष केन्द्रित दृष्टिकोण के आधार पर रचे गए ज्ञान का अध्ययन ज्ञान के उत्पादन में महिलाओं की अवस्थिति को हाशिये पर धकेल देता है। इस प्रकार लड़कियों का और ज्ञान के उत्पादन में उनके योगदान का उस समाज में अवमूल्यन कर दिया जाता है, जहाँ लड़कों को भाग्य, ज्ञान आदि का अग्रदूत माना जाता हो। शिक्षकों के लिए यह आवश्यक है कि वे उन प्रतिक्रियावादी विचारधाराओं के प्रति आलोचनात्मक रहें जो लड़कों को ज्ञान के वाहक के रूप में चित्रित करती हैं तथा लड़कियों की विशाल क्षमता और किसी समाज में ज्ञान के विविध रूपों में

उनके योगदान पर ध्यान नहीं देती। शिक्षकों और विद्यार्थियों को ज्ञान-उत्पादन के वृहत्तर वाद-विवादों और पितृसत्ता के साथ इसके सम्बन्धों से परिचित कराया जाना आवश्यक है। सीखने वाली लड़कियों की सामाजिक अवस्थितियों को समझना आवश्यक है ताकि समाज के विविध क्षेत्रों में उनके योगदान का संज्ञान लिया जा सके।

8.8 जेण्डर समानता का व्यवहार करने वाले विद्यालय के लिए दृष्टि

जो विद्यालय जेण्डर समानता का व्यवहार करता है, वह स्वस्थ शैक्षिक सिद्धान्त और व्यवहार को संयुक्त करता है। लोकतन्त्र, जो शिक्षा की कुंजी है, को सिर्फ जेण्डर समानता के जरिये ही लागू किया जा सकता है। जेण्डर समानता का संज्ञान लेने से लोकतन्त्र का सामाजिक और राजनीतिक आयाम विस्तृत होता है। दूसरे शब्दों में, मानवाधिकारों की वृहत्तर राष्ट्रीय/वैश्विक रूपावलियों में लड़कियों का सामाजिक और राजनीतिक समावेशन इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय होता है कि शिक्षा के विस्तृत क्षेत्र के भीतर कुछ सही और उचित कार्य किए जा सकें। सन्तुलित शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए शैक्षिक संस्थाओं को औपचारिक और तात्त्विक समानता से जुड़े प्रश्नों पर पुनर्विचार करना चाहिए। शैक्षिक अध्ययनों में नीतिगत प्रशासन ऐसा संवेदनशील कार्यक्रम सामने ला सकता है, जिसके कारण पाठ्यक्रम को विविधीकृत बनाया जा सकता हो। बिल्कुल पाठ के स्तर से या शैक्षिक संस्थाओं के बिल्कुल व्यवहार के स्तर से जेण्डर समानता को प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी भी ऐसे समाज में शिक्षा का क्षेत्र आमतौर पर जेण्डरीकृत होता है, जो पितृसत्ता की प्रभुत्वशाली विचारधारा से संक्रमित हो। उदाहरण के लिए, कक्षा-कक्ष में लड़कों और लड़कियों के बैठने के स्थान के सन्दर्भ में उनके साथ भेदभाव किया जाता है और उनसे अलग-अलग बैठने के लिए कहा जाता है। शैक्षिक विशेषज्ञों का तर्क है कि ऐसी संगठनात्मक रूढ़िवादिता पितृसत्तात्मक होती है और इसे समाप्त कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त अध्येताओं ने सौंपे जाने वाले कार्यों की संस्कृति की राजनीति के बारे में भी विश्लेषण किया है। अध्येताओं ने विश्लेषण किया है कि विद्यार्थियों को कार्य आमतौर पर पितृसत्तात्मक तरीके के हिसाब से ही सौंपे जाते हैं। उदाहरण के लिए, लड़कों को इस रूप में देखा जाता है कि वे विद्यालय से बाहर जा सकते हैं और समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इस प्रकार, लड़कों को कुछ निश्चित किस्म की योग्यताओं से युक्त मान लिया जाता है। इसके विपरीत, लड़कियों को इस प्रकार स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है मानो वे समाज की जटिल वास्तविकताओं से निपट ही नहीं सकतीं! नीति-निर्माताओं ने शिक्षक समुदाय की इस समझ का विश्लेषण किया है और पाया है कि यह समझ महिला विद्यार्थियों की क्षमता का आकलन करने में सीमित और नकारात्मक रही है। उदाहरण के लिए, पारम्परिक शैक्षिक क्षेत्र, जो जेण्डर समानता के फुर्तीले विचार से सम्बद्ध नहीं है, महिला विद्यार्थियों को कुछ निश्चित स्टीरियोटाइप कार्य सौंपता है, जैसे - कक्षा-कक्ष में झाड़ू लगाना, साफ-सफाई करना, विद्यालयों में भोजन पकाना आदि। प्रगतिशील विद्यालयों के लिए यह आवश्यक है कि वे लड़कियों की जेण्डरीकृत और सामाजिक रूढ़िवादिता को खारिज करें और लड़कियों के साथ लड़कों के समान ही व्यवहार करें।

8.9 सारांश

इस प्रकार, यह इकाई विद्यालयी प्रक्रिया में जेण्डर समीकरणों के बारे में विस्तार से चर्चा करती है। यह हमें विद्यालय में जेण्डर समानता, बच्चों के प्रति किए जाने वाले यौन-

जेण्डर और शिक्षणशास्त्रीय प्रभाव

दुर्व्यवहार और उनकी सुरक्षा के बारे में गम्भीरतापूर्वक सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह बच्चों के अधिकारों के बारे में शिक्षकों को शिक्षित करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है, जैसे - लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 44 और पोक्सो नियमावली के नियम 8 के अन्तर्गत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग आदि के बारे में। इसके अतिरिक्त, यह शिक्षकों की भूमिका पर भी चिन्तन करती है। यह भूमिका लड़कियों और लड़कों के रूप में विद्यार्थियों के दैनन्दिन जीवन के आधार पर बनाए गए जेण्डर रुढ़िवादिता को तोड़ने में सहायता कर सकती है। इसलिए यह समाज का दायित्व है कि वह ऐसे मूल्यों और नैतिकताओं से युक्त स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण के निर्माण को सुनिश्चित करे जहाँ विद्यार्थियों का स्वस्थ रूप में विकास हो सके और जहाँ वे स्वस्थ दृष्टिकोण के साथ रह सकें तथा लोकतान्त्रिक मूल्यों के साथ एक-दूसरे का आदर कर सकें। यह इकाई जेण्डर समानता के लिए संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किए गए कानूनी हस्तक्षेपों और उपायों के बारे में भी चर्चा करती है। कक्षा-कक्ष और शिक्षण में जेण्डर समानता को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जाए, यह उन मुख्य पहलुओं में से एक है जिन पर इस इकाई में चर्चा की गयी है।

8.10 इकाई अन्त प्रश्न

1. जेण्डर समानता को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालयों को कौन-कौन से उपाय करने चाहिए? एक केस स्टडी के माध्यम से इस पर चर्चा कीजिए।
2. जेण्डर समानता से सम्बन्धित विभिन्न कानूनों पर कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से चर्चा कीजिए। जेण्डर समानता को व्याख्यायित करने वाला एक उदाहरण दीजिए।
3. स्वतन्त्रता के बाद जेण्डर समानता लाने के लिए भारत सरकार की जो नीतियाँ और कार्यक्रम बनाए गए, उन पर चर्चा कीजिए।
4. क्या आप सोचते हैं कि जेण्डर रुढ़िवादिता को तोड़ने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? विश्लेषण कीजिए।

8.11 अपनी प्रगति जाँच के उत्तर

1. अनुच्छेद 15 : धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध : यह अनुच्छेद कहता है कि
 - 1) राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।
 - 2) कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर :
 - क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या
 - ख) पूर्णतः या भागतः राज्य-निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुँओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग, के सम्बन्ध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बन्धन या शर्त के अधीन नहीं होगा।

- (3) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।
 - (4) इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खण्ड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।
2. मन्दिर में प्रवेश से जुड़े जेण्डर पूर्वाग्रह को रोकने के अधिकार के लिए तृप्ति देसाई का संघर्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण समकालीन घटनाओं में से एक है, जिसके कारण समानता और आस्था के बहुत सारे आयाम सामने आए हैं। दूसरे शब्दों में, भूमाता त्रिगेष्ठ नामक एक संगठन के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर तृप्ति देसाई ने उस परम्परा को चुनौती देने का निर्णय लिया जिसके अन्तर्गत महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर मन्दिर में महिलाओं के प्रवेश को प्रतिषिद्ध किया जाता था। उन्होंने इस मान्यता को चुनौती दी कि उस मन्दिर में मूर्तियों से निकलने वाले कम्पन महिलाओं के लिए हानिकारक होते हैं और इसलिए महिलाओं को उस पवित्र स्थल पर नहीं जाना चाहिए। उनके संगठन की स्थापना सन् 2010 में पुणे के निकट एक गाँव में की गयी थी। उनके संगठन ने इस बात पर जोर देते हुए मन्दिर में प्रवेश करने का निर्णय लिया कि महिलाएँ और लड़कियाँ अशुद्ध नहीं हैं और इसलिए वे उस पवित्र स्थान तक जाएँगी। महिलाएँ भी शनि देवता की भक्त हैं और उन्हें भी पुरुषों के ही समान मन्दिर में प्रवेश का समान अधिकार है।
 3. जेण्डर समानता का संज्ञान लेने से लोकतन्त्र का सामाजिक और राजनीतिक आयाम विस्तृत होता है। दूसरे शब्दों में, मानवाधिकारों की वृहत्तर राष्ट्रीयध्वैश्विक रूपावलियों में लड़कियों का सामाजिक और राजनीतिक समावेशन इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय देता है कि शिक्षा के विस्तृत क्षेत्र के भीतर कुछ सही और उचित कार्य किए जा सकें। सन्तुलित शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए शैक्षिक संस्थाओं को औपचारिक और तात्त्विक समानता से जुड़े प्रश्नों पर पुनर्विचार करना चाहिए। शैक्षिक अध्ययनों में नीतिगत प्रशासन ऐसा संवेदनशील कार्यक्रम सामने ला सकता है, जिसके कारण पाठ्यक्रम को विविधीकृत बनाया जा सकता हो। बिल्कुल पाठ के स्तर से या शैक्षिक संस्थाओं के बिल्कुल व्यवहार के स्तर से जेण्डर समानता को प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी भी ऐसे समाज में शिक्षा का क्षेत्र आमतौर पर जेण्डरीकृत होता है, जो पितृसत्ता की प्रभुत्वशाली विचारधारा से संक्रमित हो। उदाहरण के लिए, कक्षा-कक्ष में लड़कों और लड़कियों के बैठने के स्थान के सन्दर्भ में उनके साथ भेदभाव किया जाता है और उनसे अलग-अलग बैठने के लिए कहा जाता है। शैक्षिक विशेषज्ञों का तर्क है कि ऐसी संगठनात्मक रूढ़िवादिता पितृसत्तात्मक होती है और इसे समाप्त कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त अध्येताओं ने सौंपे जाने वाले कार्यों की संस्कृति की राजनीति के बारे में भी विश्लेषण किया है। अध्येताओं ने विश्लेषण किया है कि विद्यार्थियों को कार्य आमतौर पर पितृसत्तात्मक तरीके के हिसाब से ही सौंपे जाते हैं। उदाहरण के लिए, लड़कों को इस रूप में देखा जाता है कि वे विद्यालय से बाहर जा सकते हैं और समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इस प्रकार, लड़कों को कुछ निश्चित किस्म की योग्यताओं से युक्त मान लिया जाता है। इसके विपरीत, लड़कियों को इस प्रकार स्टीरियोटाइप्ड कर दिया जाता है मानो वे समाज की जटिल वास्तविकताओं से निपट डी नहीं सकतीं! नीति-

निर्माताओं ने शिक्षक समुदाय की इस समझ का विश्लेषण किया है और पाया है कि यह समझ महिला विद्यार्थियों की क्षमता का आकलन करने में सीमित और नकारात्मक रही है। उदाहरण के लिए, पारम्परिक शैक्षिक क्षेत्र, जो जेण्डर समानता के फुर्तीले विचार से सम्बद्ध नहीं है, महिला विद्यार्थियों को कुछ निश्चित स्टीरियोटाइप्ड कार्य सौंपता है, जैसे - कक्षा-कक्ष में झाड़ू लगाना, साफ-सफाई करना, विद्यालयों में भोजन पकाना आदि। प्रगतिशील विद्यालयों के लिए यह आवश्यक है कि वे लड़कियों की जेण्डरीकृत और सामाजिक रुढ़िवादिता को खारिज करें और लड़कियों के साथ लड़कों के समान ही व्यवहार करें।

8.12 सन्दर्भ ग्रन्थ

1. Abraham, Ammu (1983) 'Violence against women', Unpublished paper, Women's Centre, Bombay
2. Agnes, Flavia (2004) *Women and Law in India*, Oxford University Press.
3. Agnes, Flavia (2011) *Family Law Volume 1 and 2, Family Laws and Constitutional Claims*, Oxford University Press.
4. Agnes (2015) *Constitutional Debates*, pp.80-98. MWG-010, Women and Political Process, SOGDS, IGNOU material.
5. Austin, G (2001) *The Indian Constitution Cornerstone of a Nation*, New Delhi: Oxford University Press.
6. Basu, D.D (2013, (21st edition) *Introduction to the Constitution of India*, LexisNexis.
7. Desai, Manisha (1997) "Reflections from Contemporary Women's Movements in India", In, Jodi Dean (ed) (1997) *Feminism and the New Democracy*, New Delhi: Sage.
8. Gandhi, Nandita and Nandita Shah (1991) *The Issues at Stake: Theory and Practice in the Contemporary Women's Movement in India*, New Delhi: Kali for Women Press.
9. Justice Verma Committee Report, <http://www.prindia.org/uploads/media/Justice%20verma%20committee/js%20verma%20committe%20report.pdf> access on 3rd March, 2016.
10. Khare, Richa and Shivam Patel (2016) "Haji Ali entry ruling a victory for women say petitioners"
<http://www.thehindu.com/news/cities/mumbai/womens-entry-into-haji-ali-sanctum-a-victory-for-women-say-petitioners/article9037096.ece>
11. Kumar, Radha (1993) *The History of Doing: An Illustrated Account of Movements for Women's Rights and Feminisms in India 1800-1990*, New Delhi: Kali for Women Press
12. Mazumdar Vina (edit) (2012), *Education, Equality and Development*, CWDS, Person, Delhi.

13. Millet, Kate (1977) *Sexual Politics*, London: Virago.
14. National Commission for the Protection of Child Rights,
<http://www.ncpcr.gov.in/> read <http://www.ncpcr.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&&sublinkid=14&lid=607>, accessed on 3rd March, 2016, Government of India.
15. National Curriculum Framework (2005) 3.2, Position Paper, National Focus Group on Gender Issues in education.
16. Phadnis, Samrat (2016) "I'm not doing anything for publicity: Bhumata Brigade's Trupti Desai".
<http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/I-m-not-doing-anything-for-publicity-Bhumata-Brigades-Trupti-Desai/articleshow/50782511.cms>
17. Pilcher, Jane and Imelda Whelehan (2005) *Fifty Key Concepts in Gender Studies*, New Delhi: Sage.
18. Poornima, (2016, reprint) Education, Development Goals and Upgradation of Skills, pp. 23 -41., Unit -2, MGS-002, Gender, Development Goals and Praxis, SOGDS, IGNOU material.
19. Roy, Anupama (2005) *Gendered Citizenship: Historical and Conceptual Explorations*, New Delhi: Orient Longman.
20. Thomas B. Jeyaseelan S.J. (2005) *Women Rights and Law*, Indian Social Institute.
21. Uma, Saumya (2016 reprint) Law as Instrument of Empowerment and Disempowerment, pp. 70-92. Unit, 19, MGS-002, gender, Development Goals and Praxis, SOGDS, IGNOU.

8.13 सुझायी गयी अध्ययन सामग्री

1. Agnes, Flavia (2004) *Women and Law in India*, Oxford University Press.
 2. Agnes, Flavia (2011) *Family Law Volume 1 and 2, Family Laws and Constitutional Claims*, Oxford University Press.
 3. Austin, G (2001) *The Indian Constitution Cornerstone of a Nation*, New Delhi: Oxford University Press.
 4. Basu, D.D (2013, (21st edition) *Introduction to the Constitution of India*, LexisNexis.
 5. Justice Verma Committee Report, <http://www.prsindia.org/uploads/media/Justice%20verma%20committee%20report.pdf>
access on 3rd March, 2016.
- Mazumdar Vina (edit) (2012), *Education, Equality and Development*, CWDS, Person, Delhi.

जेम्स और
शिक्षणशास्त्रीय प्रभाई

6. National Curriculum Framework (2005) 3.2, Position Paper, National Focus Group on Gender Issues in Education.
7. Srivastava Gouri (2012) Equity and Equality in Schooling Processes, Seminar, http://www.india-seminar.com/2012/638/638_gouri_srivastava.htm.
8. The National Commission for the Protection of Child Rights, <http://www.ncpcr.gov.in/> read <http://www.ncpcr.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&&sublinkid=14&lid=607>, accessed on 3rd March, 2016